सप्तम-माला, खंड 12, अंक 5, शुक्रवार, 20 फरवरी, 1981/1 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[पांचवा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य 4 चार रुपये

विषय सूची

अंक 5, शुक्रवार, 20 फरवरी, 1981/1 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 62, 64, 65, 69, 70 और 72 से 74	...	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 66 से 68, 71 और 75 से 80	...	24—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 601 से 623, 625 से 712, 714 से 718, 720 से 724, 726 से 737, 739 से 752 और 754 से 800	...	33—194
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	195—205
ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में	...	206—209
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	210—216
बिहार के गिरिडीह जिला में भादुआ कोयला खानों में खनिकों के फंस जाने का समाचार		
श्री सुनील मैत्रा	...	210—216
श्री विक्रम महाजन	...	210—216
श्री इन्द्रजीत गुप्त	....	214—216
मंगलौर में प्रस्तावित लौह अयस्क पेलेटाइजेशन संयंत्र के लिए टेंडरों की प्राप्ति की तारीख के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	...	217
श्री भीष्म नारायण सिंह	...	217
सभा के कार्य के बारे में	...	217—223
समिति के लिए निर्वाचन (काफी बोर्ड)	...	224

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	...	225—306
श्री वी०एन० गाडगिल	...	225—234
श्री नवल किशोर शर्मा	...	234—238
श्री जार्ज फर्नान्डीस	...	297—306
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौदहवां प्रतिवेदन	...	307—308
विधेयक पुरः स्थापित	...	308—312
(एक) सामाजिक सुरक्षा के लिए सीमान्त वन भूमि का उपयोग विधेयक		
श्री पी० राजगोपाल नायडू	...	308
(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा 5, 12 आदि का संशोधन)		
श्री जार्ज फर्नान्डीस	...	309
(तीन) निःशक्त व्यक्ति कल्याण विधेयक		
प्रो० एन० जी० रंगा	...	309
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 19 का संशोधन)		
श्री भोगेन्द्र झा	...	309—310
(पांच) इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक		
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	...	310
(छः) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, (नई धारा 17 क का अंतः स्थापन)		
श्री ए० टी० पाटिल	...	310
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 368 का संशोधन)		
श्री बापूसाहेब पल्लेकर	...	310—311
(आठ) साधारण खंड (संशोधन) विधेयक		
श्री ए० टी० पाटिल	...	311
(नौ) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, (धारा 17 और 23 का संशोधन)		
श्री दिगम्बर सिंह	...	311

विषय		पृष्ठ
(दस) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, (परिनियमों का संशोधन)		
श्री रशीद मसूद	...	311—312
(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 31 ख का संशोधन)		
श्री बालासाहेब विखे पाटिल	...	312
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 51 का संशोधन)		
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	312
(तेरह) रोजगार का उपबंध, बेरोजगार भत्ते का संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम विधेयक		
श्री बी० वी० देसाई	...	312—313
देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक	...	313—344
श्री आर० के० महालगी	...	313—316
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री आर० के० महालगी	...	313—317
श्री एडुआर्डो फैलीरो	...	317—322
श्री मधु दण्डवते	...	322—326
प्रो० एन० जी० रंगा	...	327—329
श्री बापूसाहेब परूलेकर	...	329—333
श्री बी० के० नायर	...	334—336
श्री जेवियर अराकल	...	336—340
श्री रामविलास पासवान	...	340—343
श्री चित्त बसु	...	343—344
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों के बारे में	...	333

लोक सभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 1981/1 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फीडर विमान कम्पनियों का वित्त पोषण

*61 श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फीडर विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार ने अब तक पूंजी निवेश किया है ;

(ख) क्या उनके कर्मचारियों पर आने वाले खर्च और छोटे तथा पिछड़े राज्यों के हितों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी विशिष्ट ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) तीसरी वायु सेवाओं का परिचालन करने के लिए वायुदूत नाम की एक कम्पनी का गठन किया गया है । इसने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विमान सेवाएं आरम्भ कर दी हैं में कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है । कम्पनी की इक्विटी पूंजी में इण्डियन एयरलान्इस तथा एयर इण्डिया का बराबर-बराबर हिस्सा होगा जिसके लिए आवश्यक वजटीय सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी । प्रारम्भिक इक्विटी की राशि 6.50 करोड़ रुपए है । वर्ष 1980-81 के दौरान, सरकार का पूंजी एवं राजस्व दोनों लेखों में एक करोड़ रुपए की अनुमानित राशि की वित्तीय व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, हां । फीडर सेवाओं का उद्देश्य इण्डियन एयरलांइस द्वारा अन्यथा परिचालन न किए जा रहे क्षेत्रों को विमान सेवा से जोड़ना तथा दुर्गम क्षेत्रों को भारत के हवाई मानचित्र पर लाना है । उत्तर-पूर्वीक्षेत्र में, जहां कि विमान सेवाओं का परिचालन आरम्भ हो गया है, वायुदूत द्वारा परिचालित मार्गों पर 30% रियायती किरायों की पेशकश की गयी है ।

(ग) वायुदूत सेवाएं इस समय आठ स्टेशनों के लिए परिचालित की जा रही हैं, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

सैक्टर	किराये
गौहाटी/बारापानी	35/-रुपए
कमालपुर/अगरतला	37/-रुपए
अगरतला/कैलाशहर	48/-रुपए
गौहाटी/रूपसी	87/-रुपए
झबुआ/तेजू	61/-रुपए
गौहाटी/कमालपुर	111/-रुपए
गौहाटी/कैलाशहर	103/-रुपए

श्री अमर राय प्रधान : मै तीसरे एयरलांइस अथवा फीडर एयरलांइस अथवा वायुदूत, जो कुछ भी इसे कहा जाता है सम्बन्धी लिए गए उस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसके अन्तर्गत देश के दूर दराज के क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों के मुख्य शहरों तथा व्यापार केन्द्रों से जोड़ा जाएगा । हमें आशा थी कि इस एयरलांइस से उत्तर बंगाल और सिक्किम के लोगों के दिलों में नई आशायें जागेंगी क्योंकि ये क्षेत्र भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से कम पिछड़े नहीं हैं, मन्त्री महोदय, श्री अनन्त प्रसाद शर्मा ने कलकत्ता में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि बहुत जल्दी कूच बिहार और कलकत्ता के बीच एक तीसरे एयरलांइस द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जाएगा । 26 जनवरी को तीसरी एयरलांइस का आरम्भ किया गया । लेकिन इसके अन्तर्गत कूच विहार तथा कलकत्ता के बीच कोई भी उड़ान नहीं होगी । वहां के लोगों की मांग है कि उत्तर बंगाल में कूच बिहार तथा बेलूरघाट, और सिक्किम में गंगतोक को कलकत्ता से जोड़ने के लिए एक उड़ान होनी चाहिए । अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किन कारणों से यह उड़ान शुरू नहीं की जा सकी । यह कब शुरू होगी ।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इस समय कूच बिहार के रनवे को मजबूत किया जा रहा है । ज्योंही रनवे ठीक हो जाएगा, तो कलकत्ता तथा कूच बिहार के बीच सेवा शुरू कर दी जाएगी । जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं मन्त्री महोदय से सहमत नहीं क्योंकि कूच बिहार हवाई अड्डा फोकर फ्रेंडाशीप एयरक्राफ्ट के उतरने के लिए पर्याप्त है । पहले कलकत्ता और कूच बिहार के बीच हवाई उड़ानें होती थीं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं अपने माननीय मित्र को पहले ही बता चुका हूं कि जब भी जहाज के लिए रनवे तैयार हो जाएगा, उसी समय कूच बिहार में वायु सेवा शुरू कर दी जाएगी ।

श्री अमर राय प्रधान : यदि आप वित्तीय पहलु को देखें तो पता चलेगा कि कम्पनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए की है । कम्पनी की इक्विटी पूंजी इन्डियन एयरलांईस और एयर इंडिया दोनों की होगी जिसमें सरकार आवश्यक बजट सम्बन्धी सहायता देगी । प्रारम्भिक इक्विटी की

राशि 6.50 करोड़ रुपए की है। सरकार का विचार पूंजी और राजस्व लेखों में लगभग एक करोड़ रुपए लगाने का है। वायुदूत के मार्गों पर 30 प्रतिशत किराये की रियायत की पेशकश की गई है। वायुदूत पहले ही इंडियन एयरलाईन्स से दो हवाई जहाज उधार में ले चुका है। अतः तीनों एयरलाईन्स एक दूसरे से जुड़ी हैं। इंडियन एयरलांईस तथा वायुदूत का उद्देश्य भीतरी मांग को पूरा करना है। अतः प्रशासनिक मद के व्यय को कम करने के लिए क्या सरकार इन्डियन एयरलाईन्स तथा वायुदूत का बिषय करने पर विचार करेगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वास्तव में इसी कारण से जिसका जिक्र मेरे माननीय मित्र ने किया है, इस नई कम्पनी को रजिस्टर किया गया है। यह कम्पनी, एयर इंडिया तथा इन्डियन एयरलांईस दोनों से ही एक पृथक कम्पनी बन कर रहेगी। परिचालन सम्बन्धी ऊपरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए इन्डियन एयरलाईन्स का उन क्षेत्रों में चलना सम्भव नहीं क्योंकि इसके हवाई जहाज बड़े-बड़े हैं। वहां चलने के लिए हमें छोटे जहाज चाहिए। इसी कारण इस कम्पनी को एक स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में रजिस्टर किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने सिक्किम की राजधानी गंगतोक को कलकत्ता से जोड़ने के लिए कहा है लेकिन मन्त्री ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : हम गंगतोक में एक हवाई-पट्टी बना रहे हैं। इसके बनने के तुरन्त बाद ही सिक्किम को जोड़ दिया जाएगा।

श्री बी०वी० देसाई : भारत सरकार तथा राज्यों ने अनेक जिलों को पिछड़ा घोषित किया है। इन उपेक्षित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक फीडर एयरलाइंस का होना बहुत जरूरी है। अब सरकार ने 'वायुदूत' शुरू कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसका नाम 'पवनदूत' क्यों नहीं रखा।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री बी०वी०देसाई : जब तक पिछड़े क्षेत्रों को नहीं खोला जाएगा और उन्हें वायु मार्गों के अन्तर्गत नहीं लाया जायेगा उस समय तक उनका विकास का सपना ही बना रहेगा। क्या सरकार ऐसा निर्णय लेगी जिससे यह एयरलाईन्स पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित न रहे बल्कि देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी यह चले क्योंकि वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्या वित्तीय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, इंडियन एयरलाईंस, एयर इंडिया और भारत सरकार की भागीदारी के अतिरिक्त क्या इस संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों के लिए भी द्वार खोले जायेंगे क्योंकि वे भी इसमें बहुत रुचि लेते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : राज्य सरकारों द्वारा इसमें भाग लेने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। जहां तक देश के अन्य क्षेत्रों में फीडर सेवा को लागू करने का प्रश्न है, यह भी सरकार के विचाराधीन है।

पर्यटकों के आगमन में वृद्धि

*62. श्री जगदीश टाईटलर :

श्री बी०वी० देसाई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटकों के आगमन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है, जितनी की संभावना थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) भारत के लिए पर्यटक यातायात जिसकी 1979 में 2.2 प्रतिशत की निम्न वृद्धि दर दर्ज की गयी थी, उसमें 1980 में अच्छी खासी वृद्धि हुई और 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, अथवा यूं कहें कि यह 1979 में प्राप्त वृद्धि दर के दुगने से भी अधिक हो गई । 1979 में 764,781 की तुलना में 1980 में कुल पर्यटक आगमन 800,150 था ।

(ख) 1979 और 1980 में निम्नतर वृद्धि दर के प्रमुख कारण ये थे :—पड़ौसी देशों में अस्थिरता की स्थिति जिससे भारत की ओर आने वाले स्थल यातायात पर विपरीत प्रभाव पड़ा ; विश्व-व्यापी मुद्रा-स्फीति जिससे खर्च करने वाले पर्यटकों की खर्च करने की क्षमता में कमी आ गयी, और इंधन की और ऊंची कीमतों के कारण उन प्रमुख मार्केटों से भारत आने के लिए हवाई किरायों में वृद्धि जहां से ज्यादातर पर्यटक आते हैं ।

(ग) सरकार ने यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटन के विकास के लिए एक लम्बी-अवधि योजना तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि पर्यटन विकास के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का एकीकृत आयोजना के माध्यम से अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके । विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों द्वारा प्रारम्भ किए गए संवर्धन और मार्केटिंग सम्बन्धी प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । 1980 में दो एयर बसें और चार बोइंग 737s जोड़ कर, इंडियन एयरलाइंस के फ्लीट में अच्छी तरह से बढ़ौतरी की गई है तथा और अधिक वृद्धियां सरकार के विचाराधीन हैं । बम्बई में एक नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग की व्यवस्था करते हुए और दिल्ली हवाई अड्डे पर विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ को बिल्कुल नहीं तो कुछ हद तक दूर करने के लिए पहले से ही अनेक कदम उठाए हैं । दिल्ली के लिए एक नए एयरपोर्ट

टर्मिनल की भी योजना है और इस परियोजना पर काम पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। मद्रास हवाई अड्डे पर एक नए डोमेस्टिक टर्मिनल की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में विविध नए होटलों के निर्माण करने का कार्यक्रम है जिसके द्वारा आवास संबंधी कमी से राहत मिलेगी। सरकार को यह आशा है कि इन जोरदार उपायों से आगामी दशक के दौरान भारत अभिमुखी पर्यटक यातायात में भारी वृद्धि हो जाएगी।

श्री जगदीश टाईटलर : समापटल पर रखा गया विवरण, जहां तक पहले भाग का संबंध है जो देश में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के बारे हैं, कुछ भ्रामक है। गत वर्ष लगभग 8 लाख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का अनुमान लगाया गया है जो 1979 के 7.65 लाख के आंकड़ों से केवल 4 6 प्रतिशत अधिक है। 1978 में यह 7.48 लाख था जो 1977 से 16.8 प्रतिशत अधिक था। 1979 में यह संख्या 7.65 लाख थी जो 1978 से केवल 2.2 प्रतिशत अधिक थी। अतः वास्तव में इस संख्या में गिरावट आई है और पर्यटन यातायात में वृद्धि की प्रतिशतता गिर रही है। पर्यटकों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि विवरण में बताई गई है। उपर्युक्त (क) को देखते हुए क्या सरकार ने आवश्यक पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए सारे देश में यात्रा मार्गों का पता लगाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है, और (ख) क्या सरकार ने अन्य देशों से आने वाले कम अमीर पर्यटकों को उनके सीमित बजट के उपयुक्त सस्ता आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : यह सच है कि यदि आप आंकड़ों को देखें और प्रतिशतता निकालने का प्रयास करें तो उसमें कुछ विषमता प्रतीत होती है। लेकिन, इसके साथ ही साथ पर्यटकों के आने की कुल संख्या को देखने से मेरे मित्र को यह पता चलेगा कि 1979 की तुलना में वर्ष 1980 में 35,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए है। किराया सस्ता करने के प्रश्न पर विचार सहित कई कदम उठाए गए हैं। मुझे आशा है कि हम इस मामले में बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय ले सकेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : उपर्युक्त स्थानों पर पानी में खेले जाने वाले खेलों और पहाड़ों पर चढ़ने आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने और उनमें सुधार के लिए तथा उन स्थानों पर आवास और अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? दूसरे, क्या सरकार पर्यटकों के लिए और देश के भीतर यात्राओं का आयोजन करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की बसों और कारों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कई होटल बनाये जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास होटल के कमरों की कमी है। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके पूरे हो जाने पर यद्यपि सारी तो नहीं लेकिन काफी हद तक यह जरूरत पूरी हो जायेगी। बसों और कारों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। जैसे ही संसाधनों से संबंधित हमारी कठिनाई दूर हो जायेगी, इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री बी० पी० देसाई : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अपने आपको इस बात से सान्त्वना दी है, और मैं यह कहूंगा कि निर्बल सान्त्वना है, कि पर्यटकों की संख्या में 35000 की वृद्धि हुई है। उन्होंने पर्यटकों की संख्या में कमी आने के तीन कारण बताये हैं, अर्थात्, पड़ोसी देशों में अस्थिरता की स्थिति मुद्रास्फीति, जो पर्यटकों की खर्च करने की क्षमता को कम कर देती है, उन देशों से, जहां से पर्यटक आते हैं, भारत तक के विमान किराये में वृद्धि। ये शर्तें सभी देशों पर लागू होती हैं। तो भी श्रीलंका जैसे एक बहुत ही छोटे से देश ने गत वर्ष पर्यटकों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की है। और हमारे माननीय मंत्री केवल 35,000 की वृद्धि पर ही संतोष प्रकट कर रहे हैं। मेरा विचार है कि इसमें कुछ मूलभूत सुधार करने की आवश्यकता है एक व्यवसायिक दृष्टिकोण आवश्यक है। (व्यवधान) इस बात को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उनके द्वारा प्रस्तावित कदमों को उठाने के अलावा भी कोई ऐसे ठोस प्रस्ताव हैं जो वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से आरम्भ करना चाहेंगे ताकि हमें विदेशी मुद्रा के रूप में आय होती रहे। (व्यवधान)। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन राशि आवंटित की है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, हम इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या की तुलना श्रीलंका तथा अन्य देशों जैसे छोटे देशों से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीलंका का भ्रमण वहां की 'ओपन स्काई पालिसी' के रूप में जानी जाने वाली नीति के कारण कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश में वह नीति मौजूद नहीं है। हम भी यह विचार कर रहे हैं कि हम वह नीति अपना लें और विदेशी एयरलाइनों को यह अनुमति दे दें कि वे हमारी अनुमति से इस देश की भी यात्रा करें ताकि वे पर्यटकों को इस देश में भी ला सकें जैसे कि वे अन्य देशों में ला रहे हैं। अतः इस पर विचार किया जा रहा है। मेरे मित्र को यह मालूम होना चाहिए कि वह एक बहुत ठोस कदम है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जब हम इस संबंध में निर्णय ले लेंगे तो वह देखेंगे कि और अधिक पर्यटक इस देश की यात्रा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं माननीय मंत्री को बार-बार यह कहता रहा हूं कि देश में पर्यटन क्षमता में वृद्धि की जाये और पश्चिम तटीय कोंकण क्षेत्र जैसे कुछ पिछड़े हुए परन्तु सुन्दर क्षेत्रों को, जहां सुन्दर समुद्रतटीय आरामगृह और मन लुभावने स्थान हैं, पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। केवल एक ठोस सुझाव देने के लिए तथा एक प्रश्न पूछने के लिए, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के दक्षिणी रत्नागिरी जिले में यदि आप बेनगोला जैसे स्थान पर जायें तो यह मेरा दावा है कि आप मंत्री मंडल का सदस्य बनने की बजाय उस स्थान को प्राथमिकता देंगे। इतना सुन्दर स्थान है वह। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र को पर्यटन-स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इसका परीक्षण कर सकते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें कहने दीजिए ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, अभी दिसम्बर के महीने में ही हमने विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद हमने 'ट्रेवल सर्किट' नामक एक योजना तैयार की है और मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने उस 'ट्रेवल सर्किट' के भीतर उस क्षेत्र की सिफारिश की है तो मैं निश्चित रूप से उसके विकास के बारे में विचार करूंगा ।

मानव-कंकालों का निर्यात

* 64. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों तथा संस्थानों की संख्या क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार ने मानव कंकालों का विदेशों को निर्यात करने के लिए लाइसेंस दिए हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें मानव-कंकालों का निर्यात किया गया है और प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ख) उक्त मानव-कंकाल किन-किन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मानव कंकालों तथा उनके अंगों के निर्यात की अनुमति पत्तन, लाइसेंसिंग, प्राधिकारी इन आधारों पर देते हैं : (1) पुलिस थाने के कम से कम कार्य-भारी अधिकारी के पद के स्तर के पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जिसमें यह बताया गया हो कि वे कहां से मिले हैं और यह भी बताया गया हो कि उनका कितना वजन है और उनकी संख्या कितनी है और केवल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित मात्रा तक ही निर्यात की अनुमति दी जाती है, तथा (2) विदेशी क्रेता द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि मानव कंकाल केवल जीव विज्ञान संबंधी तथा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है ।

2. मानव-कंकालों के निम्नांकित प्रमुख निर्यातक है :—

1. मैसर्स रेवनाज लि०, कलकत्ता ।

2. मैसर्स विस्टा, कलकत्ता ।

3. मैसर्स हिल्टन एण्ड कं० कलकत्ता ।

4. मैसर्स सूराव, कलकत्ता ।

5. मैसर्स फोशयनों, कलकत्ता ।

6. मैसर्स रामकृष्ण स्टोर्स, कलकत्ता ।

7. मैसर्स दि साइंटिफिक इनिवपमेंट सप्लाइज, कलकत्ता ।

8. मैसर्स रैक्स कारपोरेशन (इं) कलकत्ता ।

9. मैसर्स एम० बी० एण्ड कं०, कलकत्ता ।

10. मैसर्स आस्ट्रलोजी सप्लाई, कलकत्ता ।

11. मैसर्स शंकर एन्टरप्राइजिज, कलकत्ता ।

12. मैसर्स क्लेटन सिंडीकेट, कलकत्ता ।

13. मैसर्स हास्पिटल सप्लाई एण्ड कं०, कलकत्ता ।

14. मैसर्स अरुण एन्टरप्राइजिज, कलकत्ता ।

15. मैसर्स ओन्डेज (आई०) प्रा० लि०, बम्बई ।

3. 1979-80 वर्ष के दौरान जिन देशों को मानव कंकालों तथा उनके अंगों का निर्यात किया गया, उनके नाम तथा साथ ही निर्यातों के मूल्य (देशवार) नीचे दिए गए हैं :—

देश	मूल्य (लाख रु०)
1. अमरीका	27.50
2. ब्रिटेन	6.50
3. हांगकांग	0.13
4. आस्ट्रेलिया	10.48
5. सिंगापुर	0.41
6. जापान	2.68
7. हालेंड	0.58
8. बेल्जियम	2.04
9. आस्ट्रेलिया	0.42
10. प० जर्मनी	19.03
11. स्वीडन	0.44
12. डेन्मार्क	1.07

13. नार्वे	0.09
14. कनाडा	9.79
15. फ्रांस	2.33
16. नीदरलैंड	0.93
17. न्यूजीलैंड	0.41
18. स्विटजरलैंड	0.06
19. मलयेशिया	0.06
20. एकाटलैंड	0.12
	योग : 85.07

4. लावारिस मुरदों से मानव कंकाल तथा उनके अंग तैयार किए जाते हैं और उनके निर्यात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पुलिस प्राधिकारी उसकी अधिप्राप्ति के स्रोत के बारे में आवश्यक प्रमाण-पत्र दे देते हैं।

श्री निहाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, मैंने उसे देखा है। भारत में जानवरों के मरने के बाद कुछ कीमत होती है, लेकिन मनुष्य के मरने के बाद कोई कीमत नहीं है। उसके नर-कंकालों की विदेशों में अच्छी-खासी कीमत मिलती है, लेकिन इस व्यापार के लाइसेंस का अधिकार पोर्ट-लाइसेंस-अधिकारी को दे दिया गया है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पोर्ट-लाइसेंस अधिकारी नर-कंकालों के निर्यात पर रोक लगा देता है। पिछले वर्ष कलकत्ते में आयात निर्यात नियन्त्रक-श्री भ्रट्टाचार्य ने इस पर रोक लगा दी थी, जिस से देश को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। यदि इस व्यापार को ठीक तरह से चलाया जाय तो बिना कुछ खोये भारत को करोड़ों रुपया मुफत में मिल सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं - क्या आप इसके लिये कोई व्यापारिक लाइसेंसिंग कानून बनायेंगे ताकि इसके निर्यात में सरलीकरण हो और ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ?

श्री खुर्शीद आलम खान : नर-कंकालों के निर्यात के लिए एक नियमित प्रक्रिया है। नर-कंकालों का निर्यात कुछ शर्तों के अधीन किया गया है। जीव-विज्ञान या चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्यात की अनुमति दी जाती है लेकिन इसके साथ भी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि उन नरकंकालों की सप्लाई का स्रोत क्या है। नर-कंकालों के निर्यात में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री निहाल सिंह : बुढ्ढे और नौजवान आदमियों के जो नर कंकाल होते हैं उनकी कीमत कम मिलती है, डेढ़ से दो हजार रुपये मिलते हैं, लेकिन जो 8 वर्ष से 12

या 13 वर्ष के बच्चों के नर कंकाल होते हैं उन की खोपड़ी की कीमत सब से ज्यादा मिलती हैं, ढाई से तीन हजार रुपये तक मिलती है। हमारे यहां हिन्दू धर्म के अनुसार मरने वालों को जलाया जाता है और मुसलमान धर्म के अनुसार गाड़ा जाता है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इस देश में जो बच्चे मरते हैं उनके शवों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि वे न जलाये जांय और न गाड़े जांय, ताकि उनकी अच्छी खासी कीमत मिल सके ?

श्री खुर्शीद आलम खान : मुझे खेद है कि प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है।

श्री रामविसाल पासवान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहत हूं...।

श्री नवलकिशोर शर्मा : आपका नर-कंकालों से ज्यादा ताल्लुक है ?

श्री रामविलास पासवान : मैं उसी बात को पूछ रहा हूं। सबसे ज्यादा कीमती खोपड़ी किस देश की है ?

श्री खुर्शीद आलम खान: मैं इस व्यापार या धंधे में कभी भी नहीं रहा। इसलिए मैं यह नहीं बता सकता।

शुल्क मुक्त दुकानों का खोला जाना

*65 **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमें "शुल्क मुक्त दुकानों" से जो भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन है, कितनी आय होती है; और

(ख) क्या सरकार सभी चार प्रमुख नगरों में शुल्क मुक्त दुकानें खोलने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) भारतीय पर्यटन विकाश निगम ने वर्ष 1979-80 के दौरान 43.11 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और 151.38 लाख रुपये कुल टर्न ओवर थी।

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम पहले ही दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा त्रिची हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : हमारे देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 76089 है। जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा बताया गया है कि शुल्क मुक्त दुकानों से बिक्री की कुल टर्न-ओवर की राशि केवल 151.38 लाख रुपए है। प्रति व्यक्ति 4 रु० से भी कम आती है जो शुल्क मुक्त दुकानों

पर आते हैं। मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय के पास कोई रिकार्ड है कि पारगमन यात्रियों में से कितने शुल्क मुक्त दुकानों पर आते हैं क्योंकि बहुत से विमान में बैठे रहते हैं।

टर्न, ओवर तथा लाभ में क्या अन्तर है ? लाभ तथा टर्न-ओवर के बीच कुछ स्पष्टीकरण को अवश्य होना चाहिए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, हम सूचना एकत्र करेंगे और उसे सभा पटल पर रख देंगे।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, मैं इस अन्तर के कारण को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं। सम्भवतः यह इस वजह से हो सकता है कि इसमें लाभ मिला हुआ है। परन्तु उसका पता लगाने का मैं प्रयास करूंगा और सूचना सभा पटल पर रखूंगा।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या भारत सरकार का किसी अन्य विकासशील देश की भांति हवाई अड्डों के अलावा नगर में शुल्क मुक्त दुकानों को खोलने का विचार है। बहुत से देशों में राजनियकों तथा अन्य पर्यटकों, जो साथ-साथ आते हैं, के लिए शुल्क मुक्त दुकानें हैं ताकि वे नगरों में भी शुल्क मुक्त वस्तुयें खरीद सकते हैं। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वे शुल्क मुक्त दुकानों पर जाते हैं ? उनकी देखभाल करने के लिए कितने व्यक्ति हैं। बहुत कम उन पर ध्यान देते हैं। इसलिए इस देश को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या की अपेक्षा बिक्री बहुत कम है। क्या सरकार का प्रमुख नगरों में शुल्क मुक्त दुकानों का खोलने का विचार है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है हमने अशोका होटल में अभी हाल एक शुल्क मुक्त दुकान खोली है। हम अन्य स्थानों पर ऐसी दुकानें खोलने के लिए माननीय मित्र के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : शुल्क मुक्त दुकानों का फर्श क्षेत्र कितना है। यह माप दंड हवाई अड्डे के लिए होना चाहिए। क्या सरकार शुल्क मुक्त दुकानों के फर्श क्षेत्र को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नये टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अमृतसर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के नक्शे में शामिल हो चुका है। विमान अमृतसर से काबुल जा रहे हैं और वहां से वापिस आ रहे हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय माल जहाज बारास्ता अमृतसर से होकर जायेंगे। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि अमृतसर हवाई अड्डे पर ये शुल्क मुक्त दुकानें उपलब्ध होंगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह विचारार्थ सुझाव है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह सुझाव नहीं है । आप दुकानों को कब खोल रहे हैं ? कृपया बताइए कि आप दुकानें खोल रहे हैं कि नहीं ?

बिहार में उत्पादन तथा भारतीय पटसन नियम द्वारा खरीदा गया पटसन

*69. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष 1980-81 में कुल कितनी मात्रा में पटसन का उत्पादन हुआ तथा भारतीय पटसन निगम ने कितनी मात्रा में वह खरीदा ;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम सदैव मूलभूत ढांचे, पर्याप्त निधि तथा खरीदे गए पटसन को भण्डारण करने के लिए स्थान के अभाव की शिकायत करता है जिसके परिणामस्वरूप वह बाजार से 40 प्रतिशत उत्पादन तक नहीं उठा सका ;

(ग) क्या सरकार पटसन उत्पादकों की सहकारिता को पंचायत स्तर पर संगाउत करवाने और संगठन के प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने, प्रत्येक पंचायत स्तर पर कम से कम एक गोदाम का निर्माण करने और पटसन उठाने के लिए आवश्यक मूल्य ढांचे की व्यवस्था करने के बाद भारतीय पटसन निगम द्वारा पंचायत स्तर पर पटसन उठाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा अधिगृहीत अथवा सरकार के पयवेक्षण में संचालित सभी पटसन मिलें पटसन की सप्लाई सम्बन्धी अपनी आवश्यकता भारतीय पटसन निगम के माध्यम से पूरी करें ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बिहार में 1980-81 में पटसन तथा मेस्टा का अनुमानित उत्पादन 11,49 लाख गांठें हैं और भारतीय पटसन निगम ने 31-1-81 तक 2.52 लाख गांठों की अधिप्राप्ति की थी ।

(ख) अवस्थापना, निधियों गोदाम, स्थान आदि के प्रतिबन्धों के बावजूद निगम निरन्तर अपनी अधिप्राप्ति में वृद्धि करता रहा है और चालू वर्ष की अधिप्राप्ति (31-1-81 तक) जो कि 9.6 लाख गांठों की है अब तक उच्चतम है । बिहार में 31-1-81 तक निगम ने बिहार के कुल उत्पादन के 21 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की है जबकि अखिल भारतीय अधिप्राप्ति स्तर 12 प्रतिशत का है ।

(ग) सरकार की नीति है कि अधिप्राप्ति प्रयोजनों के लिए पटसन उपजकर्ताओं की सहकारिताएं बनाने को प्रोत्साहित किया जाए। तथापि, इस क्षेत्र में, राज्य सरकारों द्वारा सक्रिय योगदान दिया जाना है। भारतीय पटसन निगम के पास विद्यमान गोदाम स्थान लगभग 19.76 लाख गांठों की अधिप्राप्ति को रखने के लिए प्रर्याप्त हैं जिसमें 5.40 लाख गांठों की स्टोरेज क्षमता बिहार में है।

(घ) राष्ट्रीयकृत पटसन मिलें कच्चे पटसन संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पटसन निगम के माध्यम से खरीदारियों में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है।

श्री डूमर लाल बैठा : भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया है कि 31-1-1981 तक केवल 2.52 लाख गांठों की अधिप्राप्ति हो चुकी है और यह कुल का केवल 21% है औसतन केवल 12% की अधिप्राप्ति हुई है। सरकार की उस 88% के सम्बन्ध में क्या नीति है जो अभी उत्पादकों के पास में है।

श्री प्रवण मुखर्जी : मैं अनेक बार भारतीय जूट निगम के घाटे के बारे में स्पष्टीकरण दे चुका हूं। माननीय सदस्य वास्तविक संख्या जानना चाहता है। मैं दे चुका हूं कि अर्थात जो भी वे अधिप्राप्ति करने में समर्थ रहे है। यह सच है कि भारतीय जूट निगम राष्ट्रीय औसत उपभोग को लेते हुए कुल उत्पादन के 12% से अधिक की अधिप्राप्ति करने में समर्थ रहा है। बिहार में राष्ट्रीय आंकड़े की अपेक्षा थोड़ा कम है।

श्री डूमर लाल बैठा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य के विचार से कि अभी तक केवल 12% की अधिप्राप्ति हुई है। जूट उत्पादकों को बिक्री का कष्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है? क्या सरकार भारतीय जूट निगम की अवधि बढ़ाने पर विचार करेगी;

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने राज्य के मुख्य मन्त्रियों के साथ एक बैठक की थी। जब मैं पटना में था तो उन्होंने मुझे भारतीय जूट निगम के अभियान की तारीख बढ़ाने का भी सुझाव दिया था। मैं उनसे केवल एक प्रश्न मालूम करना चाहता था। क्या वास्तव में जूट उत्पादकों के पास उपलब्ध है! यदि जूट उत्पादकों के पास उपलब्ध है तो मुझे भारतीय जूट निगम के अभियान की अवधि बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं हैं। परन्तु उसे मालूम करना पड़ेगा। अन्यथा इसे व्यापारियों से खरीदने का कोई लाभ नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले अवसर पर जब यह प्रश्न सभा में उठाया गया था तो माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि इस मौसम में भारतीय जूट निगम की खरीददारी करने में बड़ी बाधा यह थी कि पिछली फसल का बिना बिका बाकी माल इतना अधिक था कि भारतीय जूट निगम बड़े पैमाने पर उस समय तक कोई खरीददारी नहीं कर सका जब तक कि पहले वर्ष के उन भन्डारों का निपटान नहीं कर दिया गया था। इस समय मुझे मालूम होता है उन्होंने उसके बारे कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री प्रवण मुखर्जी : यह सच है, जब भारतीय जूट निगम ने चालू वर्ष के लिए अपना अभियान शुरू किया तो उनके पास 16 लाख गांठों से लगभग थोड़ा कम का बिना बिका भण्डार था और इस वर्ष उन्होंने 9.6 लाख गांठों से अधिक की अधिप्राप्ति की है इसलिए कुल अधिप्राप्ति की स्थिति लगभग 23 लाख गांठें है। उसमें से भारतीय जूट निगम इसके निर्यात किए जाने वाले एक छोटे भाग समेत 10.75 लाख गांठें बेच सका है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह सच है कि जूट कारमोरेशन आफ इंडिया की तरफ से जूट खरीदने की व्यस्वथा होने के बावजूद बिहार के सहर्षा और पुर्णियां जिलों में किसानों को मजबूर होकर डिस्ट्रेस सेल पर यानी 38 रुपए में जूट बेचना पड़ रहा है ? क्या यह बात भी सच है कि बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेजीडेंट श्री चतुरानन्द मिश्र ने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ताकि किसानों को सपोर्ट प्राइस मिल सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सच है कि यदि भारतीय जूट या सरकारी क्षेत्र अधिप्राप्ति अभिकरण प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से उत्पादकों को मूल्य नहीं मिलता है और राष्ट्रीय स्तर पर जब भारतीय जूट निगम अभियान लनभग 12 प्रतिशत तक सीमित है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सका। परन्तु मुझे बिल्कुल ठीक मालूम नहीं है कि उन्हें किस मूल्य पर बेचने के लिये बाध्य किया गया था।

श्री रामावतार शास्त्री : 38 रुपये पर। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री प्रणव मुखर्जी : हमें रिपोर्टें मिली है कि कुछ उत्पादकों को निम्न मूल्य पर बेचने के लिये वाध्य किया गया था। हमें कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये है जैसा कि में पहले अवसर पर भी माननीय सदस्यों को बता चुका हूं। हम भारतीय जूट निगम के कार्य संचालन तथा उसके अभियान में सुधार करने का यत्न कर रहे हैं। हम यह देखें कि आगामी सीजन के लिये हम क्या कर सकते है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या में जान सकता हूं कि स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा कौन से अतिरिक्त अथवा नये कदम उठाये जा रहे है ? 3-4 वर्षों के दौरान उत्पादकों की ऐसी दयनीय स्थिति रही है। निराश जनक बिक्री रही है। पिछले वर्ष का अदत्त भण्डार 16 लाख गांठे थी और इस वर्ष वे केवल 19 लाख गांठें खरीद सके। इससे किसी भी किस्म की बिल्कुल प्रगति नजर नहीं आती है। यह क्या है जो भारतीय जूट निगम को बाजार से भारी मात्रा में खरीद करने से रोका जा रहा है और विशेष रूप से बिहार में तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा आंध्र में भी उत्पादन की अधिक प्रतिशतता में खरीदने के लिये कहा जा रहा है और इस निराशाजनक बिक्री से उत्पादकों को बचाइये ? यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा कोई विशिष्ट गत्यात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : विशिष्ट कदम पहले ही उठाया जा चुका है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय जूट निगम के अभियान की सीमाओं में से एक यह

थी कि इसके पास 1.6 लाख गांठें थी। इसीलिये इस बात पर बल दिया गया था कि वे पुराने भंण्डार का निपटान करें। यदि वे पुराने माल को नहीं बेच पाये होते तो वे इस वर्ष यह सीमित कारोवार भी नहीं कर पाते। इस वर्ष उन्होंने 9.6 लाख गांठों से थोड़ी अधिक अधिप्राप्ति की है। इसलिए हमने पहले ही कदम उठा लिया है। इस वर्ष वे बिक्री कर सकेंगे। पिछले दो वर्षों में वे नहीं बेच सके। चालू वर्ष में वे 10.75 लाख गांठे बेच सके। आप उस संख्या से सन्तुष्ट नहीं हो सकते है। पिछले वर्ष वे एक भी औंस का निपटान नहीं कर पाये थे। सरकार को 13 करोड़ रुपये की राजअर्थ-सहायता प्रदान करनी पड़ी थी। यह भी सच है।

बाधाओं में से एक गोदाम के स्थान की कमी है। मोटे तौर पर हमारे पास 19.75 लाख गांठों का भंडारण करने की सुविधा है। यदि वे इसका पुनचक्र करते हैं और यदि वे उसी गोदाम स्थान पर खरीददारी करते हैं और निपटान करते रहे तो वे अधिक अधिप्राप्ति कर सकेंगे। वर्तमान भंडार के निपटान पर बल दिया जा रहा है। हम इस संबंध में जूट- उत्पादक राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ताकि शुरू से ही हम आवश्यक मूलभूत सुविधाये उत्पन्न कर सकें और आगामी सीजन में वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

श्री चित्त बसु : विवरण के भाग 1 में मन्त्री महोदय कहते हैं कि भारतीय जूट निगम के पास वर्तमान गोदाम का स्थान, लगभग 19·76 लाख गांठें अर्थात् मोटे रूप से 20 लाख गांठें ही रखने के लिए पर्याप्त है। वे पुन: कहते हैं कि अब तक की अधिकतम अधिप्राप्ति 9·6 लाख गांठें हैं। यह कहा जा रहा है कि भारतीय जूट निगम की क्षमता 20 लाख गांठें अधिप्राप्त करने की है, परन्तु अब तक यह 9·6 लाख गांठें, केवल आधी क्षमता की अधिप्राप्ति कर सका है। क्या मैं जूट की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय जूट निगम की पूर्ण क्षमता प्रयोग न करने के असली कारण को जान सकता हूं ? क्या यह एकदम अकुशलता नहीं है ?

दूसरे क्या राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को अनिवार्य रूप से भारतीय जूट निगम से कच्चा जूट खरीदने को कहा गया है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि अन्यथा एक बहुत परिश्रमी सदस्य श्री चित्त बसु ने एक प्रश्न नहीं पूछा था जिसका मैंने स्पष्टीकरण दिया था। 19·6 लाख गांठें भारतीय जूट निगम की गोदाम क्षमता है। प्रो० रंगा के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले बता चुका था कि भारतीय जूट निगम ने 1979 में मोटे तौर पर लगभग 8 लाख गांठें और 1980 में 9·6 लाख गांठें खरीदी। इसलिए, 1978-79 के दौरान उन्होंने एक भी औंस का निपटान नहीं किया। वे 16 लाख गांठें गोदाम में रखी गई थी। गोदाम में पहले अधिप्राप्त 16 लाख गांठें पहले ही रखी थी। भारतीय जूट निगम के भण्डारण की कुल क्षमता 25·6 लाख गांठों तक बढ़ा दी गई है। उसमें से वे केवल 10.75 लाख गांठों का निपटान कर सके, 15 लाख गांठें अभी पड़ी हुई है।

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं यहां बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत समूह की मिलें पहले ही भारतीय जूट निगम से खरीद रही है तथा मैं आंकड़े दे सकता हूं। राष्ट्रीयकृत जूट वस्तु उत्पादक निगम ने भारतीय जूट निगम से पहले ही 4·57 लाख गांठों की अधिप्राप्ति कर ली है। इसीलिए, भारतीय जूट निगम 10·75 लाख गांठों का निपटान कर सका।

कर अपवंचन

*70. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 दिसम्बर, 1980 के 'इकनामिक टाइम्स' में टैक्स इवेजन लाइकली टू टच रुपीज 300 करोड़ मार्क' शीर्षक से छपी खबर की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का मूल्यांकन क्या है; और

(ग) ऐसे कर अपवंचन की रोकथाम के लिए सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

उपलब्ध जनशक्ति को बड़े मामलों में कर-निर्धारण करने की दृष्टि से, वर्ष 1971 में एक "संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना" प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत कर-निर्धारितियों को आयकर कार्यालय में बुलाये बिना विवरणियां स्वीकार की जाती हैं । यह योजना कुछ आर्थिक सीमा तक की आय के कर-निर्धारणों पर लागू होती है । यह आर्थिक सीमा समय-समय पर निर्धारित की जाती है । मामलों की कुछ ऐसी विभिन्न श्रेणियां हैं जिन पर, आय चाहे कुछ भी हो, यह योजना लागू नहीं होती, जैसे नये मामले, कर-अपवंचन के मामले में, लगभग सभी कम्पनी मामले, आदि । इस योजना के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, यादृच्छिक चुनाव के आधार पर नमूना जांच के रूप में अन्तर्निहित जांच की व्यवस्था भी है । कर-अपवंचन को रोकने के लिए, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 139 की उपधारा (9) लागू की गयी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में तुलनपत्र, व्यापार लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा भागीदारों/मालिकों के खाते कानूनी रूप से दाखिल करना निर्धारित किया गया है जिनमें नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती है और जिन मामलों में नियमित लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती हैं, उनमें कच्चा चिट्ठा और विवरणी में दिखाई गई आय का आधार भी दाखिल करना निर्धारित किया गया है । हाल ही में नमूना जांच के क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है और उसे सुदृढ़ कर दिया गया है । नमूना जांच के नियमित अधिक मामले लेने के लिए अधिकारियों को निदेश दे दिए गए हैं । नमूना जांच को अधिक प्रभावी बना दिया गया है क्योंकि अब ऐसे सभी मामलों में कुल धन के विवरण-पत्र प्राप्त करने होते हैं और कर-निर्धारण को अन्तिम रूप देने से पहले उनकी जांच करनी होती है । इनमें से कुछ मामलों में जांच-पड़ताल करने के लिए धारा 144-क के अन्तर्गत निदेश जारी करने के लिए सहायक निरीक्षी आयुक्तों को हिदायतें भी जारी की गयी हैं । यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने कटौती अथवा छूट के लिए प्रत्यक्षतः गलत दावा

किया है तो अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना में से उस मामले को अलग निकाल दें। ऐसे मामलों को भी, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना के क्षेत्र से बाहर रखा गया है जिनमें सम्पत्ति से होने वाली आय पहली बार दिखाई गई हो। नये मामले में प्रथम कर-निर्धारण को संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना से इसलिए बाहर रखा गया है कि निर्धारिती की हैसियत, पूंजी निवेश आदि का समुचित निर्धारण किया जा सके।

श्री माधव राव सिंधिया: सभा पटल पर रखे गए विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयकर अधिकारियों को नमूना जांच के लिये यादृच्छिक आधार पर मामलों को चुनने का अधिकार है। इसलिए मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं समझता हूं कि धारा 141 (1) (ख) की उप-धाराएं (2) और (3) निकाल दिए जाने पर आयकर अधिकारी को निर्धारित की विवरणी स्वीकार करनी पड़ती हैं। चूंकि इन दो उप-धाराओं का लोप कर दिया गया है, आयकर अधिकारी को कानूनी रूप से निर्धारण पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि आयकर अधिकारी को यह शक्ति वहाल की जाये ताकि वह यादृच्छिक निर्धारण कर सके। इससे निर्धारिती को कभी यह विश्वास नहीं हो सकेगा कि वह निर्धारित सीमाओं के अन्दर आयकर विवरणी भरकर भेज देने से उचित कराधान से बच सकता है।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): मैं इस प्रश्न का उद्देश्य जानना चाहूंगा। निर्धारितियों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त होने, इस सभा में कई अपीलें किये जाने तथा लोक लेखा समिति में अनेक वक्तव्यों के बाद मैंने निर्धारितियों की परेशानी रोकने के लिए पिछले बजट से पूर्व हमने यह अनुदेश जारी किये थे कि 1 लाख रुपए तक के निर्धारितियों का संक्षिप्त निर्धारण किया जाएगा, अर्थात उनकी विवरणियों को सीधे निर्धारण के लिए स्वीकार कर लिया जायेगा। उसके पश्चात उसकी जांच करने के लिए वे 20 प्रतिशत मामलों की यादृच्छिक आधार पर जांच करेंगे कि क्या उन्हें ठीक भरा गया है, अथवा नहीं। हमने एक-दो चीजें और भी जोड़ी हैं। यदि किसी व्यक्ति का पिछला रिकार्ड दोषपूर्ण है तो इसकी जांच की जा सकती है —और यदि कोई व्यक्ति, 25000 से अधिक घाटा दिखाता है—ऐसी बहुत सी बातें हैं। इसका उद्देश्य अच्छा है क्योंकि हम इन व्यक्तियों को तंग किया जाना रोकना चाहते हैं। मैं इन पुरानी उप-धाराओं को पुनः लागू करने में कोई लाभ नहीं समझता क्योंकि ऐसा करने पर आयकर अधिकारी विवरणियां प्राप्त होने पर यह करते हुए उन्हें पुनः तंग करेगा कि "इसका विवरण लाओ"। इसका कोई लाभ नहीं है। मैं इस प्रश्न का उद्देश्य जानना चाहता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया: उद्देश्यों के बारे में मुझे कोई तर्क नहीं देना। परन्तु मैं समझता हूं कि इन दो उप-धाराओं को निकाल देने पर आपको यादृच्छिक नमूनों की जांच का अधिकार नहीं रह जाता। यदि आप स्पष्ट रूप से कहें कि यह शक्ति बनी हुई है, तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री आर० वेंकटरामन: हमारे पास वह शक्ति है।

प्रो० मधु दण्डवते : राजनीतिक शक्ति ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने कहा है कि कानून में हमारे पास शक्ति है ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कर-दाताओं को उचित विवरणियां भरने, तथा उन्हे पूंजीगत आस्तियों की बिक्री से प्राप्त धन को ग्रामीण बांडों से अधिक आकर्षक योजनाओं में लगाने के अवसर देकर प्रोत्साहन देगी । बहुत सी राशियां जोकि करों से बचा ली जाती हैं उन्हें इन योजनाओं के लिए प्राप्त किया जा सकता है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि ग्रामीण बांडों से ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता दूर की गई है ।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य चतुर हो सकते हैं, परन्तु वह इस प्रकार मुझसे बजट प्रस्तावों की जानकारी इस समय प्राप्त नहीं कर सकते ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पिछले वर्ष अपने भाषण में मैं उनके आगामी भाषण के बारे में नहीं जानना चाहता पिछले बर्ष के भाषण में उन्होंने कहा था करापवंचन रोकने का एक तरीका कर प्रणाली में परिवर्तन करना है । इस बारे में, अप्रत्यक्ष करों पर झा समिति के तथा प्रत्यक्ष करों पर पालखीवाला और चौकसी समितियों के बहुत से प्रस्ताव हैं ...।

एक माननीय सदस्य : वांचू समिति के भी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और उससे पूर्व वांचू समिति और लोक लेखा समिति ने अपने 123वें प्रतिवेदन में बताया था कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत करापवंचन नहीं रोका जा सकता । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अपने पिछले भाषण के बाद उन्होंने करों संबंधी इन समितियों तथा इस विषय पर लोक लेखा समिति की राय पर विचार किया है ।

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमान, माननीय सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं तथा उक्त समिति आयकर पर विचार कर रही है । वह यह प्रश्न नहीं पूछ सकते और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । हमें प्रश्न न पूछने के अनुदेश प्राप्त हुए हैं । एक वरिष्ठ सदस्य को हमें पथ भ्रष्ट नहीं करना चाहिए ।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने चौकसी समिति तथा लोक लेखा समिति के बारे में पूछा है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसका ध्यान रख सकता हूं ।

प्रश्न संक्षिप्त निर्धारणों का है··· ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, यह करापवंचन के बारे में है ।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रश्न संक्षिप्त निर्धारण के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य डा० स्वामी का प्रश्न संक्षिप्त निर्धारण के बारे में नहीं है, इसलिए मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया प्रश्न को पढ़े । श्रीमान, जो बात वह कह रहे हैं वह अनुच्छेद में हो सकती है, परन्तु प्रश्न करापवंचन के बारे में है । कृपया आप स्वयं प्रश्न को पढ़ें । यदि आप मंत्री का बचाव करना चाहते हैं, तो दूसरी बात है ।

श्री माधवराव सिंधिया : इसमें संक्षिप्त निर्धारणों का उल्लेख किया गया है । मैंने समाचार पत्रों में छपे समाचार का उल्लेख किया है जिसमें संक्षिप्त निर्धारणों की बात कही गई है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कर अपंवचन ।

श्री माधवराव सिंधिया : संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत कर अवपंचन ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या यह सही है कि इनकम टैक्स की राशि जिन 10 घरानों में बाकी है, उसमें सबसे ज्यादा बकाया में ग्वालियर का राजघराना भी एक है जिसके माननीय सदस्य भी एक सम्मानित सदस्य हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे नोटिस चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री हाल्दर ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान···।

अध्यक्ष महोदय : खेद है महोदया, अब समाप्त हो गया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को मंहगाई भत्ता

*72, **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सुचकांक में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किश्त दिसम्बर, 1980 से देय हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की कितनी किश्तें अभी बकाया है ; और

(ग) सरकार का विचार ये किश्तें कब तक देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960-100) के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि होने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किस्त देने पर विचार किया जाता है। कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अन्तिम किस्त 376 के सुचकांक औसत के संदर्भ में 1-9-1980 से दी गई थी। 8 अंको की और आगे वृद्धि होने के कारण नवम्बर, 1980 के अंत में सूचकांक औसत 386.66 हो गया। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक और किस्त 1-12-1980 से विचार करने योग्य हो गई है। इस किस्त की अदायगी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 1-12-80 से सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की एक और किस्त बकाया हो गई है और मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार उस पर विचार कर रही है। मंत्री महोदय मंहगाई का हाल देख रहे है और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मंहगाई बढ़ी है, जो कि 17 तारीक को नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि मंहगाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि कुछ चीजों की मंहगाई में कमी है। मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे है कि मंहगाई बढ़ी है और वह सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह जो कनसिडरेशन कर रही है, वह उसका फैसला कब करेगी—क्या जब और ज्यादा मंहगाई बढ़ जायेगी, तब करेगी या जल्दी से जल्दी करेगी। मंत्री महोदय कम से कम इसकी कुछ टाइम लिमिट तो बतायें।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेकटरामन) : जहां तक पहली बात अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि का प्रश्न है, मैं समझता हूं माननीय श्री रामावतार शास्त्री भली प्रकार जानते हैं कि इसका हिसाब 12 महीने के आधार पर किया जाता है। जो वृद्धि पिछले वर्ष हुई थी, उसका प्रभाव अब पड़ रहा है। हम बार बार बता चुके हैं कि 1979 में मूल्यों में बहुत भारी वृद्धि हुई थी। उस वर्ष औसत मूल्य वृद्धि 19 प्रतिशत रही। अब जबकि उसका प्रभाव पड़ रहा है, माननीय सदस्य जानते है कि इस वर्ष मूल्य वृद्धि पूर्व वर्ष से कम रही है। इस बात में कोई विरोध नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के लिए उपभोक्ता मुल्य सूचकांक का हिसाब लगाया जाता है।

जहां तक मंहगाई भत्ते का सम्बन्ध है हमने उसे देना है, तथा हमने देनदारी स्वीकार करली है। उस पर निर्णय अति शीघ्र लिया जायेगा, इससे भी शीघ्र जैसी कि माननीय सदस्य ने उम्मीद लगाई है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार की सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से, या जे०सी०एम० में, बात होती होगी और सरकार ने इस सम्बन्ध

में कोई न कोई सिद्धान्त निर्धारित किया होगा कि मंहगाई बढ़ने पर मंहगाई भत्ता कितने दिनों में दिया जायेगा और उसका मोड आफ पेमेंट वगैरह क्या होगा। सरकार ने उन लोगों से जरूर कोई समझोता किया है, लेकिन वह उस समझौते को समय पर लागू नहीं करती है। समय जब बीत जाता है तो उस को लागू करती है जिस से कर्मचारियों को और ज्यादा मंहगाई का मुकाबला करना पड़ता है। तो उनके साथ जो बात हुई है उस को आप स्ट्रिक्टली क्यों नहीं लागू करते ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंहगाई भत्ता देने का निश्चय किया जाता है उसका प्रभाव पिछले महीनों पर भी पड़ता है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एफैक्ट भी उसका होता है। इसलिए शासन की यह भावना नहीं है कि पिछला नहीं दिया जायगा। दो महीने पहले से ड्यू है तो 2 महीने पहले का भी मंहगाई भत्ता उनको मिलेगा।

आल इंडिया एवरेज कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फिगर किसी विशेष महीने को देखने के लिए लेबर ब्यूरो से आंकड़े आते हैं और पिछले महीने के आंकड़े चालू महीने के मध्य में आते हैं, इसलिए इतना समय उस में लगता है। इसमें शासन की कोई दुर्भावना नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : जे०सी०एम० में आप ने कोई सिद्धांत लागू किया होगा, वह तो आप ने बताया नहीं।

खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना

* 73 **आचार्य भगवान देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के कार्यालय को खेतड़ी से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कारण परियोजना कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब हमने देखा कि गत मास जब हम कलकत्ते में कापर प्रोजेक्ट कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति की तरफ से निरीक्षण करने गए तो जिम्मेदार अधिकारियों ने हमें बताया कि इसका कार्यालय पहले खेतड़ी में था, कुछ समय पूर्व यह कार्यालय यहां लाया गया है। कार्यालय की जो स्थिति हमने देखी

और सरकार की जो नीति है उसको सामने रखते हुए हमने विचार किया कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और छोटे-छोटे स्थानों पर इस तरह की सुविधाएं दी जायें जिससे जनता का और सरकार का तथा अधिकारियों का सम्पर्क रहे, तो कलकत्ता में जो कार्यालय खोला गया उसके पीछे सच्चाई क्या है ? यह कार्यालय राजस्थान में पहले था या नहीं और बाद में क्या यह कलकत्ता लाया गया इसकी वास्तविकता मंत्री जी बताएंगे । इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह कार्यालय जयपुर के अन्दर राजस्थान में यदि खोलें तो क्या कठिनाई है ? मैं तो इससे भी आगे बढ़कर जाना चाहता हूं कि जहां पर कापर पैदा होता है वहीं यह कार्यालय सरकार खोले तो अधिकारी और कर्मचारी साथ रहकर उसका विकास कर सकते हैं । खेतड़ी में यह कार्यालय खोला जाय, इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? सरकार वहां खोलना चाहती है या नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य, परियोजना और उसके प्रधान कार्यालय के बारे में स्वयं उलझन में हैं । जहां तक खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के कार्यालय का संबंध है वह पहले ही खेतड़ी में स्थित है और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रधान कार्यालय को अब नहीं, बल्कि 1973 में कलकत्ता ले जाया गया था । उसके पश्चात दो या तीन और कापर कम्पलेक्सों को भी हिन्दुस्तान कापर लि० के अधीन ले आया गया जिनमें से एक बिहार में स्थित घाटशिला है और दूसरा मध्यप्रदेश में स्थित मलंजखण्ड है । यह सोचा गया था कि प्रधान कार्यालय वहां होना चाहिए । जहां तक परियोजना के कार्यालय का सम्बन्ध है, कर्मचारियों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए और संबंधित परियोजना के विकास के लिए इसे पहले ही खेतड़ी में रखा गया है । इसलिए, प्रधान कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करते समय सरकार के ध्यान में यह बात थी ।

आचार्य भगवान देव : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि खेतड़ी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कापर का उत्पादन होता है तो सरकार ने बड़े शहरों में ही कार्यालय खोलने का निश्चय क्यों किया ? वहां से कार्यालय हटाकर उस क्षेत्र के अन्दर जहां कापर पैदा होता है, इसका कार्यालय खोलने में क्या दिक्कत है ? वहीं क्यों न इसका कार्यालय खोला जाये ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती हैं ? अब वहां सुविधाएं नहीं हैं, कर्मचारियों को वहां आना जाना पड़ता है, इससे कितनी दिक्कतें खड़ी होती हैं और कितनी असुविधायें होती हैं, तो खेतड़ी में यह कार्यालय खोलने में या मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी अन्य स्थान में यह कार्यालय खोलने में क्या दिक्कत है ? इस सम्बन्ध में सरकार अपना स्पष्टीकरण दें ।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं पहले ही यह संकेत दे चुका हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा और बिहार भी हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि उक्त कार्यालय 1973 में कलकत्ता ले जाया गया था । तीन अन्य कम्पनियों को कापर प्रोजेक्ट के कार्य क्षेत्र के अधीन लाया गया है । चूंकि कलकत्ता में, जो पहले ही घनी आबादी वाला है, जनसंख्या

में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो रही है क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि इस कार्यालय को कलकत्ता में रखने की बजाय इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार ले जाया जाये ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं इस सुझाव पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ।

"थर्ड एयर लाइन विल ईट इंटू आई० ए० रैवेन्यू" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

* 74. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसके समक्ष श्री बागची, महामंत्री, इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसियेशन ने भाषण दिया था तथा जो 16 जनवरी 1981 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "थर्ड एयरलाइन विल इट इंटू आई० एम० रैवेन्यू" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वायुदूत इस समय उन स्थानों के लिए परिचालन कर रही है जिनके लिए इंडियन एयरलाइन्स परिचालन नहीं कर रही है । ऐसी स्थिति में, वायुदूत द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के राजस्व हड़पे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरी ओर, आशा की जाती है कि फीडर सेवाएं इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं द्वारा यात्रा के लिए और अधिक यात्रा मोहयूया करेंगी ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह बताया गया है कि सरकार तीसरी विमान सेवा को 20 करोड़ रुपए की राजसहायता दे रही है । महोदय, इंडियन एयरलाइंस वर्तमान सेवाओं के अलावा नये स्टेशनों के लिए भी सेवायें आरंभ कर सकती हैं यदि उन्हें इसके लिए 6 करोड़ रुपए दे दिए जाये । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : महोदय, कुछ गलतफहमी प्रतीत होती है । सरकार तीसरी विमानसेवा को राजसहायता देने का विचार नहीं कर रही है । वायुदूत को केवल किराये में इंडियन एयरलाइंस से 13 प्रतिशत अधिक कटौती करने की छूट दी गई है । इंडियन एयरलाइंस को इस समय 17 प्रतिशत की छूट है और वायुदूत को 30 प्रतिशत की छूट होगी । मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के दिमाग में यह गलत धारणा बनी हुई है कि वायुदूत की सेवायें उन क्षेत्रों में चलाई जायेंगी जहां इंडियन एयरलाइंस की सेवायें चलाई जा रही हैं, लेकिन यह सही नहीं है । ये बिल्कुल अलग क्षेत्रों में चलाई जायेंगी ।

श्री जनार्दन पुजारी : उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि यह आगरा, वाराणसी और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थस्थानों जैसे स्टेशनों के लिए विमानसेवा चलायेगी । इसलिए,

यह आशंका प्रकट की जा रही है कि इससे इंडियन एयरलाइंस का महत्व कम हो जायेगा और इन्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कई राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने-अपने राज्यों में पूरक सेवा आरंभ करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है और किसी भी राज्य सरकार द्वारा स्वत: ही इस बारे में कोई घोषणा करने का प्रश्न नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, प्रश्न संख्या 61 और 62 के संदर्भ में तथा प्रश्न सं०74 के उत्तर को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि कालीकट विमान पत्तन का विकास किया जाएगा और 1980 से कालीकट के लिए विमान सेवायें आरंभ की जायेंगी ? मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कार्य क्यों नहीं किया गया है और यह कब किया जाएगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यद्यपि यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है तो भी मैं अपने मित्र को यह बताना चाहूंगा कि कालीकट को ऐसे विमानपत्तन के रूप में विकसित करने के लिए, जहां बोइंग उतर सके, पहले ही अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। पहले इसे एवरो विमान के उतरने के लायक बनाया जा रहा था। उनके राज्य के लोगों के अनुरोध पर हम अनुमानों में परिवर्तन कर रहे हैं और बोइंग विमान के उतरने के लायक विमान पत्तन विकसित करने के लिए अनुमान तैयार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये जा रहे मकान किराए और नगर प्रतिपूर्ति भत्तों की दरों में संशोधन

*66. **श्री डी०पी० जदेजा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रेणी 'ए' नगरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे मकान किराए और नगर प्रतिपूर्ति भत्तों की दरों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता की दरों में संशोधन करके बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) में कर्मचारी पक्ष द्वारा मांग की गई थी। परिषद ने इस मांग को अपनी समिति को विचार करने तथा रिपोर्ट करने के लिए प्रेषित कर दिया। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

एयर इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम और खाड़ी के देशों के बीच सीधी उड़ान

*67. **श्री ई० बालानन्दन्** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया ने खाड़ी के देशों से त्रिवेन्द्रम् को सीधी विमान सेवा कब आरम्भ की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस उड़ान से त्रिवेन्द्रम् को जाने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 31 जनवरी, 1978.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैकिंग दलों को सुविधायें

68. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैकिंग दलों को पर्यटन मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन विश्राम गृहों/होस्टलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव राज्य सरकारों को सुझाव देने का है कि वे भी ऐसे पर्वतारोही दलों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) ट्रैक मार्गों के साथ-साथ केन्द्रीय पर्यटन विभाग के कोई विश्राम गृह नहीं हैं। तथापि, ट्रेकिंग की संभाव्यता रखने वाले कुछ स्थानों, जैसे डलहौजी, दार्जीलिंग, नैनीताल, पटनी टाप पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित यूथ होस्टलों में उपलब्ध आवास का ट्रेकर्ज द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है।

(ख) राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले ट्रेकिंग मार्गों के साथ-साथ विश्राम गृहों में ट्रेकर्ज के लिए भी आवास की सुविधायें उपलब्ध हैं।

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमान

*71. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतनमान निर्धारित करने में, जिससे समस्या का स्थाई समाधान हो सके, बाधा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आर०आर०बी० अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने का है जिससे आगे विमषताएं न हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और(ख) क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का परिश्रमिक, भारत सरकार द्वारा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में निर्धारित किया जाता है । इस परंतुक के अनुसार, "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का परिश्रमिक वह होगा जोकि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे और, इस प्रकार का परिश्रमिक निर्धारित करते समय, केंद्रीय सरकार अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के समतुल्य स्तर और हैसियत के कर्मचारियों के वेतन ढांचे का समुचित ध्यान रखेगी।"

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी संस्था है जिनकी किसी क्षेत्र के पारंपरिक संस्थागत ऋण ढांचे की विशिष्ट खाई को पाटने के लिए, समनुरुप कृषि-आर्थिक और कृषिमौसमी भी परिस्थितियों वाले, एक या दो जिलों के छोटे से सुगठित क्षेत्र की सेवा के लिए स्थापना की जाती है । इनकी स्थापना विशेष रूप से छोटे और सीमांतिक किसानों, कारीगरों और ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सहायता के लिए की जाती है । इन्हें, वाणिज्यिक बैंकों से अनिवार्यतः भिन्न होना चाहिए, ताकि उनके अधिक खर्चीले लागत ढांचे से बचा जा सके । इसीलिए यह तब किया गया था कि इनके वेतन मान सन्तुल्य स्तरों पर राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप होने चाहिएं ।

क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान, नीति के रूप में राज्य सरकारों के वेतनमानों के बराबर रखे गये हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी बराबर यह मांग करते रहे हैं कि उनके वेतनमान और भत्ते वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के बराबर कर दिए जाएं । ये मांगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल अवधारणा के ही प्रतिकूल है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकांशतः उनके क्षेत्राधिकार के एक या दो जिलों में से अथवा अधिक से अधिक उसी राज्य से भरती किये जाते हैं और उनसे छोटे से क्षेत्र के भीतर सेवा अपेक्षित होती है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संस्था आरंभ से ही एक भिन्न आधार पर गठित की गई है, ताकि वाणिज्यिक बैंकों के खर्चीले लागत ढांचे, जटिलता और नगरोन्मुखता से बचा जा सके इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के बराबर नहीं होना था ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे कारोबार और सीमित क्षेत्राधिकार को देखते हुए उनकी अर्थक्षमता पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा यदि उसका लागत ढांचा बहुत खर्चीला हो जाए। स्वाभाविक है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में राज्यवार भिन्नता रहेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन ढांचा हर राज्य में अलग-अलग है। अलबत्ता, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी एक राज्य के भीतर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबंधन एक जैसे हों।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, की धारा 17 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का फ्रांसीसी फर्म के साथ सौदा

*75. **श्री पीयूष तिरकी :**

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1980-81 के दौरान 10,000 टन एल्यूमीनियम के आयात के लिए पेचीनरी स्थित एक फ्रांसीसी फर्म के साथ लम्बी अवधि का एक सौदा किया है ;

(ख) क्या इस समय चल रहे मूल्यों के अनुसार, इस सौदे में 40 लाख रुपए का घाटा होने की आशंका है ;

(ग) क्या उक्त एल्यूमीनियम कहीं और से बहुत ही सस्ती दरों पर प्राप्त किया जा सकता था ;

(ख) क्या उक्त सौदा करते समय निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था और ;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सौदा सरकार ने किन-किन बातों को विचार में रखकर किया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने तीन वर्ष तक (एल्यूमीनियम की सप्लाई के लिए फ्रांसीसी फर्म मैसर्ज ला सोसिएट डी वेन्टी डेल) एल्यूमीनियम पेचीनरी, पेरिस के साथ दीर्घावधि मात्रा संविदा की है। 1980-81 में आयात की जाने वाली मात्रा 5,500 मे० टन थी। कीमत एक वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए तय की जानी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) लागू नहीं होता।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों का विस्तार कार्यक्रम

*76. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उपर्युक्त इस्पात संयंत्रों के लिए अपेक्षित सहायता के बारे में हाल ही में सोवियत संघ से हुई वार्ता का क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) (i) भिलाई : भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख टन से 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार-कार्य चल रहा है। आधुनिकीकरण के द्वारा इसकी क्षमता में और वृद्धि करने के लिए मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इन्डिया) लि० को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

(ii) बोकारो : बोकारो इस्पात कारखाने का 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार-कार्य चल रहा है। कारखाने की अन्तः निहित क्षमताओं का उपयोग करके तथा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं लगाकर इसकी क्षमता में 47.5 लाख टन तक और वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसकी क्षमता का 47.5 लाख टन से आगे और विस्तार करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मेकन को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अन्तः-सरकारी भारत-रूस आयोग की जनवरी, 1981 में हुई छटी बैठक में हुए विचार-विमर्श की ओर है। विचार-विमर्श में दोनों इस्पात कारखानों के चल रहे 40 लाख टन तक के विस्तार-कार्य की समीक्षा की गई थी।

जहां तक भिलाई का 40 लाख टन चरण से आगे विस्तार करने का सम्बन्ध है सामान्य परामर्शदाता के रूप में मेकन सोवियत रूस के जिप्रोमेज के सहयोग से आदानों की स्थिति के संदर्भ में तकनीकी प्राचलों के लिए कुछ शक्यता अध्ययन करेगी और उसके पश्चात् आगे की कार्रवाई की की जाएगी।

तांबे के तार के "बार" और "राड" का आयात सरकारी निधियों के माध्यम से किया जाना

*77. श्री के०टी० कोसल राय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु तथा खनिज व्यापार निगम के माध्यम से तांबे के तार के 'बार' और 'राड' का आयात किए जाने से वास्तविक प्रयोक्ता खरीदारों को सितम्बर, 1980 में 3170

रुपए प्रति टन, अक्तूबर, 1980 में 1860 रुपए और नवम्बर, 1980 में 4030 रुपए प्रति टन अधिक देने पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की प्रक्रिया समाप्त करने से इन वस्तुओं के आयात में विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) जी नहीं । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) ऐसी संभावना नहीं है कि सरणीकरण समाप्त करने से आयात कम कीमतों पर होगा क्योंकि उपजकर्ताओं के साथ दीर्घावधि संविदाओं का लाभ समाप्त हो सकता है और विभिन्न आयातक एक दूसरे से उन वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता करेंगे । जिनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत होने की संभावना होगी ।

विवरण

तांबे की तार छड़ों को केवल 6 नवम्बर, 1980 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अब तक तांबे की तार छड़ों का कोई आयात नहीं किया है । सरणीकरण से पहले सभी आयात निजी व्यापार के माध्यम से किए गए हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम उपजकर्ताओं के साथ दीर्घावधि संविदा पर तांबे की तार छड़ों का आयात करता है जहां खरीद कीमत चालू अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर आधारित होती है । वास्तविक विक्रय कीमतें एक कीमत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके अध्यक्ष आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक हैं ।

आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर वैयक्तिक आयातकों द्वारा दी गई कीमत को ध्यान में रखते हुए लोग साधारणत: अन्य लागतों जैसे बैंक प्रभारों, गोदाम के किराए, ब्याज तथा बीमा प्रभारों, आयात शुल्कों पत्तन निकासी प्रभारों, उतारने-चढ़ाने के प्रभारों आदि की उपेक्षा करते हुए केवल उतरने पर सी० आई० एफ० कीमत से तुलना करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हैं । यदि इस निश्चित लागतों को ध्यान में रखा जाए तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ली गई रिलीज कीमत तथा धातु के वास्तविक प्रयोक्ता-खरीदारों द्वारा आर. ई. पी. लाइसेंसों के आधार पर आयात के लिए अन्ततः दी गई कीमत के बीच व्यावहारिक रूप से कोई अन्तर नहीं होगा ।

तमिलनाडु में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाले पर्यटन होटल/होम

*78. श्री एन० डेनिस । क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कुल कितने पर्यटन होटल अथवा होम चलाये जा रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) तमिलनाडू में कलेण्डर वर्ष 1981 में बनाये जाने वाले ऐसे नये होटलों अथवा होमों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां-कहां बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम इस समय तमिलनाडु में 2 होटल अर्थात महाबलीपुरम में टैम्पल के बीच रिसोर्ट और होटल मदुरे अशोक तथा तिरुचिरापल्ली, तंजावर और कांचीपुरम में तीन ट्रेवलर्ज लॉज चला रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के सहयोग से मद्रास में एक होटल और उटकमण्ड में कर्नाटक पर्यटन विकास निगम जिसने पहले ही उटकमण्ड में भूमि प्राप्त कर रखी है, के सहयोग से एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन धनराशि की उपलब्धता, राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ करार को अंतिम रूप दिए जाने और व्यवहार्यता-अध्ययन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर करेगा।

विदेशी कम्पनियों को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की अनुमति

*79. **श्री नारायण चौबे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को ऐसी स्थिति में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों की स्थापना करने की अनुमति है, यदि वे अपने समस्त उत्पादन का निर्यात करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों को पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से निर्यातान्मुख बनाने के ठीक परिणाम नहीं निकले हैं;

(घ) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों का योगदान उनके कुल उत्पादन का केवल 6 प्रतिशत था; और

(ङ) यदि भाग (ग) और (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए यह कैसे आशा करती है कि विदेशी पूंजी अधिक मात्रा में एवं आसानी से देश में आयेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) "100% निर्यात-अभिमुख एककों" को शासित करने वाली नई नीति के अनुसार सरकार ऐसे मामलों पर

गुणावगुण आधार पर विचार करेगी। नई नीति पर सरकार के संकल्प दिनांक 3-12-80 की एक प्रतिलिपि सदन के सभापटल पर रखी जाती है। (ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 1851/81)।

(ग) से (ङ) : सरकार ने इस तथ्य को नोट किया था कि गतावधि में विदेशी कम्पनियों की तटवर्ती निर्यात गतिविधियां महत्वपूर्ण नहीं रही थीं और कतिपय प्रशासनिक, वैधिक, लागत सम्बन्धी अथवा अन्य प्रतिरोधों के परिणामस्वरूप पूर्ण-संभाव्यता प्राप्त नहीं की जा सकी। नई नीति के अन्तर्गत ऐसी अनुकुल परिस्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है जिनके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रों में निर्यात उत्पादन को काफी बढ़ाया जा सके। सरकार को आशा है कि अनेक कम्पनियां-भारतीय व साथ ही विदेशी इन सुविधाओं का लाभ उठायेंगी और देश की निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

"कोफेपोसा" अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां

*80. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा परीक्षण तथा तस्करी निरोधक गतिविधियां अधिनियम, 1974 के अधीन 1 जनवरी, 1979 से 31 जनवरी, 1980 की अवधि की तुलना में 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक की अवधि में गिरफ्तार किये गए तस्करों की (राज्य-वार) संख्या कितनी है और (महीनेवार) पकड़े गए माल की कुल कीमत कितनी है ; और

(ख) तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

(ख) तस्करी को रोकने के लिए सीमाशुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को, तस्करी के सुगम्य क्षेत्रों और तस्करी के लिए विशेष आकर्षण वाली जिसों के विशेष संदर्भ में मजबूत बनाया गया है। तस्करी के किसी भी प्रयास को निष्फल बनाने के लिए कड़ी निगरानी रखने हेतु सीमा शुल्क अधिकारियों को सर्तक भी कर दिया गया है। राज्य सरकारों और सीमाशुल्क समाहर्ताओं को, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंध और अधिक उत्साह से लागू करने की सलाह दी गई है।

विवरण

संबंधित सूचना निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	राज्य	1.1.79 से 31.1.80 तक की अवधि में नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या	1.1.80 से 31.1.81 तक की अवधि में नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	बिहार	2	4
2.	दिल्ली	25	11
3.	गुजरात	57	29
4.	केरल	2	5
5.	कर्नाटक	14	10
6.	महाराष्ट्र	116	155
7.	पंजाब	11	24
8.	राजस्थान	4	2
9.	उत्तरप्रदेश	3	24
10.	गोआ, दमन और दीव	—	23
11.	केन्द्र सरकार	24	22
	कुल	258	309

1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में (महीनेवार) पकड़े गए तस्करी के माल का कुल मुल्य नीचे दिया गया है :—

महीना	1979 के दौरान पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	1980 के दौरान पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
जनवरी	239	749
फरवरी	259	551
मार्च	264	688
अप्रैल	244	484
मई	370	424
जून	290	467
जुलाई	344	403
अगस्त	458	230
सितम्बर	335	318
अक्तूबर	383	417
नवम्बर	516	245*
दिसम्बर	340	307*
कुल	4042	5283*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

जनवरी, 1981 में पकड़े गए माल के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

विदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते

601. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत के विदेशी सहायता लेने-देने के संबंध में द्विपक्षीय समझोते हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक देश से प्रति वर्ष कितनी सहायता भारत को (1) प्राप्त हुई ; (2) भारत द्वारा प्रत्येक देश को दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण (एक और दो) में दी गई है ।

विवरण एक

उन देशों का विवरण जिनसे भारत को सहायता प्राप्त होती है ।

(करोड़ रुपए)

क्रम स०	देश का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3		5
1.	आस्ट्रिया	1.75	0.19	0.31
2.	बैल्जियम	7.29	10.80	7.32
3.	कनाडा	43.86	23.34	31.45
4.	डेनमार्क	4.79	4.94	2.86
5.	फ्रांस	41.28	37.98	33.39
6.	जर्मन संघीय गणराज्य	71.33	123.48	114.22
7.	इटली	15.67	—	—
8.	जापान	67.99	95.89	66.00
9.	नीदरलैंड	66.72	68.87	82.04
10.	स्वीडन	49.70	39.08	28.75
11.	स्विट्जरलैंड	4.76	4.31	4.77
12.	यूनाइटेडकिंगडम	161.71	215.73	206.08
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	25.14	25.46	17.47
14.	इराक	3.89	3.80	1.44
15.	ईरान	166.70	70.13	—
16.	आबुधाबी निधि	5 83	—	6.48
17.	कुवैत निधि	13.25	12.28	—

1	2	3	4	5
18.	स्वीडी निधि	—	3.19	41.06
19.	आस्ट्रेलिया	—	—	1.48
20.	हंगरी	4.72	1.06	0.01
21.	पोलैंड	0.01	0.08	0.03
22.	चैकोस्लोवाकिया	4.59	0.34	0.11
23	रूस	24.19	21.52	33.99
	जोड़	785.17	763.37	679.16

विवरण-दो

उन देशों का विवरण जो भारत से सहायता प्राप्त करते हैं

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1.	बंगला देश	शून्य	शून्य	29.30
2.	श्रीलंका	10.00	—	10.00
3.	अफगानिस्तान	6.25†	0.73	0.72
4.	भूटान	27.45	44.45	29.66
5.	मारीशस	10.25	0.25	0.25
6.	तनजानिया	उपलब्ध नहीं	2.20	0.65
7.	वियतनाम	12.50† 10.00	41.25†	—
8.	जाम्बिया	—	—	10.00
9.	नेपाल	8.25	8.39	14.60
10.	सेनेगल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.01

† ये वस्तु ऋण हैं—जिनकी वापसी आदायगी वस्तुओं के रूप में की जाएगी ; यहां वस्तुओं की अनुमानित कीमत दिखाई गई है ।

कर्नाटक की हट्टी-मुस्की शिस्ट बेल्ट में स्वर्ण का खनन

602. **श्री एस०बी०सिदनाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए हाल ही के एक सर्वेक्षण से कर्नाटक राज्य की हट्टी-मुस्की शिस्ट बेल्ट के विस्तार क्षेत्रों में स्वर्ण के खनन का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञात लोडों में जैसे ग्रेज शाफट लोड, स्ट्राइक राफ, स्ट्राक फुट वाल लोड्स ओकले रीफ तथा विलेज रीफ में खनिजस्थल की गहराई का पता लगाने के लिए ड्रिल द्वारा बोरिंग की गई है । समन्वेषी कार्य से प्रमाणित हुआ है कि ज्ञात लोडों का विस्तार 600-700 मीटर से भी अधिक गहराई तक है । उपर्युक्त लोडों में ड्रिलिंग से संकेत मिला है कि इनमें प्रति टन 1 ग्राम से 9 ग्राम तक स्वर्ण है । आगे का काम चल रहा है ।

आवश्यक खनिजों की खोज के लिए सर्वेक्षण

603. **श्री मनमोहन दुडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने आवश्यक खनिजों की खोज के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे उड़ीसा में कोई खनिज पदार्थ मिले हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न उद्योगों के लिए अत्यंत अनिवार्य खनिजों की खोज में बराबर सक्रिय है ।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार सहित अन्य समन्वेषी एजेंसियों द्वारा किए गए खोज कार्य के फलस्वरूप उड़ीसा के विभिन्न भागों में अनेक खनिजों के पर्याप्त भंडारों का अनुमान लगाया गया है । उड़ीसा में अनुमानित खनिजों के भंडार और ग्रेड (मिलियन टनों में) इस प्रकार हैं—सभी ग्रेड का चूना-पत्थर 856.52 मि० टन और डोलोमाइट 689.64 मि० टन ; अधिकतर 55 से 63 प्रतिशत लौह वाला 2717 मि० टन लौह अयस्क ; 0.21 से 2.41 प्रतिशत वैनेडियम पेंटआक्साइड वाला 6.49 मि० टन वैनेडिफैरस, 25 से 46 प्रतिशत मैंगनीज वाला 30.987 मि० टन मैंगनीज अयस्क ; धात्विक ग्रेड और अन्य ग्रेडों का 86.41 मि० टन क्रोमाइट, 1.59 प्रतिशत ताम्र वाला 1.66 मि० टन ताम्र अयस्क,

5.20 प्रतिशत सीसा और 0.34 प्रतिशत ताम्र वाला 4.96 मि० टन सीसा अयस्क, 43 से 49 प्रतिशत एल्यूमिना और 5 प्रतिशत से कम सिलिका वाला 1255 मि० टन बाक्साइट, 0.97 से 1.09 प्रतिशत निकिल वाला 137.95 मि० टन निकिल, 59.65 मि० टन चीनी मिट्टी, 45.60 मि०टन अग्निसह मिट्टी और 5925 मि० टन कोयला। कुछ जिलों में छिट-पुट रूप से ग्रेफाइट होने का भी पता चला है।

राज्यों की खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी के तेल आदि की मांग तथा आवंटन

604. श्री समर मुखर्जी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 13 महीनों के लिए राज्यों का महीनावार तथा राज्यवार खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी के तेल, सीमेंट, सोफ्ट कोक, खाद्य तेलों का मासिक कोटा तथा आवंटन क्या है ; और

(ख) उनकी मांग कितनी है तथा राज्यों को कितनी सप्लाई की गई और उसका राज्यवार, माहवार तथा मदवार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) गत 13 महीनों के दौरान खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी के तेल, सीमेंट, साफ्ट कोक और खाद्य तेलों के मामले में राज्यों के मासिक कोटे, आवंटन, माँग और सप्लाई की गई मात्रा के महीना-वार तथा राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरणों में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी०-1852/81]

उचित दर की दुकानों पर खाद्य तेलों के गोलमाल के मामले

605. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी तथा अन्य राज्यों में उचित दर दुकानों पर खाद्य तेलों आदि में गोलमाल के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उचित दर दुकानों पर समय पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) राजधानी तथा राज्यों में उचित दर की दुकानों पर खाद्य तेलों में गोलमाल का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों की है और उनसे यह सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है कि सभी वस्तुएं उपभोक्ताओं को पहुंचे। विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए हर माह के आधार पर किया जाता है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

606. **श्री मोती लाल हसदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में गत एक वर्ष के दौरान बैंकों की कितनी शाखायें खोली गई हैं ;

(ख) इस वर्ष के दौरान कितने बैंक शाखायें खोली जानी हैं ;

(ग) गत वर्ष के दौरान खारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी बैंक शाखाएं खोली गई हैं ; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितनी शाखायें खोली जानी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) आंकड़े सूचित करने की भारतीय रिजर्व बैंक की प्रणाली के अन्तर्गत केवल जिलावार सूचना रखी जाती है। संसदीय चुनाव क्षेत्रों के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1980 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खोली गई तथा उनके द्वारा वर्ष 1981 में खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1980 में वाणिज्यिक बंगाल के मिदनापुर जिले में खोली गई तथा वर्ष 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार उनके पास विचाराधीन लाइसेंसों/आवंटनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण :

बैंक का नाम	वर्ष 1980 में खोली गई शाखाओं की संख्या	*दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार विचाराधीन आवंटनों/ लाइसेंसों की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2	11
इलाहाबाद बैंक	1	3
बैंक आफ इंडिया	1	1
इंडियन ओवरसीज बैंक	—	1
पंजाब नैशनल बैंक	1	6

1	2	3
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	1
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	3	5
यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	2	3
मल्लभूम ग्रामीण बैंक	9	36
अन्य बैंक	1	2
जोड़	20	69

*इन बैंक कार्यालयों के 1981 में खोले जाने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं खोलना

607. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 31 जनवरी, 81 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गई बैंक शाखाओं की जिलेवार तथा बैंक शाखावार संख्या क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की जिले-वार तथा बैंक शाखा-वार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाओं की संख्या से सम्बन्धित सूचना (जिलावार तथा बैंक समूहवार) और शाखाएं खोलने के लिए, जिनके 1981 में खोले जाने की सम्भावना है, बैंकों के पास विचाराधीन प्राधिकृति-पत्रों की सूचना संकलित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विकास सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए असम को दिया गया अनुदान और राजसहायता

608. श्री संतोष मोहन देव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम को विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य कार्यों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितना अनुदान और राजसहायता दी गई है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के लिए अनुदान और राजसहायता के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) वित्त मन्त्रालय द्वारा असम को विकास तथा अन्य कार्यों के लिए गत तीन वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और अनुदानों की राशि नीचे दी गई है :-

(करोड़ रुपये)

	1977-78		(1978-79)		1979-80	
	(ऋण)	अनुदान	(ऋण)	अनुदान	(ऋण)	अनुदान
1. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	46.17	26.33	73.42	31.47	79.21	33.55
2. पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता	0.44	3.99	0.57	5.12	0.75	6.75
3. प्राकृतिक प्रकोपों से राहत के लिए सहायता	0.86	0.37	—	—	2.45	3.21
4. बढ़ाये गए अनुदान	—	—	—	—	—	1.19
जोड़	47.47	31.69	73.99	36.59	82.41	44.70

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस० डी० आर० खाते से सहायता

609. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कम आय वाले विकासशील देशों द्वारा भुगतान शेष को पूरा करने के लिए पूरक राशि निकालने में सहायता हेतु दस खरब का एक एस० डी० आर० खाता बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि से भारत को कितना लाभ पहुंचा है या पहुंचेगा ; और

(ग) किस रूप में अथवा किन परियोजनाओं के लिए इस सहायता का उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) भारत उन 69 विकासशील देशों में से एक है जो यदि वर्तमान पूरक वित्त पोषण सुविधा से राशि निकालना चाहें तो उन्हें तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से आर्थिक सहायता मिल सकती है । लेकिन भारत ने अभी तक इस सुविधा से कोई रकम नहीं निकाली है ।

दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले व्यक्ति

610. **श्री के० मालन्ना** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में ऐसे अनेक व्यक्ति रह रहे हैं जिनके पास अपने राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें मिट्टी का तेल, कोयला, चीनी आदि लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कभी-कभी अनेक व्यक्ति/अतिथि पर्यटक स्थलों को देखने के लिए दिल्ली आते रहते हैं ; और उन्हें/उनके मेजबानों को बाजार से चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थितियों में, बाहर से आने वाले व्यक्तियों जो यहां अजनबी होते हैं, को इस तरह की सुविधाएं देने के लिए कुछ करेगीं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : (क) से (ग) खाद्य राशन कार्ड जारी करने का कार्य दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण नियपन) आदेश, 1981 के खण्ड 11 के तहत विनियमित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से न बसे व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था नहीं है। इसमें संसद सदस्यों को छोड़कर अन्य राशन कार्ड धारियों के मामले में उनके महमानों के लिए विनिर्विष्ट खाद्य वस्तुओं का अतिरिक्त कोटा देने का प्रावधान भी नहीं है। बाहर से आने वाले और जो व्यक्ति अनजबी हैं, उन्हें राशन कार्ड की सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"बंगलादेश प्लान फार ट्रेड सेंटर अक्रास बोर्डर" शीर्षक से समाचार

611. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 8 जनवरी, 1981 के समाचार पत्र "पट्रियट" में "बंगला देश प्लान फार ट्रेड सेंटर अक्रास बोर्डर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतक्रिया है ; और

(ग) अब यह मामला किस स्तर पर विचाराधीन है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (ग) हालांकि सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है, तथापि अभी तक की गई पूछताछ से बंगला देश द्वारा व्यापार केन्द्र के सम्बन्ध में ऐसी किसी योजना का पता नहीं लगा है।

भद्रक, उड़ीसा में जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय खोला जाना

612. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन कार्यालयों को खोले जाने के मुख्य मानदण्ड क्या हैं ;

(ग) क्या बालासोर जिले का भद्रक शहर इन कार्यालयों के खोले जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करता है ; और

(घ) यदि हां, तो भद्रक में एक शाखा कार्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 20 ।

(ख) नई शाखा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में बीमाकृत राशि के रूप में औसत नया कारबार कम से कम 150 लाख रुपए का होना चाहिए, और किसी शाखा को दो हिस्सों में बांटने के बाद बाकी क्षेत्र के लिए भी यही शर्त है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भुवनेश्वर, उड़ीसा में उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलेक्स का मुख्य कार्यालय खोला जाना

613. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स का मुख्य कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर में वास्तव में कार्यालय कब तक खोला जाएगा ;

(ग) क्या उड़ीसा एल्यूमिनियम का पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो उसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स के कार्यान्वयन हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नालको) 7-1-1981 को पंजीकृत की गई है। नालको का पंजीकृत कार्यालय 'इपीकोल हाउस' जनपथ, भुवनेश्वर में है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक के अधिकारियों पर खर्चे

614. श्री तुशील भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक के चार अधिकारियों पर वार्षिक खर्च 3.80 लाख रुपये से अधिक था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) भारतीय स्टेट बैंक, जो कि गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक हैं, सूचना दी है कि उसने उक्त नाम के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1979 के दौरान प्रबन्धकीय तथा वित्तीय सहायता के रूप में 3.94 लाख रुपये व्यय किए। यह सहायता इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दी गई—(1) स्टेट बैंक के 6 प्रतिनियुक्त अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते (2) प्रशिक्षण लागत, (3) बैंक द्वारा वित्तपोषित कृषक सेवा समितियों के 9 प्रबन्धनिदेशकों के वेतन तथा भत्ते, तथा (4) भूतकाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नियुक्त अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति भत्तों के बकाया को अदा करना। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 (3) के अनुसरण में प्रायोजक बैंक का यह दायित्व है कि वह अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सहयोग तथा सहायता प्रदान करे।

अखबारी कागज की सप्लाई का विकेन्द्रीयकरण

615. श्री अनादि चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अखबारी कागज की कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका एक कारण राज्य व्यापार निगम द्वारा कुप्रबन्ध है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अखबारी कागज की सप्लाई के विकेन्द्रीकरण का है ; और

(ङ) अखबारी कागज की नियमित सप्लाई के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (ग) नौवहन के विलम्ब से पहुंचने के अलावा देश में मांग की तुलना में अखबारी कागज की सप्लाई में कोई कमी सरकार की जानकारी में नहीं आई है। राज्य व्यापार निगम भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अखबारी कागज के आयात का प्रबन्ध करता है। आर० एन० आई० द्वारा चालू वर्ष के दौरान लगभग 3,15,000 मे० टन की आपूर्ति के लिए जारी की गयी हकदारियों के आधार पर 3,28,000 मे० टन के आयात की योजना बनाई गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सरकार ने राज्य व्यापार निगम के पास पड़े 10,000 मे० टन के अखबारी कागज के समीकरण भण्डार को बढ़ाकर 25,000 मे० टन करने के लिए कदम उठाए हैं। जब तक ऐसी कोई बिल्कुल अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न न हों जो राज्य व्यापार निगम के नियन्त्रण से बाहर हों, तब तक राज्य व्यापार निगम चालू वर्ष के दौरान अखबारी कागज की हकदारियों की पूर्ति कर सकेगा।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिला में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

616. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले पांच वर्षों में दिए गए ऋण की वर्ष-वार कुल राशि क्या है ;

(ख) बर्गादारों, बटाईदारों, छोटे किसानों, बेरोजगारों, नवयुवक तथा समाज के अन्य गरीब वर्ग के लोगों को कुल कितना ऋण दिया गया ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार खोली गई बैंक की शाखाओं की संख्या क्या है ; और

(घ) 1981 के लिए लक्ष्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र अग्रिम विवरण में दिखाये गए हैं।

(ख) आंकड़े जिस रूप में पूछे गए हैं, रिजर्व बैंक की सांख्यिकीय सूचना प्रणाली द्वारा उस रूप में एकत्र नहीं किये जाते। जून, 1974 तथा जून, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार

5 वर्षों की अवधि के लिए बर्दवान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अदत्त ऋणों के क्षेत्रवार वितरण के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध II में दिखाए गए हैं।

(ग) पिछले 5 वर्षों (1976 से 1980) के दौरान बर्दवान जिले में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 90 शाखायें खोली गई थीं।

(घ) रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में बैंकों की शाखा विस्तार के प्रयास उन ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किए जाएंगे जहां व्याप्ति प्रति 20 हजार लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। इस मानदण्ड के अनुसार, बर्दवान जिले में 62 और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाएं खोली जानी हैं। इनमें से अधिकांश शाखाओं के 1981 में खोले जाने की संभावना है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार

(राशि लाख रुपयों में)

	स्वीकृति के अनुसार	उपभोग के अनुसार
1974	2052	9781
1975	2939	उ० न०
1976	3025	12564
1977	3947	14053
1978	5710	15171
1979	7440	उ० न०

अनुबन्ध-II

जून के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यवसायवार दिए गए बकाया ऋण का वर्गीकरण ।

(लाख रुपयों में)

(मदें)	1974	1978
कृषि तथा सहायक क्रियाकलाप	170.95	755.23
उद्योग (लघु उद्योगों सहित)	9146.64	13561.16
व्यापार	132.94	228·12
व्यक्तिगत ऋण	80.35	168.62
अन्य	249.69	457.54
कुल ऋण	9780.57	15170.67

*बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े केवल उपभोग के अनुसार ही उपलब्ध हैं ।

हरियाणा को खाद्यान्न, चीनी आदि का आवंटन

617. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा का खाद्यान्न चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का मासिक कोटा कितना था और कितना आवंटित किया गया है ; और

(ख) उसमें वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०1853/81) ।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलभ्यता तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए हर मास के आधार पर किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय और विभाग इन वस्तुओं का उत्पादन तथा इनकी उपलभ्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

कुछ चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर रोक

618. श्री मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं की कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कुछ चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ये वस्तुएं कौन-कौन सी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) घरेलू उपलब्धता एवं मांग, प्रचलित कीमतें आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आम सपत की आवश्यक वस्तुओं की निर्यात नीति निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है ।

मधुबनी और दरभंगा की बैंक शाखाओं में ऋणों के लिये विचाराधीन याचिकाएं

619. श्री जोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री बिहार में बैंकों में ऋण के लिए विचाराधीन पड़ी याचिकाओं के बारे में 28 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दस हजार रुपये और उससे कम राशि के ऋणों के लिए कुल कितनी याचिकाएं मधुबनी और दरभंगा जिलों में स्थित बैंकों की शाखाओं में से प्रत्येक में चार सप्ताह से अधिक समय से विचाराधीन हैं और उन पर कार्यवाही न करने के बारे में तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष जिला स्तर पर बकाया ऋण आवेदन पत्रों के बारे में सूचना प्रदान करने वाली एक सुधरी हुई सांख्यिकीय सूचना प्रणाली विकसित की थी । लेकिन सभी बैंकों के संबंध में विस्तृत तथा संपूर्ण आंकड़े, अभी तक, उपलब्ध नहीं हो सके हैं । मांगी गई सूचना को सकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त/मानदंड :

620. श्री डी०एल०ई० शिव प्रकाशम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति, जो उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता

है, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1970 की धारा 3 (क) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम 1980 (इसमें से जो भी लागू हो) के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद की जाती है। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का सम्बन्ध हैं, इसके अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद की जाती है।

2. उपर्युक्त पदों के लिए व्यक्ति का चयन करने का सिद्धान्त यह है कि उसे या तो बैंक/बैंकिंग उद्योग में से होना चाहिए अथवा वह बैंकिंग उद्योग से बाहर का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे वित्तीय, आर्थिक अथवा व्यापार के प्रशासन की विशेष जानकारी तथा व्यावहारिक अनुभव हो। चुने जाने वाले व्यक्ति के पास विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव के अतिरिक्त उसमें नेतृत्व के गुण होने चाहिएं तथा सरकार के विचार से वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस बैंक के शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में अत्यन्त उपयुक्त हो।

भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम; 1959 की धारा 29 के अनुसार, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्टेट बैंक द्वारा की जाती है।

पाराद्वीप बन्दरगाह से 1980-81 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात

621. **श्री हरहिर सारण :**

श्री अनादि चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप बन्दरगाह से 1980-81 के दौरान लौह-अयस्क की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त बन्दरगाह से अब तक लौह-अयस्क की वास्तव में कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1981-82 के वित्तीय वर्ष के दौरान पाराद्वीप बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) 1980-81 के दौरान पारादीप पत्तन के जरिए 2, 3 मिलयन मे० टन लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) 1-4-80 से 31-1-1981 की अवधि के दौरान 1.54 मिलियन मे० टन मात्रा निर्यात की गई ।

(ग) से (ङ) : पारादीप पत्तन पर पुराने लदान उपस्करों को ध्यान में रखते हुए, 1981-82 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात, के लिए लक्ष्य भी 2.3 मिलियन मे० टन रखा गया है । पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यातों में किसी प्रकार की वृद्धि विद्यमान मशीनीकृत अयस्क हैंडलिंग संयंत्र को बदलने के बाद तथा इस पत्तन पर बेंगन टिपलर लगाने के बाद ही संभव होगी ।

5 स्टार होटलों पर से प्रतिबंध हटाना

622. श्री राम चन्द्र रथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के 5-स्टार होटलों पर से प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई खेल 1982 में भाग लेने वाले को जगह देने के लिए नई दिल्ली में कुछ नए 5-स्टार होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ; और

(ग) देश के ऐसे अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस तरह के होटल बनाए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) हालांकि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 5-स्टार होटलों के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है तथापि, सरकार का यह दृष्टिकोण है कि मितव्ययी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अधिक मध्यम कीमतों वाले होटल आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ख) नई दिल्ली में एशियाड-1982 के दौरान आवास की जरूरतों को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर में निम्नलिखित दो होटलों का प्रस्ताव है :—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम—होटल कौटिल्य अशोक—एक 5-स्टार होटल जिसमें 300 कमरे होंगे ।

(2) भारतीय होटल निगम—दिल्ली एयरपोर्ट के समीप 400 कमरों वाला एक 4-स्टार होटल ।

(ग) देश में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर 5-स्टार होटलों की जरूरत और धनराशि की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, अभी ब्यौरे तैयार किए जाने हैं ।

राजस्थान में 'वूल फ्रेमाइट' के बारे में जांच

623. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में राजस्थान में 'वूल फ्रेमाईट' के बारे में कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) सिरोही जिले में वालदा के निकट वुलफ्रेमाइट के लिए समन्वेषी कार्य किया जा रहा है । अभी तक 28 बोर होलों में ड्रिलिंग की गई है । अब तक 65% वुलफ्रेमाइट वाले 2300 टन भंडारों का उक्त क्षेत्र में अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया है ।

बीड़ी निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

625. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बीड़ी निर्माता उत्पादन शुल्क का भुगतान करते है ; और

(ख) निर्माताओं के नाम क्या हैं, गत दो वर्षों में कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया, कितने काम का भुगतान किया गया और उनकी ओर कितना बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) लगभग 9,148 बीड़ी निर्माता ऐसे हैं, जो उत्पादन शुल्क की अदायगी कर रहे हैं ।

(ख) चूंकि बीड़ी निर्माताओं की संख्या बहुत बड़ी है, अतः उनकी एकक बार सूचना पेश करना एक बहुत बड़ा और समय लगाने वाला काम होगा, जो सम्भवतः वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा किन्तु यदि माननीय सदस्य किसी निर्माता (निर्माताओं) विशेष के सम्बन्ध में कोई खास सूचना जानना चाहते हों तो वह एकत्र करके सभा पटल पर रखी जा सकती है ।

बारहसिंगा के सींगों का निर्यात

626. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहसिंगा के सींगों के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) जनवरी, 1981 के अन्त तक कुल कितनी मात्रा में बारहसिंगा के सींगों का निर्यात किया गया ; और

(ग) देश में उपयुर्क्त वस्तु का निर्यात करने वाले कितने केन्द्र हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान बारहसिंगा के सींगों और उत्पादों के सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति है । 9 जून, 1980 को इस मद के लिये घोषित निर्यात नीति के पश्चात् से जनवरी, 1981 के अंत तक 160.725 मे० टन की कुल मात्रा का निर्यात किया गया था ।

(ग) बम्बई तथा केन्द्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र, नई दिल्ली ।

गुजरात सरकार द्वारा कपास की अधिक गांठें रिलीज करने की मांग

627. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या गुजरात सरकार ने कपास की एक लाख और गांठें रिलीज करने की मांग की है और क्या उन्हें अनुमति देने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब कपास बाजार में पहुंचती है रिलीज की घोषणा नहीं की जाती जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित कोटा रिलीज नहीं किया जाता । रिलीज संबन्धी घोषणा सीजन के प्रारम्भ में की जाएगी और पिछले दो वर्षों में कितनी घोषणाएं की गई और इस अवधि में कितनी मात्रा रिलीज की गई ; और

(ग) क्या गुजरात सरकार की यह मांग स्वीकार की जाएगी कि प्रत्येक राज्य का कोटा उसके उत्पादन के अनुसार आबंटित किया जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार निर्यात के लिए अधिक रुई रिलीज करने के लिए कह रही है, चालू रुई वर्ष (सितम्बर, 1980—अगस्त, 1981) के दौरान सरकार ने अब तक स्टेपल रुई की 3 लाख गाठें रिलीज की हैं जिसमें से 20,000 गांठें गुजरात के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई हैं । निर्यात के लिए रुई की रिलीज सप्लाई, मांग तथा कीमतों के बारे में समग्र रुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर की जाती है । पिछले 2 वर्षों में रिलीज से संबंधित ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

रुई मौसम	घोषणा की सं०	निर्यात के लिए रिलीज की गई मात्रा
1978-79	पहली	2,00,000 गांठें
	दूसरी	1,50,000 ,,
	तीसरी	1,10,000 ,,
	चौथी	50 000 ,,
		योग : 5,10,000 ,,

1979-80	पहली	50,000 गांठें
	दूसरी	50,000 ,,
	तीसरी	50,000 ,,
	चौथी	50,000 ,,
	पांचवी	3,50,000 ,,
	छठी	50,000 ,,
	सातवीं	50,000 ,,
	योग :	6,50,000 ,,

(ग) उत्पादन के अनुसार कोटे के विभाजन की मांग को स्वीकार करना कठिन होगा क्योंकि निर्यात मुख्य रूप से किसी खास किस्मों की निर्यात मांग पर निर्भर करते हैं ; इसके अलावा निर्यात संबंधी निर्णय घरेलू सप्लाई तथा मांग व उन क्वालिटियों का पता लगाने के पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद किए जाते हैं, जिनके निर्यात से घरेलू बाजार में समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी ।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों का वितरण

628. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां तथा निवल बैंक ऋणों का जिला-वार विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त त्वरित रिपोर्टों के आधार पर, दिसम्बर, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र जमाओं, तथा सकल बैंक ऋण के सम्बन्ध में जिलावार उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिए गए हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1854/81) ।

भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय में एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति अथवा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सैल का गठन

629. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग के दिनांक 24 मार्च, 1972 के का० ज्ञा० सं० 27/2/71-एस्ट (एस० सी० टी०) में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुपालन में, अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों तथा सेवा सम्बन्धी मामलों की देख-भाल करने तथा 40 सूत्री रोस्टर को कायम रखने तथा उसके समुचितकार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली स्थानीय मुख्य कार्यालय में एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली स्थानीय मुख्य कार्यालय में एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति अथवा एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचितज नजाति सैल की स्थापना करने के लिए बैंक प्रबन्धकों को कहा है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या बैंक ने सरकार के उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और इस चूक के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां। बैंक ने यह सूचित किया है कि उसने बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदन विषयक मामलों के सम्बन्ध में, अपने दिल्ली सर्कल में एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) तथा (ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाना

630. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों में स्थापित किए गए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय बिहार में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को प्रमुख औद्योगिक एवं खनन परियोजनाओं से है जो स्वीकृत हो चुकी हैं अथवा विचाराधीन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान

बिहार में स्थापित की गई परियोजनाओं के बारे में सूचना विवरण-I में दी गई है। कुछ प्रमुख विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान बिहार में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित उद्योगों तथा उनमें सेवारत व्यक्तियों का विवरण

क्रमांक	उद्यम का नाम	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल अनुमानित संख्या
1.	मुजफ्फरनगर में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० का निकोटिनामाइड संयंत्र	360
2.	डाकरा बुकबुका खुली कोयला खान	1906
3.	सिरका खुली कोयला खान	1441
4.	के० डी० हीसालांग खुली कोयला खान	920
5.	कुसुंडा खुली कोयला खान	929
6.	कांडला खुली कोयला खान	1026
7.	कटरास कोयला खान	1895
8.	आरा कोयला खान पुनर्गठन	1457

विवरण II

बिहार में विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विशाल एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण

क्रमांक	प्रस्ताव का विवरण	बिहार में स्थान
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के स्वामित्व में आने वाला संयुक्त क्षेत्रीय औषध संरूपण एकक	पटना।
2.	चयनित धोरी कोयला खान	बोकारी कोयला क्षेत्र, जिला रांची।
3.	धोरी की पश्चिमी कोयला खान	बोकारो कोयला क्षेत्र, जिला रांची।
4.	चूरो भी भूमिगत कोयला खान	जिला रांची।
5.	राय बाछरा भूमिगत कोयला खान	जिला राँची/हजारीबाग।
6.	मुरुरिडीह खुली कोयला खान विस्तार परियोजना	जिला धनबाद।
7.	कर्कट कोयला खुली खान	उत्तर करमपुरा कोयला क्षेत्र, जिला राँची।
8.	कोलीटेंड कोयला खान	झरिया कोयला क्षेत्र, जिला धनबाद।
9.	पुटकी बुल्लियरी कोयला खान	झरिया कोयला क्षेत्र, जिला धनबाद।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किया जाना

631. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं से है जो स्वीकृत हो चुकी हैं अथवा विचाराधीन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित की गई परियोजनाओं के बारे में सूचना विवरण I में दी गई है। कुछ प्रमुख विचाराधीन प्रस्ताव के बारे में सूचना विवरण II में दी गई है।

विवरण I

गत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित विशाल एवं मध्यमआकार के उद्योगों की सूची

क्रमांक	उद्यम का नाम
1.	भारतीय सीमेंट निगम के नीमच और अकलतारा में 4 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के सीमेंट कारखाने ।
2.	इण्डोबर्मा पेट्रोलियम लि० का कोरवा में 5000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का विस्फोटक कारखाना जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 10000 टन कर दी गई है।
3.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की जयंत खुली कोयला खान विस्तार परियोजना ।
4.	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की राजनगर कोयला खान का पुनर्गठन ।
5.	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की रामनगर कोयला खान का पुनर्गठन ।
6.	वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि० चिरीमिरी खुली कोयला खान ।

विवरण II

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विशाल एवं मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की सूची

क्रमांक	प्रस्ताव का विवरण	सरकारी क्षेत्र की कम्पनी जो कार्यान्वित कर रही है।	अनुमानित पूंजी परिव्यय (करोड़ रुपयों में)	रोजगार प्राप्त करने वालों की अनुमानित संख्या
1.	700 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की टैट्रासाइक्लिन और आक्सी टेट्रासाइक्लिन परियोजना	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिक्ल्स लि०	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	संयुक्त उद्यम औषधि संरूपण एकक	-तदेव-	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	सिलेमना कोयला खान विस्तार परियोजना	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०	11.95	2140
4.	गोविन्द कोयला खान	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	10.43	1720
5.	राजनगर कोयला खान विस्तार परियोजना	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	22.74	3165
9.	पाथखेड़ा कोयला खान विस्तार परियोजना	-तदेव-	20.03	3229

बिहार के धनबाद जिले की पंचायतों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए वंचित रखा जाना

632. श्री ए०के० राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला धनबाद के चास, चन्दनकेरी, गोबिन्दपुर और नीसा ब्लाक की कितनी पंचायतों को जिला अधिकारियों की सिफारिश के बावजूद 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने से इसलिए वंचित रखा गया है क्योंकि बैंक से उनकी दूरी 15 कि० मी० से अधिक है, ऐसी पंचायतों के नाम क्या हैं और तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दूरी की इस सीमा के विरोध में सरदाह और जैतरा पंचायत, चास ब्लाक के ग्रामीणों से इस वर्ष कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार 1981 में उस जिले में सभी गांवों के लाभ के लिए धनबाद के ग्रा ीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलने का है, यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और वे कहां कहां खोली जाएंगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई वरोट) : (क) जिस रूप में सूचना मांगी गई है, वह रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली द्वारा उस रूप में प्राप्त नहीं की जाती ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारतीय रिर्जव बैंक तथा बैंक आफ इंडिया से मामले की जांच करने के लिए कहा गया है । वैसे सामान्यत: बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे ऋणकर्ताओं के ऋण आवेदन-पत्रों को मात्र इसलिए नामंजूर न करें कि वे 16 किलोमीटर से दूर के क्षेत्रों से है ।

ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों की बैंकिंग व्याप्ति को सुधारने के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति का पुनरभिविन्यास किया गया है जिससे कि बैंक शाखाओं का प्राथमिक रूप से बैंक विहीन क्षेत्रों के उन ग्रामीण तथा अर्धशहरी जिलों के उन स्थानों में खोला जाना सुनिश्चित हो सके जहां ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों के 20000 व्यक्तियों के लिए एक शाखा से कम व्याप्ति हो। प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों के सम्बन्ध में, बैंकों को, पोखरिया, पिंडरजोर, कालुबथब तथा अहमदाबाद में शाखाएं खोलने के वास्ते, लाइसेंस दिये जा चुके हैं । हाल ही में, चंदनक्यारी खंड में, बारामसिया नामक स्थान पर बैंक आफ इन्डिया द्वारा एक शाखा खोली गई है ।

(घ) तथा (ङ) दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, धनबाद जिले के ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में, 103 बैंक शाखाएं कार्य कर रही थीं । इसके अलावा, 13 ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार पत्र मौजूद थे । इन केन्द्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । बैंक शाखाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि जहां वे स्थित हैं केवल उन्हीं क्षेत्रों की बैंकिंग आवश्यकताओं की ही पूर्ति न करें बल्कि आस पास के क्षेत्रों में स्थित गांवों को सुविधायें दें ।

जबकि ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाजाल सुदृढ़ किया जा रहा है, समग्र अर्थक्षम कार्यचालनों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के वास्ते सभी दूरस्थ गांवों में शाखायें खोलना या उन्हें सीधी व्याप्ति सुलभ कराना व्यावहार्य नहीं होगा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे गांवों के निवासियों को भी ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें, प्राथमिक समितियों,/ कृषक सेवा समितियों तथा लैम्पस के गठन पर जोर दिया जा रहा है तथा उन्हें पास की बैंक शाखाओं से जोड़ा जा रहा है ।

विवरण

बिहार के धनबाद जिले में शाखायें खोलने के लिए वाणिज्यक बैंकों के पास बकाया अधिकारों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण ।

बैंक का नाम	स्थान का नाम	स्थान का वर्गीकरण
भारतीय स्टेट बैंक	1. चस कोर्ट अर्मा	अर्ध शहरी
	2. धनवाद दे नोवलकेम्पस	ग्रामीण अर्ध शहरी
	3. महाराजगंज	ग्रामीण
	4. पोखरिया	,,
	5. देवली	,,
बैंक आफ इंडिया	6. तलगढ़िया	,,
	7. पिंडरजोरा	,,
	8. लहरबरवा	,,
केनरा बैंक	9. बरवा ईस्ट	,,
पंजाब नेशनल बैंक	10. मिदनापुर	अर्ध-शहरी
यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	11. कालवुथम	ग्रामीण
	12. अनदाबाद	,,
यूनाईटेड कमर्शियल बैंक	13. प्रधान खांटा	,,

राजस्थान द्वारा ओवर ड्राफ्ट

633. श्री चतुर्भुज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में राजस्थान की वित्तीय स्थिति अब खराब हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो 15 फरवरी, 1981 तक राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए ओवर-ड्राफ्ट की राशि क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को [illegible] अनुमति दी है ; और

(घ) जनता सरकार द्वारा 1978 और 1979 में लिए गए ओवरड्राफ्ट की राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) राजस्थान की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में सही तस्वीर चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् ही मालूम होगी। परन्तु इस वर्ष स्थिति अधिक खराब हुई प्रतीत होती है क्योंकि राजस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक से 14 फरवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार, नवीनत्तम तारीख जिस तक सूचना उपलब्ध है, 86.55 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट ले रखा था।

(ग) चूंकि राज्य सरकार के लिए अर्थोपाय सीमायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं इसलिए ओवरड्राफ्टों को संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकारों के मुद्रा सम्बन्धी लेनदेन अनेक राजकोषों/उप-राजकोषों और बैंकों में साथ-साथ होते हैं। ओवरड्राफ्टों की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार के खाते में भुगतान उनकी प्राप्तियों और प्राधिकृत अर्थोपाय सीमाओं से अधिक हो जाता है।

(घ) 31-3-1978 की स्थिति के अनुसार [illegible] ओवरड्राफ्ट 9.00 करोड़ रुपये का था। 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार [illegible] था। 31-3-80 को समयोजित ओवरड्राफ्ट 22.70 करोड़ रुपये का था।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अधीन पंजीकृत कंपनियां

634. **श्री पी०के० कोडियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ईक्विटी होल्डिंग : (एक) इन कंपनियों की प्रदत्त पूंजी की 25 प्रतिशत या उससे अधिक थी ; (दो) इन कंपनियों की प्रदत्त पूंजी की 40 प्रतिशत या उससे अधिक थी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : बैंकरों में प्रचलित प्रथा तथा चलन और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाले विधानों के उपबन्धों के अनुसार भी, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

उर्वरक उद्योग के प्रसार के लिए यू०के० से सहायता

635. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब पर्याप्त संख्या में प्राकृतिक गैस एकाक उपलब्ध होने के कारण यू० के० ने उर्वरक उद्योग के प्रसार में भारत को सहायता करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम ने भारत में उर्वरक उद्योग के प्रसार के लिए सहायता देने की पेशकश खास तौर पर नहीं की है । किन्तु यूनाइटेड किंगडम ने जो सामान्य परियोजना अनुदान पहले दिया है उसी के एक भाग को थल-वैषट तथा हजारी गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों पर इस्तेमाल किए जाने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार विचार कर रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण दिया जाना

636. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को केवल 45 महीने के उनके वेतन के बराबर ही आवास निर्माण ऋण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान के मूल्यों में वृद्धियों को देखते हुए सरकार का विचार इस धनराशि को बढ़ाने का है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम धनराशि बढ़ाकर साठ हजार कर दी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं ।

इस समय, राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी को आवास निर्माण ऋण के रूप में उसके मूल-वेतन का 75 गुना अथवा निर्माण लागत का 80 प्रतिशत अथवा 80,000 रुपए, इन तीनों में से जो भी न्यूनतम हो, दिया जाता है । जहां तक अवार्ड स्टाफ (अर्थात् क्लैरिकल तथा अधीनस्थ स्टाफ) का सम्बन्ध है, ऐसे अग्रिमों की राशि अलग अलग बैंकों में सम्बद्ध कर्मचारी की वेतन सीमा, निर्माण स्थल आदि पर निर्भर होने के कारण अलग-अलग है ।

(ख) बैंक कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण ऋण की शर्तें, सरकारी कर्मचारियों के वास्ते लागू शर्तों की तुलना में काफी उदार हैं तथा इनकी असमानता में वृद्धि उचित नहीं होगी ।

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के एककों में कर्मचारियों की हड़ताल

637. **श्री के०पी० सिंह देव :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के एककों के करीब 70,000 कर्मचारी 26 दिसम्बर, 1980 से हड़ताल पर हैं जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की ओर ध्यान दिया है ;

(ग) इस समय उत्पादन की कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन तथा अन्य लाभों में समानता लाने का विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुमानित उत्पादन-हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपयों में
इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (बंगलौर कम्प्लेक्स)	31-1-81 तक 14.
भारत अर्थ मूवर्स लि०	5-2-81 तक 30
भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	5-2-81 तक 10.
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	10-2-81 तक 11.
हिन्दुस्तान एअरानाटिक्स लि०	14-2-81 तक 38.

(घ) सरकार मजूरी ढांचों में एकरूपता या समानता लाने की बजाय उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिये प्रयासरत है।

आन्ध्र प्रदेश में एल्युमिना काम्पलैक्स की स्थापना

638. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में सोवियत संघ की वित्तीय सहायता से एल्यूमिना कम्पलैक्स स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कम्पलैक्स की कुल अनुमति लागत कितनी है ;

(ग) इसके लिए कितनी सोवियत सहायता उपलब्ध हो जाएगी ;

(घ) उसकी अदायगी संबन्धी शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) उक्त संयंत्र किस तारीख तक चालू करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश में पूर्वीघाट बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 6,00,000 टन वार्षिक क्षमता की एक एल्यूमिना परियोजना की स्थापना के लिए सोवियत रूस ने पूरक साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी। सोवियत रूस ने पूरक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी जिसमें 8,00,000 टन वार्षिक एल्यूमिना के कारखाने की लागत-अर्थवत्ता की रूपरेखा थी। 1980 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर अनुमानित पूंजीगत लागत 6,00,000 टन वार्षिक क्षमता के कारखाने के लिए 438.4 करोड़ रुपए तथा 8,00,000 टन वार्षिक क्षमता के कारखाने के लिए 512.8 करोड़ रुपए हैं। साध्यता रिपोर्ट को इस समय सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।

सोवियत पक्ष से प्रस्ताव किया गया था कि परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की अधिकांश राशि उनके द्वारा दी जाय और इस वित्तीय सहायता को अदायगी सोवियत संघ को एल्यूमिना के निर्यात के रूप में की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सोवियत पक्ष की प्रतिक्रिया का इन्तजार है। इस विषय पर भारत—सोवियत संयुक्त आयोग के 22 और 23 जनवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुए छठवें अधिवेशन में भी चर्चा हुई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि वाणिज्य और वित्तीय मामलों सहित एल्यूमिना कारखाने के डिजाइन और निर्माण में सहयोग हेतु बातचीत जारी रखी जाए ताकि दोनों सरकारों के बीच समुचित करार हो सके।

वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्योगों को धनराशि उधार दिया जाना

639. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को वित्त पोषित किया जाए इस सम्बन्ध में सरकार की नीति और दिशा निर्देश क्या है ;

(ख) भारतीय जीवन-बीमा निगम, भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई० सी० आई० सी० आई० जैसे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को ऋण दिया जाना अपेक्षित है और वे कौन से उद्योग हैं जिन्हें वे वित्त पोषित नहीं कर सकते ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यापारिक गृहों को दो ब्याज के भुगतान और किस्त के भुगतान में चूकते हैं, काली सूची में लाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि उस व्यापारिक-गृह को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से कोई और ऋण प्राप्त न हो ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के आन्तरिक उपयोग के लिए जून, 1979 में इस उद्देश्य से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे कि यह सुनिश्चय किया जा सके कि परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख बातें जिनमें उद्योगों में से प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का भी उल्लेख किया गया है, यह हैं :-

1. नई अथवा विस्तार परियोजनाओं की सहायता मंजूर करते समय वित्तीय संस्थाओं को, अपने द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं में रोजगार सम्बन्धी संभावनाओं की हर हालत में जांच करना चाहिए और इस प्रकार की परियोजनाओं में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें स्वतः तथा पूंजी प्रधान प्रक्रियाओं के स्थान पर श्रमिक प्रधान प्रक्रियायें अपनाने की संभावना के बारे में हर हालत में विचार करना चाहिए ;

2. इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए कि ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए तथा उन उद्योगों के लिए जिनका अधिकांश लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त होता हो, पर्याप्त वित्त दिया जाए ;

3. आन्तरिक लागतों और मूल्यों को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं को एक ही तरह के उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में आन्तरिक उत्पादों की लागत की जांच करनी चाहिए और उन क्षेत्रों में जो अधिक महत्वपूर्ण न हों, ऐसी क्षमता वाले एककों की स्थापना करने से बचना चाहिए जिन पर अधिक खर्च होता हो तथा जिनकी लागत अधिक हो।

4. देश के कम विकसित वाले भागों में तीव्र गति से परियोजनाएं मंजूर करने के लिए संस्थाओं को विशेष प्रयास करना चाहिए।

5. कम प्राथमिकता वाले उद्योगों अथवा ऐसे उद्योग जिनकी पर्याप्त क्षमता का निर्माण हो चुका हो, सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओ द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी करने तथा उन ऋणों की वापसी अदायगी करने में केवल व्यतिक्रम करने पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को काली सूची में नहीं रखा जाता अथवा उन्हें और आगे ऋण देने के लिए इन्कार नहीं किया जाता। संस्थायें, निर्धारित समय पर ब्याज की अदायगी तथा ऋणों की वापसी अदायगी के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रयास करती है। उपयुक्त तथा अर्थक्षम मामलों में, सहायता प्राप्त कम्पनियों के अनुरोध पर व्यापक रूप से विचार किए जाने पर ऋणों की वापसी का कार्यक्रम फिर से तय किया जाता है तथा किस्तों को स्थगित किया जाता है।

सरकारी उपक्रमों में हड़ताल

640. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकारी उपक्रमों में हड़ताल का कारण बी०पी०ई० निदेशों के कारण प्रबंधकीय असफलता है ;

(ख) क्या सरकार वह स्थिति बतायेगी जबकि श्रम मंत्रालय को कर्मचारी-नियोक्ता विवाद के बीच में आना चाहिए ;

(ग) क्या दूर संचार मंत्रालय को सरकारी उपक्रमों के श्रमिक विवादों कों हल करने का कार्यभार सौंपा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किस तारीख से ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय बंगलौर स्थित सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि० के साथ जोड़ने सम्बन्धी विवाद के कारण हुई हड़ताल से है। उनका दावा पिछले कुछ महीनों के दौरान सम्बद्ध उद्यमों के प्रबन्धकों तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों ने यथा स्थिति मांग के अनुसार विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श करके तथा समझौता करके तय कर दिया है। सम्बद्ध पक्षों के अनुसार बातचीत करने का कार्य उन लोगों को सौंप दिया गया हैं जो इसके लिए उपयुक्त समझे गए हैं।

सोने की तस्करी

641. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विदेशों में सोने का अधिक मूल्य होने के कारण सोने की तस्करी का रूख उल्टा हो गया है और बजाय देश में चोरी-छिपे लाने के, इसे बाहर ले जाया जा रहा है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सोने की कितनी मात्रा पकड़ी गई ;

(ग) सोने का अधिकांश भाग किस वस्तु के रूप में पकड़ा गया और उसका कुल मूल्य कितना है ; और

(घ) मुख्य रूप से सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यद्यपि दिसम्बर, 1979 से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में इस धातु के मूल्य से अधिक था, किन्तु दिसम्बर, 1980 से स्थिति विपरीत हो गई है और सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इसके देशी मूल्य से कम हो गया।

(ख) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में, लगभग)
1979	14
1980	82

(ग) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई मुख्य वस्तुओं का मूल्य नीचे दिया गया है :—

(लगभग मूल्य—लाख रुपयों में)

वर्ष	सोना	घड़ियां	संश्लिष्ट फैब्रिक	चांदी	हीरे और रत्न
1979	136	337	1219	123	101
1980	129	315	1147	948	108

(घ) सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। निवारक और आसूचना तंत्र को, तस्करी के लिए विशेष आकर्षण वाली जिंसों के विशेष संदर्भ में, जिनमें सोना भी शामिल है, मजबूत बनाया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की छवि सुधारने के लिए कदम

642. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की वाणिज्यिक प्रगति रुक गई है क्योंकि आशा के अनुरूप उनमें प्रगति नहीं हुई है और उनकी छवि बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनकी छवि को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ग) सरकारी सेक्टर के उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें गत पांच वर्षों से घाटा हो रहा है ;

(घ) कितना घाटा हुआ है और उसके कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का कार्यकरण की जांच करने के लिए फजल समिति का गठन किया गया है ;

(च) यदि हां, तो कब और उसने क्या प्रतिवेदन दिया है ; और

(छ) क्या उक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के उ० मों० की संख्या, कुल बिक्री लगी पूंजी एवं करपूर्व लाभ में वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है : —

	1-4-61	1-4-71	1-4-80
उद्यमों की संख्या	42	87	186
कुल बिक्री (करोड़ों रुपयों में)	207	3,309	23,124
लगी पूंजी (करोड़ रुपयों में)	902	3,606	16,354
कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपयों में)	10	20	227

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ग) और (घ) अपेक्षित विवरण संलग्न हैं । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1855/81) । इस विवरण से यह स्पष्ट है कि क्रमांक 1,10, 11 और 13 पर उल्लिखित अधिग्रहीत कम्पनियों ने संस्थापित क्षमता के कम उपयोग के कारण घाटा उठाया है । क्रमांक 5,6 और 7 पर दर्ज कम्पनियों ने इसलिए घाटा उठाया है क्योंकि इनमें उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई जो कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी प्रबुद्ध निर्णय के फलस्वरूप निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत पूरी तरह वसूल नहीं की जा सकी । अन्य उद्यमों में घाटे के कारणों का उल्लेख प्रत्येक उद्यम के सामने किया गया है ।

(ङ) से (छ) जी, हां । श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति कोयला, उर्वरक, भारी इंजीनियरी, नौवहन और इस्पात उद्यम समूह के कार्यचालन की जांच करेगी । समिति ने कोयला और उर्वरक उद्यम-समूह के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । ये रिपोर्ट आन्तरिक अध्ययन के रूप में तैयार की गई है । अतः इन्हें सभा पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों में सरकारी उपक्रम

643. श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों में कार्य कर रहे इन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी धनराशि निवेश की गई है ; और

(ग) राज्यों में केन्द्रीय सरकारी सेक्टर उपक्रमों की स्थापना करने के कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 1-4-80 को केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में पूंजी निवेश (राज्यवार सकल परि सम्पत्ति) का राज्यवार विवरण में दिया गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

1-4-1980 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (जो अपने निगम कार्यालय के स्थान पर स्थिति हैं) की राज्यवार संख्या और उनकी सकल परिसम्पत्ति का विवरण ।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य/संघ क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	1-4-1980 को सकल परिसम्पत्ति
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	9	775.12
असम	2	490 37
बिहार	13	3151.67
गुजरात	3	879.80
हरियाणा	1	252.97
कर्नाटक	13	746.45
केरल	5	422.84
मध्य प्रदेश	2	2230.77
महाराष्ट्र	29	1313.94
उड़ीसा	—	928.37

1	2	3
पंजाब	1	362.52
राजस्थान	4	337.62
तमिल नाडु	8	747.74
उत्तर प्रदेश	10	802.28
पश्चिम बंगाल	37	1540.39
दिल्ली	48	501.89
गोआ	1	6.37
अन्य क्षेत्र	3	284.31
अवर्गीकृत सकल परिसम्पत्ति		2385.71
	189	18161.14

वाकंधम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास का बन्द हो जाना

644. **श्री के० ए० राजन :**

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री किशोरी सिन्हा :

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाकंधम एण्ड कर्नाटक मिल्स, कोयम्बटोर बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मिल को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या इस मिल के कर्मचारी संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इसका अधिग्रहण कर लें ;

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (च) मद्रास में वाकंधम एण्ड कर्नाटक मिल्स एंककों में निरन्तर सक्षम संचालन न होने तथा एककों को बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा लगातार सहायता देने से इन्कार किए जाने के परिणामस्वरूप 1-1-1981 से बन्द कर दी गई हैं। विभिन्न उपायों के जरिये उन्हें पुन: सक्षम बनाने के लिए, जिसमें उन स्तरों तक उत्पादकता/कार्यभार मानदण्डों में सुधार करना शामिल है जो उद्योग में विद्यमान हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमिकों तथा मेनेजमेंट के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया जिसमें तमिलनाडु सरकार ने भी भाग लिया। इन उपायों के बारे में कुछ असहमति होने के कारण बन्दी को टाला नहीं जा सका। सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का सुझाव दिया गया है किन्तु सक्षमता स्थापित किए बिना केवल अधिग्रहण किया जाना उचित नहीं होगा। प्रभावित कामगरों द्वारा उठाई जा रही, काठिनाईयों को देखते हुए इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वनस्पति तेल के उपयोग के बारे म नई नीति

645. **श्री रशीद मसूद** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति के उत्पादन के लिए वनस्पति तेल के उपयोग के बारे में एक नई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसका देश में वनस्पति के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप वनस्पति तेल के आयात में कितनी प्रतिशत कमी होगी ; और

(घ) वनस्पति के मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और समग्र रूप से उपभोक्ता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) वनस्पति के उत्पादन में वनस्पति तेलों के उपयोग के बारे में सरकार द्वारा कोई नई नीति तैयार नहीं की गई है। सरकार वनस्पति के उत्पादन के लिए आयातित तेलों के उपयोग की अधिकतम अनुमत मात्रा का निर्धारण समय-समय पर करती है। पहली जनवरी, 1981 से ऐसे उपयोग की सीमा 70 प्रतिशत नियत की गई है। इसका अर्थ यह है कि वनस्पति उद्योग को कुछ विनिर्दिष्ट देशी तेलों की 30 प्रतिशत की न्यूनतम मात्रा (पहले की तरह 5 प्रतिशत तिल के तेल सहित) का उपयोग करना होगा। इससे देश में देशी तेलों का अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधी खपत के लिए आयातित तेलों की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की जा सकेगी। देश में वनस्पति के उत्पादन पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए; वास्तव में जनवरी, 1981 के दौरान वनस्पति का लगभग 64,500 मीटरी टन उत्पादन हुआ। आयात में भी जल्दी ही कोई कमी नहीं की जायेगी।

(घ) वनस्पति का मूल्य उत्पादकों द्वारा विभिन्न बातों पर विचार करके समय-समय पर नियत किया जाता है। यद्यपि हाल के सप्ताहों में वनस्पति के मूल्य में कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है, तथापि उपभोक्ता को यह आसानी से सुलभ है। मूल्यों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर किया गया व्यय

646. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री एन० ई० डोरो : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 4 माह के दौरान भारत सरकार के मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की यात्राओं पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा संबंधी ब्यौरा क्या है और जिन्होंने विदेशों की यात्रा की उनके पदनाम क्या हैं ; और

(ख) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 1 अक्तूबर, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक की अवधि के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिसरों पर मारे गए छापे

647. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री पी० के० कोडियान : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय की विभिन्न एजेंसियों ने गृह विभाग के सहयोग से हाल ही में तथा 1977, 1978, 1979 और 1980 के दौरान बम्बई में फिल्म उद्योग के विभिन्न प्रतिष्ठित तथा अन्य व्यक्तियों के घरों, कार्यालयों तथा फिल्म स्टूडियो पर अनेक बार छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के क्या कारण थे और जिनके यहां छापे मारे गए उनमें से प्रत्येक का नाम और स्तर क्या है।

(ग) उनमें से प्रत्येक के पास कितना लेखा-वाहन धन, गहने, सोना और चांदी तथा ऐसी ही अन्य चीजें और बेनामी खाते तथा दस्तावेज पाए गए और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) वित्त मन्त्रालय के अधीन विभिन्न संवेतन एजेंसियों द्वारा 1977, 1978, 1979 1980 तथा 1981 (31-1-1981

तक) के दौरान फिल्म उद्योग के विभिन्न प्रमुख और अन्य व्यक्तियों के आवासों, कार्यालयों तथा उनके फिल्म स्टुडियो की ली गई तलाशियों की संख्या, इन तलाशियों में पकड़ी गई मुद्रा तथा माल का मूल्य और उस संबंध में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन वेंटल एक्सट्रेक्ट का आयात

648. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री :**

श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन वेंटल एक्सट्रेक्ट के आयात की पुन; अनुमति देने के लिए विभिन्न चर्मकार एसोसिएशनों, चमड़ा निर्यात सवर्धन परिषद और सम्बद्ध निकायों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसकी पुनः चालू करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस आशय के आदेश जारी न किए जाने के कारण कर्मकारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार का आवश्यक आदेश कब तक जारी करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) 1980-81 की आयात नीति में वेंटल एक्सट्रेक्ट को खुले सामान्य लाइसेंस से हटा कर प्रतिवन्धित सूची में शामिल कर लिया गया है। कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि इस मद के आयात की अनुमति फिर से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जानी चाहिए । मामले पर अभी विचार किया जा रहा है

(ग) वास्तविक उपयोक्ताओं को सीधे जारी किए गए लाइसेंसों के अलावा, उन वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के वास्ते, जो स्वयं इस मद का आयात नहीं कर सकते, चर्म-शोधक एसोसिएशनों तथा निर्यात सदनों के मार्फत वल्क आयात करने की व्यवस्था के लिए उपाय किए गए हैं ।

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

649. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावता :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1980-81 के दौरान निर्यात की गई आवश्यक वस्तुयों के नाम क्या हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें इन वस्तुओं का निर्यात किया गया है और क्या इन वस्तुओं के नाम तथा मात्रा और आयात करने वाले देशों के नामों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ;

(ख) क्या वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी, प्याज, सीमेंट, आलू आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का भी, निर्यात किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित मात्रा क्या है और आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए निर्यातों के सरकारी आंकड़ों के वस्तुवार/देशवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। सम्बन्धित निर्यात संवर्धन संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राक्कलनों के आधार पर, उन चुनन्दा आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में, जिनके दिसम्बर, 1980 में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातों की मात्राएं तथा आयातकर्ता देशों के नाम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मदें	मात्रा 000 मे० टन	प्रमुख आयातकर्ता देश
1 2	3	4
1. चावल	316.2	सोवियतसंघ, ब्रिटेन तथा मध्य पूर्व
2. प्याज	128.6	मलेशिया, सिंगापुर, सोवियत संघ, श्रीलंका तथा मध्य-पूर्व
3. आलू	0 9	श्री लंका, मलयेशिया, मारीशस तथा नेपाल
4. ताजे फल	6.5	मध्य पूर्व, ब्रिटेन तथा बंगला देश
5. ताजी सब्जियां	4.3	मध्य पूर्व तथा ब्रिटेन
6. ताजा मांस	0.5	मध्य पूर्व
7. जमा हुआ मांस	23.9	मध्य पूर्व
8. जौ	3.0	कुवैत

1	2	3	4
9.	गुड़	0.5	मलयेशिया, सिंगापुर तथा मध्यपूर्व
10.	चाय	165.4	सोवियत संघ, ब्रिटेन, आयरलैंड, पश्चिम जर्मनी, सं० रा० अमरीका, पोलैंड, ईरान, यू० ए० ई०, आस्ट्रेलिया, यू० ए० आर० तथा सूडान ।

घरेलू कमी की वजह से चीनी तथा सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबन्धित कर दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने मुख्यत: ब्रिटेन, मिस्र, नेपाल आदि को केवल 0.27 लाख मे० टन चीनी भेजी है । ब्रिटेन, मिस्र को निर्यात या तो वर्ष 1979-80 के दौरान की गई संविदाओं को आगे लाकर उनके आधार पर अथवा पांच वर्षों के लिए 1975 के भारत यूरोपीया आर्थिक समुदाय करार के अन्तर्गत किया गया है । विशेष परियोजनाओं के लिए गुणावगुण के आधार पर पहले की गई वचनवद्धताओं के अन्तर्गत नेपाल को बहुत कम मात्रा में सीमेंट निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) : वर्ष अप्रैल 1981 मार्च 1982 के लिए निर्यात नीति तैयार की जा रही है और उस रूप में इस अवस्था में 1981-82 अवधि के लिए चीनी, प्याज, आलू आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए आगामी नीति का संकेत देना संभव नहीं है ।

काजू का आयात

650. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू के आयात के बारे में वर्तमान नीति क्या है चाहे वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाना हो या न किया जाना हो ;

(ख) 1980 और 1981 में अब तक आयात का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्राइवेट फर्मों ने कितनी मात्रा में आयात किया और किस प्रकार उपयोग किया ;

(घ) क्या प्राइवेट फर्मों द्वारा आयात के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गए थे और क्या उन सिद्धान्तों का पालन किया गया था ;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्राइवेट फर्मों द्वारा आयात की अनुमति जारी रखने का है ; और

(च) भारतीय काजू निगम के मध्यम से अधिक मात्रा में काजू का आयात करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) (क) कच्चे काजू का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से सरणीबद्ध ही चल रहा है। कच्चे काजू की सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से कच्चे काजू की सीमित मात्राओं के सीधे आयातों की अनुमति गुणावगुण आधार पर पुनर्निर्यात हेतु भारत में संसाधन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक मामले में निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है।

(ख) तथा (ग) 1979-80 तथा 1980-81 आज तक के दौरान भारतीय काजू निगम द्वारा आयात के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	सी० आई० एफ० मूल्य (करोड़ रुपए)
1979-80	24,180	11.55
1980-81	14,962	11.20

इसके अलावा, .5013 मे० टन का आयात एक निजी, पार्टी द्वारा संसाधन तथा पुनर्निर्यात के लिए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट के आधार पर किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) 1981-82 के लिए आयात नीति अभी तैयार की जानी है।

(च) भारतीय काजू निगम उत्पादक देशों से कच्चे काजू के आयात को अधिकतम करने के लिए कदम उठा रहा है।

राज्यों में पर्यटन उद्योग द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

651. श्री जैनुल बशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पर्यटन उद्योग द्वारा विभिन्न राज्यों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में पर्यटन विकास के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है, न कि राज्य-वार आधार पर। अंनतिम रूप से अनुमान यह है कि वर्ष 1980 के लिए वर्तमान कीमतों के आधार पर,पर्यटन से 482 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

(ख) इसी प्रकार पर्यटन के विकास पर खर्च राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता, अपितु यह खर्च इस आधार पर किया जाता है कि किसी पर्यटक केन्द्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कितनी संभाव्यता है। 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत पर्यटन के संवर्धन तथा विकास पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

(1)	पर्यटन विभाग	155.20 लाख रुपए
(2)	भारत पर्यटन विकास निगम	840.42 " "
	जोड़	995.62 लाख रुपए

"थर्ड लेवल" विमान सेवा आरम्भ करने पर होने वाला व्यय

652. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री "थर्ड लेवल" विमान सेवा पर व्यय के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3537 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "थर्ड लेवल" विमान सेवा आरम्भ करने पर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का वित्तीय ब्यौरा क्या है और कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ख) यह सेवा किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए अनुमानित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय निम्न प्रकार है :

आवर्ती	अनावर्ती
0.25 करोड़ रुपए	0.75 करोड़ रुपए
कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी	25 करोड़ रुपए,
प्रदत्त पूंजी	6.5 करोड़ रुपए है।

(ख) वायुदूत की अनुसूचित सेवाएं 26 जनवरी, 1981 से निम्नलिखित सैक्टरों पर परिचालित की जा रही है :—

गौहाटी / बारापानी

कमालपुर / अगरतला

अगरतला / कैलाशहर

गौहाटी / रूपसी

झबुआ / तेजू

गौहाटी / कमालपुर

गौहाटी / कैलाशहर

चांदी की तस्करी

6 (563). **श्री बी० डी० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किन्हीं भारतीय तटों पर विशेषरूप से चांदी की तस्करी के फिर से आरम्भ हो जाने का पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष (1980) के दौरान (मूल्य सहित) कितनी चांदी पकड़ी गई ;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि पश्चिमी समुद्र तट पिछले कुछ समय से तस्करी के लिए जिसमें चांदी का तस्कर-निर्यात भी शामिल है, सुगम्य रहा है ।

(ख) वर्ष 1980 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने देश में लगभग 53 करोड़ रुपये मूल्य का माल पकड़ा, जिसमें लगभग 9.48 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 30.7 मीट्रिक टन चांदी भी शामिल है ।

(ग) सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया हैं । पश्चिमी समुद्रतट पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों को तेज चलने वाले या न दिये गये ताकि वे तस्करी में रत जलयानों को रोक सकें, और तस्करी की गतिविधिनों से सम्बन्धित सूचना शीघ्र और गुप्त रूप से प्रेषित करने हेतु रक्त समुद्र-तट के साथ लगे तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों में बेतार-संचार-व्यवस्था कायम की गई है ।

आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं का समाप्त किया जाना

654. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) उद्योगों की आवश्यकताओं तथा वित्तीय संस्थाओं की निधियों की लागत को ध्यान में रखते हुए, सुलभ ऋण योजना की समीक्षा की जा रही है। इसे समाप्त करने अथवा इसके क्षेत्र को व्यापक करने के बारे में, अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। फिर भी, दिनांक 18 जून 1980 के वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह घोषित किया गया था कि किसी उद्योग के आधुनिकीकरण के वास्ते दी जाने वाली सहायता के मामले में परिवर्तनीयता विषयक मार्ग निर्देश लागू नहीं होंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने निर्णय किया है कि आधुनिकीकरण की आवश्यकता वाले सभी उद्योगों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सामान्य दरों पर सहायता दी जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नकद ऋण व्यवस्था को सुचारु बनाना

655. **श्रीमति मोहसिना किदवई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस समय प्रचलित नकद-ऋण-व्यवस्था को तत्काल सुचारु बनाने के बारे में सक्रिय विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किस तरह का निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस पर कड़े नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में नकदी ऋण की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 1979 में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। इस कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, दिसम्बर 1980 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों की मुख्य मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं।

यह अनुदेश उन सब एककों को छोडकर जो पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं, बैंकिंग प्रणाली से कुल 50 लाख रुपये और उससे अधिक की कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी ऋण सीमाऐ प्राप्त करने वाले सभी एककों पर लागू होते हैं। बैंकों द्वारा उन ऋणकर्ताओं पर भी इसी प्रकार के अनुदेश विभिन्न चरणों में लागू किये जाते हैं जो बैंकिंग प्रणाली से 50 लाख रुपये से कम की ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहे हैं।

विवरण

नकदी ऋण प्रणाली के बारे में दिसम्बर, 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम जारी किए गए अनुदेशों की मुख्य मुख्य बातें :—

1. दस लाख रुपये और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं (लिमिट्स) की वार्षिक समीक्षा ।

2. पचास लाख रुपये और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले सभी एककों द्वारा बैंकों को तिमाही विवरणियां भेजना जिनमें उस तिमाही के दौरान निधियों का संकेत किया जाये ।

3. बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित छमाही विवरणियाँ भेजना :—
(1) समीक्षा के लिए कालातीत लेखे ।

(2) वे एकक जिन्होंने तिमाही विवरणियाँ नहीं भेजीं ।

4. ऋण सीमाओं के मांग ऋण और नकद ऋण में विभाजन को समाप्त करना ।

5. व्यस्त (पीक) और गैर-व्यस्त (नान पीक) अवधियों के लिए अलग अलग ऋण सीमाएं ।

6. जो एकक तिमाही विवरणियां न भेजें उनके कुल अधिशेषों पर एक प्रतिशत का दण्डात्मक ब्याज वसूल करना । यदि यह व्यतिक्रम बराबर बना रहे और कठोर कार्रवाई करना आवश्यक लगे तो ऐसे खातों को स्थगित (फ्रीज) करना ।

7. वर्तमान बैंकरों से परामर्श किए बगैर किसी बैंक द्वारा किसी एकक को ऋण सुविधा न देना ।

8. तदर्थ (एडहाक) ऋण सीमाओं पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज वसूल करना और ऐसी तदर्थ ऋण सीमाएं केवल असामान्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत करना ।

9. कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए अपनी निधियों और सावधि वित्त से ऋण-कर्ता का अंशदान कुल चालू परिसम्पतियों के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए ।

10. जहाँ सम्भव हो नकद ऋण सीमाओं को हुण्डी (बिल) ऋण सीमाओं में बदल दिया जाना चाहिए ।

इस्पात का उत्पादन

656. **श्री जेवियर अराकल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में इस्पात का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है ;

(ख) लघु उद्योगों को कितनी मात्रा आबंटित की गई है ;

(ग) लघु उद्योगों को राज्यवार कितनी मात्रा में इस्पात का वितरण किया गया है ; और

(घ) केरल में इस्पात पाने वाले लोगों या फर्मों के नाम क्या हैं और वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए उन्हें कितनी मात्रा आबंटित की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979-80 में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन तथा वर्ष 1980-81 में प्रत्याशित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

हजार टन

1979-80	1980-81 प्रत्याशित
6039	6119

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें

657. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री के० ए० राजन :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्री को एक 9-सूत्री मांग पत्र पेश किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर बल देने के लिए 20 जनवरी, 1981 को उनके निवास स्थान पर "सामूहिक धरना" दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 20-1-81 के संघीय वित्त मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें निहित हैं :—

1) अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस ;

2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की समानता के आधार पर वेतन में संशोधन किए जाने तक 150/- रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन के रूप में अंतिरिम सहायता की मंजूरी ?

3) सभी प्रयोजनों के लिए 344 अंकों तक वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना।

4) आपातकाल के दौरान मंहगाई भत्ते की दर में की गई 2-1/2% की कटौती को फिर से दिया जाना ;

5) ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए 100% के निराकरण का सुनिश्चय करने के लिए मंहगाई भत्ते के फार्मूले में परिशोधन किया जाना।

6) नैमित्तिक कर्मचारियों के नैमित्तिकरण को समाप्त करना और डाक-तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का विभागीयकरण किया जाना और इन मांगों को कार्यान्वित किए जाने का निर्णय होने तक, जैसाकि भारतीय रेल विभागों में किया जाता है, 120 दिनों की नौकरी पूरी होने पर ऐसे कर्मचारियों को उन पदों का पूरा वेतन/आनुपातिक वेतन और भत्ता स्वीकार किया जाए।

7) असमर्थताओं सहित सभी प्रकार की परेशान करने की कार्यवाही समाप्त करना।

8) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन, नागरिक और राजनीति के सम्पूर्ण अधिकार देना, वर्तमान आचार नियमों को समाप्त करना, अनुच्छेद 310, 311 (2) (ग) और (ग) अस्थायी सेवा नियम एफ आर 17 क और 56 ग के नियम 5 को रद्द करना और संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध के अन्तर्गत संसदीय अधिनियम द्वारा नये प्रजातांत्रिक सेवा नियमों का बनाया जाना ;

2. इन मांगों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

मांग सं० 1. उत्पादन से सम्बद्ध बोनस केवल उत्पादन करने वाले संगठनों को या जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रकृति के संगठन हैं, उनको ही केवल उत्पादन वृद्धि में प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। फिलहाल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्यत: उत्पादन से सम्बद्ध बोनस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मांग सं० 2. राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) के कर्मचारी पक्ष की एक मांग यह है कि केन्द्रीय सरकार से ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समान वर्ग के कर्मचारियों की तुलना में उनकी असमानता को दूर करने के लिए उन्हें मुआवजे के रूप में 150/- रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन दिया जाए। यह राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) के विचाराधीन है।

मांग सं० 3. 344 के औसत सूचकांक स्तर तक स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ते को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ मिलाने के बारे में कर्मचारी पक्ष द्वारा राष्ट्रीय परिषद में रखी गई मांग, इस मामले पर विचार करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद की समिति के विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

मांग सं० 4. यह उन मामलों में से एक है जो मध्यस्थता बोर्ड (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) को प्रस्तुत किया गया था। फिर भी, कर्मचारी पक्ष के साथ हुए एक करार के परिणामस्वरूप मध्यस्थता बोर्ड के सम्मुख इस मामले को वापस ले लिया गया और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में मंहगाई भत्ते के सूत्र में पर्याप्त सुधार कर दिया गया। इसलिए यह कोई सक्रिय मामला नहीं रहा है।

मांग सं० 5. जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है मंहगाई भत्ता फार्मूला में किए गए सुधार के परिणामस्वरूप पहले 300 रु० प्रतिमास के स्थान पर अब 400/- रु० प्रतिमास वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जीवन-निर्वाह लागत में हुई वृद्धि का 100% निराकरण अब उपलब्ध है। 400 रु० से 1000/-रुपए तक के वेतन स्तर के लिए जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि का निराकरण 75% है। मंहगाई भत्ते के फार्मूले में और अधिक उदारीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मांग सं० 6, 7 और 8. मांग सं० 6 का आंशिक रूप से संबंध गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से है और आंशिक रूप से संचार मंत्रालय के डाक-तार विभाग से। मांग सं० 7 और 8 का सम्बन्ध कार्मिक विभाग से है। इन मांगों के बारे में स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इनके बारे में आवश्यक जानकारी जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी, इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निर्माण की प्रगति

658. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री के० ए० स्वामी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस संयंत्र का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बारे में सोवियत रूस के साथ हाल में हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अब तक, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के बारे में केवल स्थल पर प्रारम्भिक अवस्थापना तथा निर्माण-पूर्व कार्य चल रहे हैं। ये कार्य समय सूची के अनुसार चल रहे हैं। कारखाने, बस्ती और स्थल से बाहर की सुविधाओं के लिए आवश्यक लगभग 27,000 एकड़ भूमि में से लगभग 15,000 एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है। स्थल को समतल करने का कार्य चल रहा है और 31-1-1981 तक 1.1 करोड़ घन मीटर से अधिक मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका था। स्थल को जोड़ने वाली सड़क, निर्माण कार्यों के लिए जल और बिजली की वितरण प्रणाली, स्थल कार्यालय, गोदाम शेड, प्रयोगशाला-निर्माण आदि कार्य चल रहे हैं। राज्य सरकार विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। रेलवे ने भी इस्पात कारखाने के लिए एक साइडिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। 31-1-1981 तक परियोजना पर हुआ कुल खर्च 50 करोड़ रुपए से कुछ अधिक बैठता है।

परामर्शदाताओं ने कारखाने के लिए व्यापक संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 30 नवम्बर, 1980 को प्रस्तुत कर दिया था और क्षेत्र द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जांच कर ली गई है।

(ग) परियोजना के प्रथम चरण में कारखाने के कोक ओवन और उपोत्पाद संयंत्र (कोक ओवन बैटरियों और ड्राई क्विचिंग स्टेशन को छोड़कर) सिंटर संयंत्र और घमन भट्टी संयंत्र की विस्तृत इन्जीनियरी के लिए मास्को के मैसर्स त्याजप्रोमएक्सपोर्त और विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के बीच विचार-विमर्श हुआ है और करार के विवरण अन्तिम रूप से तैयार कर लिए गए हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम को पर्यटन के संवर्धन के लिए अधिक शक्तियां दिया जाना

659. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गोडा :

श्री एच० एन० गोडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम को देश में पर्यटन के संवर्धन तथा विकास के लिए अधिक शक्तियां दी गई हैं जो पहले पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में विहित थीं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम ने इन शक्तियों को प्राप्त करने के उपरांत पर्यटन की दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम को, जो अभी हाल तक प्रमुख रूप से होटलों और परिवहन पर ही केन्द्रित रहा था, अब देश में पर्यटन का विकास करने के लिए पर्यटन विभाग की एक प्रभावी एजेंसी बनाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल

660. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम के प्राधिकारियों ने कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरों में एकपक्षीय ढंग से संशोधन, जो कि कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है, करने के लिए सरकार की अनुमति ले ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने आपसी समझोते तथा बातचीत की चली आरही सुस्थापित प्रथा को छोड़ देने का फैसला किया है ; और

(ग) इसके विरोध में सामान्य बीमा निगम कर्मचारियों की प्रस्तावित अखिल भारतीय हड़ताल पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी अपने वेतनमानों में संशोधन करने के लिए बार बार अनुरोध कर रहे थे । इसलिए, सद्भावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से साधारण बीमा निगम के प्रबन्धकों ने कर्मचारी संघों के साथ कई बार विचार विमर्श किया और अपनी सिफारिशों के साथ मामला सरकार को भेज दिया । कर्मचारियों की मांगों और प्रबन्धकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 सितम्बर, 1980 को सेवा की संशोधित शर्तें अधिसूचित कर दीं । कुल मिलाकर, इस पैकेज डील में वेतन ढांचे में काफी सुधार कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप निगम के 27 करोड़ रुपए के मौजूदा वेतन बिल पर 3 करोड़ रुपए वार्षिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ गया है ।

कर्मचारी संघों ने अधिनियम के कतिपय उपबंधों की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कोई भी हड़ताल नितान्त असंगत और पूर्ण रूप से अनुचित होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निष्क्रिय घोषित जमा राशियां

661. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों के प्रतिवर्ष जमा लाखों रुपयों की राशि को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार घोषित की गई कुल राशि क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि गरीब लोग जटिल प्रक्रिया के कारण उत्तराधिकार के रूप में जमा राशियां प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार ने सभी लेखाधारकों के मनोनीत नामों को रखने की वांछनीयता पर विचार किया है, जिससे कि वे अपने परिचय की पुष्ट से धन ले सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से इस प्रणाली को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) उन निष्क्रिय जमा खातों में पड़ी राशियां, जोकि विभिन्न बैंकों (राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों) में पिछले 10 वर्षों या इससे अधिक अवधि तक बन्द पड़े रहे हैं, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं भेजी जाती, बल्कि अपने पास रखी जाती है तथा उनकी जमा राशियों का एक भाग होती हैं। दिसम्बर, 1977, 1978 तथा 1979 के अन्त तक, ऐसे निष्क्रिय खातों की कुल संख्या तथा उनमें पड़ी राशियां नीचे दी गई हैं : —

के अन्त तक	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
31-12-77	1361322	15.66
31-12-78	1544918	17.45
31-1279	1770957	20.21

(ग) से (ङ) जहां तक मृतक खाता धारकों के खातों में जमाराशियों का सम्बन्ध है, उसके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व आदि पर जोर दिए बिना पर्याप्त क्षतिपूर्ति-वचन तथा स्थानीय जांच के

आधार पर, दावों को निपटाने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि खाताधारकों को नामांकन की सुविधायें प्रदान की जा सकें जिससे कि नामांकित व्यक्तियों को इन शेष राशियों की शीघ्रअदायगी की जा सके।

मुद्रास्फीति की दर

662. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर में नवम्बर, 1980 तथा फरवरी, 1981 के दौरान कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) मूल्य वृद्धि रोकने में यह कितनी सहायक हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर नवम्बर 1980 के 16.3 प्रतिशत से कम होकर जनवरी, 1981 में 14.7 प्रतिशत रह गई (अद्यतन उपलब्ध)। इस प्रकार, मुद्रास्फीतिकारी दबावों में हाल के महीनों में नरमी आई है। सरकार मूल्य स्थिति पर दृष्टि रखे हुए हैं और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे।

बीड़ी निर्माताओं से बकाया करों की वसूली करने के लिए कार्यवाही

663. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन बीड़ी निर्माताओं/बीड़ी कम्पनियों/बीड़ी कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1979-80 में दो लाख रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया है ;

(ख) इन कम्पनियों के प्रोपराइटरों/भागीदारों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने उक्त वर्ष के लिए आंके गए पूरे उत्पादन शुल्क तथा आय कर का सरकार को भुगतान कर दिया है ; और

(घ) सरकार उनसे बकाया कर वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सदाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में आयकर विभाग द्वारा छापे

664. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग तथा वित्त विभाग की विभिन्न एजेंसियों ने 1 नवम्बर, 1980 से 31 जनवरी, 1981 के दौरान गुजरात के विभिन्न व्यापारियों, उद्योगपतियों, कम्पनियों तथा अन्य निकायों पर अनेक छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनपेक्षित छापे मारे जाने के क्या कारण थे ;

(ग) जिन फर्मों/व्यक्तियों के यहां छापे मारे गए थे उनके नाम क्या तथा दर्जे क्या-क्या है ;

(घ) उक्त छापों के क्या परिणाम निकले ;

(ङ) इनमें से प्रत्येक के यहां से पकड़े गए लेखारहित धन, जेवरों, स्वर्ण चांदी, बेनामी खातों/दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है और कितने लाकर सील किए गए ; और

(च) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (च) वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा 1-11-80 से 31-1-81 तक की अवधि के दौरान ली गई तलाशियों की संख्या इन तलाशियों में पकड़ी गयी मुद्रा तथा माल का मूल्य (लाकरों से प्राप्त माल को शामिल करके) और की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ;

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

665. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन की दुकानों, उचित दर दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं अर्थात् चीनी, वनस्पति तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 15 दिसम्बर, 1980 से कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तु-वार तथा राज्य-वार (राजधानियों, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ, कलकत्ता, तथा भोपाल, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम) का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 12 जनवरी, 1981 को मूल्य क्या थे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) बम्बई, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ कलकत्ता, भोपाल, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में 12-12-1980 और 9-1-81 को समाप्त होने वाले सप्ताहों के चुनी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य विवरण में दिये गये हैं (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1856/81) विवरण में दिये गये आंकड़ों से मिश्रित रुख का पता चलता है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के खुदरा मूल्य स्थिर रहे हैं, कुछ के ऊपर

चढ़े हैं और कुछ में नरमी आयी है । 15 दिसम्बर, 1980 और 12 जनवरी, 1981 के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली गेंहूं, लेवीचीनी, आयातित खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल के निर्गम मूल्य वही रहे हैं तथापि 1 जनवरी, 1981 से चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई है ।

कपड़े का निर्यात

666. **श्री रासबिहारी बहेरा : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात किये गये कपड़े की मात्रा कितनी है, रुपये और वस्तुओं में उसका कितना मूल्य है ; और

(ख) लगाये गये निर्यात-शुल्क की दर क्या है और इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितना शुल्क वसूल किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) विभिन्न देशों को वर्ष 1978 और 1979-80 के दौरान किए गए वस्त्र मदों के कुल निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :—

(मात्रा : लाख वर्ग मीटर)
(मूल्य : करोड़ रु० में)

	1978-79		1979-80	
	अनुमानित मात्रा	मूल्य	अनुमानित मात्रा	मूल्य
सूती वस्त्र	4773.60	224.28	5138.10	270.45
ऊनी कपड़े	8.05	2.62	10.19	2 83
मानव-निर्मित वस्त्र	365.97	29.99	223.90	19.16
प्राकृतिक रेशम वस्त्र	114.52	43.61	107.67	48.83

(ख) उपरोक्त वस्त्र मदों के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है और इसलिए शुल्क वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेलों का आयात

667. **श्री नरसिंह मकवाणा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष आयात किए गए खाद्य तेलों की टनों में मात्रा क्या है, तथा इस वर्ष कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा ;

(ख) खाद्य तेलों की कमी के बावजूद मूंगफली तथा मूंगफली के तेल का निर्यात करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) लोगों की खाद्य तेल की मांग को पूरा करने तथा इनके मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन मह्न्ती) : (क) तेल वर्ष 1979-80 (नवम्बर, 1979 – अक्तूबर, 1980) के दौरान सरकार की ओर से लगभग 11.50 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों की मात्रा आयात की गई । तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 1980-अक्तूबर, 1981) के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा, देश में इनके वास्तविक उत्पादन, समय-समय पर पता लगाई गई इनकी मांग, देश के भीतर तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इनके मूल्य स्तर और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(ख) हाथ से चुनी मूंगफली के निर्यात की जब भी अनुमति दी जाती है तो वह सीमित मात्रा के लिए और समय-समय पर निर्मुक्त किये जाने वाले कोटे के आधार पर होती है । मूंगफली के तेल के निर्यात की अनुमति नहीं दी जा रही है । हाथ से चुनी मूंगफली की कुछ सीमित मात्रा का निर्यात करने का कारण निर्यात से होने वाली देश की आय बढ़ाना और पामोलीन, ताड़ का तेल आदि जैसे सस्ते तेलों का आयात करना है ।

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिये सरकार मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को खाद्य तेलों का आयात करके तथा उन्हें उचित दर की दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा कर पूरा कर रही है । इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निरन्तर मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आयातित खाद्य तेलों की अधिक मात्रा सप्लाई की जा सके । इस दिशा में जो अन्य उपाय किये जा रहे हैं वे ये है :— कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैयार की गई "कार्यवाही योजना" के कार्यान्वयन द्वारा देशी खाने योग्य तिलहनों/तेलों की उपलब्धता बढ़ाना ; वनस्पति जैसे लोकप्रिय तेलों के उत्पादन में वृद्धि करना ; जमा किये गए भंडारों को बाहर निकलवाने के लिए अधिक सख्त कार्यवाही करना ; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उसके तहत जारी किए गये आदेशों और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम , 1980 के विभिन्न उपबंधों को लागू करना ।

बाड़मेर (राजस्थान) में लिगनाइट के निक्षेप

668. **श्री जयनारायण रौत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बाड़मेर में हाल ही में लिग्नाइट के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेप निकालने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ख) राजस्थान सरकार ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान बाड़मेर जिले में कापरडी गांव के निकट वोरहोलों में लगभग 85 मीटर की गहराई पर लिग्नाइट का पता लगाया है। खनिज के ग्रेड और किस्म के बारे में अभी प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने है। दोहन इन परीक्षणों के परिणामों और तदनन्तर इसकी उपादेयता के बारे में प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन पर निर्भर होगा।

ग्रुप बी० आयकर अधिकारियों को ग्रुप ए० में बदलने का प्रस्ताव

669. **श्री सोमजी भाई दामोर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर विभाग में आयकर अधिकारी ग्रुप बी० के सैंकड़ों पदों को आयकर अधिकारी ग्रुप ए० में बदले जाने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) क्या आयकर अधिकारी ग्रुप बी० के पदों को आयकर अधिकारी ग्रुप ए० में बदले जाने से आयकर विभाग में आयकर इन्स्पैक्टरों और अन्य अनुसचिवीय संवर्गों के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर बिल्कुल समाप्त हो जायेंगे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में गैर-राजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं तथा इन पदों को ग्रुप ए० आयकर अधिकारियों के पदों में बदलने के प्रस्ताव उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त को ध्यान में रखकर इन पदों को आयकर अधिकारी ग्रुप ए० में बदले जाने के प्रस्ताव को त्याग देगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । आयकर अधिकारी (वर्ग 'ख') के 400 पदों को आयकर अधिकारी (वर्ग 'क') में बदलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) आयकर अधिकारियों के पदों पर आयकर अधिकारी (वर्ग 'क') अथवा आयकर अधिकारी (वर्ग 'ख') कार्य कर सकते हैं। कार्य वर्गीकरण के आधार पर इन पदों को महत्वपूर्ण तथा कम महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है, जिन पर क्रमशः वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के आयकर अधिकारी काम करें। यद्यपि, मामले से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के आयकर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के विचार आमंत्रित किए गए और उन पर सम्यक रूप से विचार किया गया, तथापि, इस मामले में अराजपत्रित अधिकारियों के विचारों को आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से स्वर्ण निक्षेप की खोज

670. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के पास रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्वर्ण निक्षेप की विस्तृत जांच के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) क्या अब तक कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वीडियो कैसेट टेपों की तस्करी

671. **श्री आरिफ मोहम्मद खान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन भारतीय तथा विदेशी फिल्मों, जिन पर रोक लगा दी गई है, के वीडियो कैसेट टेपों की तस्करी और विशेषकर महानगरों में अवैध संगीत सभाओं (म्यूजिक ज्वायन्ट्स) द्वारा उनके प्रदर्शन के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों से ऐसे वीडियो केसेट टेपों की तस्करी को रोकने के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों को सतर्क किया गया है ।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 'पुर दरीबा' में जस्ते के निक्षेपों से जस्ते का खनन

672. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को 'पुर दरीबा' में जस्ते के निक्षेप जस्ते का खनन करने के लिए 20 वर्ष के पट्टे पर दिए गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो वर्ष बीत जाने पर भी इस कंपनी ने खनन कार्य शुरू नहीं किया है जिससे कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होना था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व मेवाड़ सरकार के शासन काल में खनन कार्य किया गया था और वहां चांदी पाई गई थी और बाद में उन खानों को बन्द कर दिया गया था जिन्हें अभी भी चांदी का कूंआ कहकर पुकारा जाता है ; और

(घ) इस क्षेत्र में खनन कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) 'पुर बरीबा' के जस्ता निक्षेप छोटे हैं और उनमें धातु की मात्रा कम है । जस्ता और सीसा धातुओं के वर्तमान मूल्यों पर इन निक्षेपों का दोहन आर्थिक दृष्टि से उपादेय होने की संभावना नहीं है । इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लि० ने इन निक्षेपों का दोहन न करने का फैसला किया है ।

काला धन

673. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानित लेखा वाह्य धन कितना है ;

(ख) इस सम्बन्ध में वांचू समिति, चोकसी समिति और संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) लेखा वाह्य धन के संकट को समाप्त करने के लिए किन-किन सिफारिशों को स्वीकृत तथा लागू किया गया है और कौन सी सिफारिशें रद्द कर दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार ने काले धन के प्रचलन का कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

(ख) और (ग) चोकसी समिति की नियुक्ति प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कानूनों को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी और उसका सम्बन्ध काले धन का पता लगाने के उपायों से नहीं था । लोक लेखा समिति ने अपनी 17वीं रिपोर्ट में आयकर की अधिकतम दर को कम करने की सिफारिश की क्योंकि समिति ने महसूस किया कि कराधान की ऊंची दर काले धन को बढ़ावा देती है । प्रत्यक्ष करों के जरिए विकास

प्रयोजनों के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता के सन्दर्भ में, इस सिफारिफ को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने यथा संभव उपाय किये हैं। जहां तक वांचू समिति का सम्बन्ध है, समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 20-2-81 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 673 के भाग (ख) तथा (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र जिसमें वांचू समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है।

क्र०सं०	सिफारिश सं०	सिफारिशों का सारांश	की गई कार्यवाही
1.	2	3	4
1.	13.	आयकर अधिनियम में, करदाताओं के साथ मामलों के समझौते के लिए तंत्र के गठन की व्यवस्था की जानी चाहिए।	आयकर अधिनियम, 1961 में, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के माध्यम से, अध्याय XIX क शामिल करके ये सिफारिशें कार्यान्वित की गयी।
	14.	एक प्रत्यक्ष कर समझौता न्यायाधिकरण गठित किया जाना चाहिए। इसके सदस्यों का वही ओहदा होना चाहिए जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों का होता है।	
	15.	ईमानदारी, निष्पक्षता तथा न्याय के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को समझौता न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में चुना जाना चाहिए।	
2.	19.	काले धन का पता लगाने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिए तयाशी तथा अधिग्रहण की शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग।	मंजूर कर ली गई।

1	2	3	4
3.	20 (क)	आयकर आयुक्त को यह अधिकार दिया जाना चहिए कि यह तलाशी और अधिग्रहण की कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत कर सकें, फिर चाहें उसके क्षेत्राधिकार का क्षेत्र कुछभी हो ।	ये सिफारिशें, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के माध्यम से धारा 132 में संशोधन करके तथा नई धारा 132क को शामिल करके कार्यान्वित की गयी ।
	20 (ख)	निरीक्षी सहायक आयुक्त को भी तलाशी और अधिग्रहण के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ।	
	20 (ग)	आयकर अधिनियम के अधीन तलाशी तथा अधिग्रहण की कार्यवाही संबंधी शक्ति को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि उसके अंतर्गत व्यक्तियों, बाहनों, जलयानों तथा वायुयानों को भी शामिल किया जा सके ।	
	20 (ङ)	धारा 132 (5) के प्रयोजन के लिए करदेयता में ब्याज तथा अर्थ-दण्ड को भी शामिल करना चाहिये ।	
	20 (च)	'प्राधिकृत अधिकारियों' की परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उसमें उन आयकर अधिकारियों को शामिल किया जा सके जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसा मामला आता हो ।	
	20 (छ)	कानून को ठीक प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि तलाशी के दौरान निर्धारिती के परिसर में पायी गई परिसम्पत्तियों, लेखावहियों और मूल्यवान वस्तुओं को, तब तक के लिए निर्धारिती की परिसम्पत्ति माना जाय जब तक कि अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता ।	

पेट्रोल और तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि

674. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और इस मूल्य वृद्धि की कोई सीमा नहीं है ;

(ख) क्या पेट्रोल और तेल के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण भी इन वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाले पिछले दो महीनों के दौरान, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, कुछ के स्थिर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य के घटे हैं ।

(ख) और (ग) : पैट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में हाल-की-वृद्धि से समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

दिल्ली में बनने वाले स्टार होटलों के नाम

675. श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थापित किये जा रहे स्टार होटलों के नाम एवं उनके स्थापना स्थल क्या हैं ; और

(ख) बृहत योजना की संकल्पना के अनुरूप भूमि के उपयोग को इनमें से कितने होटलों के लिये बदलना पड़ा और भूमि उपयोग में यह परिवर्तन किसके कहने पर तथा किस स्तर पर किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोको का उत्पादन

676. श्री के० कुहम्बू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कोको का कुल कितना उत्पादन होता है

(ख) देश में कितनी मात्रा की खपत होती है ; और

(ग) क्या उत्पादकों की दिक्कतों को कम करने के लिये कोको का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुमानों के अनुसार 1980-81 के दौरान सूखी फलियों का उत्पादन, 3580 मे० टन होगा ।

(ख) अनुमान किया जाता है कि देश में 1200 मे० टन की खपत होगी ।

(ग) कोको की फलियों का निर्यात बिना किसी परिमाणात्मक प्रतिबंध के करने की अनुमति है ।

रिजर्व बैंक के करेंसी जारी करने वाले कार्यालय का खोला जाना

677. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में भारतीय रिजर्व बैंक का करेंसी जारी करने वाला कार्यालय खोलने में विलम्ब के क्या करण हैं; और

(ख) करेंसी जारी करने वाला कार्यालय कब तक खोले जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी जारी करने वाले कार्यालय को खोलने में विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी इमारत के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन के अभिग्रहण में कठिनाई का सामना करना पड़ा था । इमारत इस समय निर्माणाधीन है और 1981 के मध्य में इसके पूरा हो जाने की आशा है जब करेंसी जारी करने वाला कार्यालय भी खोल दिया जाएगा ।

गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार मेला प्राधिकरण को हुई हानि

678. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री छांगुर राम : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार मेला प्राधिकरण को भारी हानियां हो रही हैं तथा उसने कितने दर्शकों के आने का अनुमान लगाया था उतने दर्शक आकर्षित करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार मेला प्राधिकरण को गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कितनी हानि हुई ;

(ग) व्यापार मेला प्राधिकरण को हुई निरन्तर हानि के किन-किन कारणों का सरकार ने पता लगाया है ; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के आय तथा व्यय के लेखे में जो घाटा दिखाया गया है वह हिसाब-किताब करने के तरीके के कारण है, जिसके अनुसार अनुदान के तौर पर सरकार से प्राप्त निधियां सीधे पूंजी रिजर्व में ले ली जाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि प्राधिकरण का राजस्व लेखा घाटा दिखलाता है हांलांकि पूंजीगत लेखे में बेशी होती है। इस प्रकार राजस्व तथा पूंजी दोनों के लेखे के हिसाब से बेशी होती है। वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान प्राधिकरण के लेखे में आय से अधिक व्यय के रूप में दिखाया गया घाटा क्रमश: 1.33 करोड़ रु०, 3.50 करोड़ रु० तथा 1.18 करोड़ रु० है। यह धारणा कि प्राधिकरण दर्शकों को आकर्षित करने में असफल रहा है, उचित नहीं लगती। प्रगति मैदान में दर्शकों की संख्या निकट भविष्य में और भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का गठन केवल लाभ के लिए काम करने वाले मात्र एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में नहीं किया गया था। इसका स्वरूप अपेक्षाकृत सम्बन्धनात्मक संगठन का है और इसके वित्तीय निष्पादन इसी दृष्टिकोण से जांचने होंगे। तथापि, प्रगति मैदान कम्प्लैक्स के और अधिक व्यापक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है जिससे प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

679. **श्री ए० टी० पाटिल :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 से 1980-81 तक वर्ष-वार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वित्तीय स्थिति क्या-क्या रही है ;

(ख) इन वर्षों में किसी भी वर्ष यदि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भारी हानि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान, विशेष रूप से उच्च स्तरीय मांग-सूची के कारण कितनी हानि हुई ; और मांग-सूची इतने उच्च स्तर तक कैसे पहुंच गयी ;

(घ) (एक) आयात (दो) प्रशासन, (तीन) उत्पादन, (चार) वितरण ; और (पांच) मूल्य निर्धारण सम्बन्धी यदि कोई ऐसे दोष हैं, जिनके कारण हानि हुई, तो वे क्या हैं ; और

(ङ) दोषों तथा हानि के अन्य कारणों को दूर करने तथा हानि को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के वर्ष 1975-76 से 1979-80 की अवधि के कार्य परिणाम अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

(हजार करोड़ रुपए)

	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1. मूल्य ह्रास और ब्याज से पूर्व लाभ	128.82	189.30	163.46	229.92	210.05
2. ब्याज	31.19	32.59	30 72	70.48	72.57
3. मूल्य ह्रास	69.91	75.49	91.67	93.61	106.39
4. निवेश उपदान रिजर्व से पहले शुद्ध लाभ/ वास्तविक हानि	27.72	81.22	40.97	65.84	31.09
5. निवेश उपादन रिजर्व	—	12.00	4 29	21.90	22.74
6. निवेश उपदान के पश्चात् शुद्ध लाभ (+)/ वास्तविक हानि (—)	(+) 27.72	(+) 69.22	(+) 36.68	(+) 43.94	(+) 8.35

चूंकि लाभ और हानि के लेखे पूरे वर्ष के लिए बनाए जाते हैं अतः वर्ष 1980-81 के वर्ष के बारे में पक्की और अन्तिम स्थिति का पता वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही चल सकेगा।

(ख) से (ङ) चूंकि 1975-76 से 1979-80 के वर्षों में कोई हानि नहीं हुई थी अत प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों में नई होटल परियोजनाओं की स्थापना

680. **श्री गुफरान आजम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय विदेशों में नयी होटल परियोजनाएं स्थापित करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां तो उक्त परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और किन-किन देशों में होटल खोले जायेंगे ; और

(ग विदेशों में रह रह उन भारतीयों की पेशकशों पर (यदि कोई प्राप्त हुई हैं तो) उनपर मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है जो इस देश में तथा विदेशों में होटल खोलना चाहते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) साइप्रस में मैसर्स लोटस होटल्स लिमिटेड, जो कि साइप्रस में एक प्राइवेट सैक्टर कम्पनी है, के सहयोग से लिमासोल में 1 0 कमरों वाले एक 5-स्टार होटल का निर्माण करने तथा उसका प्रबन्ध करने के बारे में भारत पर्यटन विकास निगम के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना पर 878 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस होटल परियोजना में भारत पर्यटन विकास निगम का हिस्सा इक्विटी कैपिटल का 10% होगा, जो 30 लाख तक सीमित रहेगा।

(ग) विदेशों में बसे हुए भारतीय राष्ट्रिक पहले से ही विदेशों तथा इस देश में होटलों और मोटलों पर पूंजी-निवेश कर चुके हैं तथा कर रहे हैं। देश में विदेशी पूंजी-निवेशों पर लागू होने वाले विनियमों के अन्तर्गत विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भारत में होटल परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देने की भारत सरकार की नीति है।

विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

681. **श्री दौलत राम सारण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1980 के दौरान सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि की तथा ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) मूल्य वृद्धि किन कारणों से की गई तथा बाजार में मूल्यों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादित आधारभूत वस्तुएं, जैसे इस्पात, पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरकों आदि के मूल्यों में हुए परिवर्तनों की जानकारी 'लोक उद्यम सर्वेक्षण,' अर्थात् केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट (मूल्यनिर्धारण नीति सम्बन्धी अध्याय) में दी गई है, जिसे अगले सप्ताह सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) काम में आने वाली सामग्री की लागत बढ़ जाने के कारण मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है। यह निश्चित कर पाना संभव नहीं है कि इस मूल्य-वृद्धि के कारण बाजार में कीमतों पर कितना असर पड़ा है।

निर्यात के बारे में निर्यात-गृहों के लिए सीमा

682. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री त्रिलोक चन्द : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-गृहों द्वारा किए जा रहे निर्यात के बारे में उनके लिए कुछ सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए क्या सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या सरकार इन वर्गों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यात-गृहों को कुछ रियायत देने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह रियायत किस तारीख से दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां। निर्यात सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आयात नीति में निर्यात निष्पादन की न्यूनतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निर्यातकों के लिए अलग से कोई निर्यात निष्पादन सीमाएं निर्धारित नहीं हैं।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पटसन के कुल उत्पादन में से भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदा गया पटसन

683. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य मन्त्री पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गये पटसन की मात्रा के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3716 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम ने 1980 में पश्चिम बंगाल में पटसन के कुल उत्पादन में से मुश्किल से 10 प्रतिशत पटसन खरीदा है ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी मौसम के लिए कुल फसलों का कम से कम 30 प्रतिशत पटसन खरीदने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) चालू पटसन वर्ष के दौरान भारतीय पटसन निगम ने 5-2-81 तक पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की 4.59 लाख गांठें खरीदी हैं, जबकि विगत वर्ष में 3.40 लाख गांठें खरीदी गई थीं। पश्चिम बंगाल में हुए कुल उत्पादन का देखते हुए उस राज्य में खरीद की प्रतिशतता 1979-80 में 8 4 प्रतिशत से बढ़ कर 1980-81 में 11.7 प्रतिशत हो गई है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उसमें 41 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान खरीद में भारी वृद्धि करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम का कार्यकरण

684. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण से सन्तुष्ट है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं कि निगम विकासमान निर्यात गतिविधियों पर पूरी तरह ध्यान केन्द्रित करे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) सरकार विभिन्न व्यापारिक कार्यकलापों के सहत्व में परिवर्तन पर निर्भर करते हुए राज्य व्यापार निगम के कार्य की आवधिक समीक्षा करती है। इस समय सरणीबद्ध मदों के निर्यात के स्थान पर गैर-सरणीबद्ध तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में नई मदों के निर्यात को बढ़ाने तथा नये बाजारों का पता लगाने पर बल दिया गया हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में कई उपाय किए गए हैं जैसे कि उच्च स्तर पर विस्तार करने के लिए उत्पादों/बाजारों का पता लगाना, कार्यकलापों की अधिप्राप्ति प्रबन्ध, विपणन तथा परियोजना प्रबन्ध में कार्यशः व्यवस्था करना, साधिक फलों, चमड़ा उत्पादों, मांस तथा समुद्री उत्पादों, तथा जहां आवश्यक हो, लघु एककों को क्वालिटी का दर्जा बढ़ाने तथा बेलेसिंग उपस्करों को शामिल करो उनके उत्पादन को सुकर बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनुषंगी प्रबन्ध सेवाओं जैसे अभिज्ञात परियोजना वर्गों के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए भारतीय तथा विदेशी पार्टियों के साथ वार्ताएं आरम्भ करना, राज्य संगठनों जैसे काफी बोर्ड तथा इलायची बोर्ड को संगठित तरीके से वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए तथा राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ मांस तथा समुद्री उत्पादों और सब्जियों की सप्लाई करने के लिए निकट संपर्क बनाना और अंत में विपणन तथा संभरण में

अपेक्षित बल देने के लिए विदेशी शाखा कार्यालयों को अपेक्षित कुशल कर्मचारियों और अच्छे संचार साधनों की व्यवस्था करके सुदृढ़ बनाना ।

बम्बई हवाई अड्डे पर चांदी का पकड़ा जाना

685. **श्री छागुर राम**

श्री जगपाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हवाई अड्डे पर हाल ही में पकड़ी गई लाखों रुपये की चांदी के मामले में एयर इंडिया के कर्मचारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का पता चला था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त एयर इंडिया के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) जी, हां। 28-9-30 को बम्बई हवाई अड्डे पर 349 किलोग्राम चांदी पकड़े जाने के मामले में एयर इंडिया के तीन लोडर तथा एक ठेके पर रखा गया सुरक्षा कर्मचारी शामिल थे ।

(ख) एयर इंडिया ने सम्बन्धित तीन लोडरों को निलम्बित कर दिया है तथा ठेके पर रखे गए सुरक्षा कर्मचारी की सेवाऐ समाप्त कर दी है ।

मूंगफली के तेल के बढ़ते हुए मूल्य

686. **श्री आर० के० महालगी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनका ध्यान मूंगफली के तेल के बढ़ते हुये मूल्यों के बारे में जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में समाचार-पत्रों में प्रकाशित मार्किट सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक मूल्यों के क्या कारण हैं ;

(ग) इन मूल्यों को रोकथाम करने तथा उपभोक्ताओं को मूंगफली के तेल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(घ) वर्ष 1977-81 में जनवरी के प्रथम सप्ताह में मूंगफली के तेल के मूल्य कैसे रहे थे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां ।

(ख) मूंगफली के तेल के मूल्यों में हाल की वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 1979-80 में तिलहनों के उत्पादन में काफी कमी होने, इस बात की सम्भावना कि मूंगफली की वर्तमान फसल

न्यूनाधिक पिछले वर्ष के बराबर ही हो सकती है और राज्य सरकार द्वारा गुजरात में मूंगफली के तेल को राज्य से बाहर ले जाने पर लगाये गये अनौपचारिक प्रतिबन्ध के कारण हुई कही जा सकती है। यह तेलों तथा तिलहनों के व्यापार में प्रचलित सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के कारण भी हो सकती है।

(ग) सरकारी नीति में मुख्य बल चालू पंच वर्षीय योजना के दौरान मूंगफली के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने, मांग-पूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए खाद्य तेलों के आयात को जारी रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित तेलों की सप्लाई करने पर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जा रहा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, दालें- खाने योग्य तिलहन तथा खाद्य तेल भंडारण नियंत्रण आदेश और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, के अन्तर्गत चोरबाजारियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों सहित अन्य समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इन्हें सख्ती से लागू करें। वायदा बाजार आयोग तिलहनों तथा तेलों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखे हुये है।

(घ) वर्ष 1977 से जनवरी के प्रथम सप्ताह के मूंगफली के तेल के थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिये गये हैं :—

(आधार : 1970-71 = 100)

को समाप्त सप्ताह	थोक मूल्य सूचकांक
1-1-77	143.7
7-1-78	158.5
6-1-79	142.3
5-1-80	197.0
3-1-81	239 0

राज्यों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से चावल गेहूं, वनस्पति तेल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

687. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी, गेहूं, चावल, वनस्पति तेल और मिट्टी के तेल की यूनिटों की संख्या के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई नहीं की जा रही है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में उक्त मदों की यूनिट-वार सप्लाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी-कितनी सहकारी समितियों और दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है और जून, 1980 से अब तक की गई सप्लाई के महीने-वार आंकड़े क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एयर इंडिया बम्बई के उड़ान-रसोई घर से पकड़ी गई विदेशी मुद्रा

688. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री बी० डी० सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में एयर इंडिया के एक उड़ान-रसोईघर से भारी राशि की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें एयर इंडिया के कुछ कर्मचारी ग्रस्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 31-12-1980 को बम्बई स्थित शेफेयर फ्लाइंग किचन से 149640 अमरीकी डालर तथा 2000 स्विस फ्रैंक मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई ।

(ख) और (ग) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के दो कर्मचारियों तथा एयर इंडिया के एक कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद निलम्बित कर दिया गया है । भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय (राजस्व विभाग, वित्त मन्त्रालय) मामले की और आगे जांच कर रहा है ।

चरबी का वितरण

689. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास इस समय कितने मूल्य की चरबी का भण्डार है ; और

(ख) सरकार का इस समय चरबी का वितरण किस प्रकार से करने का विचार है और मध्यम छोटे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) 31 जनवरी, 1981 तक भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० (एस० टी० सी०), जिसके माध्यम से आयात मार्गीकृत है, के पास लगभग 209,30 लाख रु० मूल्य की भेड़ बकरी की चर्बी/वसा अम्ल का स्टाक था ।

(ख) स्टाक में जो माल है वह उस 35000 मे० टन के समग्र आवंटन का भाग है जिस पर 1980-81 के लिए निम्नोक्त पात्र श्रेणियों के बारे में सहमति हुई है :—

1. लघु क्षेत्र में साबुन तथा ग्रीस बनाने वाले एकक ।
2. बड़े क्षेत्र में स्थित वसा अम्ल एकक ।
3. सरकारी क्षेत्र में साबुन विनिर्माता एकक ।
4. पैट्रोलियम विभाग के अन्तर्गत ग्रीस बनाने वाले एकक ।

खाद्य तेलों की और अधिक सप्लाई के लिए गुजरात सरकार का अनुरोध

690. **श्री छोटूभाई वसावा** : **क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अधिक खाद्य तेल की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गुजरात को आयातित खाद्य तेल की कितनी मात्रा आवंटित की है ; और

(ग) अन्य राज्यों से आयातित खाद्य तेल के कितनी-कितनी मांग है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां ।

(ख) चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 80-अक्तूबर, 81) के दौरान अब तक गुजरात राज्य सरकार को नवम्बर, 80 दिसम्बर, 80 और जनवरी, 81 के महीनों के लिए 7000 मीटरी टन पामोलीन आवंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को फरवरी, 1981 के आवंटन के प्रति 2000 मीटरी टन पामोलीन का अग्रिम आवंटन भी किया गया है । राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण के लिए मासिक आवंटन किए जाते रहेंगे । राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित तेलों की अपनी मांग की अनुपूर्ति करने के लिए वे एन० डी० डी० बी० द्वारा आयातित दो बार (डबल) परिष्कृत सोयाबीन के तेल की मात्रा को भी उठाएं ।

(ग) तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 80 से अक्तूबर, 81) के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई आयातित खाद्य तेलों की माँग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 80 से अक्तूबर, 81) के लिए खाद्य तेलों की प्राप्त हुई मांग
1	2
राज्य	मीटरी टन
आंध्र प्रदेश	1,56,000
असम	18,000
बिहार	36,000
गुजरात	95,900
हरियाणा	6,240
हिमाचल प्रदेश	6,100
जम्मू तथा काश्मीर	2,400
कर्नाटक	36,000
केरल	1,53,600
मध्यप्रदेश	1,38,000
महाराष्ट्र	72,000
मणिपुर	6,000
मेघलय	7,800
नागालेण्ड	12,000
उड़ीसा	25,080
पंजाब	6,000
राजस्थान	5,280

2	2
सिक्किम	प्राप्त नहीं हुआ
तमिलनाडु	60,600
त्रिपुरा	—
उत्तर प्रदेश	20,740
पश्चिम बंगाल	1,20,000
संघ शसित क्षेत्र	
अंडमान तथा निकोबार द्वीप	720
अरुणाचल प्रदेश	
चन्डीगढ़	
दादर तथा नगर हवेली	—
दिल्ली	19,200
गोवा, दमण तथा दीव	1,200
लक्षद्वीप	99
पांडिचेरी	660
मिजोरम	1,824
योग :	10,06,543

भारतीय तम्बाकू निगम तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में होटलों का निर्माण

691. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तम्बाकू कम्पनी और भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा में नये होटलों का निर्माण करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित होटलों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का पुरी और कोणार्क में एक-एक होटल निर्मित करने का प्रस्ताव है। इन होटलों को एक संयुक्त उद्यम के रूप में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से निर्मित करने का प्रस्ताव है। स्कीमों को अभी भी स्वरूप प्रदान किया जा रहा है और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य 1981-82 में प्रारम्भ किए जाने की संभावना है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो और व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन संतोषजनक हों।

यह पता चला है कि कुछ निजी होटल ग्रुप उक्त राज्य में होटलों की स्थापना करने की संभावना की जांच कर रहे हैं।

हल्दिया में पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र

692. **श्री निरेन घोष** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि पत्तन-आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए हल्दिया उपयुक्त स्थान है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त समिति ने किन स्थानों की सिफारिश की थी ; और

(ग) ऐसे इस्पात संयंत्रों से एक संयंत्र की स्थापना के लिए हल्दिया को न चुनने के क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। वास्तव में तटवर्ती इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्थानों की सिफारिश करने के बारे में सरकार द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त नहीं की गई थी। लेकिन वर्ष 1979-80 में मैकन द्वारा किए गये अध्ययन के आधार पर अन्य संभाव्य स्थलों के साथ-साथ हल्दिया का भी उल्लेख किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोबाल्ट की खपत

693. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोबाल्ट की कितनी खपत है ;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कोबाल्ट का कुल कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में तांबा संयंत्रों द्वारा कचरे के रूप में कई लाख रुपए मूल्य का कोबाल्ट रद्द कर दिया जाता है ;

(घ) क्या कचरे से कोबाल्ट, निकल और तांबा निकालने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस अनुसंधान से होने वाली संभावित बचत की प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) इस समय कोबाल्ट और इसकी मिश्र-धातुओं की समूची मांग आयात द्वारा पूरी की जाती है। विगत आयात आंकड़ों के आधार पर कोबाल्ट की अनुमानित खपत 140—150 टन वार्षिक है।

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 (दिसम्बर, 1979 तक) के दौरान कोबाल्ट और इसकी मिश्र-धातुओं का क्रमशः 146 टन और 111 टन आयात किया गया ।

(ग) कोबाल्ट, तांबा धातु के उत्पादन के लिए परिष्कृत ताम्र अयस्क में सूक्ष्म रूप में मिलता है और यह परावर्त्तक धातुमल में चला जाता है। इस धातुमल को जमा किया जाता है ताकि कोबाल्ट निकासी की उचित पद्धति स्थापित किए जाने पर कोबाल्ट निकाला जा सके।

(घ) परावर्त्तक धातुमल से निकिल और ताम्र अंश पहले से ही निकाला जा रहा है। कोबाल्ट निकालने के लिए शोध की जा रही है।

(ङ) परावर्त्तक धातुमल से कोबाल्ट की निकासी के फलस्वरूप संभावित बचत अनुसंधान/परीक्षणों के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

गैर-सरकारी 'बांडेड" भाण्डागारों को बन्द करने का प्रस्ताव

694. **श्री एच० एन० गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी "बांडेड" भाण्डागारों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) प्रमुख पत्तन नगरों में स्थित सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों तरह के माल गोदामों में सीमा शुल्क बंधकित भाण्डागारण सुविधाएं उपलब्ध हैं। परन्तु जहां तक देश के भीतरी भागों में स्थित स्थानों का सम्बन्ध है, भारत सरकार की नीति यह है कि देश में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों पर बड़ी तथा अनियंत्रणीय संख्या में गैर-सरकारी मालगोदाम नियत करने की बजाय कम

संख्या में अपेक्षाकृत बड़े सरकारी मालगोदाम नियत किए जाने चाहिए। इससे सीमाशुल्क निर्धारण अथवा भाण्डागारण के मामले में व्यापारी वर्ग के लिए बेहतर और सुविज्ञ सेवा सुनिश्चित हो सकेगी। परन्तु, सीमाशुल्क बंधपत्र के अधीन विनिर्माण के मामले में और शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों के मामले में गैर-सरकारी बंधकित भाण्डागारण सुविधाएं सभी स्थानों पर मिलती रहेंगी।

बैंक आफ इण्डिया की कालबादेवी शाखा द्वारा दिये गए ऋणों की वापस अदायगी

695. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1980 के 'ब्लिट्ज' बम्बई में प्रकाशित निम्न आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(एक) एक व्यापारिक फर्म ने बैंक आफ इण्डिया की कालबादेवी शाखा द्वारा दिए गए 90 लाख रुपये के ऋण को अदा नहीं किया है ;

(दो) चीनी का एक बड़ा व्यापारी बैंक आफ इण्डिया की पुणे शाखा से 25 लाख रुपये ले गया ;

(तीन) बैंक आफ इण्डिया की सी० पी० टैंक शाखा से कई लाख रुपए के मूल्य के आभूषण गायब हो गए ;

(चार) फ्लोरा फाऊंटेन ब्रांच के चपरासियों तथा सहायकों ने (बैंक आफ इण्डिया) 90,000 रुपये का जाली चैक भुनाया ;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उस एक मामले की जांच कर रहा है जिसमें कि बैंक की कालबादेवी शाखा ने कुछ हुण्डियां (बिल) खरीदे थे, और उन्हें भुनाया नहीं जा सका। बैंक ने अपने मैनेजर को मुअत्तिल कर दिया है।

अन्य तीन मामलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

1980-81 में आंतरिक बाजार में परिचालित की गई नई धनराशि

696. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 में इस वर्ष के बजट का घाटा पूरा करने के लिए हमारे देश के आंतरिक बाजार में कितनी नई धनराशि परिचलित की गई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी (100 रुपये के नोट, 10 रुपए के नोट आदि का) ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त वर्ष के घाटे को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य सरकार के बजटीय घाटे के परिणामस्वरूप जनता के पास करेंसी में वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 28 मार्च, 1980 और 23 जनवरी 1981 के बीच जनता के पास करेंसी में 1196 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । किन्तु जनता के पास करेंसी में वृद्धि कई स्रोतों से होती है इसलिए किसी एक स्रोत को इस वृद्धि का कारण ठहराना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान जारी किए गये नोटों का मूल्यवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका

697. **श्री एस०ए० दौराई सेवेस्तियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान मंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शहरी और ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनेक राज्यों में गतिरोध क्यों बना हुआ है ; और

(ग) राष्ट्रीकृत बैंकों के निदेशक मंडल के संविधान और उनके तन्त्र में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी,हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नई सूचना-प्रणाली विकसित की है जिससे कि बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का पता लग सके । बैंकों से आंकड़े मिलने में अभी कुछ और समय लग सकता है, इसलिए यदि किसी राज्य में गतिहीनता या असंतुलन होगा तो उसका मूल्यांकन ऐसे आंकड़ों के मिलने के बाद ही किया जा सकता है ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 की धारा 3 में वर्णित उपबंधों के अनुसरण में की जाती है । किसानों, शिल्पकारों, लघु उद्यमियों तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधियों

को निदेशक मण्डलों में सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे कि 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभ-प्राप्त-कर्ताओं समेत ऽाथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों को प्रोत्साहन किया जा सके ।

इन्डिन एयरलाइन्स के किराये में वृद्धि

698. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस के किराये में वृद्धि की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जा रही है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु, ईंधन के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि के कारण, उन सभी मार्गों पर, जहां किराया 350/- रुपये से अधिक है, लगाए गए इंधन सरचार्ज में 5% की वृद्धि हुई है । उन मार्गों के संबंध में, जिनके किराए 350/- रुपये से कम हैं, अतिरिक्त 5% की वृद्धि लागू नहीं की गयी है ।

विदेशों को पूंजी का निर्यात

699. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी भारतीय कम्पनियां पूंजी का निवेश कर रही है अथवा विदेशों को वित्त पूंजी का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) ये किन-किन देशों में निवेश कर रही हैं ; और

(ग) देश-वार और कम्पनी-वार कितनी-कितनी राशि निवेश की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-1857/81)

गोआ में पर्यटन विकास की क्षमता

700. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में पर्यटन विकास की बहुत क्षमता है ;

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) गोआ के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी विशिष्ट पर्यटक परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटक और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिए गोआ के पर्यटक आकर्षणों को पहले से ही व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। एयर बस के आपरेशन के लिए और अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पर्यटक यातायात को गोआ लाने के लिए एयर सर्विसज़ की अतिरिक्त आवृत्तियों के लिए डबोलिम एयरपोर्ट के रनवे को पुख्ता बनाया जा रहा है। एयरबस आपरेशन के वास्ते यात्रियों के आवागमन को सुविधा जनक बनाने के लिए डबोलिम एयरपोर्ट की मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार किया जा रहा है ।

यह प्रस्ताव है कि गोआ के लिए अवकाश पर्यटन (हालिडे टुरिजम) के संवर्धन के लिए मनोरंजनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए और साथ ही गोआ के लिए अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में पर्यटक यातायात को आकर्षित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सेक्टरों में होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया चाए। इस संबंध में, भारत पर्यटन विकाश निगम का एकानामिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ गोआ दमन एंड दीव लिमिटेड के सहयोग से दक्षिण गोआ के अन्तर्गत माबोर में संयुक्त उद्यम होटल परियोजना का प्रस्ताव है। स्थल का चयन कर लिया गया है और सहयोग की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करना

701. **श्री अशोक गहलोत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान व्यापार लिमिटेड ने राजस्थान में खनिजों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए प्रस्तावित स्थापना स्थल कौन-सा है ; और

(ग) इसमें कौन-सी चीजों का उत्पादन किया जाएगा और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

702. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1980 के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के कितने मामलों का पता लगाया गया था, और जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) क्या भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों में सीमा शुल्क के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के सम्बद्ध होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ; यदि हाँ, तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने वर्ष 1980 के दौरान, तस्करी के 79831 मामलों का पता लगाया और लगभग 166 लाख रुपए मूल्य का माल पकड़ा ।

(ख) जी, हां । इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सीमाशुल्क प्राधिकारियों को चौकस कर दिया गया है ताकि वे सीमा से की जाने वाली तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सतर्क रहें तथा सीमा जांच चौकियों पर तैनात कार्मिकों की उपयुक्त रूप से इधर-उधर तैनाती कर दी गयी है । तस्करी की गतिविधियों से सम्बन्धित सूचना को शीघ्र और गुप्त रूप से भेजने हेतु भारत-नेपाल सीमा के साथ लगे तस्करी के लिए सुगम क्षेत्रों में बेतार संचार व्यवस्था कायम की गई है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में घाटा

703. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 की पहली छमाही के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कुल कितना घाटा हुआ है ;

(ख) 1980-81 के अन्त तक कितनी हानि का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) लाभ हानि लेखा समूचे वर्ष के लिए होता है, न कि वर्ष के एक भाग के लिए । कार्य-परिणाम के कुछ अस्थायी अनुमान प्रबन्ध सूचना तथा नियंत्रण के लिए तैयार किए जाते है परन्तु इन आंकड़ों को वास्तविक लाभ या हानि के आकड़ें नहीं कहा जा सकता । लेकिन यह सच है कि वर्ष 1980-81 की प्रथम छमाही में मुख्य रूप से कोयले तथा बिजली की सप्लाई में अड़चनों के कारण विक्रेय इस्पात का उत्पादन कम होने से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की वित्तीय स्थिति

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिति में कुछ सुधार हो जाने के बावजूद वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी मोटे-तौर पर ये अड़चनें बनी रहीं। पूरे वर्ष के लिए हानि के वास्तविक आंकड़े अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं किए गए हैं।

राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण नगरों में जनता होटल

704. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य लोगों के लिए सस्ते होटलों जिन्हें 'जनता होटलों' की संज्ञा दी गई है के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(ग) क्या इन होटलों को सभी राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण नगरों में खोलने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय दिल्ली में एक यात्री निवास (जनता टाइप होटल) का निर्माण किया जा रहा है। यह एक प्रायोगिक परियोजना (पायलेट प्रोजेक्ट) है। दिल्ली में यात्री निवास प्रोजेक्ट के प्रथम 2-3 वर्षों के परिचालन परिणामों का सरकार द्वारा मूल्यांकन कर लेने के बाद ही देश में अन्य स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

उचित दर दुकानें खोला जाना

705. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में राज्यवार कितनी उचित दर दुकानें खोली गई हैं और इन उचित दर दुकानों के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुयें सप्लाई की जा रही हैं तथा ये वस्तुएं राज्यवार किन दरों पर सप्लाई की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : देश में उचित दर की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला **विवरण** संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या ए०टी०-1858/81)]। देश भर में उचित दर की दुकानों के माध्यम से आम तौर पर गेहूं, चावल, लेवी चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुएं बेची जा रही हैं। राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं तथा चावल जैसी वस्तुएं एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उपलब्ध की जा रही हैं, जिसमें राज्यों को कुछ आनुषंगिक खर्च जोड़ने की अनुमति दी गई है। ये अनुषंगिक खर्चे हर राज्य में अलग-अलग हैं। गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 130 रुपए प्रति क्विंटल है और सामान्य किस्म के चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य—165 रु०, फाइन किस्म के

चावल का 177 रु० तथा सुपरफाइन किस्म के चावल का 192 रु० प्रति क्विन्टल है। देश भर में लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3.50 रु० प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है।

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री के लिए पामोलीन और आर.बी.डी. ताड़ के तेल के अन्तिम खुदरा मूल्य 8.25 रु० प्रति कि.ग्रा. तथा रेपसीड के तेल के 8.50 रु० प्रति कि०ग्राम रखने की सिफारिश की है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें राज्य सरकार की वास्तविक वितरण लागत भी शामिल है, इन मूल्यों में मामूली परिवर्तन की अनुमति दी गई है।

मिट्टी के तेल के निर्गम मूल्यों के बारे में जानकारी विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पिछड़े जिलों में पर्यटन का विकास

706. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े जिलों में पर्यटन का विकास करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटक केन्द्रों का विकास जिले-वार आधार पर या राज्य-वार आधार पर नहीं, अपितु विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की उनकी संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। तथापि चूंकि पर्यटक केन्द्रों में बहुत से केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, पर्यटक विकास योजना स्वभावतः ही पिछड़े हुए क्षेत्रों के पर्यटक केन्द्रों को समाहित कर लेती हैं।

जहां तक भविष्य में विकसित किए जाने वाले केन्द्रों का सम्बन्ध है, धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

बैंक डकैतियां

707. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी बैंक डकैतियां डाली गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने बैंक डकैतियों की इन घटनाओं को देखते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने में सुधार लाने के लिए वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों का पुनरीक्षण करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) हालांकि सरकार बैंकों में होने वाली डकैतियों को गम्भीर मानती है, वह यह आशा करती है कि इस प्रकार की डकैतियों की रोकथाम करने अथवा जब यह डकैतियां हो तो दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए कारगर कदम उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें उपयुक्त उपाय करेंगी । सभी बैंकों के अपने-अपने आन्तरिक सुरक्षा प्रबन्ध हैं और वे अपने अनुभव के अनुसार तथा, जहां आवश्यकता होती, है वहां स्थानीय पुलिस के साथ परामर्श करके समय-समय पर उपर्युक्त प्रबन्धों की समीक्षा करते हैं ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग लोगों की नियुक्ति

708. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, जहां प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमेन की नियुक्ति अभी भी की जानी हैं ; और

(ख) इन रिक्तियों पर विकलांग लोगों को तैनात करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 21 पद रिक्त हैं अथवा नियमित रूप से नहीं भरे गए हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) इनमें से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 18 पदों के लिए चयन को अंतिम रूप दिया जा चुका है । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । इस प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के केवल 3 पदों के लिए चयन को अंतिम रूप दिया जाना है । मुख्य कार्यकारीं अधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है जिससे कि उद्यमों के काम में कोई हानि न हो । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के पदों पर लागू नहीं होता है ।

विवरण

18-2-1981 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के उन रिक्त पदों का विवरण

क. जिनके बारे में सिफारिशें प्रशासनिक मंत्रालय विभाग को भेज दी गई है :

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमैंट कारपोरेशन लि०

3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०

5. प्रबन्ध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०

6. प्रबन्ध निदेशक, भारत डायनेमिक्स लि०

7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फास्फेट फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट०

8. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०

9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

10. प्रबन्ध निदेशक, वामेर लारी लि०

11. उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि०

12. प्रबन्ध निदेशक, फेरा स्क्रेप निगम लि०

13. प्रबन्ध निदेशक, होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया

14. प्रबन्ध निदेशक, मण्ड्रया नेशनल पेपर मिल्स लि०

15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कुद्रेमुख आइरन ओर कं० लि०

16. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (उ०प्र०) लि०

17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लि०

18. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम०

(ख) जिनके बारे में चयन सरकारी उद्यम चयन मण्डल के विचाराधीन है

1. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०

2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०

3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मैंगनीज ओर इण्डिया लि०

नागरिक पूर्ति निगम

709. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां नागरिक पूर्ति निगमों की स्थापना की गई है ;

(ख) 1980-81 के दौरान धन की वसूली करने के लिए उड़ीसा में केन्द्र द्वारा नागरिक पूर्ति निगम को कितनी राशि दी गयी है ;

(ग) क्या उड़ीसा की नागरिक पूर्ति योजना के अन्तर्गत कुछ अन्य शामिल किया जाएगा ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : निगमों की स्थापना आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्यों और दिल्ली के स की गई हैं ।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा उड़ीसा नागरिक पूर्ति नि वसूली का कार्य करने के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है ।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा चावल की गेहूं, लेवी चीनी तथा खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के वितरण क गया है । निगम का खुले बाजार में बेचे जाने वाले सीमेंट का वितरण कार्य प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखायें खोलना

710. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करें

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली राज्यवार तथा बैंक शाखा-बार संख्या क्या है ; और

(ख) चालू वर्ष (1981) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली जाने वाल राज्य-वार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) वा खोली गई शाखाओं के संबन्ध में जून, 1980 के अन्त तक उपलब्ध सूचना क विवरण अनुबन्ध-I में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या 81] ।

(ख) सितम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक, ग्रा लाइसेंस/आवंटन बकाया थे । इनमें से 4941 ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी केन्द्रों रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि इन्हें 1981 के अन्त तक क्रियान्वित कर दे राज्यवार विवरण अनुबन्ध-II में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया, टी०—1859/81] ।

दिल्ली में छापों के दौरान पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुएं

711. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 से 15 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में मारे गए छापों में कितनी निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के ब्यौरे क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) दिल्ली स्थित सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 1-12-1980 से 10-2-1981 तक की अवधि के दौरान शहर में जो छापे मारे और तलाशियां लीं, उनमें लगभग 18 लाख रुपए मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा।

इस सम्बन्ध में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जा रही है।

गन्ने तथा बांस का निर्यात

712. **श्री निहाल सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने तथा बांस के निर्यात की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का विदेशों को निर्यात करने वाली फर्मों तथा संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा आय हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) गन्ने के निर्यात की अनुमति नहीं है। बांस का निर्यात 31 मार्च, 1981 तक प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर सीमित मात्रा में करने की अनुमति है।

(ख) फर्मों के नाम, निर्यातित बांस की मात्रा तथा मूल्य और आयात करने वाले देशों के नाम नीचे दर्शाये गए हैं :

		मात्रा मे०टन में मूल्य लाख रु० में		
फर्म का नाम		मात्रा	मूल्य	आयात करने वाले देश का नाम
1	2	3	4	5
1.	मै० यूनाइटिड टिम्बर सप्लाइंग कं०, बम्बई	435	5.08	दुबई

1	2	3	4	5
2.	मै० हुसैनी ब्रदर्स, बम्बई	270	10.25	दुबई
3.	मै० यूनीक ट्रेडर्स, बम्बई	80	1.40	-वही-
4.	मै० तलवार इंटरनेशनल प्रा० लि०, नई दिल्ली	43.864	2.25	कुवैत
5.	मै० एटलस एक्सपोर्ट बंबई	175	3.50	संयुक्त अरब अमीरात
6.	मै० कल्पतक एक्सपोर्टस, बम्बई	4400	56.00	-वही-

भारतीय उत्पादों की ग्रेट ब्रिटेन में पहुंच

714. **श्री जी.वाई. कृष्णन्** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय उत्पादों के लिये अच्छी पहुंच सुविधाएं नहीं दे रही है और इसके परिणामस्वरूप कपड़ों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (ग) जहां तक वस्त्र उत्पादों का संबंध है ब्रिटेन को किये जाने वाले भारत के निर्यात भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वस्त्र करार द्वारा शासित होते हैं जिसके अन्तर्गत वस्त्रों की विभिन्न किस्मों की मदों के लिए विशेष कोटे निर्धारित किये जाते हैं। कुल मिलाकर, कोटे के अधीन आने वाले वस्त्र उत्पादों के निर्यातों में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई है। तथापि, ब्रिटेन को निर्यातित लोक परम्परा की कुछ वस्त्र मदें जो कोटा प्रतिबंधों के अधीन नहीं आती हैं, हाल ही में ब्रिटेन के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इन मदों की करार में सहमत परिभाषाओं से कथित अनुरूपता के कारण रोक ली गई थी। इस संबंध में भारत सरकार की आपत्ति ब्रिटिश प्राधिकारियों को सूचित कर दी गई है। ब्रिटेन में हमारे उच्चायोग तथा ब्रसेल्स में हमारे मिशन के साथ परामर्श करके इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

नार्वे के साथ समझौता

715. **श्री जी. वाई. कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नार्वे और भारत के बीच एक सामाजिक-आर्थिक समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां। भारत तथा नार्वे के दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों में एक सामान्य करार पर पहली जनवरी 1981 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस करार के अन्तर्गत, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भारत को नार्वे द्वारा दी जाने वाली विकास सहायता के संबंध में शर्तें निर्धारित की गई हैं, नार्वे, परामर्शदाताओं, सहायक उत्स्करों तथा नार्वे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुने गए भारतीयों की प्रशिक्षण वृतियों तथा वस्तु-सहायता के रूप में वित्तीय तथा तकनी की सहायता देगा। जो व्यक्ति नार्वे में प्रशिक्षण प्राप्त करने स लिए चुने जाएंगे, नार्वे की सरकार उनकी देशान्तरव्यापी यात्रा के खर्च को पूरा करेगी और नार्वे में उनके ठहरने की अवधि के दौरान उनको उचित भत्ता भी देगी। यह करार आधारिक किस्म का करार है जो कि सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सहायता संबंधी और अधिक विनिर्दिष्ट करारों की निष्पत्ति के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है।

यह करार इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगा।

असम में किसानों को दिया गया ऋण

716. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम राज्य में पिछले तीन वर्षों में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में से किसानों को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को बैंकों से ऋण आसानी से और शीघ्र मिले सरकार का कौन से उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 के दौरान असम राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कृषि अग्रिमों का एक विस्तृत संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बहुत से उपाय किए हैं जिससे कि किसानों विशेषरूप से छोटे और सीमांतिक किसानों को आसानी से ऋण सुलभ कराया जा सके। इन उपायों में कम दर से ब्याज वसूल करना क्षेत्रीय भाषाओं में सरलीकृत आवेदन पत्रों का प्रयोग, प्रतिभूति मानदण्डों तथा मार्जिन राशि की आवश्यकताओं को उदार बनाना, ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलना आदि जैसे उपाय शामिल हैं। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इस समय, असम राज्य में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। सरकार ने दो और ऐसे बैंक स्थापित करने का निर्णय किया है जिनमें से एक कछार जिले की तथा दूसरा डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिलों को व्याप्त करेगा।

विवरण

(रकम लाख रुपए)

के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	प्रत्यक्ष वित्त		अप्रत्यक्ष वित्त		समग्र कृषि अग्रिम	
	खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि	खातों की सं०	बकाया राशि
दिसम्बर 1977	21296	403.83	33789	306.06	55085	709.89
दिसम्बर 1978	27263	488.37	46021	499.85	73384	988.22
दिसम्बर 1979	31920	676.71	61310	1174.21	93230	1850 92

एयर इण्डिया के निदेशक का सेवाकाल बढ़ाया जाना

717. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री एयर इंडिया के कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाये जाने के बारे में 21 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 604 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान निदेशक (ग्राउण्ड सर्विस), एयर-इंडिया, बम्बई का सेवा काल बाढ़ दिया गया है, और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ;

(ख) किन बातों पर विचार करके मन्त्रालय ने सेवानिवृत्ति की आयु के बाद उनका सेवा-काल बढाया है ;

(ग) क्या सरकारी उद्यम कार्यालय से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति ले ली गई थी, यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) चेन में होने वाली अन्य अधिकारियों को पदोन्नति में आई रुकावट के मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। एयर इंडिया में भू-सेवाओं के निदेशक की सेवावधि 1-2-1981 से छः महीने के लिए बढ़ायी गयी है।

(ख) यह सेवावधि इसलिए बढ़ाई गयी क्योंकि उक्त विभाग में पदोन्नत होने वाले अगले व्यक्ति को फिलहाल पर्याप्त अनुभव नहीं है।

(ग) इस मामले में सरकारी उद्यम कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी नहीं था।

(घ) आशा है कि बढ़ाई गयी अवधि के दौरान पदोन्नति पाने वाला अगला अधिकारी एयर इंडिया में भू-सेवाओं के निदेशक के उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा और पदोन्नति की शृंखला में अन्य अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर अधिक समय तक अवरुद्ध नहीं होंगे।

"ग्रोटेस्क केसेज आफ सबसीडी हाईलाइटेड" शीर्षक समाचार

718. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 जनवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "ग्रोटेस्क केसेज आफ सबसीडी हाईलाइटेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें शामिल मामलों का मुख्य विवरण और उनकी वित्तीय कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) उक्त व्यापार द्वारा इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) "निर्यात नीति संबंधी समिति" के बारे में असहमति टिप्पणी में उल्लिखित ये मामले शायद भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1972-73 की रिपोर्ट के पैरा 23 में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में है । भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) द्वारा इंजीनियरी माल के निर्यातों के सम्बन्ध में अपनी 10 वीं रिपोर्ट में की गई थी । यह रिपोर्ट 15-11-77 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी ।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उपर्युक्त लोक लेखा समिति की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) की 83वीं की रिपोर्ट, जिसे 29-8-1978 लोक सभा में भी प्रस्तुत किया गया था, में उल्लेख किया गया था ।

बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यपालक निदेशकों वाले सरकारी क्षेत्र के एकक

720. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अभी भी 'सर्वोच्च अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों' और 'कार्यपालक निदेशकों' के बिना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने तथा इन एककों को दिशाहीन होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर इस समय मुख्यकार्यपालक अधिकारियों के 21 पद और कार्यकारी निदेशकों के 38 पद खाली हैं अथवा नियमित रूप से नहीं भरे गए हैं (सूची विवरण 1 तथा 2 संलग्न है) इनमें से मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के 18 पदों और कार्यकारी निदेशकों के 23 पदों के लिए चयन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इन सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस प्रकार मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के केवल 3 पदों और कार्यकारी/कार्यपालक निदेशकों के 15 पदों के चयन को अन्तिम रूप दिया जाना है । मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि उद्यम के काम में कोई हानि न हो ।

विवरण-I

18-2-1981 को कार्यनिदेशकों के उन रिक्त पदों का विवरण:—

(क) जिनके बारे में सिफारिशें प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई हैं या चयन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

1. निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०
2. निदेशक (वित्त), एण्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०
3.5. कार्यकारी निदेशक (3 पद), राज्य व्यापार निगम
6. निदेशक (कार्मिक), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०
7. निदेशक (वित्त), भारतीय तेल निगम
8.11. निदेशक (3 पद) , इंजीनियर्स इण्डिया लि०
12. निदेशक (तकनीकी), नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०
13. निदेशक (वित्त), माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन
14. निदेशक (विपणन), मा० एंड ए० म० का०
15. निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान ईनसेक्टीसाइड्स लि०
16. कार्यकारी निदेशक (एच० एम० बी० पी०), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन
17. निदेशक (वित्त), इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०
18. निदेशक (तकनीकी). ग्राम विद्युतीकरण कारपोरेशन
19. निदेशक, (बंगलौर कम्प्लेक्स), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०
20. निदेशक (अनु० एवं वि०), भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०
21. निदेशक (परियोजनाएं), भारतीय सीमेंट निगम
22. निदेशक (अनु० एवं वि०), भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लि०
23. निदेशक (कार्मिक), नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

(ख) जिनके बारे में चयन सरकारी उद्यम चयन मंडल के विचाराधीन है ।

1. निदेशक (गवेषण), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
2. निदेशक (तकनीकी), नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

3. निदेशक (तकनीकी), भारत अर्थ मूवर्स लि०
4. प्रबन्ध निदेशक (सहायक उपकरण), हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि०
5. निदेशक (विपणन), इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिक्स लि०
6. निदेशक (वित्त), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
7. निदेशक (उत्पादन), वर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कं० लि०
8. निदेशक (वित्त), इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कं० लि०
9. निदेशक (उत्पादन एवं योजना). इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज
10. निदेशक (योजना), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
11. निदेशक (कार्मिक), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
12. निदेशक (कार्मिक), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन
13. निदेशक (विपणन), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
14. कार्यकारी निदेशक, हिन्दुस्तान केबल्स लि०
15. निदेशक (कार्मिक), नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०

विवरण-II

18-2-1981 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के उन रिक्त पदों का विवरण

(क) जिनके बारे में सिफारिशें प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग को भेज दी गई है।

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमैंट कारपोरेशन लि०
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०
5. प्रबन्ध निदेशक, नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०
6. प्रबन्ध निदेशक, भारत डायनेमिक्स लि०
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फास्फेट फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट
8. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०

9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

10. प्रबन्ध निदेशक, वामेर लारी लि०

11. उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि०

12. प्रबन्ध निदेशक, फेरा स्क्रेप निगम लि०

13. प्रबन्ध निदेशक, होटल कारपोरेशन आफ इंडिया

14. प्रबन्धक निदेशक, मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०

15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कुद्रेमुख आइरन ओर कं० लि०

16. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (उ० प्र०) लि०।

17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मार्डर्न बेकरीज (इण्डिया) लि०

18. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम

(ख) जिनके बारे में चयन सरकारी उद्यम चयन मंडल के विचाराधीन है।

1. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०

2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०

3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मेंगनीज ओर इण्डिया लि०

वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की वापसी न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शी निदेश

721. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद ऋण प्रणाली को सुधारने के कार्य के परिणाम-स्वरूप ऋण की वापसी न करने वालों के विरुध कार्यवाही करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को कुछ समय पूर्व मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य वित्त मंत्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) तथा (ख) नगद ऋण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दिसम्बर, 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जारी की गई हिदायतों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की भी व्यवस्था है ;

1. पचास लाख रुपए और इससे अधिक की कार्यकारी पूंजी वाले सभी एककों द्वारा बैंकों को तिमाही विवरणियां अनिवार्य रूप से भेजी जायें जिनमें उस तिमाही के दौरान अपेक्षित निधियों का संकेत किया जाए ।

2. कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए अपनी निधियों और सावधि वित्त से ऋणकर्ता का अंशदान, अनिवार्य रूप से, कुल चालू परिसंपत्तियों के कम से कम 25% के बराबर होना चाहिए । यदि, ऋणकर्ता इस आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने की स्थिति में न हो तो अधिक ऋण को अलग करके उसे कार्यकारी पूंजी सावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसकी वापसी अदायगी एक निश्चित अवधि के भीतर जो कि किसी भी मामले में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, छमाही किस्तों में की जाए ।

लेखे की समीक्षा करने का आधार, तिमाही विवरण होगा । इसी विवरण में उस तिमाही के अपहरणों का स्तर भी निर्धारित किया जाएगा जो कि दोनों ओर से 10 प्रतिशत की सहमति के अधीन होगा । उपभोग में कमी या वृद्धि को एक अनियमितता माना जाएगा और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के वास्ते उपचारात्मक कदम उठाये जायंगे ।

यदि ऋणकर्ता, निर्धारित अवधि में विवरणी नहीं भेजता है तो बैंक उस अवधि में उसके कुल अधिशेषों पर एक प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल कर सकते हैं । यदि यह व्यतिक्रम जारी रहे और कठोर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए तो ऐसे खातों को स्थागित (फ्रीज) कर दिया जाए ।

तदर्थ ऋण सीमाओं पर एक प्रतिलिपि अतिरिक्त ब्याज वसूलना और ऐसी तदर्थ ऋण सीमाएं केवल असामान्य परिस्थितियों में ही स्वीकृत करना ।

यदि कार्यकारी पूंजी सावधि ऋण की वापसी अदायगी में कोई व्यतिक्रम हो तो पोषण कार्यक्रमों के अधीन रुग्ण एककों अथवा जहां पुनर्वास उपायों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा हो, उन्हें छोड़कर अन्य उद्योगों से बैंकों को दण्डात्मक ब्याज वसूल करने की हिदायत दी गई है ।

वित्त पोषण के कार्यक्रम के अधीन चल रहे बीमार एककों को छोड़कर, बैंकिंग व्यवस्था से 50 लाख रुपए अथवा उससे अधिक की कुल कार्यकारी पूंजीगत ऋण सीमाओं वाले सभी एककों पर यह हिदायतें लागू होती हैं । बैंकों को यही अनुशासन क्रमशः उन ऋण-कर्ताओं के ऊपर भी लागू करने के उपाय करना है जो बैंकिंग व्यवस्था से 50 लाख रुपए से कम की ऋण सीमाओं का उपयोग कर रहे हैं ।

रक्षित विद्युत संयंत्र, तालचेर में एल्यूमिनियम स्मेल्टर

722. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने परियोजना प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर केवल रक्षित विद्युत संयंत्र तालचेर में लाया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने कभी बाद में एल्यूमिनियम स्मेल्टर अन्यत्र स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय क्यों किया है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने इस संयंत्र के लिए तालचेर में रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की सिफारिश की थी ;

(घ) यदि हां, तो उसके लिए प्रस्तावित रक्षित विद्युत सयंत्र का प्रारम्भिक कार्य आरंभ करने के लिए उड़ीसा सरकार ने और भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या तालचेर से कोरापुट को बिजली भेजे जाने की अपेक्षा कोरापुट से एल्यूमिना तालचेर ले जाने में समय लगेगा और अधिक खर्च आएगा ; और

(च) क्या एल्यूमिना और एल्यूमिनियम स्मेल्टर के लिए उड़ीसा सरकार ने कोलाव और इन्द्रावती जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया है या नहीं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने सरकार को प्रस्तुत अपनी अन्तिम रिपोर्ट में एल्यूमिना प्रद्रावक की स्थापना के लिए जोडीगुडा और तालचेर दोनों स्थानों का मूल्यांकन किया था ।

(ख) तालचेर में ग्रहीत बिजली घर के निकट एल्यूमिनियम प्रद्रावक की स्थापना का फैसला दोनों वैकल्पिक स्थानों के प्रोद्यो-आर्थिक मूल्यांकन के बाद तथा फ्रेंच सलाहकारों के परामर्श से किया गया था । तालचेर में एल्यूमिनियम प्रद्रावक के स्थल का फैसला कम पूंजी निवेश और कम परिचालन लागत को ध्यान में रखकर तथा एल्यूमिनियम प्रद्रावक को बिजली पूर्ति की सुनिश्चितता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर किया गया था । तालचेर में प्रद्रावक लगाने के फैसले में उड़ीसा सरकार का कोई हाथ नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार ने सिद्धान्ततः तालचेर में ग्रहीत बिजली घर लगाने का फैसला किया है । बिजली घर के लिए पूंजी की औपचारिक स्वीकृति हेतु कार्रवाई चल रही है । इस बीच, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने बिजलीघर के लिए जमीन प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और जमीन की पड़ताल आदि स्थलीय कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं ।

(ङ) तालचेर में प्रद्रावक स्थल के प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर तालचेर से कोरापुट को बिजली पहुंचाने की बजाय तालचेर को एल्यूमिना भेजना अधिक लाभदायक होगा ।

(च) चूंकि उड़ीसा सरकार ने एल्यूमिनियम कारखाने को बिजली देने में असमर्थता प्रकट की है इसलिए तालचेर में ग्रहीत बिजली घर लगाने का प्रस्ताव है। परन्तु उड़ीसा सरकार ने बाक्साइट खान और एल्यूमिना कारखाने को बिजली देने का वायदा किया है। इन यूनिटों को उड़ीसा पावर ग्रिड से बिजली दी जाएगी। उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में कोई विशिष्ट जल-विद्युत परियोजना निर्धारित नहीं की है।

बम्बई में फिल्म उद्योग पर छापे

723. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के (1) महिलाओं और (2) पुरुषों के बम्बई में निवास स्थानों और अन्य भवनों पर 1980 के कैलेण्डर वर्ष में तथा जनवरी, 1981 के दौरान छापे मारे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छापों के दौरान पाये गए अवैध लेन देन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जनवरी, 1980 से जनवरी 1981 के अन्त तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने फिल्म उद्योग से सम्बन्धित पुरुषों तथा महिलाओं के मामले में 126 तलाशियां ली हैं। इन तलाशियों के अन्तर्गत आने वाले परिसरों में उनके स्वामित्व वाली रिहायशी तथा अन्य इमारतें शामिल हैं।

तलाशी के दौरान, प्रथम, दृष्ट्या लगभग 40,69,983 रुपये मूल्य का लेखावाह्य नकदी, सोना, चांदी, जवाहरात तथा अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं। इनके अलावा अपराध-आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए हैं।

पकड़े गये दस्तावेजों की प्रारिभक जांच से, आय/धन को छिपाने, आमदनी को कम बताने, आदि के जरिये बड़े पैमाने पर कर अपवंचन का पता चलता है। इन मामलों में जांच-पड़ताड़ चल रही है।

तमिलनाडु में फिल्मी कलाकारों के घरों पर छापे

724. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर तथा तमिलनाडु के अन्य केन्द्रों में 1980 के कैलेंडर वर्ष तथा जनवरी, 1981 के दौरान (1) पुरुष और (2) महिला फिल्मी कलाकारों के निवासों तथा उनके द्वारा लिए गए अन्य भवनों पर छापे मारे गए हैं ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लेखावाह्य धन के किन्ही सौदों का पता चला है ; और

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी 1981 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने तमिलनाडु में निम्नलिखित व्यक्तियों के रिहायशी तथा अन्य परिसरों की तलाशी ली जिन्होंने फिल्मों में कार्य किया है :—

(1) श्री एन० टी० रामाराव

(2) कु० जयमालिनी

(3) कु० जयप्रदा

(4) श्री जेमिनी गणेशन

(ग) तथा (घ) तलाशी के दौरान, श्री एन० टी० रामा राव तथा कु० जयप्रदा से, प्रथम दृष्टया क्रमशः एक लाख रु० तथा साठ हजार रु० की लेखा-वाह्य नकदी पकड़ी गई । इनके अलावा ऐसे अपराध आरोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गए हैं जिनसे इन कलाकारों द्वारा बड़े पैमाने पर कर अपवंचन किये जाने का पता चलता है ।

बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण की मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण

726. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण की मन्जूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है ताकि उन्हें उपलब्ध किये जाने वाले ऋण को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का सरलीकरण दिया गया है ;

(ग) इस सरलीकरण से जरूरत मदों को कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के इस उद्देश्य के लिए गत 3 वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि के ऋण दिए गए हैं और इन बैंकों में से प्रत्येक को दिए गए कुल ऋणों से इन ऋणों का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार और समाज के कमजोर वर्ग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अधीन आते हैं जिनमें कृषि छोटे

पैमाने के उद्योग, सड़क और जल परिवहन चालक, खुदरा व्यापार और छोटे कारोवार, व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति तथा शिक्षा शामिल हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋणों की उपलब्धि बढ़ाई जा सके। इनके ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार है :—

1. छोटे पैमाने के उद्योगों में से अधिक छोटे उद्योगों के बारे में मार्जिन, सहवर्ती प्रतिभूति और गारंटी पर जोर नहीं दिया जाता।

2. छोटे पैमाने के उद्योग/स्थापित करने वाले कारीगर, ग्रामीण शिल्पी आदि ऐसे मिश्रित सार्वधिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो कार्यकारी पूंजी और सार्वधिक ऋण की उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। वे यदि पात्र हों तो विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन 6,500 रुपए तक के ऋण और, अन्यथा रियायती ब्याज दर पर 25,000 रुपए तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

3. छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को मंजूर की जाने वाली 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमाओं के वास्ते सरलीकृत ऋण आवेदन-एवं साक्षात्कार कार्य शुरू किए गये हैं।

4. अत्यन्त लघु (टाइनी) क्षेत्रों को समय से ऋण सुविधाएं दिलाने के कार्य की सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि एक लाख रुपए तक के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निपटा दिया जाए।

5. छोटे और सीमांतिक किसानों को दिया जाने वाले ऋणों के मामले में बैंकों को चल सम्पत्तियों के निर्माण के लिए मंजूर किए जाने वाले 5,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋणों के बारे में मार्जिन, जमीन के गिरवी के रूप में सहवर्ती प्रतिभूमि अथवा गारन्टी नहीं मांगनी चाहिए।

6. बैंकों ने किसानों को मंजूर किए जाने वाले ऋणों के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में सरलीकृत ऋण आवेदन फार्म अपनाए हैं।

7. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने शाखा प्रबन्धकों को समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित कर दें ताकि शाखा स्तर पर ही 80 प्रतिशत आवेदन पत्रों को निपटाया जा सके।

(ग) और (घ) वर्ष 1977 से 1979 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋणों और विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए गए ऋणों को प्रदर्शित करने वाला विवरण दिया गया है। उससे देखा जा सकता है कि इस वर्ग को दिए जाने वाले ऋणों में बराबर बढ़ोतरी हो रही है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिम (ऋण, खातों की संख्या/बकाया राशि)

(राशि करोड़ रुपयों में)

		ऋण खातों की संख्या				बकाया राशि			
		जून, 77	जून, 78	जून, 79	दिसम्बर, 79*	जून, 77	जून, 78	जून, 79	दिसम्बर, 79**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कृषि									
	(क) प्रत्यक्ष वित्त	3986010	4701170	5932462	6829305	950.70	1234.63	1630.13	2004.57
	(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	560249	674239	964555	1055443	324.38	424.51	543.00	557.55
2. लघु उद्योग		430434	495105	586346	655609	1315.29	1643.73	2061.40	2322.54
3. सड़क तथा जल परिवहन चालक		170415	198670	228625	241073	252.78	306.61	38.640	446.38
4. फुटकर व्यापार तथा लघु व्यापार		889215	1040996	1312631	1440960	225.86	298.00	413.46	473.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्ति	503656	574973	671866	704031	71.01	87.19	119.13	133.79
6.	शिक्षा	24264	30045	33623	37137	5.81	6.49	7 54	8.75
	जोड़	6564243	7715193	9733108	10963558	3146.43	4001.16	5210.85	5947.08
	जिनमें से								
	विभेदी ब्याजदार अग्रिम	1177066	1472964	1833305	2085407	54.11	73.82	113.73	140.96

*एककों की संख्या

**अनन्तिम

इस्पात के वितरण के लिये नये डिपो/एजेंसियां

727. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या इस्पात के वितरण के लिए जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में गत तीन वर्षों के दौरान कोई नये डिपों एजेन्सियां खोली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों/कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं; जिन्हें उक्त एजेंसियां मंजूर की गई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) संभवतः संकेत स्टाकयार्डों तथा मुख्य उत्पादकों के प्रथम अभिकरणों की ओर है। गत तीन वर्षों में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने दो विभागीय स्टाकयार्ड खोले हैं— एक संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में तथा दूसरे हिमाचल प्रदेश में। कोई अन्य स्टाकयार्ड अथवा प्रेषण अभिकरण नहीं खोले गए है।

हिमाचल प्रदेश पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर के विभिन्न स्थानों और राजधानी को "थर्ड लेवल" विमान सेवा द्वारा जोड़ा जाना

728. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "थर्ड लेवल" विमान सेवा की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर के विभिन्न कस्बों और शहरों तथा राजधानी को जोड़े जाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) तीसरी वायु सेवाओं ने आरम्भ में उत्तर— पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में 26 जनवरी, 1981 से परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। इन सेवाओं का अन्य क्षेत्रों में भी परिचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराना

729. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में जनता को सस्ती किस्म का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कपड़े की नियमित रूप से सप्लाई और उपयुक्त वितरण सुनिश्चत करने के लिये भी कोई तंत्र स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह प्रबन्ध सम्भवत: किस तिथि तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) से (घ) कंट्रोल का कपड़ा, जिसमें मिल क्षेत्र में विनिर्मित साड़ियां धोतियां, लट्ठा, कमीज का कपड़ा और ड्रिल/टसर शामिल हैं, जनता को उन निर्धारित उपभोक्ता कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता हैं जो 1974 से अपरिवर्तित रही है। इसे हतकरघा क्षेत्र में तैयार की गई जनता साड़ियों और धोतियों द्वारा पूरा किया जाता है। कंट्रोल का कपड़ा 57561 खुदरा दुकानों की मार्फत बेचा जाता है। जिनमें से 46438 खुदरा दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हतकरघा जनता कपड़ा उत्पादन अभिकरणों की खुदरा दुकानों, उपभोक्ता सहकारी समितियों नागरिक आपूर्ति की दुकानों और कतिपय क्षेत्र में राशन की दुकानों की भी मार्फत वितरित किया जाता है।

भारतीय समुद्री उत्पादों की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मांग

730. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्री उत्पादों की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यापार से लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, मलयेशिया तथा आस्ट्रेलिया में भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए अच्छी सम्भावनाओं का पता लगा है।

(ख) 1. हांगकांग तथा सिंगापुर में एक बाजार सर्वेक्षण किया गया है।

2. सिंगापुर, हांगकांग तथा मलयेशिया को फरवरी के अंत में एक बिक्री—सह—अध्ययन दल भेजा जा रहा है।

3. इस क्षेत्र में भारतीय समुद्री उत्पादों का नियमित प्रचार किया जा रहा है । 1981 में सिंगापुर के व्यापार मेले में भाग लेने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भी सुझाव दिया है ।

4. सिंगापुर में समुद्री उत्पादों का विपणन परीक्षण किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1980 के दौरान आयात किया गया रबड़

731. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1980 के दौरान रबड़ की कितनी मात्रा आयात की गई है;

(ख) डीलरों को रबड़ की कितनी मात्रा वितरित की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास ऐसे रबड़ की भारी मात्रा जमा हो गई है जिसे डीलरों ने नहीं लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार रबड़ उद्योग को बचाने और रबड़ की वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए रबड़ के आयात का विकेन्द्रीकरण करने और रबड़ पर आयात शुल्क समाप्त करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) तथा (ख) पंचांग वर्ष 1980 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 1006 मे० टन की मात्रा आयात की गई थी । समग्र मात्रा रबड़ की वस्तुओं के विनिर्माताओं को आबंटित कर दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) रबड़ के आयात के असरणीकरण तथा उस पर आयात शुल्क समाप्त करने का कोई प्रभाव नहीं है ।

ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा विदेशों में स्थापित होटल

732. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड द्वारा विदेशों में स्थापित होटल की संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त कम्पनी द्वारा विदेशों में निकट भविष्य में कितने होटल खोले जाने का प्रस्ताव है और उनमें कितनी पूंजी लगने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी के विदेश व्यापार में सहयोग करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स कम्पनी ने विदेशों में कोई होटल स्थापित नहीं किए हैं। तथापि, यह कम्पनी जंजीबार की सरकार के लिए जंजीबार में 'होटलि या ब्वावनी' का प्रबन्ध-कार्य कर रही है। यद्यपि ईस्ट इण्डिया होटल्स कम्पनी को प्रबन्ध-फीस प्राप्त होती है, तथापि इस कम्पनी ने इस होटल प्रोजेक्ट में कोई पूंजी-निवेश नहीं किया है।

(ख) इस बारे में मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।
(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण नीलामी संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

733. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वित्त मंत्री** स्वर्ण नीलामी सम्बन्धी समिति के बारे में 13 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नीलामी के बारे में श्री के० आर० पुरी द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या स्वर्ण नीलामी में कुछ धांधली का पता चला है, यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) श्री के० आर० पुरी की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी समीक्षा की जा रही है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा राशि भेजा जाना

734. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रह रहे भारतीयों ने 1980 में कुल कितनी धनराशि भेजी ; और

(ख) 1981-82 के दौरान अधिक धनराशि भेजे जाने के बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) चूंकि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों को 10 हजार रुपए और उससे कम की प्रेषणाओं के ब्यौरे की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं देनी होती इसलिए केवल विदेशों में रहने वाले भारतीयों से प्राप्त होने वाली रकमों की ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जनवरी से दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में निर्यात-भिन्न सकल अदृश्य प्राप्तियों का 4,467 करोड़ रुपए का अनुमान है। ये आंकड़े सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों के आंकड़े हैं जिनमें 'आवक प्रेषणाओं' के चार सम्बद्ध शीर्षकों अर्थात् परिवार भरण पोषण और अनिवासियों की बचतें, प्रवासी अन्तरण और मनीआर्डर प्राप्तियों के अलावा सभी प्रकार की प्राप्तियां जैसे हवाई कम्पनियों की प्राप्तियां, जहाजी कंपनियों की प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, निवेश से आय और पर्यटन प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा नियमित बैंक प्रेषणाओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें बनाई हैं।

1. पूंजी और आमदनी के प्रत्यावर्तन के अधिकारों के बिना किसी भी कार्यक्षेत्र में बिना किसी रुकावटा के पूंजी लगाने की स्कीम ;

2. अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों द्वारा नई भारतीय कम्पनियों के नए शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की प्रत्यावर्तन के विकल्प सहित स्कीम ;

3. अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों दारा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक प्रत्यावर्तन के विकल्प सहित निवेश करने की स्कीम ;

4. विदेशी मुद्रा के बदले स्कूटरों, खेती के ट्रेक्टरों और सीमेंट के प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की स्कीम ;

5. अनिवासी भारतीयों और भारत मूल के व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में लाई गई विदेशी मुद्रा का 25 प्रतिशत भाग इस्तेमाल करने की स्कीम ;

6. अनिवासी (वाह्य) खाता स्कीम जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खातावारी खाते में प्राप्त रकमों को अपनी इच्छानुसार बाहर भेज सकता है ;

7. विदेसी मुद्रा (अनिवासी) खाता स्कीम जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (VI) में वर्णित लाभों के अलावा विदेशी मुद्रा की दरों में घटबढ़ के कारण किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठानी पड़ती।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिण कनारा में स्थलों का विकास

735. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिण कनारा में कुछ स्थलों का विकास करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या जिन स्थलों का विकास किया जाना है उनका पता लगा लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में इस समय ऐसी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलौर हवाई अड्डे पर धावन पथ का विस्तार

736. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंगलौर हवाई अड्डे पर धावन पथ को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) मंगलौर के मौजूदा रन-वे का भौतिक परिसीमाओं के कारण और आगे विस्तार नहीं किया जा सकता। तथापि, बी-737 परिचालनों के लिए उपयुक्त एक नए रन-वे का निर्माण करने की योजनाएं हैं जिनके लिए तकनीकी सर्वेक्षण तथा अन्य प्रारंभिक निर्माण कार्यों के छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ करने की आशा है।

दिल्ली में आयकर कर्मचारियों की माँग

737. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर कर्मचारियों ने 5 जनवरी, 1981 को दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी मांगें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और आयकर विभाग के विभागाध्यक्षों से प्राप्त होने पर उसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

छठी योजना के दौरान हरियाणा में खोले जाने वाले नए पर्यटन केन्द्र

739. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में स्थित पर्यटन स्थलों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित किये जाने वाले नए केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत हरियाणा में पर्यटक स्थलों के नामों की कोई सूची तैयार नहीं की गई । तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उनके राज्य में 26 ऐसे स्थल हैं जहां पर पर्यटन सुविधायें विकसित की गई हैं । ये स्थल हैं :—

चंडीगढ़, पिंजौर गार्डन, पंचकूला, पिपली, उचाना, घरौंडा, पानीपत, समालखा, सोनीपत, सूरज कुण्ड, बदकल, फरीदाबाद, होडल, गुड़गांव, सोहना, धारूहेरा, सुलतानपुर, रोहतक, भिवानी, हिस्सार, सिरसा, अबूबशहर, आसाखेड़ा, जीन्द, बारनौल, और ताउरू ।

(ख) हरियाणा में किसी नए पर्यटक केन्द्र को विकसित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया । यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार से परामर्श करते हुए हरियाणा में किन-किन यात्रा परिपथों को विकसित किया जाता है ।

हरियाणा को नियन्त्रित कपड़े की सप्लाई

740. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार नियन्त्रित कपड़ा सप्लाई नहीं किया जा रहा है ;

(ख) हरियाणा में 1980 में नियन्त्रित कपड़े की प्रति माह कुल आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) 1980 के दौरान हरियाणा को महीनेवार नियंत्रित कपड़े की कुल कितनी गाठें सप्लाई की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) सभी राज्यों को कंट्रोल के कपड़े के वितरण के लिए अपनाये गए मापदंड के अनुसार हरियाणा राज्य को कंट्रोल का कपड़ा सप्लाई किया जा रहा है। यह वितरण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तथा एक वर्ष में 400 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन स्तर और महीने के दौरान कंट्रोल के कपड़े की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित आधार पर किया जाता है।

(ख) 1980 के दौरान हरियाणा राज्य की औसतन मासिक हकदारी 1500-1500 वर्ग मीटर की 405 गांठों की है।

(ग) 1980 के दौरान हरियाणा को आवंटित किये गये कंट्रोल के कपड़े की मासवार मात्रा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मात्रा	गाठें
जनवरी	77.50
फरवरी,	551.75
मार्च	285.00
अप्रैल	671 75
मई	645.75
जून	702.25
जुलाई	761.25
अगस्त	40.00
सितम्बर	742.75
अक्तूबर	786.00
नवम्बर	259.00
दिसम्बर	1211.25
योग	6734.25

इंडियन बैंक द्वारा अस्थाई कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाना

741. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त के लिए आयु सीमा के बारे में 19 दिसम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 4555 के उत्तर के सम्बद्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन बैंक अस्थाई कर्मचारियों (वे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के कारण रिक्त पदों पर कार्य किया है) को अधीनस्थ संवर्ग (अटेन्डेन्ट, चपरासी आदि) में स्थाई आधार पर नियुक्ति देने के लिए अधिक आयुसीमा में छूट देता है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : इंडियन बैंक में अधीनस्थ कर्मचारियों के काडर की स्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति के वास्ते अधिकतम आयु 28 वर्ष है। इंडियन बैंक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के अन्तर्गत, 10-5-1979 को हुए लिखित समझौते की शर्तों के अधीन, अस्थाई कर्मचारियों को आयु सीमा में कुछ छूट दी गई थी। इससे संबद्ध अवतरण निम्नलिखित है :—

> "रिक्त स्थानों की पूर्ति यद्यपि एक प्रबंधकीय कार्य है किन्तु सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमति हो गई है कि अस्थाई कर्मचारी (सब स्टाफ) जो कि 1-10-1977 और 11-1-1978 के बीच प्रबन्धकों के नियोजन में रहे हैं वे स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के हकदार होंगे। इस प्रकार के उम्मीदवारों को सेवा में शामिल करने के समय यदि किसी अधिक आयु (ओवर एजेड) व्यक्ति (28 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति) का कोई मामला हुआ तो वह भी सेवा में शामिल कर लिया जायेगा, बशर्ते कि बैंक में उसकी सेवा कुल मिलाकर 240 दिन की हो जाए।"

इससे ज्ञात होगा कि उपर्युक्त समझौते के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने अस्थाई रिक्तियों पर 240 दिनों से कम कार्य किया है, वे किसी प्रकार आयु की छूट के पात्र नहीं हैं, तथा उन उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने 11-1-1978 के पश्चात् अस्थायी रिक्तियों पर कार्य किया है, आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में कार्य कर रहे ग्राम्य बैंक

742. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय कार्य कर रहे ग्राम्य बैंकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 1981-82 में और नए ग्राम्य बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, तथा वे उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ;

(घ) क्या इस प्रकार का ग्राम्य बैंक उड़ीसा के गंजम जिले में भी खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ध) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय उड़ीसा राज्य के 10 जिलों को प्राप्त करते हुए आठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) धेनकनाल जिले के लिए एक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रस्ताव है ।

(घ) तथा (ङ) गंजाम जिले में 14-2-1981 को "ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक" नामक एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत विलयित संयंत्रों में विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन

743. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत विलयित पांच संयंत्रों में विक्रय योग्य इस्पात का माहवार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपर्युक्त संयंत्रों में 1 जनवरी, 1981 को कोयला तथा इनगोट इस्पात का कितना स्टॉक था ; और

(ग) वित्त वर्ष 1981-82 में राउरकेला तथा अन्य इस्पात संयंत्रों में विक्रय योग्य इस्पात का कुल कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1980 के दौरान स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) के अधीन पाँच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का महीनावार उत्पादन नीचे दिया गया है :-

महीना	विक्रेय इस्पात का उत्पादन (हजार टन)
1	2
जनवरी	444.3
फरवरी	389.8

1	2
मार्च	408.2
अप्रेल	299.0
मई	321.2
जून	333.8
जुलाई	354.7
अगस्त	353.6
सितम्बर	319.3
अक्तूबर	405.9
नवम्बर	421.5
दिसम्बर	459.2

(ख) सेल के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में 1 जनवरी, 1981 को कोककर कोयले के स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :-

	स्टाक (हजार टनों में)
कोककर कोयला	
देशीय	123.1
आयातित	32.0
कुल	155.1

(ग) वर्ष 1981-82 के लिये विक्रेय इस्पात के उत्पादन की योजना इस प्रकार है :-

कारखाना	वर्ष 1981-82 के दौरान विक्रेय इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना
	(हजार टनों में)
भिलाई	1750
दुर्गापुर	780
राउरकेला	1080
बोकारो	1600
इस्को	520
कुल	5730

दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं के गोदामों पर बड़े पैमाने पर छापा अभियान

744. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं के गोदामों पर बड़े पैमाने पर छापे का अभियान शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्राप्त सूचना के अनुसार, पकड़ी गई वस्तुओं और व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

चीनी	375	क्विंटल
खाद्य तेल	1738	टिन और 24.16 क्विंटल
दालें	898	बोरे
चावल	587	बोरे तथा 308 कट्टे
मैदा	108	बोरे
सूजी	282	किलोग्राम
बेसन	27	बोरे

1-1-1981 से 8-2-81 की अवधि के दौरान 32 व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा इन मामलों की जांच की जा रही है।

उद्योगों को संस्थागत ऋण

745. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योगों को दिये जाने वाले संस्थागत ऋणों को 1978-79 की तुलना में तीन गुना करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि और सामाजिक वानिकी के लिए भी ऋणों में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) उद्योग को किये गए भुगतानों के बारे में अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार उनके द्वारा उद्योग को किये गए भुगतानों की राशि संभवतः वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः 1440 करोड़ रुपए तथा 1677 करोड़ रुपए बैठेगी जबकि इसकी तुलना में 1978-79 में वस्तुतः 778.8 करोड़ रुपए के भुगतान किए गए थे। बाद के वर्षों में इनके और अधिक बढ़ने की संभावना है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वर्ष 1985 तक उनके कुल अग्रिमों के कम से कम 16 प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र को दी जानी चाहिए। जून, 1980 की स्थिति के अनुसार यह अंश 13.4 प्रतिशत था।

जहां तक वन विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, उत्पादन अथवा वाणिज्यिक वन कार्यक्रम कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिसम्बर 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने वन विकास के लिए 33 योजनाएं मंजूर की हैं जिनके लिए कुल 9.53 करोड़ रुपए की राशि के लिए वचन दिए गए हैं जिसमें से 3.22 करोड़ रुपए की रकम निकाली जा चुकी है। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने अस्थायी तौर पर यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1980-85 के दौरान वन विकास के लिए उसके सापेक्षिक महत्वपूर्ण ऋण कार्यक्रम के अन्तर्गत 58 करोड़ रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा।

विनोद मिल्स लिमिटेड, उज्जैन द्वारा कानूनों का उल्लंघन

746. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गत कई वर्षों से विमल एण्ड विनोद टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन (मध्य प्रदेश) राज्य के विभिन्न भागों में विद्युत चालित करघों में कपड़े का निर्माण करा कर और उन पर मिल की मुहर लगवाकर उन्हें बेचते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं के लिए उक्त मिल के मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) ऐसा पता चला है कि मैं० विनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन ने जो विनोद मिल्स और विमल मिल्स के नाम के अन्तर्गत दो यूनिट चला रहा है, बाहरी विद्युत-करघों की मार्फत बुने हुए कंट्रोल के कपड़े की कुछ मात्रा प्राप्त की है जैसा कि सरकार द्वारा मिलों को रक्षा उपायों के अध्यधीन विद्युतकरघों की मार्फत विनिर्मित उनका कंट्रोल का कपड़ा प्राप्त करने के लिए अनुमति दी गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिलब्धि के रूप में घोषित किए बिना कम्पनी की मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल

747. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात की जांच करने के लिए कि आयकर विभाग को क्या निर्देश दिये गये हैं, किसी कम्पनी के निदेशक और वरिष्ठ प्रबन्धक कम्पनी की मोटरगाड़ियों को परिलब्धि घोषित किए बिना ही उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं ;

(ख) क्या कम्पनियां (गैर-सरकारी और सरकारी) बड़ी संख्या में बहुत अधिक मूल्य पर विदेशी मोटर गाड़ियां खरीद रही हैं और इसे किस तरह निरुत्साहित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि कोई विदेशी कार किसी निदेशक द्वारा अपने निजी इस्तेमाल में ली जा रही है तो उस निदेशक को कितनी परिलब्धि घोषित करनी चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) कम्पनी का कर-निर्धारण करने वाले अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि कम्पनी की कारों का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है । यदि जांच यह बताती है कि कम्पनी की कारों का उपयोग, कम्पनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो आयकर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार परिलब्धि मूल्य को, ऐसे निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों की आय में शामिल किया जाना होता है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अलग से कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) आयातित कारों के प्रयोग को कम करने की दृष्टि से आयकर अधिनियम, में वित्त अधिनियम 1975 के जरिए संशोधन किया गया था । धारा 32 (ii) के दूसरे परन्तुक में, जिसे

वित्त अधिनियम, 1975 के जरिए शामिल किया गया था, यह व्यवस्था है कि भारत से बाहर निर्मित किसी मोटर कार के सम्बन्ध में, उस स्थिति में कोई मूल्यह्रास छूट (जिसमें सन्तुलन-छूट शामिल है) नहीं दी जाएगी जब ऐसी मोटर कार 28 फरवरी, 1975 के बाद प्राप्त की गई हो और उसका उपयोग पर्यटकों के निमित भाड़े पर चलाने के व्यवसाय से भिन्न कार्य के लिए किया जाता हो।

(ग) यदि मोटर कार (चाहे वह विदेशी मोटर-कार हो अथवा भारतीय मोटर कार हो) का उपयोग कम्पनी के निदेशक द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जाता हो तो उस स्थिति में परिलब्धियों के मूल्य की संगणना की कार्य विधि, आयकर नियमावली के नियम 3 में दी गई है।

ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् से ज्ञापन

748. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में हथकरघा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्यवाही परिषद की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांगें की हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हाँ।

(ख) मांगों में शामिल हैं, यार्न की कीमतों का नियन्त्रण करना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का ढाँचा तथा उद्देश्य, प्रशिक्षण, कताई मिलें शुरू करने के लिए केरल राज्य सरकार को सहायता, रिबेट का दिया जाना, हथकरघों के लिए आरक्षण और हथकरघा क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय वेतन नीति का तैयार किया जाना।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघों के लिए यार्न सप्लाई तथा कीमतों से सम्बन्धित मामलों पर नई दिल्ली में राज्यों के हथकरघा मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया और यह महसूस किया गया कि हथकरघों में सहकारिता तथा निगम क्षेत्र द्वारा बड़ उत्पादन के लिए सहकारिता कताई मिलों, राज्य वस्त्र निगम मिलों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों से हैंक यार्न उत्पादन की पूलिंग करने से समस्याओं को कम करने में काफी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के सम्बन्ध में प्रस्तावित निगम के उद्देश्यों पर भी हथकरघा मंत्रियों की हाल ही में

हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया और जल्दी ही निगम स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशिक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में केरल के दक्षिण क्षेत्र में एक अन्य बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना सरकार के विचाराधीन है । बुनकर कताई मिल्स के प्रश्न के सम्बन्ध में दो मिलों को पहले ही सहायता दी जा चुकी है और छठी योजना के दौरान सहकारिता क्षेत्र में दो और कताई मिलें स्थापित करने का प्रश्न राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली आवश्यक प्रस्थापनाओं पर निर्भर करेगा । इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी ।

रिबेट के प्रश्न के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाता है कि भारत सरकार ने पहले ही संचित स्टाकों को समाप्त करने के लिए 1980-81 के दौरान 30 दिन की अवधि के लिए 20 प्रतिशत का विशेष रिबेट मंजूर कर दिया है । इसके अलावा, विशेष रिबेट राष्ट्रीय हथकरघा मिलों के दौरान भी उपलब्ध है जो दिल्ली तथा कलकत्ता में हाल ही में समाप्त हुए हैं और बम्बई में इस समय चल रहा है ।

हथकरघों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ मदें पहले ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र द्वारा अनन्य रूप से उत्पादन के लिए आरक्षित सूची में हैं । इन आरक्षण आदेशों की सीमा तथा विषय वस्तु इस समय एक अध्ययन समूह के विचाराधीन है । जहां तक क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय वेतन नीति का संबंध है, चूंकि ऐसे न्यूनतम वेतन विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं अतः हथकरघा जैसे विकेन्द्रीकृत उद्योग के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय अथवा एकसा वेतन नीति बनाना सम्भव नहीं होगा ।

अमृतसर के कृत्रिम रेशम के बुनकरों की ओर से याचिका

749. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के कृत्रिम रेशम बुनकरों की निगरानी समिति ने अमृतसर के 1000 कृत्रिम रेशम बुनाई लघु उद्योगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में दिनांक 15 नवम्बर, 1980 को प्रधान मंत्री को कोई याचिका भेजी थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है ;

(ख) अमृतसर, सूरत और देश के अन्य स्थानों पर कृत्रिम रेशम बुनाई के कुल कितने लघु उद्योग हैं और क्या केवल एक ही औद्योगिक घराने का सूत के आयात और कताई का उसके मुल्यों पर एकाधिकार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या एकाधिकार समाप्त करने, मूल्य निर्धारण करने तथा नियंत्रित वितरण सुनिश्चित करने का कोई विचार है । यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) अमृतसर के कृत्रिम रेशम बुनकरों की निगरानी समिति की दिनांक 15.11.80 की याचिका, जिसे प्रधान मंत्री को भेजी गई बताया गया है, ऐसा मालूम होता है कि सरकार को नही मिली है ।

(ख) तथा (ग) : लघु उद्योग क्षेत्र में कृत्रिम रेशम एकक संबंधित राज्य सरकारों के पास, पंजीकृत हैं अतः ऐसी इकाइयों की कुल संख्या केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । फिलामेंट यार्न के आयात, कीमतों तथा उत्पादन पर किसी विशेष औद्योगिक घराने का एकाधिकार नहीं है । इस समय फिलामेंट यार्न पर कोई कीमत अथवा वितरण नियंत्रण नहीं है । उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी को पोलिएस्टर अथवा नाइलोन (प्रथम क्वालिटी) तथा विस्कोस फिलामेंट यार्न, जो खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर अनुमेय है, के आयातों द्वारा पूरा किया जा सकता है । कुल मिला कर इस व्यवस्था से कीमतें स्थिर रखने में काफी सहायता मिली ।

साउथ इंडिया विसकोस, कोयम्बटूर का बन्द होना

750. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन 30 टन स्टेपल फाइबर की क्षमता वाले दो संयंत्रों वाला साउथ इंडिया विसकोस, कोयम्बूटर, तामिलनाडू, कब से बन्द पड़ा है ;

(ख) स्टेपल फाइबर के उत्पादन में कुल कितने रुपए की हानि हुई ; और

(ग) इस एकक को पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) साउथ इंडिया विसकोस लि०, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नवम्बर, 1979 से अक्तूबर, 1980 के बीच 12 महीने के लिए बन्द रहा है ।

(ख) इस बन्दी के परिणामस्वरूप उत्पादन में लगभग 12 करोड़ रु० मूल्य की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) कम्पनी ने नवम्बर, 1980 से पुनः उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतन की असमानता

751. **श्रीमति कृष्णा साही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में वेतन के मामले में असमानता की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि वेतन संबंधी विवादों के निपटाने के लिए एक सुपरिभाषित तथा एक समान मानदंडों के अभाव में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने मजदूर संघों के साथ समझोता करने में काफी उदारता बरतते रहे है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे उन संगठनों में गहरा रोष उत्पन्न हो गया था जो अपने कर्मचारियों के प्रति उतने उदार नहीं थे जितने कुछ दूसरे थे ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन ढांचे और सेवा संबंधी लाभों में समानता लाने के लिए उपाय करने है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धक अपने सम्बद्ध श्रमिक संघों से समझौता करते समय सरकार द्वारा समय-समय पर निदिष्ट मंजूरी संबंधी नीति के विषय में व्यापक प्राचलों को ध्यान मे रखते हैं । वेतन ढांचे में कोई परिवर्तन करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेना आवश्क है ।

(ग) और (घ) उद्यमों के स्थान और स्वरूप के अनुसार उनकी कार्य चालन परिस्थितियां काफी भिन्न हैं, इसलिए उनके मजूरी परिशोधन प्रस्तावों पर स्वीकृति देते समय अनौचित्यपूर्ण असमानताओं को समाप्त करने और वेतन-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का पूरा ध्यान रखा जाता है । इसमें एकरूपता लाने की बजाए असमानताओं को घटाने का प्रयास किया जाता है ।

राजनयिकों द्वारा तस्करी

752. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनयिकों द्वारा, उन्हें प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निरन्तर तस्करी किये जाने के बारे में मंत्रालय को जानकारी है ;

(ख) 1978, 1979 और 1980 के दौरोन तस्करी तथा अन्य आयात नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कितने राजनयिक कर्मचारी पकड़े गए ;

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान अवधिकृत अथवा तस्करी द्वारा आयात किये गए माल में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(घ) भारत में राजनयिकों द्वारा ऐसी अवैध गतिविधि तथा तस्करी को रोकने के लिए विभाग तथा कस्टम अधिकारियों द्वारा और क्या उपाय किये है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही के वर्षों में तस्करी के ऐसे कई मामले पकड़े हैं, जिनमें विदेशी राजनयिक अन्तर्ग्रस्त थे। वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान पकड़े गए ऐसे मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	ग्रस्त राजनयिकों की संख्या	पकड़े गए माल का मूल्य (लगभग मूल्य, लाख रुपयों में)
1978	3	24
1979	10	52
1980	4	12

(घ) सरकार ने सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की है और इन सरकारों के साथ इस दृष्टि से गोपनीय सम्पर्क बनाये हुए हैं जिससे विदेशी राजनयिकों द्वारा अपनी हैसियत का दुरुपयोग किये जाने के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सम्बन्धित देशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्धों और सतत सहयोग को देखते हुए, ब्यौरा जाहिर करना उचित नहीं होगा।

सोवियत संघ की भारत को आर्थिक सहायता

754. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत को और अधिक आर्थिक सहायता देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार के बीच 10 दिसम्बर, 1980 को आर्थिक और तकनीकी सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के अन्तर्गत सोवियत रूस की सरकार से भारत सरकार को विद्युत इस्पात, कोयला, तेल और गैस तथा सिंचाई के क्षेत्रों में कुछ परस्पर सहमति प्राप्त परियोजनाओं की रूबल लागतें कों पूरा करने के लिए 52 करोड़ रूबल की आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त उत्पादन प्रतिपूर्ति के आधार पर कुछ परियोजनाओं की स्थापना भारत में की जाएगी अर्थात परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए सोवियत संघ के संस्थानों द्वारा किए गए खर्चों की वापसी आदायगी, सम्बद्ध परियोजनाओं में उत्पादन के आरंभ होने पर उनके उत्पाद की बिक्री द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त खर्चों की आयादगी के पश्चात् सोवियत संघ के संस्थान दीर्घावधिक आधार पर भी उन उत्पादों को खरीदेंगे। उपर्युक्त आधार पर शुरू की जाने वाली परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं। ऐल्यूमिना, डिब्बाबंद फल और सब्जियां तथा दवाइयां।

वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि

755. **श्री ज्योतिमय बसु :**

श्री सूर्यनारायण सिंह :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वित्त मन्त्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81 (अप्रैल से दिसम्बर, 1980) के दौरान मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान थोक मूल्यों में महीनेवार, कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ;

(घ) पिछले वर्ष (1979) की इसी अवधि के दौरान महीनेवार यह स्थिति क्या थी ; और

(ङ) उनके इस दावे का कि मुद्रास्फीति रोक ली गई है, क्या आधार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ङ) सभी वस्तुओं के थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100) मार्च, 1979 में 189.1 से बढ़कर मार्च, 1980 तक 233.2 तक हो गया जिससे 1979-80 में 23.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1979-80 की इसी अवधि में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। थोक कीमतों के सूचक अंक की मासिक घटबढ़ संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

थोक कीमतों के सूचक अंक

(1970-71=100)

	1979		1980	
	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की मासिक दर	सूचकांक	मुद्रा स्फीति की मासिक दर
जनवरी	185.6	+0.1	227.7	+0.3
फरवरी	184.7	—0.5	231.3	+1.6
मार्च	189.1	+2.4	233.2	+0.8
अप्रैल	195.5	+3.4	235.0	+0.8
मई	198.5	+1.5	240.0	+2.1

जून	202.4	+2.0	247.1	+3.0
जुलाई	211.7	+4.6	257.3	+4.1
अगस्त	218.5	+3.2	259.9	+1.0
सितम्बर	221.2	+1.2	263.6	+1.4
अक्टूबर	222.2	+0.5	264.5	+0.3
नवम्बर	222.0	+0.1	258.2 (अ)	—2.4
दिसम्बर	227.0	+2.3	256.7 (अ)	—0.6

अ=अनतिम

विशेष धारक बोंड

756. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री आर०एन० राकेश :
श्री जी०वाई०कृष्णन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री आर०पी० यादव :
श्री अमर राय प्रधान :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री वृद्धि चन्द जैन :
श्री के० मालन्ना :
श्री पी० राजगोपाल नायडू .
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री चिन्तामणि जैना :
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री चिन्तामणि पाणीग्रही :
श्री के० प्रधानी :
श्री बी०बी० देसाई :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :
श्री अटल विहारी वाजपेयी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री सुभाष यादव :
स्वामी इन्द्रवेश :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री धर्मवीर सिंह :
श्री त्रिदिब चौधरी :
श्री डी०पी० यादव :
श्री वी० किशोक चन्द्र देव :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री एन०ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 फरवरी, 1981 से आज तक विशेष धारक बोंडों की राज्यवार कुल कितनी बिक्री हुई है ;

(ख) क्या इन विशेष धारक बोंडों को देश से बाहर ले जाने पर कानून के अधीन कोई प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ,

(ग) इनके खरीदने पर आयकर, धनकर, तथा उपहार-कर और बैंकिंग सुविधाओं में कोई रियायतें दी गई है ;

(घ) क्या सरकार ऐसी आशा करती है कि निकट भविष्य में उक्त बोंड मुनाफा कमा कर बेचे जायेंगे ;

(ङ) इन बोंडों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग करने हेतु अगर कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तो वह क्या हैं ; और

(च) उपरोक्त बातों से संबधित पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विशेष धारक बन्ध-पत्रों (बाण्डों) की कुल बिक्री 6 फरवरी, 1981 तक 8.24 करोड़ रु० की तथा 16 फरवरी, 1981 तक 18.73 करोड़ रु० की हुई। बिक्री के राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि बिक्री से सम्बन्धित 12 फरवरी, 1981 तक की लोक ऋण कार्यालय-वार सूचना उपलब्ध है और वह संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 19 में दिए गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना भारत से बाहर बंध-पत्र नहीं खरीद सकता।

(ग) बन्ध-पत्रों के मूल धारक अथवा स्वामी के बन्ध-पत्रों के स्वामित्व के सम्बन्ध में अथवा उस धन के स्रोत के सम्बन्ध में जिससे बंध-पत्र अर्जित किए गए हों, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, मात्र इस तथ्य से कि किसी के पास बंध-पत्र हैं, उस व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत कर लगाने, अर्थ-दण्ड लगाने अथवा इस्तगासे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। बन्ध-पत्रों (बाण्डों) के विमोचन के समय अदायगी योग्य लाभांश (प्रीमियम), आयकर से मुक्त होगा। बन्ध-पत्रों पर धनकर से छूट प्राप्त होगी। पुनर्विक्रय के बाद बन्ध-पत्रों के अन्तरण पर पूंजीगत अभिलाभ कर नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, बन्ध-पत्रों का दान के जरिए अन्तरण किए जाने पर भी. उन पर दानकर से छूट प्राप्त होगी।

वाणिज्यिक बैंक, धारक बन्ध-पत्रों के समर्थक ऋणाधार पर, ऋण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत पेशगियां दे सकते हैं।

विशेष धारा बंध-पत्र कर-प्रणाली से पूर्णतः मुक्त होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा विशेष धारक बन्ध-पत्र खरीदने अथवा अर्जित करने के कार्य को आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957 अथवा दानकर अधिनियम, 1958 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(घ) इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि बन्ध-पत्र लाभांश पर बेचे जायेंगे अथवा नहीं ।

(ङ) तथा (च) विशेष धारक बन्ध-पत्र योजना के जरिए एकत्र की गई रकम का उपयोग, योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार, विकास प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

विवरण

लोक ऋण कार्यालय	क्षेत्राधिकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	12 फरवरी, 1981 तक की बिक्री (लाख रुपयों में)
1	2	3
अहमदाबाद	गुजरात, दादरा तथा नागर हवेली	41.50
बंगलौर	कर्नाटक	23.80
बम्बई	महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जिनमें बम्बई, गोआ, दमन तथा दीव शामिल हैं	483.50
नागपुर	बम्बई लोक ऋण कार्यालय के अन्तर्गत नहीं आने वाले महाराष्ट्र के क्षेत्र मध्य प्रदेश,	16.90
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	46.70
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	44.90
जयपुर	राजस्थान	18.20
कानपुर	उत्तर प्रदेश	68.90
मद्रास	तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप,	69.30
पटना	बिहार	9.50
नई दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़	719.10
		1542.70

पटसन बोर्ड स्थापित करने की मांग

757. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन बोर्ड गठित करने की काफी समय से मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पटसन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या सरकार का विचार अविलम्ब एक पटसन बोर्ड स्थापित करने का है ;

(घ) क्या यह सच है कि पटसन उद्योगपति सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि बोर्ड गठित न किया जाए ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अभी भी पटसन बोर्ड स्थापित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलन खान) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) सरकार ने पटसन उद्योग के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देने के लिए एक टासकफोर्स की स्थापना की है । टासकफोर्स की रिपोर्ट इस मास के अन्त तक आने की आशा है । यह महसूस किया जाता है कि जब तक टाकसफोर्स की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती और उस पर विचार नहीं हो जाता तब तक के लिए पटसन बोर्ड की स्थापना का प्रश्न लम्बित रखा जाना चाहिए । तथापि यह उल्लेख किया जाता है कि सरकार के निर्णय पर किसी भी तरफ से प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा विदेशी शेयरधारिता में कटौती

758. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर, ब्रिटिश मल्टीनेशनल कारपोरेशन, यूनीलीवर की एक सहायक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विदेशी इक्विटी शेयर होल्डिंग कम करके 40 प्रतिशत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कम्पनी के विरुद्ध कर अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) लोक सभा के दिनांक 5 दिसम्बर 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 2,4 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

भारत और चीन के बीच विमान सेवायें

759. **श्री जगदीश टाइटलर :**
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री के०पी०सिंह देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और चीन के बीच विमान सेवाएं आरंभ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में चीन के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, को उसका क्या परिणाम रहा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टंडन समिति का प्रतिवेदन

760. **श्री जगदीश टाइटलर :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री बी० वी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात नीति विधेयक प्रकाश टण्डन समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) निर्यात नीति सम्बन्धी प्रकाश टण्डन समिति की सिफारशों का एक पूर्ण सारांश रिपोर्ट के अध्याय 2 में निहित है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। कुछ प्रमुख

सिफारिशें इनसे सम्बन्धित है, निर्यात उत्पादन के लिए क्षमता का सृजन, क्वालिटी तथा सुपुर्दगी कार्यक्रमों में सुधार, नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण; सार्वजनिक अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों तथा राज्य सरकारों का योगदान, निर्यात आय बढ़ाने के लिए परियोजना निर्यात तथा संस्थागत सुधार, रिपोर्ट पर, जो कि हाल ही में प्रस्तुत की गई थी, सरकार विचार कर रही है।

भारत और भूटान के बीच विमान सेवा

761. **श्री जगदीश टाइटलर :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और भूटान के बीच विमान सेवा आरंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) पारो तथा कलकत्ता के बीच विमान सेवा प्रारम्भ करने के भूटान की शाही सरकार के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। बातचीत के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र ही भूटान का दौरा करने की संभावना है। विस्तृत ब्यौरे इन वार्ताओं के बाद ही मालूम हो सकेंगे।

निर्यात-आयात बैंक की स्थापना

762. **श्री जगदीश टाइटलर :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री वी० वी० देसाई :
श्री एम० वी चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री लक्ष्मण मलिक।

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात-आयात बैंक की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) विवरणों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा एक निर्यात आयात बैंक स्थापित करने के लिए, एक विधेयक, शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

शीशे के खोलों का आयात

763. श्री अरविन्द नेताम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० एस० एस० बल्बों के निर्माण के लिय खाली शीशे के खोलों का स्थानीय मांग को पूरा करने हेतु नए कारखानों की स्थापना के बावजूद इनका शुल्क की अदायगी के बिना भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है ;

(ख) इनके आयात देश की मांग के आंकड़े क्या है तथा वर्तमान उत्पादन-क्षमता क्या है ;

(ग) उत्पादनक्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार शीशे के खोलों के आयात पर कोई रोक लगाने और शुल्क बढ़ाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : जी. आई. एस. लैम्पों के विनिर्माण के लिए खाली शीशे के आयात की अनुमति यथामूल्य 10% की दर से घटे हुए सीमा-शुल्क की अदायगी पर दी जाती है। इस मद का घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) इस मद के आयात आकड़े अलग से नहीं रखे जाते। 1980 वर्ष के दौरान घरेलू आवश्यकता तथा उत्पादन का अनुमान क्रमशः लगभग 320 मिलियन अदद तथा 282 मिलियन अदद लगाया गया है।

(ग) जी. आई. एस. लैम्पों के लिए शीशे के खोलों की और अधिक निर्माण क्षमता बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(घ) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

इलेक्ट्रोलाइटिक क्वालिटी वायर राइस की मांग

764. श्री अरविंद नेताम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "इलेक्ट्रोलाइटिक क्वालिटी वायर राइस" की कुल माँग कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील (भिलाई वर्क्स) पिछले 3 वर्षों में अपने उत्पादन की दर तथा क्वालिटी बनाए रखने में असफल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) देश की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय इलैक्ट्रोड क्वालिटी वायर राड्स से है। अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में देश में इस सामग्री की मांग 85,000 टन होगी।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाना प्रतिवर्ष 20,000 टन इलैक्ट्रोड क्वालिटी वायर राड्स का उत्पादन करेगा। गत तीन वर्षों में इनकी वास्तविक आपूर्ति के बारे में नीचे बताया गया है :-

	वर्ष	आपूर्ति
1.	1978-79	17,659 टन
2.	1979-80	18,033 टन
3.	1980-81	10,962 टन
	(अप्रैल-80—जनवरी, 81)	

सरकार को भिलाई के उत्पाद के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में वास्तविक आपूर्ति आशातीत सप्लाई की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत रही है। अप्रैल-अक्तूबर, 1980 की अवधि में मुख्य रूप से कोयले तथा बिजली की सप्लाई में अड़चनों के कारण वर्ष 1980-81 (अप्रैल, 80 से जनवरी, 81) में सप्लाई में लगी हुई है।

(घ) बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है शीघ्र ही उत्पादन में प्रयाप्त वृद्धि होगी। अनुमान है इस प्रकार की वायर राड्स के मुख्य उत्पादक नामत: मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से काफी मात्रा में सप्लाई प्राप्त होगी। "प्रतिबन्धित सूची" के अन्तर्गत इस प्रकार की वायर राड्स का आयात करने की भी अनुमति दी गई है। वर्तमान नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ता इस सामग्री का उतनी मात्रा में आयात कर सकते हैं जितनी देशीय आपूर्ति में कमी होती है।

चार हवाई अड्डा से आने वाले और जाने वाले पर्यटकों का रिकार्ड

765. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे चार प्रमुख हवाई अड्डों-बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में कितने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक "ट्रांसिट लौंज" में जाते हैं ; और

(ख) मंत्रालय हमारे चार प्रमुख हवाई अड्डों से आने वाले और जाने वाले पर्यटकों का रिकार्ड किस प्रकार रखता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) चारों अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ट्रांजिट लाउंजों में आने वाले पर्यटकों तथा उन हवाई अड्डों के अंदर आने वाले और वहां से बाहर जाने वाले पर्यटकों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात का कुल रिकार्ड अंतरर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले आरोहण और अवरोहण कार्डों के माध्यम से रखा जाता है। चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्ष 1979-80 के लिए यात्री यातायात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(लाखों में)

	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1. आरोहण करने वाले यात्री	10.47	1.16	5.11	0.85
2. अवरोहण करने वाले यात्री	9.01	1.17	5.07	0.85
3. ट्रांजिट यात्री	7.89	0.67	5.49	0.28
कुल	27.37	3.00	15.67	1.98

पामोलीन तेल का आयात

766. **श्री डो० पी० जदेजा** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि में कितना "पामोलीन" तेल आयात किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना-कितना पामोलीन तेल आबंटित किया गया ;

(ग) क्या मूंगफली के तेल के मूल्यों में अधिक वृद्धि के कारण उचित दर दुकानों के माध्यम से जनता को पामोलीन तेल की बिक्री की अनुमति के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा निर्धारित की गयी है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान सरकार की ओर से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगभग 2.24 लाख मी० टन पामोलीन का आयात किया गया। इस अवधि के दौरान बम्बई बन्दरगाह पर निजी व्यापारियों की ओर से लगभग 13,415 मी० टन पामोलीन आयात किया गया।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा आयातित पामोलीन का वितरण उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों/सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पहले से ही किया जा रहा है । राज्य सरकारों द्वारा आयातित खाद्य तेल, जिनमें पामोलीन भी शामिल है, उपभोक्ताओं को अलग-अलग मात्राओं में दिया जा रहा है ; तथापि, उन्हें सुझाव दिया गया है कि हर परिवार को इन तेलों की हर महीने अधिक से अधिक 2 कि० ग्रा० की मात्रा दी जाए ।

विवरण

अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को किए गए पामोलियन के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित की गई मात्रा (मीटरी टन)
आंध्र प्रदेश	62,000
दिल्ली	1,000
गोवा, दमन व दीव	350
गुजरात	56,000
हिमाचल प्रदेश	50
कर्नाटक	4,600
केरल	11,500
लखनऊ	14
मध्य प्रदेश	1,900
महाराष्ट्र	62,000
पांडिचेरी	150
तमिलनाडु	15,000
	2,14 564

केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा काजू का निर्यात

767. श्री ई० बालानन्दन :

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य काजू विकास निगम जिसमें 36,000 श्रमिक काम करते हैं, भारतीय काजू निगम के विदेशों से काजू के बीच की खरीद के काम में असफल रहने के बारे में जांच कराने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय काजू निगम द्वारा काजू के बीजों की खरीद

768. श्री ई० बालानन्दन : क्या वाणज्यि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय काजू निगम ने 1975 से 1980 तक प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में काजू के बीज खरीदे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार निजी व्यापार करने वालों को विदेशों से काजू का बीज आयात करने की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) भारतीय काजू निगम द्वारा काजू के बीजों की खरीद नहीं की गई । भारतीय काजू निगम केवल कच्चे काजू आयात करता है ।

(ख) 1981-82 के लिए आयात नीति अभी तैयार की जा रही है ।

काजू निर्यात का असरणीबद्ध किया जाना

769. श्री ई० बालानन्दन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद् ने काजू निर्यात असरणीबद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बैंकों से ऋण

770. श्री डी० एल० बैठा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से ऋण के मामला में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को पता है कि इन जातियों तथा जनजातियों को प्राथमिकता देने की इस नीति का बैंकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा और ऐसे व्यक्तितों को जो ऋण मांगते हैं, ऋण प्राप्त करने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये आवेदक, ऋण मन्जूर करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, बैंक अधिकारियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकते ; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही करने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध विभिन्न रियायती शर्तों का संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) बैंक साधारणतया अनुसूचित जातियों/जनजातियों को तरजीह देने की नीति का अनुपालन कर रहे हैं । अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 15.90 लाख ऋण खातों में दिये अग्रिमों की कुल राशि दिसम्बर, 1979 के अन्त में 250 करोड़ रुपए थी जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये कुल अग्रिमों के 34 प्रतिशत बैठती है । दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, विमेदी व्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों को कुल 60.15 करोड़ रुपए के अग्रिम दिये गये जो इस योजना के अन्तर्गत दिये गये कुल अग्रिमों के 43.4 प्रतिशत थे ।

जिन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा ऋण के आवेदन-कर्ताओं द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में आवेदकों से शेष शिकायतें मिलती हैं उनमें बैंक व्यवस्थित कार्य-प्रणालियों के अनुसार उन शिकायतों की जांच पड़ताल करते हैं और दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करते हैं ।

विचरण

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को उपलब्ध विभिन्न रियायती शर्तें इस प्रकार हैं :—

1. विभेदी ब्याज दर योजना :—

भारत सरकार की विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को अपने अग्रिम के 40 प्रतिशत तक वित्तपोषित करें।

2 आवास ऋण :—

बैंक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगों को लागत के 80 प्रतिशत ऋण मंजूर करते है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर 4 प्रतिशत है बशर्ते कि किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला आवास ऋण 2500 रुपये से अधिक न हो।

3. शिक्षा :—

भारत में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दिए जाने वाले अग्रिम न्यूनतम ऋण दर सम्बन्धी हिदायतों से मुक्त है। बैंक ऋण के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता देते हैं।

4. अति लघु क्षेत्र के लिए नई मार्जिन मनी योजना :—

अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के मामले में आधार धन (सीड मनी) 15 प्रतिशत है जबकि अन्य ऋण कर्ताओं के मामले में यह 10 प्रतिशत है।

5. जिला ऋण आयोजना :—

बैंक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त ऋण के प्रस्तावों पर बहुत सहानुभूति और हमदर्दी के साथ विचार करते हैं। प्रखंड स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ की योजनाओं को महत्व देना होता है और इन क्षेत्रों को ऋण मंजूर करने में उनकी भागीदारी के बारे में सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से इन समुदायों के सदस्यों के अनुकुल बैंक सहायता योग्य योजनाएं तैयार की जाती है।

6. उपभोग ऋण :—

बैंकों को कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों को चिकित्सा खर्च, शैक्षिक आवश्यकताओं, विवाह, दाह संस्कार तथा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए प्रति ऋणी को कुल 500 रुपए से अनधिक ऋण दें।

7. 20 सूत्री कार्यक्रम :—

20 - सूत्री कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुपालन में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को बैंक ऋण प्राप्त हो, कमजोर वर्ग की परिभाषा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। ये है (i) ऐसे छोटे तथा सीमान्तिक किसान जिनकी जोतें 5 एकड़ तथा उससे कम हो तथा खेतिहर मजदूर (ii) अन्य सबंधित कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्ति जहां इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए ऋण की सीमाएं 10,000/ रुपए से अधिक न हो। 25,000/- रुपए और इससे कम की ऋण सीमाओं वाले सभी लघु उद्योगों को इस श्रेणी में कमजोर वर्ग समझा जाना चाहिए। इसमें अधिकांश कारीगर और कुटीर उद्योग शामिल होंगे।

दमणजोडी, कोरापुट, उड़ीसा में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

771. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने मूल परियोजना प्रतिवेदन में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए दमणजोडी, कोरापुट, उड़ीसा का चयन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने मंत्रालय को अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय एल्युमिना/एल्यूमिनियम के सभी पहलुओं की एक स्थान, अर्थात् दमणजोडी, पर जांच की थी;

(ग) ऐसा क्या कारण है जिससे मंत्रालय ने बाद में एल्यूमिनियम स्मेल्टर को कोरापुट से तालचेर में ले जाने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि रक्षित बिजली संयंत्र को तालचेर में और एल्यूमिनियम स्मेल्टर को कोरापुट में रखा जाएगा जैसा कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा सुझाव दिया गया था, तो इससे उत्पन्न होने वाली अलाभप्रदता और आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता की समस्याओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मूल परियोजना रिपोर्ट में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स का स्थान दामनजोडी और जोगुडा इलाका सोचा गया था लेकिन ग्रहीत बिजली घर के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने पर तालचेर के मुकाबले प्रस्तावित स्थान के बारे में पुनः विचार किया गया।

(ख) बालको द्वारा सरकार को प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट दोनों वैकल्पिक स्थानों अर्थात् (1) दामनजोडी— जोडीगुड क्षेत्र में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र तथा (2) दामनजोडी

में एल्यूमिना संयंत्र और तालचेर में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना की तुलनात्मक अर्थवत्ता और अन्य पहलुओं पर पुन: विचार किया गया।

(ग) तालचेर में ग्रहीत बिजलीघर के निकट एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना का फैसला व्यापक प्रौद्यो-आर्थिक मूल्यांकन के बाद और फ्रेंच सलाहकारों के परामर्श से किया गया था। बिजली घर के निकट एल्यूमिनियम प्रद्रावक लगाने से पूंजी निवेश और परिचालन लागत में बचत के अलावा, लंबी दूरी तक बिजली नहीं ले जानी पड़ेगी, बिजली ढोने की समस्या नहीं होगी तथा एकल पारेषण लाइन की कम विश्वसनियता जैसी बात भी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तालचेर में प्रद्रावक क्षमता को दुगना करने की भी गुजांइस है, जबकि जोडीगुडा में ऐसी कोई संभावना नहीं है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, बिजली घर तालचेर में और एल्यूमिनियम प्रद्रावक जोडीगुडा में रखने से कम्पलैक्स की अर्थ-व्यवस्था तथा एल्यूमिनियम कारखाने को बिजली की विश्वसनीय पूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ता।

ग्रामीण क्षेत्र में कोसी क्षेत्र ग्रामीण बैंक के एकक खोला जाना

772. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक से धन लेने के जरूरतमंद किसानों, स्थानीय कारीगरों और समाज के अन्य वर्गों की सहायता करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोसी क्षेत्र ग्रामीण बैंक के बहुत से एकक खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत एक केलेंडर वर्ष का लक्ष्य और उपलब्धियां क्या थीं ;

(ग) क्या सरकार को व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतों, कुप्रबन्ध, अनियमितताओं तथा इन बैंकों से स्थानीय लोगों द्वारा ऋण लिए जाने में उनको परेशान किये जाने के बारे में जानकारी है ; और

(घ) यदि हां तो इन शिकायतों के विरुद्ध तथा बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी हां, । नबम्बर, 1980 के अन्त तक कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपने प्रचालन क्षेत्र में लक्ष्य समूहों, बिहार के पुर्णिया, सहरसा तथा कटिहार जिलों के लोगों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 64 शाखाएं खोली थीं।

(ख) 1980 के दौरान 54 शाखाएं खोलने के लक्ष्य के स्थान पर नवम्बर, 1980 के अन्त तक कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 24 शाखायें खोलीं।

(ग) तथा (घ) भर्ती के मामलों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करने के मामलों में कदाचार, कुप्रबंध, अनियमितताओं आदि की शिकायतों की जांच इन बैंकों के साथ-साथ, इनके प्रायोजक बैंकों द्वारा समुचित स्तर पर की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण आवेदन-पत्रों के क्रियान्वयन में देरी से बचने के लिए इन बैंकों को, कृषि ऋणों तथा अन्य सहायक क्रिया-कलापों के वास्ते सरलीकृत आवेदन पत्रों तथा उदार ऋण शर्तों को अपनाने की सलाह दी गई है।

आयकर छापों में लाकरों को सील किया जाना

773. **श्री नवीन रवाणी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में और 1980 के दौरान देश के विभिन्न भागों में आयकर विभाग तथा वित्त मंत्रालय की अन्य एजेंसियों द्वारा मारे गए छापों में विभिन्न व्यक्तियों और कम्पनियों के अनेक लाकरों को सील किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन लाकरों को सील करने तथा छापे मारने के क्या कारण है ;

(ग) जिन व्यक्तियों और कम्पनियों के लाकर सील किए गए हैं उनके नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ;

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

774. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनको कब तक स्थायी बनाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) सिफारिश की गयी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए, बने आदर्श (स्टाफ) सेवा विनियम (माडल (स्टाफ) सर्विस रेगुलेशन्स) को ये बैंक अपना लें। अधिकांश बैंकों ने इन्हें स्वीकार कर लिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों के स्थायीकरण की व्यवस्था

भी करते हैं बैंकों से, अपने विनियमों के उपबंधों के अधीन अपने कर्मचारियों के स्थायीकरण के वास्ते कार्रवाई आरम्भ करने को कहा गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 19 बैंकों ने उन कर्मचारियों को स्थायी कर भी दिया है जो कि नियमों के अधीन पात्र थे तथा बाकी बैंकों ने इस विषय में कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आवश्यक वस्तुओं का रक्षित भंडार को रखा जाना

775. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आवश्यक वस्तुओं का रक्षित भण्डार रखने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग के लिए खाद्य तेलों का दो महीने का समीकरण भंडार तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ढाई महीने का भंडार रखा जाता है। राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों के वितरण के लिए प्रत्येक राज्य के केन्द्र शासित प्रदेशों में भंडारण-सह-वितरण केन्द्र खोलेगा। राज्य व्यापार निगम द्वारा लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का लगभग 25,000 मे. टन का समीकरण भंडार भी रखा जाता है।

(घ) उपर्युक्त योजनाओं से आशा है कि सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई स्थिति सुगम हो जाएगी।

अजमेर नगर के लिए तृतीय स्तर की विमान सेवा

776. **आचार्य भगवान देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 1981 से आरम्भ की गई "वायुदूत" नामक तृतीय स्तर की विमान सेवा का विस्तार करने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1981 में राजस्थान के कौन-कौन से नगरों के लिए यह सेवा आरम्भ की जाएगी ; और

(ग) अजमेर नगर के लिए यह सेवा कब उपलब्ध की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन के उद्देश्य से ही बनायी गई वायुदूत नाम की नयी कम्पनी द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तीसरी वायुसेवाओं के परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसने 26 जनवरी, 1981 से परिचालन प्रारम्भ कर दिये है। देश के अन्य भागों में भी तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन प्रारम्भ करने के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

राणा प्रताप बाग दिल्ली में माल का पकड़ा जाना

777. श्री पियुष तिरकी :
श्री के० लक्कप्पा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध शाखा के अधिकारियों ने राणा प्रताप बाग दिल्ली में एक मकान से हाल में 60 लाख रु० के मूल्य की चांदी पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) पुलिस विभाग की अपराध शाखा से प्राप्त सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने 9 तथा 10 जनवरी 1981 को वी/4/11, राणा प्रताप बाग के श्री भोला राम के व्यापारिक तथा रिहायशी परिसरों की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान लगभग 48 लाख रुपये मूल्य की 1662.5 कि० ग्रा० वजन की चांदी तथा लगभग 94,000/- रुपये मूल्य के जवाहरात पकड़े गये।

इस मामले में जांच-पड़ताल चल रही है और यथा समय कानून के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जायगी।

इण्डियन एयरलाइन्स के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाया जाना

778. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवावधि बढ़यी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनेक कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) श्रेणी-वार, ऐसे कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस में जेट प्रकार के विमानों में लाइसेंसधारी इंजीनियरों तथा लाइसेंसधारी प्रधान विमानचालकों की अत्यधिक कमी के कारण, इंडियन एयरलाइंस ने अपनी परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इंजीनियर, विमानचालक आदि कुछ विशेष श्रेणी के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। उनको सेवा में रखने की आवश्यकता का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में किए गए इस प्रकार के पुनरीक्षणों के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि जिन व्यक्तियों की सेवावधि बढ़ाई गई थी उनको सेवानिवृत्ति कर दिया जाए और तदनुसार सेवानिवृत्ति पत्र जारी कर दिए गए है।

(ग) इस प्रकार के अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार से है ;

इंजीनियर	:	32
विमानचालक	:	5
तकनीकी प्रशिक्षक	:	1
अन्य	:	3

समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट

779. श्री के० टी० कोसलराम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में समुद्री उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुई 16.2% की गिरावट के क्या कारण है ;

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति ने लगभग दो वर्ष पहले कौन सी 8 सिफारिसें की थी ; और

(ग) छोटे मछुओं के हितों की रक्षा के लिए इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण है। भारतीय तट के पास श्रिम्प पकड़ने में अप्रत्याशित गिरावट, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में चार्टरिंग व्यवस्था को पुनर्नवीकरण न करना, विश्व की प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं में मंदी के कारण बाजार की अनिश्चित स्थिति व कीमतों में गिरावट, आयातकों द्वारा माल सूचियां दबा देने की मनमानी नीति हमारे प्रमुख बाजारों में क्वालिटी सम्बन्धी समस्याएं और ईंधन की ऊंची लागत, जिनसे मछली पकड़ने सम्बन्धी कार्य संचालन अलाभकर हो जाते हैं।

(ख) तथा (ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति ने 17 सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण सलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 1800/81)।

कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना

780. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे शीघ्रता-पूर्वक स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : क्योंकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की परिकल्पना कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली एक शीर्ष पुनर्वित्त संस्था के रूप में की गई थी इसलिए ग्रामीण ऋण से पहले से ही संबंधि विभिन्नत अभिकरणों से परामर्श करना था तथा बैंक के स्वरूप को अन्तिम रूप देने से पहले उसके विचारों पर भी ध्यान देना था। प्रस्तावित बैंक की स्थापना के बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रस्तावित बैंक की स्थापना के लिए एक विधेयक, संसद में, शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

मद्रास में खाद्य तेलों का स्टाक समाप्त हो जाना

781. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में खाद्य तेलों का स्टाक लगभग समाप्त हो गया है ;

(ख) क्या वनस्पति उद्योग को खाद्य तेलों की सप्लाई की मात्रा 95 प्रतिशत से कम करके 70 प्रतिशत कर देने संबंधी सरकार के निर्णय से खाद्य तेल की कमी हो गई है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने पश्चिमी जोन में वनस्पति एककों की खाद्य तेलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों का मौजूदा स्टाक तथा आने वाली प्रत्याशित मात्रा, पश्चिमी क्षेत्र की वनस्पति एककों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

782. श्री नारायण चौबे :

श्री पी० एम० सईद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हाल में जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनमें वृद्धि की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जनवरी, 1981 को समाप्त होने वाले पिछले दो महीनों के दौरान, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रूख रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, कुछ के स्थिर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य के घटे हैं ।

(ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सामान्य स्फीतिकारी दवावों के अलावा इन कारणों से मानी जा सकती हैं : 1979 के अभूतपूर्व सूखे का प्रभाव, 1979-80 के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आयी गिरावट, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में एक से अधिक वार हुई वृद्धि और अन्य देशों में मुद्रास्फीति की उच्च दरों का बने रहना ।

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रूख को रोकने के लिए सरकारी नीति में मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है । चालू तेल वर्ष के लिए खाद्य तेलों का आयात करने की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके । आवश्मक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया जा रहा है और कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुएं आयात की जा रही हैं । ऋण नीति प्रतिबंधात्मक बनी हुई है । राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किए गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।

1980 के दौरान मुद्रास्फीति तथा मुद्रा सप्लाई में वृद्धि

783. श्री नारायण चौबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में मुद्रास्फीति की दर क्या है तथा इसी वर्ष पूर्व वर्ष की तुलना में मुद्रा सप्लाई में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : थोक कीमतों के सूचकांक में (1970-71 = 00) मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 27 दिसम्बर, 1980 को 13.2 प्रतिशत थी जबकि 29 दिसम्बर, 1979 को यह 22.2 प्रतिशत थी। 1980 में कुल मौद्रिक साधनों (अर्थात् मुद्रा उपलब्धि और बैंकों के पास सावधि जमा रकमों) (में 28 दिसम्बर, 1979 और 26 दिसम्बर, 1980 के मध्य 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसकी तुलना में पूर्ववर्ती 12 महीनों में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। (1979 में बचत जमा की रकमों में पारिभाषिक परिवर्तनों के कारण मुद्रा उपलब्धि के पूरी तरह तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है)।

पश्चिम बंगाल में स्वतन्त्र वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना

784. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री निरेन घोष : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इस राज्य में एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा अब तक क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसी मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (**श्री मगनभाई बरोट**) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के लिए रिजर्व बैंक से आवेदन किया है, जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन बैंकिंग कारबार चलाने के प्रयोजन से एक कम्पनी स्थापित की जा सके। रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

आवश्यक खनिजों की खोज के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम

785. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने आवश्यक खनिजों की खोज के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न उद्योगों के लिए अत्यन्त अनिवार्य खनिजों की खोज में बराबर सक्रिय हैं और प्रत्येक खोज कार्य को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष निर्धारित अवधि के कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

(ख) खनिज समन्वेषण/खोज के महत्वपूर्ण समयबद्ध कार्यक्रम मैंगनीज अयस्क, टिन, टंगस्टन अयस्क, क्रोमाइट, हीरा और कोयला आदि के लिए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के विभिन्न भागों में किए गए खोज कार्यों के फलस्वरूप खनिजों के काफी भंडारों का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार अनुमानित खनिज भंडार हैं—मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनींदा क्षेत्रों में 17 28 मि० टन और उड़ीसा में 12 मि० टन ग्रेड-II मैंगनीज अयस्क, राजस्थान के सिरोही जिले में 65% वुल्फ्रैमाइट वाला 2300 टन वुलफ्रैमाइट, उड़ीसा की सुकिन्दा-नौशाही पट्टी में धात्विक और चार्ज क्रोम ग्रेड का 86·41 मि० टन ग्रोमाइट, मुख्यत: पूर्वीघाट पर 1800 मि० टन वाक्साइट। विहार, महाराष्ट्र तथा मेघालय में महत्वपूर्ण रिफैक्ट्री खनिजों जैसे कायनाइट और सिलिमेनाइट निक्षेपों का पता लगाने के लिए भी खोज जारी है। देश के विभिन्न भागों की महत्वपूर्ण पट्टियों में आधार धातु की खोज को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, वर्ष 1981 से मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में हीरे की खोज का काम तेज करने के लिए एक तीन वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोयले की खोज के लिए क्षेत्रगत सत्र 1980-81 से एक दस वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके 1989-90 तक चलते रहने की आशा है।

राजस्थान में सुपर जिंक प्रगालक संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व-सर्वेक्षण अध्ययन

786. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में निकट भविष्य में ही एक सुपर जिंक प्रगालक संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में कोई पूर्व-सर्वेक्षण अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञों ने इसको चित्तौड़गढ़ में स्थापित किए जाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या चितौड़गढ़ जो कि राजस्थान का एक पिछड़ा क्षेत्र है, को प्रस्तावित सुपर जिंक प्रगालक संयंत्र की स्थापना किए जाने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) की स्कीमें तैयार करने हेतु सरकार द्वारा गठित अलौह धातुओं के

कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट (जून, 1980) में, अन्य बातों के साथ-साथ, पश्चिमी क्षेत्र में 1,00,000 टन वार्षिक क्षमता का एक अतिरिक्त जस्ता प्रद्रावक और 35,000 टन वार्षिक क्षमता का सीसा प्रद्रावक स्थापित करने की सिफारिश की थी। नए सीसा/जस्ता प्रद्रावकों की स्थापना के लिए साध्यतापूर्व अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु पश्चिमी जर्मनी की एक परामर्शी फर्म मै० स्टीलवर्ग आई० जी० के साथ करार हेतु सरकार द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लि० को 29 अक्टूबर, 1980 को स्वीकृति दी गई थी। तदनुसार हिन्दुस्थान जिंक लि० ने उस विदेशी फर्म के साथ 12 नवम्बर, 1980 को एक करार किया। आशा है सलाहकार प्रस्तावित संयंत्र के लिए सर्वोत्तम स्थान की सिफारिश करेंगे। इसी बीच, हिन्दुस्तान जिंक लि० ने विभिन्न स्थलों के बारे में आंकड़े एकत्र करने शुरू कर दिए हैं। विचाराधीन स्थानों में चितौड़गढ़ भी शामिल है। राजस्थान सरकार ने इन जिलों के बारे में आधार-भूत अवस्थापना सम्बन्धी जानकारी मुहैया करने के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला स्तर समितियां बनाई हैं। जिला समितियों से रिपोर्टों के मिलने पर, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति इन आंकड़ों पर विचार करेगी और विभिन्न स्थलों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति और इनकी लागत जटिलताओं के बारे में हिन्दुस्तान जिंक लि० को विधिवत् सलाह देगी। तत्पश्चात् विदेशी सलाहकार इन आंकड़ों पर विचार करेंगे और विभिन्न स्थलों पर परियोजना की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता को देखकर हिन्दुस्तान जिंक लि० को प्रस्तावित सीसा/जस्ता प्रद्रावक के लिए उपयुक्त स्थान की सलाह देंगे।

राज्यों द्वारा 'ओवरड्राफ्ट' लिया जाना

787 **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्य सरकारें 'ओवरड्राफ्ट' की समस्या का सामना कर रही हैं;

(ख) ओवरड्राफ्ट की, राज्यवार, कितनी राशि दी गई है और क्या तत्संबंधी जानकारी सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) ओवरड्राफ्ट के मामलों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान द्वारा ओवरड्राफ्ट लिए जाने का प्रमुख कारण राज्य की आवश्यकता और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के बीच भारी अन्तर है ; और

(ङ) क्या वर्ष 1980-81 में राजस्थान द्वारा ओवरड्राफ्ट लिए जाने का कारण राज्य में गम्भीर सूखा और वित्तीय स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) 14 फरवरी, 1981 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ओवरड्राफ्ट निम्न प्रकार है:—

	(करोड़ रुपये)
असम	20.30
कर्नाटक	0.27
मध्यप्रदेश	31.48
मणिपुर	5.00
पंजाब	4.53
राजस्थान	86.55
त्रिपुरा	0.83
पश्चिम बंगाल	82.97

(ग) दो राज्यों के मामले को छोड़कर, जहां इस वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय के बीच असन्तुलन समय-समय पर ओवरड्राफ्टों के स्तर में हुई वृद्धियों के परिणामस्वरूप हुआ प्रतीत होता है, अन्य राज्यों के ओवरड्राफ्टों में कोई लगातार वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) राजस्थान का ओवरड्राफ्ट प्राप्तियों के प्रवाह का व्यय की गति के साथ समायोजन करने में राज्य की असमर्थता के कारण हुआ प्रतीत होता है। राज्य सरकार को राज्य आयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता योजना आयोग और राज्यों द्वारा मान्य निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाती है। सूखा राहत के लिए खर्च किए जाने वाले आवश्यक व्यय का भारत सरकार द्वारा अनुमान लगा लिया गया है और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान कर दी गई है। जबकि एक ओर सूखा ने राजस्व वसूलियों पर प्रभाव डाला है, वहां दूसरी ओर राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधनों को उस सीमा तक नहीं जुटाया जो उसने योजना आयोग के साथ 1980-81 के लिए वार्षिक आयोजना-परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय स्वीकार किए थे।

जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में अफीम परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करना

788. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम उत्पादकों से अफीम की खरीद के समय अफीम के परीक्षण की पद्धति दोषपूर्ण है चूंकि वहां पर किसी प्रयोगशाला के न होने के कारण बहुत से किसानों की अफीम उन्हीं बोरों में भर दी जाती है और परीक्षण के लिए भेज दी जाती है और क्या इसके परिणाम-स्वरूप गरीब अफीम उत्पादक बहुत दिक्कतें अनुभव कर रहे हैं और क्या सरकार का ध्यान कभी इस तथ्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या न केवल देश अपितु विश्व में भी सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक राज्य होने के बावजूद राजस्थान में कोई प्रयोगशाला नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान के चित्तोड़गढ़ जिले में जहां अफीम की प्रति हैक्टेयर औसत उपज देश में सबसे अधिक है, किसी प्रयोगशाला की स्थापना करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं । बताया गया है कि वर्तमान कार्यविधि के मुताबिक अफीम का, थैलों में पैक करने से पहले, अन्तिम परीक्षण किया जाता है और "हाथ से परख कर" और यूंही देखकर उसका वर्गीकरण किया जाता है । प्रत्येक थैले में, आमतौर पर, एक ही किस्म तथा वर्गीकरण की 35 किलोग्राम अफीम होती है । काश्तकारों से प्राप्त की गई अफीम का अन्तिम परीक्षण, गाजीपुर (उ० प्र०) तथा नीमच (म० प्र०) स्थित सरकारी अफीम कारखानों की प्रयोगशालाओं और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । फिलहाल राजस्थान राज्य में अफीम का परीक्षण करने के लिए कोई सरकारी प्रयोगशाला नहीं है । तथापि राजस्थान, देश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है क्योंकि वर्ष 1979-80 की फसल में मध्य प्रदेश में 3,63,944 (कि०ग्रा०) अफीम के उत्पादन के मुकाबले इस राज्य में कुल 3,32,684 (कि०ग्रा०) अफीम का उत्पादन हुआ था ।

(ग) जी, नहीं ।

कालीकट हवाई अड्डे के विकास के लिए नया प्राक्कलन

789. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** छठी योजना में कालीकट हवाई अड्डे के लिए धनराशि की व्यवस्था के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2644 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग-737 विमानों के परिचालन के लिए प्रस्तावित हवाई अड्डे का विकास करने के लिए व्यवस्था की गई है और नया प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है और क्या निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) इस परियोजना के लिए छठी योजना (1980-85) में प्रावधान किया गया है । इसके पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं और 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे । निर्माण कार्य के प्राक्कलनों के स्वीकृत हो जाने के छः महीने बाद आरम्भ कर दिए जाने की आशा है । निर्माण कार्य में लगभग चार वर्ष लगेंगे ।

त्रिवेन्द्रम हवाई-अड्डे के विस्तार के लिए अनुमानित लागत

790. **प्रो० पी. जे. कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है और उस पर कुल कितनी लागत आने के अनुमान है ;

(ख) अब तक कौन-कौन से काम पूरे हो गए हैं और कौन-कौन से पूरे होने बाकी हैं ।

(ग) सरकार से किन प्रस्तावों की मंजूरी प्राप्त होनी अभी बाकी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि इसमें कोई विलम्ब है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) जो निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जो कार्य चल रहे हैं और जिन नए कार्यों को छठी योजना (1980-85) में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण सूची के रूप में दिया गया है ।

विवरण

निर्माण कार्यों की सूची पूरे किए गए विकास कार्य

क्रम सं०	निर्माण-कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपयों में
1.	धावनपथ का 8500 फुट तक विस्तार तथा उसे एन०सी०एन—40 तक मजबूत करना	99.57
2.	संयोजी टैक्सी पथ का निर्माण	12.90
3.	परिचालन दीवार चरण II का निर्माण	10.75
4.	अन्तर्राष्ट्रीय विंग का विस्तार	1.98
5.	"आवासी" की व्यवस्था	6.00
6.	दो क्रैश टेंडरों की व्यवस्था	28.00
7.	फायर स्टेशन का निर्माण	5.00
	कुल	163.49

	स्वीकृत किए गए और चल रहे विकास कार्य	
1.	अन्तर्देशीय टर्मिनल भवन का विस्तार तथा परिवर्तन	43.47
2.	नियन्त्रण टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण	60 94
3.	धावनपथ का विस्तार (10000 फुट) तथा धावनपथ और सम्बद्ध पेवमैंट्स को एल०सी०एन—60 तक मजबूत करना	168 52
4.	नये अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण	213.61
5.	रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	15.90
	सुरक्षा सेवाएं तथा दार्ष्टिक उपकरण	
6.	दो वाटर बाऊजरों की व्यवस्था	6.00
7.	तीन बार-वासी-दो सैट	6.30
8.	उच्च वोल्टता वाली धावनपथ बत्तियां	6.30
9.	साधारण एप्रोच लाइट्स	5.22
10.	सुरक्षा जांच उपस्कर	
	(i) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर—3	0.48
	(ii) हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर—4	0.08
	(iii) एक्स-रे हैंड बैग चेकिंग सिस्टम—2	28.00
	रेडियो दिक्चालन उपकरण	
11.	उपकरण अवतरण प्रणाली (आई०एल०एस०) की व्यवस्था	50.00
12.	विस्तारित परास बी०एच०एफ० संचार प्रणाली की व्यवस्था	40.00
13.	सिंगल साइड बैंड मोड में उच्चावृत्ति हवाई-भ संचार प्रणाली की व्यवस्था	30.00
	कुल	674.82

1981-82 में आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य

(1-4-1981 के बाद)

1.	कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था	2.00
2.	समुदाय केन्द्र का निर्माण	2.00

3.	दर्शक दीर्घा की व्यवस्था	2.00
4.	एप्रोज लाइट के लिए भूमि का अधिग्रहण	20.00
5	सुरक्षा कर्मचारी कार्यालय तथा क्वार्टरों का निर्माण	3.00
6.	मकेनिकल स्वीपर	7 00
	कुल	36.00

फालतू कोको-फलियों का निर्यात

791. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री कोको-फलियों के निर्यात के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य विपणन फेडरेशन के पास फालतू पड़ी कोको-फलियों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) केरल राज्य विपणन फेडरेशन के पास निर्यात के लिए कुल कितनी मात्रा में कोको-फलियां हैं ;

(ग) उनका निर्यात करने में क्या बाधायें हैं ; और

(घ) फालतू कोको-फलियों का निर्यात करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) (ग) तथा (घ) कोको फलियों के निर्यात की अनुमति बिना किसी मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध के दी जाती है । मैसूर सेल्स इंटरनेशनल केरल राज्य विपणन संघ को अतिरिक्त कोको फलियों के निर्यात करने में सहायता देने को राजी हो गया है । विश्व बाजारों में कोको फलियों की कीमतों में गिरावट का रूख तथा भारतीय कोको फलियों में अम्लता इसके निर्यात में मुख्य बाधायें रही हैं ।

(ख) संघ ने सूचित किया है कि उसके पास 680 मे० टन फलियों का स्टाक है जिनमें 280 मे० टन वे भी शामिल हैं जिसके निर्यात के लिये संविदा हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश में खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण

792. **श्री जैनुल बशर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) राज्य में कहां कहां किन-किन खनिजों के मिलने की संभावना है ; और

(घ) इस संबंध में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सर्वे किए गए स्थल और वहां पाए जाने वाले खनिज नीचे बताए गए हैं :

स्थल	खनिज
1. इलाहाबाद	कांच रेत, बाक्साइट और शोरा ।
2. बांदा	गोमेद बाक्साइट, डोलोमाइट, कांच रेत, गेरु और पोटाश ।
3. झांसी	आधार-धातुएं (तांबा), लौह आयस्क और पाइरोफिलाइट ।
4. ललितपुर	आधार-धातुएं, (तांबा), बाक्साइट, कांच रेत और फास्फोराइट ।
5. मिर्जापुर	ऐन्ठलूसाइट, गोमेद, आधार-धातुएं (तांबा और सीसा) कोयला कैल्साइट, हीरा, अग्नि मिट्टी, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, जेस्पार और संगमरमर ।
6. वाराणसी	बाक्साइट और शोरा ।
7. अलमोड़ा	आधार-धातु (तांबा और सीसा), डोलोमाइट, ग्रैफाइट, मैगनेसाइट खेलखड़ी, (सोप-स्टोन) ।
8. चमोली	एंटीमनी अयस्क (स्टिबनाइट) आधार-धातु (तांबा) और डोलोमाइट ।
9. देहरादून	बैराइट, आधार-धातुएं (तांबा और सीसा), डोलोमाइट, जिप्सम, चूनापत्थर और फास्फोराइट ।
10. पौड़ी	आधार-धातुएं (तांबा) और जिप्सम ।
11. पिथौरागढ	सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर, आधार-धातुएं (तांबा), मैगनेसाइट और खेलखड़ी (सोप स्टोन) ।
12. टिहरी	आधार-धातुएं (तांबा) डोलो माइट और जिप्सम ।
13. उत्तरकाशी	आधार-धातुएं (चांदी युक्त सीसा) ।

(घ) (1) देहरादून के फास्फोराइट भंडारों तथा अलमोड़ा और पिथौरागढ़ के मैंगनेसाइट सेलखड़ी (सोप स्टोन) भंडारों का इस समय विदोहन किया जा रहा है।

(2) ललितपुर जिले की बीजावार पट्टी में फास्फोराइट के भंडारों, किस्म और ग्रेड की पुष्टि के लिए विस्तृत खोज की जा रही है।

(3) पौड़ी जिले में आधार-धातु (सीसा) खनिजीकरण पर गत कुछ वर्षों से खोज कार्य किया जा रहा है।

(4) ललितपुर जिले में बाक्साइट के छिट-पुट भंडारों पर विस्तृत कार्य किया जा रहा है।

(5) मिर्जापुर जिले में हीरे की संभावित प्राप्ति के लिए इस समय विस्तृत खोज की जा रही।

(6) इलाहबाद और बांदा जिलों में इस समय कांच-रेत भंडारों का पता लगाने के लिए खोज की जा रही है।

(7) अलमोड़ा और पिथौरागढ़ के कुछ भागों में टंगस्टन, टिन और सोने के सम्बन्धित प्राप्ति-स्थलों की इस समय गहन खोज की जा रही है। अब तक प्राप्त नतीजे उत्साहवर्द्धक हैं।

देश में प्रत्येक बैंक शाखा के लिए औसत जनसंख्या

793. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक बैंक शाखा के पीछे औसत जनसंख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह औसत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस बारे में व्याप्त असंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसंबर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार संपूर्ण देश में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या 16,000 थी।

(ख) जी, हां। देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, वर्ष 1979-81 के तीन वर्षों की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के प्रयासों में मुख्यत: इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बैंकिंग की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम व्याप्ति वाले जिलों के बैंक

रहित उन ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली जाएं, जहां ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों के प्रति 20 हजार लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। इस मानदण्ड के अनुसार, देश के कमी वाले जिलों में, ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 6500 शाखाएं खोली जानी हैं। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों के परामर्श से क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण

दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय की औसत जनसंख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या (हजार में)
1. आंध्र प्रदेश	15
2. असम	31
3. बिहार	26
4. गुजरात	12
5. हरियाणा	13
6. हिमाचल प्रदेश	10
7. जम्मू तथा कश्मीर	11
8. कर्नाटक	12
9. केरल	9
10. मध्यप्रदेश	20
11. महाराष्ट्र	14
12. मणिपर	30
13. मेघालय	17
14. नागालैण्ड	13
15. उड़ीसा	24
16. पंजाब	9
17. राजस्थान	17
18. तमिलनाडु	14
19. त्रिपुरा	19
20. उत्तर प्रदेश	22

21.	पश्चिम बंगाल	21
22.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	9
23.	अरुणाचल प्रदेश	24
24	चण्डीगढ़	4
25.	दादरा तथा नगर हवेली	12
26.	दिल्ली	5
27	गोवा, दमन और दीव	4
28.	लक्षद्वीप	6
29.	मिजोरम	27
30.	पांडिचेरी	9
	अखिल भारतीय	16

यूरोपीय बैंकों से ऋण

794. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय बैंकों से लगभग 1,000 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा अब तक किए गए प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा है और यूरोप की राजधानियों में कुछ प्रमुख बैंकों की क्या प्रतिक्रिया रही है ; और

(ग) किस ब्याज दर पर विदेशी मुद्रा का ऋण प्राप्त होने की संभावना है और कितनी अवधि में भुगतान किया जाएगा और भुगतान की विधि क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) विदेशों से जुटाए जाने वाले वाणिज्यिक उधार छठी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान विकास कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाने की संभावना है ; किन्तु इस प्रकार के उधार केवल अधिक उपज वाली परियोजनाओं के लिए ही जुटाए जाते हैं जिनकी बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋणों अथवा आस्थगित सम्भरक/क्रेता ऋणों द्वारा वित्त व्यवस्था नहीं की जा सकती । बैंकों द्वारा पेश किए गए ऐसे ऋण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में 2080 लाख यूरो डालर के ऋण प्राप्त किए जा चुके हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए (2000 लाख डालर) और उड़ीसा अल्युमिनियम परियोजना के लिए (6800 लाख डालर) ऋण जुटाने के सम्बन्ध में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

(ग) यूरोपीय-करेन्सी ऋणों पर ब्याज लन्दन अन्त: बैंक द्वारा प्रस्तुत दर से जुड़ा है। सही-सही शर्तें अर्थात वापसी अदायगी की अवधि लन्दन अन्त: बैंक द्वारा प्रस्तुत व्याप्ति की दर तथा बैंक कमीशन आदि जैसी शर्तें प्रत्येक मामले में अलग से तय की जाती हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, महाराजापुर में लूटपाट

795. **श्री एम०एम० कृष्ण :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उत्तर-प्रदेश सीमा पर (जिला गाजियाबाद) स्टेट बैंक आफ इंडिया की महाराजपुर शाखा से 20 जनवरी, 1981 को दोपहर को 7 लाख रुपए लूट लिए गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है तथा लटी गई राशि को बरामद कर लिया गया है ; और

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं में विशेषकर जो खुले स्थानों पर स्थित हैं, उनमें सशस्त्र गार्ड नियुक्त करने के लिए अब क्या प्रभावकारी उपाय करने का विचार है जिससे दिन दिहाड़े प्राय: होने वाली लूटपाट की घटनाओं को रोका जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 20 जनवरी, 1981 को इसकी महाराजपुर शाखा में डकैती पड़ी थी तथा डाकुओं द्वारा 5,66,712/- रुपए की राशि लूटी गई थी।

(ख) बैंक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी थी लेकिन अभी तक अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं। उनके द्वारा लूटी गई नकदी भी अभी तक बरामद नहीं हुई है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय ने तुरन्त ही शाखा के निगरानी प्रबन्धों की समीक्षा की है तथा शाखा के लिए समुचित सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की है। यह भी सूचना दी गई है कि बैंक, महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित अन्य शाखाओं की स्थिति के सम्बन्ध में भी समीक्षा कर रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम प्रशिक्षा, कार्यवाही समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों पर निर्णय

796. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री भारत पर्यटन विकास निगम प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधित्व के बारे में 5 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास कारपोरेशन प्रशिक्षण कार्यवाही समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों पर भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी निगम के विचाराधीन है। तथापि, सरकारी/गैर-सरकारी सेक्टर के उद्यमों द्वारा अपने प्रशिक्षुओं को अदा किए जाने वाले स्टाइपैन्ड, आदि से सम्बन्धित आवश्यक सूचना एकत्र की गई है और अन्तिम निर्णय लेने के लिए उसकी जांच की जा रही है।

भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों का विस्तार कार्यक्रम

797. श्री बी० डी० सिंह :

श्री इन्द्रजीत यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार की अनुमानित लागत में विस्तार कार्यक्रम के पूरा करने में और विलम्ब के कारण काफी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इन इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा न हो सकने के लिए उत्तरदायी परिस्थितिया क्या है तथा उनके परिणामस्वरूप लागत में कितनी अनुमानित वृद्धि होगी ; और

(ग) इसमें यदि कोई बाधाएं हैं तो उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) मुख्य सम्भारकों द्वारा उपस्करों की सप्लाई और कन्सार्शियम द्वारा संविरचित ढांचों की सप्लाई में हुई देरी, बिजली की सप्लाई में भारी कटौती, जिसके कारण स्थल पर सिविल निर्माण और संरचनात्मकों की स्थापना के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और समय-समय पर सीमेंट और डीजल की कमी आदि जैसे कारणों से कुछ क्षेत्रों में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप भिलाई और

बोकारो के प्रत्येक इस्पात कारखाने के 40 लाख टन चरण के विस्तार के निर्माण-कार्य में और बिलम्ब हो गया है. जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	चालू करने की स्वीकृत तारीख	चालू करने की सम्भावी तारीख
भिलाई	31 दिसम्बर, 1981	अक्तूबर 1982
बोकारो	जून, 1979 ठंडी बेलन मिल के अलावा।	सितम्बर, 1982
बोकारो की ठंडी बेलन मिल	दिसम्बर, 1982	सितम्बर, 1983

किलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों के विस्तार के स्वीकृत लागत अनुमान (वर्ष 1974 के मूल्यों पर आधारित) और संशोधित वास्तविक अनुमान नीचे दिए गए है :—

(करोड़ रुपये)

	स्वीकृत	संशोधित
भिलाई	937.70	1459.70
बोकारो	947.24	1279.47

कारखानों द्वारा परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की प्रायः समीक्षा की जाती है, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात विभाग अभिकरणों पर जोर देते रहते हैं कि वे निश्चित समयानुसूची का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय करें। आदानों की आपूर्ति की कमी दूर करने के लिए सहायता हेतु सम्बन्धित मंत्रालयों/संगठनों से भी सम्पर्क किया जाता है।

एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग न किया जाना

798. **श्री बी०डी० सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री जगपाल सिंह :
श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 के दौरान देश में एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा क्षमता के उपयोग में यदि कोई गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है और 1980-81 के दौरान क्षमता के उपयोग में किस हद तक तेजी आई है;

(ख) देशी उत्पादन क्षमता अनुपयुक्त रहने पर एल्यूमिनियम केबिल की कितनी मात्रा आयात की गई और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) एल्यूमिनियम उद्योग द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं और एल्यूमिनियम के निर्यात पर निर्भरता को न्यूनतम करने की दृष्टि से इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) और (ग) 1979-80 के दौरान एल्यूमिनियम का उत्पादन लगभग 192,000 टन था जो लगभग 60% क्षमता उपयोग का द्योतक है। क्षमता का कम उपयोग प्रद्रावकों पर सितम्बर, 1979 से लागू भारी बिजली कटौतियों के कारण हुआ। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली की पूर्ति में प्राथमिकता दें ताकि क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके और धातु का आयात कम हो। चालू वर्ष में मानसून शुरू होने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ। दिसम्बर, 1980 को समाप्त तिमाही में गत वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में उत्पादन 51% अधिक हुआ। चालू वर्ष में उत्पादन लगभग 200,000 टन होने की आशा है।

(ख) सभी एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स (ए०ए०सी०), एल्यूमिनियम कन्डक्टर्स स्टील रोइन्फोर्सड (ए०सी०एस०आर०), केबुल्स और वायर्स वर्तमान आयात नीति के प्रतिबंधित मदो की सूची में सम्मिलित है। परन्तु आई०डी०ए० से सहायता-प्राप्त कार्यक्रमों में विश्वव्यापी आधार पर टेंडर आमंत्रित करने होंगे। अक्टूबर, 1980 में कोरबा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट के लिए कुल 91 कि०मी० केबुल्स के आयात के लिए 1.57 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को स्वीकृत किया गया ऋण

799. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनवरी-दिसम्बर, 1980 के दौरान बैंक-वार, श्रेणी-वार और महीने-वार कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कमजोर वर्गों को स्वीकृत किए गए ऋणों की प्रतिशतता क्या है तथा ये ऋण किन योजनाओं हेतु दिए गए हैं;

(ग) कमजोर वर्गों तथा सामान्य लोगों को ऋण मंजूर किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अनुदेश क्या हैं;

(घ) ये मार्गदर्शी सिद्धान्त कब जारी किए गए थे;

(ङ) अपने पिछले अनुभव को देखते हुए, क्या सरकार का प्रस्ताव इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने का है ; और

(च) यदि हां, तो किस ढंग से तथा कब तक ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) जनवरी, से दिसम्बर, 1980 के प्रत्येक महीने के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों और अग्रिमों में होने वाली महीनेवार वृद्धि के संबन्ध में उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध I में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी०-1861/81] बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के सम्बन्ध में ब्यौरेवार आंकड़े केवल जून, 1978 के बारे में ही उपलब्ध हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने " बैंकिंग सांख्यिकी बी०एस०आर० संक्षिप्त निष्कर्ष-जून, 1978" नामक अपने प्रकाशन में प्रकाशित किया है। अलबत्ता, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल ऋण के क्षेत्रवार वितरण के त्वरित कुल अनुमान वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए उपलब्ध है और वे अनुबन्ध II में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 1861/81]।

(ग) से (च) बैंकों के ऋण परिचालनों के उन विभिन्न पहलुओं के बारे में जिनका सम्बन्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, कमजोर वर्गों ग्रामीण क्षेत्रों आदि को ऋण प्रदान करने की गति से है, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाते है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, अभी हाल ही में जो मार्गदर्शी सिद्धान्त बैंकों को जारी किए हैं, उनका सम्बन्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने की योजना को तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को बैंकों द्वारा कार्यान्वित किये जाने की पद्धतियों से है। इन्हें अभी हाल ही में 29 अक्टूबर, 1980 को जारी किया गया है तथा इनमें किसी संशोधन की सम्भावना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्टूबर, 1980 को उपर्युक्त विषय पर बैंकों को, जारी किए गए दो पत्रों की एक-एक प्रति अनुबन्ध-3 में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 1861/81)।

साबरमती आश्रम में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आरम्भ करना

800. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबरमती आश्रम में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था;

(ख) यह कार्यक्रम कब से बन्द कर दिया गया है ;

(ग) उक्त कार्यक्रम को बन्द कर देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इसे पुनः आरम्भ करने का है ; और

(ङ) इसे कब पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) साबरमती आश्रम में ध्वनि और प्रकाश शो का 21 अप्रैल 1972 को उद्घाटन किया गया।

(ख) 12 मार्च, 1979 से यह शो अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है।

(ग) विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों द्वारा गांधी जी की आवाज की नकल के घटिया होने के बारे में राय जाहिर की गई है। इसके अलावा, प्रस्तुतीकरण का स्तर सुधारने के लिए जनता और गांधी जी के निकटवर्ती सहयोगियों से भी अनेक अन्यान्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतएव यह महसूस किया गया कि कार्यक्रम को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

(घ) जी, हां।

(ङ) शो की माउंटिंग करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रकार की टेपों के उपलब्ध न होने के परिणाम-स्वरूप शो को पुनः आरम्भ करने में देर हुई है; सितम्बर, 1980 में इसके प्रारम्भ किए जाने की आशा थी। तथापि, शो को शीघ्रतर प्रारम्भ करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कुदरेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड बंगलौर तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के कार्यकरण की वर्ष 1979-80 सम्बन्धी (समीक्षाएं) और वार्षिक प्रतिवेदन तथा नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम के अधीन सूचना।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कुदरेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा ससीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कुदरेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षक लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। [ग्रंथालयमें रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1821/81]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी* संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी *संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० –1822/81]

(2) नेशनल कम्पनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कम्पनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 14 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० – 1823/81]।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह केवल विशेषाधिकार के हनन का ही प्रश्न नहीं है। इस मामले में कुछ बातें सम्मिलित हैं····।

अध्यक्ष महोदय, : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं सीधे ही विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस पर विचार करूंगा। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा, इस पर विचार करूंगा। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय यह गलत हो रहा है। कृपया मेरी बात सुनिए। आपने कहा है कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*अंग्रेजी संस्करण 19 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं, इसे वापिस नहीं लूंगा। यह तर्क संगत नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कौन सी बात तर्कसंगत नहीं है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं सदन का ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप कर सकते हैं, परन्तु मेरी अनुमति से ही।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूं। मैं इसी समय विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया खण्ड को देखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने दोनों खण्ड पढ़ लिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमानुसार चलना है। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : पटनायक जी कुछ नियम भी तो हैं। मैं उनसे परे नहीं जा सकता हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। मैं इन नियमों से बन्धा हूं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे स्वयं संतुष्ट होने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने आज सवेरे 9 बजे आपको सूचना भेजी थी। मैं पिछली सारी रात इसे पढ़ता रहा।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, परन्तु मैं इतने समय में इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मुझे इसके लिए समय चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सदन को तुरन्त इस मामले पर विचार करना चाहिए। अन्य मामले बाद में लिए जा सकते हैं। (व्यवधान)।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हाउस आफ कामन्स में वित्त मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने बजट पहले प्रकट हो जाने पर हाउस आफ कामन्स में त्यागपत्र दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको वह विनिर्णय भी दूंगा। मैं आपको वह विनिर्णय दिखाऊंगा।

अब श्री खुर्शीद आलम खान ...। सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

भारतीय राज्य रसायन तथा औषध निगम लिमिटेड, और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड के कार्यकरण की वर्ष 1979-80 और चपड़ा निर्यात संवर्धन, परिषद् कलकत्ता के कार्यकरण की वर्ष 1978-79 और 1979-80 संबंधी समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय राज्य रसायन तथा औषध निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य रसायन तथा औषध निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये/देखिए संख्या एल टी०—1824/81]।

(ख) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये/देखिए संख्या एल टी०/1825/81]

(ग) (एक) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० - 1826/81]।

(2) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन, परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1827/81]।

(5) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एयर कम्प्रेसरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 10 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मोटरयान फालतु उपकरण, पुर्जे तथा सहायक उपकरण (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 11 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बाइसिकलों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 12 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चमकीली इस्पात छड़ों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 13 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कास्ट आयरन सायल पाइपों और फिटिंगों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन, नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 14 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) कास्ट आयरन मेनहोल कवरों और फ्रेमों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 15 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कास्ट आयरन स्पन पाइपों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण संशोधन, नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 16 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) डीजल इंजनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 17 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) घरेलू रेफ्रीजरेटरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 18 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) शुष्क बैटरियों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 19 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) विद्युत केबलों और कंडक्टरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 20 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विद्युत बल्बों तथा ट्यूबों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 21 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) विद्युत पंखों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 22 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) एनामल तारों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 23 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) विस्तारित धातु इस्पात चादरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 24 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) फास्नरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 25 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) फ्लेश लाइटों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 26 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठारह) औद्योगिक चेनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 27 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) हल्के इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 28 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) पाइप फिटिंगों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 29 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) विद्युत चालित पम्पों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां आ० 30 में प्रकाशित हुए थे

(बाईस) विद्युत ट्रांसफार्मरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 31 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) रूम एयर कंडीशनरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 32 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) सेनीटरी वाटर फिटिंगों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 33 में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) सिलाई की मशीनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 34 में प्रकाशित हुए थे ।

(छब्बीस) चांदी चढ़े वर्तनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 35 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताईस) छोटे औजारों और हाथ के औजारों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां० आ० 36 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठाईस) स्टेनलेस स्टील बर्तनों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 37 में प्रकाशित हुए थे ।

(उनतीस) इस्पात ट्यूबों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 38 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) इस्पात ट्रंकों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 39 में प्रकाशित हुए थे ।

(इकतीस) इस्पात तार रस्सों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 40 में प्रकाशित हुए थे ।

(बत्तीस) स्टोरेज बैटरियों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 41 में प्रकाशित हुए थे ।

(तैंतीस) ट्रांसमिशन लाइन टावरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 42 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौंतीस) वाल्वों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनाँक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 43 में प्रकाशित हुए थे ।

(पैंतीस) वाटरकूलरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 44 में प्रकाशित हुए थे ।

(छत्तीस) वैल्डिंग एलक्ट्रोडों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 45 में प्रकाशित हुए थे ।

(सैंतीस) इस्पात तार स्ट्रैंडों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 46 में प्रकाशित हुए थे ।

(अड़तीस) पी० वी० सी० लैदर क्लाथ (निरीक्षण) नियम, 1981 जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 49 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्तालीस) नील का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1981 जो दिनांक 10 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 92 में प्रकाशित हुए हैं । (ग्रंथालय में रखे गए । देखिए सख्या एल० टी० 1828/81) ।

6. (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । (ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1829/81) ।

7. (एक) परिष्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) परिष्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

8. उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1830/81)।

9. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1831/81)।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के कार्यकरण का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवदन और समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूति निधि विनियमों के संशोधन, न्यु इण्डिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और होटल आमदनी कर नियमों, आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क, अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नमक अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचनाएं।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

   (दो) भारतीय लोक प्रशासन, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1832/81)।

2. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूति निधि विनियमों के संशोधनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1833/81)

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत न्यू इण्डिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड बम्बई के 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)** की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1834/81)।

** समीक्षा का हिन्दी संस्करण और समीक्षा तथा प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 22 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखे गए थे।

4. होटल आमदनी कर विधेयक, 1980 की धारा 34 की उपधारा (4) के अन्तर्गत होटल आमदनी कर नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां० आ० 81 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1835/81)।

5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 46 (ङ) में प्रकाशित हुई थी। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1836/81)।

6. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० नि० 52 (ङ) और 53 (ङ) जो दिनांक 9 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारत से निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण हेतु आयात किए गए पूंजीगत माल, कच्चे माल और पुर्जों को समूचे मूल सहायक और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 57 (ङ) जो दिनांक 10 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 1 जनवरी, 1981 की अधिसूचना के अधिक्रमण में कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1837/81)।

7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 109 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 31 जनवरी 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 110 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी०—1838/81)।

8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 48 (ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 3 जून 1972 की अधिसूचना संख्या 141/72-सी० ई० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1839/81)।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया जा रहा है। अब भी सुनील मैत्रा बोलेंगे। (व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा रहा है।

संसद का कार्य इन नियमों के अनुसार चलेगा, आपके अपने नियमों के अनुसार नहीं। आपने जो नियमपुस्तिका मुझे दी है, उसी के नियमों के अनुसार इसका कार्य चलेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : लोहारू वाले मामले पर क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यह राज्य का विषय है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्री राजदा अपने विशेषाधिकार के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। मैंने तथ्य मांगे है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, आप देवीलाल जी की बात सुन लीजिए...।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हे अनुमति नहीं दी है ।

श्री रामविलास पासवान : मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका जिक्र यहां नहीं करूंगा । आप आकर मुझे मिल सकते हैं । आप रामविलास जी थोड़ा सा किताब को देख लें, तब शायद आप मुझको नहीं कहेंगे... (व्यवधान)... ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : मैं नियमों का हवाला दे सकता हूं । यह नियम 355 है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब देखा है, पढ़ा है, सुबह से यही काम कर रहा हूं...(व्यवधान) ... देवीलाल जी, इस का यह मतलब नहीं है कि कोई भी सवाल यहां पर उठाया जा सकता है ...(व्यवधान)... आप इस पर बहस कीजिए, प्रेजिडेन्ट एड्रेस या बजट की बहस के वक्त बोलिये, उस पर कोई रोक नही है । ...(व्यवधान)*... ।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए । (व्यवधान) एक गलत नोशन बैठता जा रहा है कि जीरो-आवर एक मिस-नामर है, इस में कोई भी चीज उठा सकते हैं । मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं—यदि वह थोड़ा सा रूल्ज का अध्ययन कर लें ...(व्यवधान)... अगर नहीं करेंगे तो कोई इलाज नहीं है — अगर आप मेरी बात सुन लें तो शायद मेरे साथ सहानुभूति भी करेंगे और बात को समझ भी जायेंगे । बड़ी सीधी सी बात है — कोई भी समस्या बगैर डिस्कशन के नहीं जायेगी और एक दिन में एक समस्या का समाधान यहां हो सकता है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप सब के नेतागण बैठे होते है — अगर कोई ऐसी जरूरी बात हो तो उन को बतला दीजिए वहां बैठ कर उस को कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से 15-20 मिनट यहां जाया हो और इर्रेलेवेन्ट हों... ।

एक माननीय सदस्य : रेलेवेन्ट हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके हिसाब से है, लेकिन मैं कानून के हिसाब से कह रहा हूं ; विधि के हिसाब से कह रहा हूं...(व्यवधान)... ।

मेरा आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं सभा के कार्य संचालन से सम्बन्धित हूं । मुझे नियम अच्छी तरह से याद हैं । अब मुझे इनका ध्यान है । मुझ पर कोई हावी नहीं हो सकता । जो आपने मुझे बताया और जो कुछ आपने मुझे दिया है मुझे उसके अनुसार चलना है ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

आप बतायें कि मेरी गलती क्या है और मैं कहता हूं कि मैं जैसे आप कहेंगे, उसके अनुसार ही चलूंगा। मैं हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवाता हूं लेकिन अन्यकाल में इस प्रकार की चर्चा बहुत आगे बढ़ रही है और इससे हमें नुकसान हो रहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : महोदय...।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश, आप आकर मुझे बता सकते हैं। आप भी कार्य मंत्रणा समीति में हैं और मैंने उस दिन आप को बताया था कि आप सारी सभा के लिए प्राथमिकता निश्चित कर सकते हैं और मैं कार्य को उसके अनुसार चला सकता हूं। कोई भी बात बाध्यकारी नहीं है (व्यवधान)।

श्री रामविलास पासवान : आप काल एटेन्शन में लीजिए, एडजार्नमैंट में लीजिए, किसी में लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बतायें कि मैं इसे किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दूं।

श्री रामविलास पासवान : आपको मैंने एडजार्नमेंट मोशन रूल के तहत दिया है, काल एटेन्शन दिया है (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, इसे नहीं लिया जा सकता। यह असम्भव है कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री रामविलास पासवान : तो हम वाक आउट करते हैं (व्यवधान)*...।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा आप ऐसा कर सकते हैं।

(श्री रामविलास पासवान तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए) (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इसे नहीं कर सकता — असंगवत बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएंगी।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय मैंने समूची सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं इस भावना से प्रेरित रहा कि समूची सभा के नाम तथा ख्याति खतरे में न पड़े और इसी कारण मैंने सोचा कि मैं इस प्रश्न को उठाऊं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे उठाया है और यह मेरे विचाराधीन है। मैंने इसे पी. टी. आई. को भेजा हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : "एम पीज चक्सचेंज बलोज" शीर्षक से एक एक ऐसी धारणा होती है कि सभा के सारे सदस्य इसमें व्यस्त थे। मैं पी. टी. आई. अथवा किसी और पर सन्देह नहीं प्रकट करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : शकल देखने से धोखा भी हो सकता है।

श्री रतनसिंह राजदा : केवल उस धारणा को दूर करने के लिए ही मैं इस प्रश्न पर बल नहीं दे रहा। मैं वहां था। मैं जानता हूं कि क्या हुआ मैंने किसी को भी मुक्केबाजी करते हुए नहीं देखा।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते है।

श्री रतनसिंह राजदा : लेकिन मैं इसे भूल सकता था मैं नही जानता।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी मुक्केबाजी नहीं हुई।

श्री रतनसिंह राजदा : मैंने इस मामले को उठाया है लेकिन मैं उस दुष्टि से प्रेस पर कोई संदेह नहीं करता। मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा।

अध्यक्ष महोदय: बिलकुल ठीक।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्*...।

अध्यक्ष महोदय : यह बात अप्रसंगिक है। मैं इसे पहले ही अनुमति दे चुका हूं। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : नियम 377 के अन्तंगत वक्तव्य देने के लिए भी अनुमति नही दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको अनुमति दे चुका हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : एक मिनट मुझे भी दे दीजिए। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसको आपने रिजेक्ट कर दिया मै यह चाहता हूं कि उस पर बहस का समय आप दें, चाहे आधा ही घंटा आप दें। (व्यवधान)।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे बाद में (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा नहीं होती है । अप्रसंगित बातों तथा प्रश्नों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये । (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, यहां कोई समय नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार के गिरिडीह जिला में भादुआ कोयला खानों में खनिजों के फंस जाने का समाचार

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

'बिहार को गिरिडीह जिला में भादुआ कोयला खानों में खनिकों के फंस जाने का समाचार'

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : श्रीमान मुझे सदन को यह सूचित करना है कि गिरीडीह कोलीयरी के भादुआ हिल एरिया में सीरामपुर नामक एक पुरानी और परित्यक्त खान में 13-2-81 को जमीन का धंसाव हो गया । यह खान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के बी. ऐन्ड के. एरिया के गिरीडीह ग्रुप की उन खानों में से एक है जिनका प्रबन्ध अक्तूबर, 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के स्थापना के समय रेलवे से लिया गया था । गिरीडीह में 5 कार्यरत खानें हैं । इसके अलावा अनेक पुरानी खानें हैं जिनका परित्याग कर दिया गया है और सीरामपुर इनमें से एक है । परन्तु इन परित्यक्त खानों में गैर कानूनी खनन कार्य होने की रिपोर्टें मिलती रही हैं ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

2. जमीन के इस धंसाव की सूचना मिलने पर, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के स्थानीय प्रबन्धकों ने इस धंसे हुए क्षेत्र में पहुंचने का रास्ता निकालने के लिए तुरन्त कदम उठाए और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के मुख्यालय को भी इसकी सूचना पहुंचाई। दिनांक 15 फरवरी, 1981 को से. को. लि. और खान सुरक्षा महानिर्देशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस इलाके का संयुक्त निरीक्षण किया। इन लोगों ने धंसी हुई जमीन के दूसरी ओर से प्रवेश योग्य रास्ते से गैर-कानूनी खनन स्थलों का भी भूमि के नीचे निरीक्षण किया। लगभग 150 मीटर X 50 मीटर इलाका भादुआ हिल की ढलान के साथ साथ धंसा हुआ पाया गया। जमीन गहराई में लगभग एक मीटर धंस गई थी। इस बात के काफी प्रमाण थे कि इस इलाके में गैर-कानूनी खनस कार्य किया गया था। परन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि यहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।

3. उप आयुक्त ने, यदि कोई व्यकित खोए हों तो उनके बारे में सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से, आसपास के ग्रामों में स्थानीय कर्मचारियों के दल भेजे तथा गिरीडीह शहर में और आसपास के गांवों में इस सम्बन्ध में घोषणाएं भी करवाई। किन्तु 19 फरवरी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी। कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष भी दुर्घटना स्थल पर गए है और उन्हें भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि यहां किसी व्यकित की मृत्यु हुई है। पुलिस थाने में भी किसी व्यक्ति के खोने के बारे में अथवा किसी की मृत्यु हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गयी है।

4. कोयले के गैरकानूनी खनन को कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम के अधीन एक दण्डनीय अपराध बना दिया गया है। किन्तु फिर भी कुछ लोग विभिन्न अदालतों से अन्तिम एकतरफा आदेश प्राप्त करके कोयले का गैरकानूनी खनन कर रहे थे। मई, 1980 में उच्चतम न्यायलय ने अपने एक निर्णय में कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम को विधिसम्मत ठहराया और यह घोषित किया कि प्राधिकृत व्यक्तियों के आलावा कोई अन्य व्यक्ति देश में कोयले के खनन के लिए पट्टा नहीं प्राप्त कर सकता और कोयले का खनन भी नहीं कर सकता। इस निर्णय से गैरकानूनी खनन को रोकने में काफी मदद मिली थी। राज्य सरकार समय-समय पर छापे मारती रही है और इस प्रकार के गैरकानूनी खनन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करती रही है। से. को. लि. की गिरीडीह परियोजना के सुरक्षा कर्मचारियों ने भी इस प्रकार के निश्चित मामले पकड़े हैं और उन्हें आवश्क कार्रवाई तथा जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को बताया है।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस इलाके में कोयले का गैरकानूनी खनन रोकने के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० स्थानीय प्राधिकारियों और पुलिस के सहयोग से सभी सम्भव उपाय कर रहा है।

श्री सुनील मैत्रा : भादुआ में सीरामपुर स्थित यह विशेष कोयला खान रेलवे की अपनी थी। मंत्री महोदय ने अपने विवरण में कहा है कि इसे 1956 में अधिकार में लिया गया। मंत्री महोदय ने अपने विवरण में नहीं बताया है कि इस खान को कब छोड़ा गया।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि गिरडीह की 5 मील की परीधि के अन्दर वाले क्षेत्रों के लोग बहुत ही गरीब हैं और उनका अधिकांश पेशा खनन है, वे खनिक हैं। जब खान खोली जाती है और कई वर्षों तक चलने के बाद जब खान को छोड़ा जाता है तो इन लोगों को अंधेरे में रखा जाता है, उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया जाता। वास्तव में वहां हुआ यह है कि भूमिगत पानी को पम्प से बाहर निकाला जाता था जिसके फलस्वरूप आसपास के धरातल के क्षेत्र में खेती नहीं हो सकती और वह बंजर पड़ जाता है। अत: जब खान को छोड़ा जाता है तो लोग अपना रोजगार खो बैठते हैं। वहां के लोग मूलत: कृषक हैं, वे कृषि पर जीवित हैं, जब खान छोड़ी जाती है, तो उन्हें कहीं भी खान का काम नहीं मिलता और न ही वे अपनी जमीन को काश्त कर सकते हैं क्योंकि वहां की जमीन बंजर है। उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। इस क्षेत्र में भादुआ ही में एक खान नहीं है बल्कि कई और खानों को भी छोड़ा गया है और जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्हें अंधेरे में रखा गया है। वे सब बेरोजगार हो गये हैं। लेकिन इन छोड़ी गई खानों में भी कोयला प्राप्त होने की सम्भावना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बेईमान ठेकेदारों तथा व्यापारियों ने खान के खनन का काम शुरू कर दिया है गिरडीह जिले रानीगंज-भागीरथी खान के सारे क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहां ऐसा खनन होता है जिसे फोक्स होल माईनिंग कहते हैं, वहां लोगों ने गैर कानूनी खनन कार्य शुरू कर दिया है। ये ठेकेदार पुलिस तथा बहुत शक्तिशाली राजनीतिज्ञों के संरक्षण में उन गैर कानूनी खानों में खनन कार्य करते रहते हैं।

इसलिए उस पृष्ठभूमि में इस भादुआ खान के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने यहां बताया है कि 13 फरवरी, 1981 को गिरडीह कोयला खान क्षेत्र के भदवा पहाड़ी क्षेत्र में सीरामपुर में एक पुरानी तथा त्यागी हुई खान धंस गयी थी। यह खान कैसे धंसी? समाचार पत्रों के अनुसार 13 फरवरी, 1981 को अपराह्न में लोगों ने वहां धुंवा उठता हुआ देखा। उसके थोड़ी देर बाद वहां पर विस्फोट की भंयकर आवाज हुई जिसकी गूंज चारों तरफ मीलों तक पहुंची और विस्फोट होने के बाद पहाड़ी अन्दर धंस गई और वहां पर एक हजार से अधिक व्यक्ति थे जो इस अवैध कार्य में संलग्न थे और खान में कार्य कर रहे थे। माननीय मंत्री कहते हैं कि एक दल वहां गया और उसने निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वहां न तो कोई हताहत हुआ और न कोई मौत हुई। ये वहां कैसे गये? वे दूसरी ओर से घुसे। परन्तु यदि वहां विस्फोट हुआ था और पहाड़ी का सिखर धंस गया था तो वहां मलबे का ढेर अवश्य होना चाहिए। परन्तु मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि क्या वहां उस समय मलबे का ढेर था जब दल वहां गया। और जब वहां मलबे का ढेर था तो निरीक्षण दल ने निरीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर आये कि कोई हताहत या मौत या कोई घायल नहीं हुआ था। क्या उन्हें वहां कोई मनुष्य मिला था? और मंत्री महोदय सभा में आकर बताते हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ तथा इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है? कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री सुनील मैत्रा : दूसरी बात यह हैं कि जिलाधीश ने गांवों में यह बात मालूम करने के लिए दलों को भेजा कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति गुम है। यदि काम अवैध था तो गांव वालों से इस बात की सूचना प्राप्त करने की आशा कैसे की जा सकती है कि खान में कार्य अवैध रूप से ही रहा है। मंत्री महोदय जानबूझ कर इस मामले को दबा रहे है। इस बात को पुलिस को रपट करना कर्मचारियों के रिश्तेदारों के लिए बड़ा खतरनाक है कि उनके रिश्तेदार अवैध खनन कार्य में लगे हुए हैं। वहां के ठेकेदार बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वह नहीं चाहेगा कि गांव वाले पुलिस में जाकर रपट लिखायें कि उनके सम्बन्धी अवैध खनन कार्य में संलग्न हैं। इसलिए गांव वालों से पुलिस को रपट करने की या जिलाधीश से इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति गांव से गुम है, उम्मीद करना सर्वथा बेकार है।

मंत्री महोदय कहते है कि उच्चतम न्यायालय ने मई, 1980 में एक फैसला दिया था कि प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को उन क्षेत्रों में खनन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मई, 1980 से उच्चतम न्यायालय का फैसला आपके पास था। आप क्या कर रहे हैं ? अवैध खनन कार्य शक्तिशाली लोगों की देखरेख में हो रहा है ? मैं पुनः इस बात को माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 9 दिसम्बर, 1980 को ···(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : वह क्या चाहते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पर आ रहे हैं।

श्री सुनील मैत्रा : 9 दिसम्बर, 1980 को एक माननीय सदस्य श्री ए० के० राय द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। गिरिडिह जिला में कोयला खानों के नाम तथा संख्या पूछी थी जोकि उस समय उसी क्षेत्र में बन्द पड़ी हुई थी। और उस कारण से भारी मात्रा में अयस्क अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। माननीय सदस्य का इशारा यह था कि वर्तमान खान के बड़े पैमाने पर बन्द हो जाने के साथ अवैध खनन करके कोयले की चोरी होने लगी है जो वहां खुले रूप से हो रही है। गिरिडिह कस्बे के अधिकारीगणों का दावा इससे भिन्न है। 9 दिसम्बर को श्री ए० के० राय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 3128 के उत्तर में मंत्री महोदय ने इस सभा में लिखित उत्तर में उनसे यह वायदा किया कि जांच की जाएगी। दो महीने पहले सरकार को जानकारी दी गई थी कि अवैध खनन कार्य चल रहा था और वहां पर जन-जीवन को खतरा, पैदा हो गया था। सरकार ने इस अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए, इस पृष्ठ भूमि में मुझे दो प्रश्न पूछने हैं :—

1. क्या यह सच है कि पिछले वर्ष अगस्त में ठीक उसी स्थान पर एक पहाड़ी धंसने की घटना हो गई थी जैसा कि सरकार ने कहा है या खान का एक भाग धंस गया था और तीन व्यक्तियों की जानें गई थी, स्थानीय थाने में प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई गई थी, नाम दिए गए थे। परन्तु बाद में उन्हें चुपचाप हटा लिया गया और इस मामले को दबा लिया गया था।

2. अवैध खनन कार्य की समस्या का समाधान करने के लिए तुरन्त तथा प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाये गए, हालांकि मई, 1980 में उच्चतम न्यायालय ने आपके पक्ष में एक निर्णय दियाथा। और 9 दिसम्बर, 1980 को श्री ए० के० राय ने सरकार को एक-पुर्व चेतावनी दी थी कि जो लोग इन खानों में जीविका कमाने के लिए कार्य कर रहे थे, उनके लिए ऐसे खतरे तथा जोखिमें अवैध खनन कार्य से उत्पन्न हो गई हैं, सरकार से एक प्रश्न पूछा था ?

श्री विक्रम महाजन : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में पहले स्पष्ट किया है, हमारी जानकारी के अनुसार कोई मौतें नहीं हुई हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी है तो हमें इसकी पुनः जांच करने में बड़ी खुशी होगी। परन्तु स्थानीय प्रशासन और हमारे अधिकारियों ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था जैसा कि मेरे वक्तव्य में कहा गया है। वे विशेषरूप से निकटवर्ती गांवों का दौरा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अब तक ऐसी कोई दुखद घटना नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मानवों की मृत्यु के प्रति ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री मैत्रा ने पूछा है कि क्या वहां से उस मलबे को हटा दिया गया है जो धंसने के कारण एकत्र हो गया था···।

श्री विक्रम महाजन : मुझे अपने माननीय मित्र का उत्तर देने दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इस बात से ही सन्तुष्ट है कि मलबा हटा दिया गया है और वहां लोग नहीं पड़े हैं ? क्या आप उनसे यह आशा करते हैं कि वह आपको जानकारी देंगे ? आपने कहा है कि माननीय सदस्य आपको जानकारी दें।

श्री विक्रम महाजन : मैंने निश्चित रूप से यह कहा गया है कि यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है। मैंने यह नहीं कहा कि वह वहां जाएं और जानकारी एकत्र करें।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : वह आपको जानकारी दे चुके हैं।

श्री विक्रम महाजन : मैं अपने उत्तर पर दृढ़ हूं कि मेरी जानकारी से, मेरे विभाग तथा राज्य सरकार की जानकारी में कोई मौत नहीं हुई है। मेरे वक्तव्य का यही सार है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : लोग मरे हुए पड़े हैं, पुलिस वहां जाने नहीं देती लोगों को निकालने के लिए।

श्री विक्रम महाजन : यदि आप बहस करते रहेंगे तो कोई रास्ता नहीं है। मुझे माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर देना है ? यदि गलत उत्तर है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने का रास्ता होता है। मुझे प्रश्न का उत्तर देने दें।

जहां तक खान का सम्बन्ध है इसको अधिकार में लेने से पूर्व ही इसका परित्याग किया जा चुका था। इस खान का परित्याग 45 वर्ष पूर्व कर दिया गया था। इसलिए मुझे संदेह है कि वहां बेरोजगारी की समस्या थी और जो व्यक्ति 45 वर्ष पूर्व बेरोजगार थे वे अब इस कार्य को कर रहे थे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या आप 45 वर्ष पूर्व विद्यमान थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे जान सकते हैं।

श्री विक्रम महाजन : आप विद्यमान नहीं थे। क्या मुझसे सौ वर्ष पूर्व विद्यमान होने की आशा की जा सकती है ? क्या प्रश्न पूछने का यह तरीका है ?

खान का परित्याग इस कारण से किया गया था कि हमारे मूल्यांकन के अनुसार इस खान से कोई आय नहीं हो रही थी और इसमें पुनः कार्य चालू करना लाभदायक नहीं था। वहां नीचे जाने के लिए रास्ते थे। धंसने की घटना के सम्बन्ध में हमारी जानकारी यह है कि जब खान का परित्याग किया जाता है तो वहां कुछ स्तम्भ छोड़े जाते हैं ताकि वे छत को संभाल रखें और धंसने की घटना न होने दें। परन्तु जो व्यक्ति अवैध खनन कार्य करते हैं वे इन स्तम्भों को काटते रहते हैं जो छत को संभाले हुए होते हैं। इसलिए धंसने की घटना के कारणों में से एक कारण यह है कि अवैध खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्तम्भों को खत्म कर दिया जाता है। अधिकारीगणों का यह अनुमान है कि यह सारी घटना इस प्रकार घटी है।

जहां तक अगस्त, 1980 की रिपोर्ट का संबंध है, प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई जा चुकी है। अवैध खनन कार्य से कोयला खोदना हस्तक्षेप्य अपराध है, जो 3 वर्ष तक की सजा और 20,000 रु० तक जुर्माने के लिए दंडनीय है। हम राज्य सरकारों को इस मामले में कहते रहे हैं। हमारा सुरक्षा बल पूर्ण चौकसी बरत रहा है और अवैध खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों को पकड़ रहा है। पिछले एक वर्ष के प्रशासन में हमने 63 रपटें दर्ज कराई हैं, अवैध खनन कार्य करने के बारे में और अवैध खनन कार्य को रोकने के लिए 100 छापे भी मारे गए हैं। हमने 4 ट्रक, मोटर साईकिल तथा लगभग 150 बाईसिकल पकड़ी हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अभियान काफी सन्तोषजनक रहा है।

जब धंसने की घटना हुई तो कोई धुंआ बाहर नहीं आया था। कोई विस्फोट नहीं हुआ। केवल धूल उड़ी थी।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं पिछले एक वर्ष में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद लगभग 100 छापे मारे गए थे। यह सच है कि कुछ बेईमान व्यापारी इसमें अन्तर्गस्त थे। उन लोगों का पता लगाने के लिए हमारे प्रयास चलते रहे हैं। रपटें दर्ज कराई जाती रही हैं। इनमें से अधिकांश रपटें हमारे उन अधिकारियों द्वारा की जाती रही हैं जो घटनास्थल पर विद्यमान

थे । उनके द्वारा दिखाई गई कुशलता तथा निगरानी के कारण हमारा अनुमान यह है कि वे उसमें अन्तर्गस्त नहीं थे ।

श्री सुनील मैत्रा : मैंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 में उसी क्षेत्र में तीन मौतें हुई, प्रथम सूचना रपट दर्ज कराई गई परन्तु बाद में सारी बात पर पर्दा डाल दिया गया । मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी०पी०आई०) के स्थानीय नेता के वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूं जो आज के 'पेट्रटआट' में प्रकाशित हुआ है ।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक मामले पर पर्दा डालने की बात है, मेरी जानकारी के अनुसार प्रथम सूचना रपट अभी भी है और मामले को चलाया जा रहा है ।

श्री सुनील मैत्रा : वे व्यक्ति कौन हैं जिनके नाम प्रथम सूचना रपट में दर्ज कराए गए हैं ?

श्री विक्रम महाजन : मुझे यह सूचना एकत्र करनी पड़ेगी । इसका उल्लेख ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव अनुपस्थित, श्री मुकुन्द मंडल अनुपस्थित श्री मनोरंजन भक्त अनुपस्थित, श्री मूलचन्द डांगा अनुपस्थित । हम अगला विषय लेंगे ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान जी, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? हम सब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं । परन्तु आप केवल पांच नाम प्रकाशित करते हैं । कल भी यही हुआ था, जब बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था । आज भी वैसा ही गम्भीर मामला है जहां सैकड़ों व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है । इसके अतिरिक्त, इससे खानों के स्वामित्व, खानों में सुरक्षा आदि के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्न उठते हैं । यद्यपि आपने केवल पांच नाम छापे हैं, हमने अचानक देखा कि उनमें से चार अनुपस्थित हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप केवल उन व्यक्तियों के नाम दें जो बैलट से आते हैं और आप केवल पांच नाम ही पुकारें । परन्तु यदि पहले चार सदस्य अनुपस्थित हैं तो आप को उसके बाद के अगले पांच नाम पुकारने चाहियें । अन्यथा अनुपस्थित सदस्यों के कारण हमें वाद-विवाद से वंचित कर दिया जाता है । वास्तव में मैंने कल और आज अपना नाम दिया था परन्तु यह बैलट में नहीं आया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन नियमों के निर्माता हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप इस नियम को बदल सकते हैं ताकि प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पांच सदस्य प्रश्न पूछ सकें, चाहे कुछ माननीय सदस्य अनुपस्थित हों । मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री मेरे सुझाव से सहमत होंगे, क्योंकि अनुपस्थिति के कारण हम को वाद-विवाद से वंचित नहीं होने देना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह एक अच्छा सुझाव है । इसे नियम समिति को भेज देना चाहिए । वास्तव में, राज्य सभा में यही व्यवस्था है । हमें इसे यहां भी कर लेना चाहिए ।

मंगलौर में प्रस्तावित लौह अयस्क पैलेटाइजेशन संयंत्र के लिए टेण्डरों की प्राप्ति की तारीख के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 278 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा 27 नवम्बर, 1980 को भेजी गई सामिग्री के आधार पर मैंने लोकसभा में 5 दिसम्बर, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 278 और उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा था कि मंगलौर में लगाये जाने वाले लौह-अयस्क से पैलेट बनाने वाले प्रस्तावित कारखाने के लिए टेंडर प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 15 दिसम्बर, 1980 है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भावी टेंडरकर्ताओं के अनुरोध पर कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड टेंडर खोलने की तारीख 15 जनवरी, 1981 तक अर्थात एक महीने के लिए बढ़ा दी थी । कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने इस बारे में सम्बन्धित पार्टियों को 3 दिसबम्र, 1980 को सूचित कर दिया था। इस्पात और खान मंत्रालय को इस बारे में तत्काल सूचित नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप तारांकित प्रश्न संख्या 278 और उसके पूरक प्रश्नों के उत्तर में इस बारे में सही स्थिति नहीं बताई जा सकी ।

———

सभा के कार्य के बारे में

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 23 फरवरी, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(2) मूंगफली पर निर्यात शुल्क की दर में वृद्धि के बारे में संकल्प पर चर्चा ।

(3) रेल बजट 1981-82 पर चर्चा ।

जैसाकि माननीय सदस्यों को पहले ही विदित है 1981-82 का सामान्य बजट शनिवार, 28 फरवरी, 1981 को सायं 5-00 बजे पेश किया जाएगा ।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : महोदय, मैं केवल दो सुझाव रखने जा रहा हूं। संक्षेप में कहने के लिए मुझे इन्हें पढ़ देना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने दो महत्वपूर्ण न्यासों को समाप्त करने तथा उनकी सम्पत्तियों को "मुख्य मन्त्री सहायता कोष" में मिलाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कल प्रातः 10-30 बजे से 11-15 बजे के दौरान चार महत्वपूर्ण समितियों की अलग-अलग बैठकें बुलाई हैं। (व्यवधान) कथित दोनों न्यास हैं ;

(1) सैनिक कल्याण कोष, तथा

(2) कोयना सहायता कोष।

'सैनिक' सहायता कोष का विशेष रूप से युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा सैनिकों के परिवारों को कल्याण के लिए बनाया है। इसकी परिसम्पति 3,50,0000 रुपये है और दूसरे कोष की परिसम्पत्ति 80 लाख रुपये है। कुलराशि 4,30,00,000 रुपये है। यह राशि 1962 से 1968 के दौरान महाराष्ट्र की जनता से एकत्र की गई थी।

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री इनको समाप्त करना चाहते हैं और इन परिसम्पत्तियों को अपने वैयक्तिक नियंत्रण में लेना चाहते हैं और इस सार्वजनिक धन का उपयोग स्वविवेक से इंदिरा प्रतिष्ठान के लिए करना चाहते हैं। सैनिकों के धन का इस प्रकार दुरुपयोग नही किया जा सकता।

रक्षा मन्त्री को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन बैठकों को रोकना चाहिए तथा इस संबंध में अगले सप्ताह एक वक्तव्य देना चाहिए।

दूसरा सुझाव रेल बजट के विषय में है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री आर० के० महलगी : कल कलकत्ता प्रेस, मेरा मतलब **बिजनिस स्टेंडर्ड**, में यह प्रकाशित हुआ था। अतः या तो रेल मन्त्री त्याग पत्र दें या सभा के समक्ष आएं और इस पर एक वक्तव्य दें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ पहला आइटम आपके सामने उठाना चाहता हूं। जमशेदपुर में आप जानते हैं टाटा की जमींदारी है। वहां उनका कारखाना टिस्को है। टिस्को में दस हजार मजदूर ठेके पर काम करते हैं कांट्रेक्ट लेवर के रूप में जिम में 7 हजार आदिवासी हैं जिनके लिए सरकार यहाँ बहुत आंसू बहाती है। उसमें भी दो हजार औरतें हैं। यह सब पेरेनियल नेचर का है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में न जाइए । आप जिसकी चर्चा करना चाहते हैं आपको वह बात करनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : वहां एक समझौता हुआ था 7-8-79 को जिस में यह तय हुआ था कि इनको परमानेंट बना लिया जाएगा । लेकिन वह नहीं बनाये गने । 11 फरवरी से वहां हड़ताल चल रही है । 15 तारीख को वहां लाठी चार्ज हुआ और सबसे दुख की बात यह है कि उस लाठी चार्ज में एक बड़े ही व्योवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उच्च कोटि के मजदूर नेता श्री केदार दास जो प्रोफेसर अब्दुल बारी के सहयोगी थे, वह उस लाठी चार्ज में घायल हुए और कल उनकी जमशेदपुर में मृत्यु हो गई । यह इतना बड़ा सवाल है और आदिवासियों का सवाल है, इसलिए इसके ऊपर कालिंग अटेंशन या किसी भी रूप में जिसमें सम्भव हो बहस होनी चाहिए ।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सूबे बिहार में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी भी जानते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र पलामू भी उस में आता है, पुनपुन, दर्धा और मोरहर नदियां बहती हैं । पटना, गया, पलामू, नालंदा, नवादा, इन जिलों का सम्बन्ध इन नदियों से है । वहां की एक सिंचाई योजना बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजी है । उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार उसको लेकर बैठी क्यों हुई है ? पहले तो कहते थे कि कोई योजना नहीं है, योजना बनवाइए । अब योजना आ चुकी है लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार कर बैठ गई है ।

आखिरी बात कहना चाहता हूं । बिहार में आज गोलीकांड का राज हो गया है । जयप्रकाश बाबू का जब आन्दोलन चला था, आप यह जानते हैं हम लोग उस आन्दोलन के समर्थक नहीं थे, उस समय जो गोली चली उसमें एक साल के अन्दर 34 आदमी उससे मरे लेकिन अभी-अभी पांच महीने के अन्दर 43 आदमी गोली से बिहार में मारे जा चुके हैं जिनमें गुआ (सिंहभूमि) में 12 मरे, समस्तीपुर जेल में जो निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की गई उनमें 13 आदमी मरे और बलरामपुर (हजारीबाग) में 3 आदमी मरे हैं । उनकी जमीन ली गई थी, वह दर्शन कर रहे थे । उनके ऊपर गोली चला कर तीन आदमी मार दिए गए । इस तरह से कुल 43 आदमियों की मृत्यु पिछले पांच महीनों में गोलीकांड से हुई हैं । मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार का एक व्यक्तव्य आना चाहिए कि इस तरह का गोली का राज वहां क्यों चल रहा है और वहां के मुख्य मन्त्री क्या कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं । निस्सन्देह आप कह सकते हैं कि जब हम रेल बजट पर चर्चा करेंगे तब यह मामला लिया जा सकता है । मैं लोको कर्मचारियों के संघर्ष का संदर्भ देता हूं । आप भी देश के मजदूर संघ आन्दोलन से संबंधित हैं । आपको सहानुभूति होनी चाहिए । यह रेल अधिकारियों तथा लोको कर्मचारी एसोसिएशन के बीच 10 घण्टे काम की मांग पर हुए समझौते के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है । फिर लोको

कर्मचारियों की अन्य माँगों को सुलझाने के लिए एक शिकायत समिति भी गठित की गई थी। परन्तु हमें आश्चर्य है कि न तो काम के घण्टों सम्बन्धी अगस्त, 1973 का समझौता क्रियान्वित किया गया और न ही गठित की गई शिकायत समिति को कार्य करने दिया गया। बल्कि इस को तोड़-फोड़ दिया गया।

रेल बोर्ड के अध्यक्ष ने 26 मार्च, 1979 को काम करने के घण्टों का क्रियान्वयन करने तथा वेतन मानों और अन्य भत्तों में भी परिवर्तन करने के बायदे किए थे।

परिचालन भत्ता सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1980 में प्रस्तुत कर दी थी और जुलाई, 1980 में वेतनमानों की पुनर्संरचना पर सहमति हो गई थी। इसे भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

रेल अधिकारियों ने विवाद की उन मदों को भी क्रियान्वित नहीं किया जिन पर पहले ही सहमति हो गई थी। दूसरी ओर लोको कर्मचारियों के पास कानूनी तौर पर न्यायसंगत संघर्ष या विरोध करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है और अधिकारियों ने उनको दण्डित करना शुरू कर दिया है। 400 लोको कर्मचारी पहले ही निलम्बित किए जा चुके हैं। उनको डराना धमकाना जारी है। उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार से डराया-धमकाया जा रहा है। यही नहीं। इस पक्के आश्वासन के बावजूद कि कामगारों के किसी भी लोकतांत्रिक न्यायसंगत आन्दोलन के विरुद्ध इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया जाएगा, लोको कर्मचारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है।

मैं चाहता हूं कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जानी चाहिए जिसका मैंने नोटिस भी दिया हुआ है।

मेरा दूसरा प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में उत्पन्न गम्भीर स्थिति से सम्बधित है। युनिवर्सिटी के बन्द होने के कारण एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। उप कुलपति ने प्रो० इनफान हबीब, जो प्रगतिशील विचारों वाले एक दूरदर्शी शिक्षा विद् हैं, को समाचार पत्रों को युनिवर्सिटी के कुचालन सम्बन्धी विचार व्यक्त करने के कारण आरोप पत्र दिया हैं किसी मंच या किसी स्थान या जनसभा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का उन्हें अधिकार है। यह उनका मूलभूत अधिकार है। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि प्रो० हबीब के विरुद्ध एक जाँच समिति गठित की गई है तथा सबसे दुःखद बात यह है कि कथित जाँच समिति का वह व्यक्ति अध्यक्ष होने जा रहा है जिसने स्वयं प्रो० हबीब पर आरोप लगाए थे। यह विचित्र बात है कि शिकायत करने वाला व्यक्ति स्वयं निर्णय करने के लिए बैठ रहा है। हम समझ सकते हैं कि क्या न्याय किया जाएगा।

हिन्दुओं तथा मुसलमानों से सम्बन्धित साम्प्रदायिक तत्व स्थिति का लाभ उठा रहे है तथा परिसर में तनाव पैदा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र पुनः खोलने के हित में साम्प्रदा-

यिक ताकतों को उपयुक्त ढंग से नियंत्रित किया जाए तथा एक स्वस्थ शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाए जिससे परिसर में तनाव न हो, यह आवश्यक है कि सरकार इस पर एक वकतव्य दे ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो आइटम्स आने वाले सप्ताह में चर्चा करने के लिए आपके सामने रख रही हूं । पहला आइटम है— प्राब्लम आफ कजर्वेशन आफ पैट्रोल एण्ड डीजल । अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आज एनर्जी क्राइसिस चल रही है पेट्रोल डीलर कन्ट्रीज बराबर दाम बढ़ाते जा रहे हैं । कहा जाता है कि जमीन के अन्दर इसका जितना स्टाक है वह भी एग्जास्ट हो रहा है । ऐसी हालत में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का कंजर्वेशन वार-फुटिंग पर होना चाहिए । इसके विपरीत अभी 17 फरवरी को "इंडियन एक्सप्रेस" में जो न्यूज आई है उसके अनुसार पुलिस ने कहा है कि 35 हजार ट्रक्स और बेज का इस्तेमाल किया गया जिनमें 28 लाख लीटर डीजल की खपत हुई और इस तरह से 76 लाख का डीजल एक दिन में बर्बाद कर दिया गया । जहां तक पेट्रोल और डीजल के कंजर्वेशन की बात है, इसके लिए हमारे देश में कोई कोड आफ कांडक्ट होना चाहिए और वह सभी पोलिटिकल पार्टीज के लिए हो बल्कि रूलिंग पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने कालिंग अटेंशन दिया, एडजर्नमेन्ट मोशन भी दिया लेकिन आप मंजूर ही नहीं करते हैं । इसलिए इस विषय पर अगले सप्ताह किसी रूप में चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह देश के श्रमिक वर्ग तथा किसानों का संवैधानिक अधिकार है । वे प्रदर्शन कर सकते हैं लोकतन्त्र में इसे आप रोक नही सकते । यह उनका संवैधानिक अधिकार है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मेरा दूसरा आइटम है—नान-अवेलेबिलिटी आफ एसेंशियल कमाडिटीज इन राशन शाप्स । इस संबन्ध में मेरे पास सारे देश से बहुत सारे खत आये हैं । जहां तक दिल्ली की बात है, यहां साउथ दिल्ली में दो महीने से राशन शाप्स पर कोई अनाज वगैरह नहीं मिल रहा है । आप फिर कहेंगे कि मैं राजनीतिक बात कहती हूं । मुझे फोन पर बताया गया कि दो महीने से राशन में पाम-आयल नहीं मिलता है । जब उनसे पूछा जाता है, तो कहते हैं कि स्टाक नही मिलता है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं है । राशन की दुकानों पर चीनी नहीं, चावल नहीं गेहूं नहीं । मैं उस दुकानदार का नाम ले सकती हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहती हूं और कहा कि किसान-रैली में सारा अनाज लग गया है पूरे देश में समाज के कमजोर वर्गों को उचित दर की दुकानों पर राशन नहीं मिल रहा है । उसके ऊपर डिसकशन होना चाहिए । मैंने इस पर कालिंग-एटेंशन दिया है, लेकिन वह मंजूर नहीं करते हैं ।

उचित दर की दुकानों तथा राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता तथा वितरण प्रणाली की विफलता उस पर किसी न किसी रूप से डिसकशन करने की व्यवस्था कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वास्तव में संसद अनुसूचित जातियों की रक्षक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर बोलने जा रहे हैं ?

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : गुजरात में आरक्षण।

यह सभा देश में अनुसूचित जातियों की अविभावक तथा रक्षक है। गुजरात में एक हिन्सात्मक आन्दोलन चल रहा है जिसने अब सामान्य आरक्षण विरोधी आन्दोलन का रूप ले लिया है। हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी सी परिस्थति में यह देश कभी भी आरक्षण विरोधी नीति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार नहीं करेगा। हम आरक्षण के पक्षपाती है तथा इस सभा को भी यही कहना चाहिए। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी, एक ब्राह्मण की तरफ से आने वाला यह बहुत अच्छा वक्तव्य है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कभी ब्राह्मण भी समझदारी की बात करते हैं तथा कभी गैर-ब्रह्मण भी समझदारी की बात नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है, दोनों ही बातें हैं। श्रीमान् मैं आप से सहमत हूं। परन्तु यह सभा का उत्तरदायित्व है। मेरे सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए गए हैं। इस विषय पर मैं जो भी कुछ बोलता हूं, वे उसका भी विलोम कर रहे हैं। सत्ताधारी दल संसद के बाहर ऐसा प्रभाव जमाना चाहता है कि वे ही इसके पक्षपाती हैं और बाकी सब आरक्षण के विरोधी हैं यह गलत है। (व्यवधान) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सभा में कहा था कि एक जनता पार्टी के एम०एल०ए० ने आरक्षण नीति का समर्थन किया था। जनता पार्टी इसके लिए पूर्णतया वचन बद्ध है। सारनाथ में हमने ऐसा ही कहा। भारत की जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले संसद-सदस्य के तौर पर हम इस सभा में अपने विश्वास की सुनिश्चित तौर पर दोबारा पुष्टि करने तथा जब तक इस देश में जाति-प्रणाली समाप्त नहीं की जाती तब तक आरक्षण नीति को जारी रखने की आवश्यकता की दोबारा पुष्टि करने का अवसर चाहते है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : कल सभा में बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल के निपटान का प्रश्न उठाया गया था। दुर्भाग्यवश, हड़ताल जारी है तथा भारत सरकार की तरफ से समझौता करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने एक निर्णय लिया है ·····।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कोई समझौता नहीं हुआ। कल हमने अनुरोध किया था कि सरकार को चाहिए कि आंदोलन के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करें। मैं आपके द्वारा सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हड़ताल करने वालों के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाए तथा समझौते के लिए प्रयास किया जाए। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे बहुत कम मामले

हैं जिनमें सरकार तथा कर्मचारियों के बीच मतभेद है तथा किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है ; सभा में हम सभी विपक्षी सरकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सरकार सहयोग के लिए कहती रहती है। उन्हें नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित करना चाहिए तथा कोई समझौता करना चाहिए।

मैं दोबारा लोको परिचालन कर्मचारियों की हड़ताल का भी हवाला देना चाहता हूं। मैं इस इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिनसे कर्मचारियों की परेशानी समाप्त हो सके।

अन्त में, माननीय मंत्री ने रेल बजट पर चर्चा का हवाला दिया .....।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मदों का हवाला दिया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह दूसरी मद से संबंधित है। माननीय मंत्री ने रेल बजट पर चर्चा का हवाला दिया। रेल बजट लीक हो गया था। यह आवश्यक है कि सभा इस मामले पर तत्काल विचार करे। मैं आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि रेल मंत्री का त्यागपत्र बजट लीक होने के आधार पर अत्यावश्यक है। हम इस मामले पर पहले चर्चा कर रहे थे और एक प्रश्न उठाया गया था कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। हमेशा ही 'हाउस आफ कामन्भ' के उदाहरणों का उल्लेख किया गया। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को मालूम होगा कि जब ब्रिटेन में बजटलीक हुआ था तो संबंधित मंत्री, वित्त मंत्री ने तत्काल त्यागपत्र दे दिया था। हम श्री केदार पाण्डे से कम-से-कम यह अपेक्षा करते हैं कि वे त्यागपत्र दें क्योंकि बजट लीक हो गया है जिसके लिए, मुझे उमीद है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वायदा कीजिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उनके मूल्यवान सुझावों के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करने के बाद, जैसा भी आप यहां सुझाव देते है मैं उसे.....।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप डाक घर नहीं हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कार्य मंत्रणा समिति को भेज देता हूं ...।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान् नियम 355 के अधीन....।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यदि आवश्यक हुआ। कल आपने हमारी विदेश नीति के विषय में उल्लेख किया था। वित्तीय कार्यों की समाप्ति के बाद—कार्य मंत्रणा समिति पहले ही इस पर चर्चा कर चुकी है—हम प्रयत्न करेंगे—हम अपनी विदेश नीति पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। स्थिति यह है।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी आप नियम 355 के अधीन कोई बात कहना चाहते थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम 355 के अधीन मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं । महोदय, क्या ऐसा नहीं है कि उन्हें हमारे विचार लेने चाहिए और कार्य मंत्रणा समिति में इसके लिए अभियान छेड़ना चाहिए ? वह केवल यह कह कर इसे समाप्त नहीं कर सकते कि वह इसे कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे । वह पोस्ट आफिस नहीं हैं ।

———

समिति के निर्वाचन के लिए काफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुरशीद आलम खान) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उपर्युक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्योंको कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मुझे सदस्य बनाते हैं तो मैं सहमत हूं ।

श्री खुर्शीद आलम खान : सहर्ष ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उपर्युक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्यों को कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न-भेजने के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 26 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मेरा ध्यान राष्ट्रपति के गत वर्ष के अभिभाषण और उसके बाद होने वाली घटनाओं की ओर चला गया है। जनता पार्टी ने, जिसे पांच वर्ष तक शासन में रहने का जनता ने अधिकार दिया था, अपने शासन को तीस महीने से पहले ही समाप्त कर लिया। श्री चरणसिंह की कार्यवाहक सरकार एक दिन भी नहीं चली। लोगों का और जनसाधारण का मूड ऐसा था कि वे श्रीमती गांधी को पुनः सत्ता में लाने के लिए आतुर और अधीर थे। यह बात मेरे समक्ष बम्बई के उस रेल टिकट परीक्षक के अनुभव द्वारा व्यापक रूप से लाई गई थी जिसके साथ युवा पीढ़ी के बारे में मेरी चर्चा चल रही थी। उसने मुझे बताया कि युवा पीढ़ी बहुत बुद्धिमान है और उसने मुझे अपना अनुभव सुनाया। टिकट परीक्षक मस्जिद बन्दर स्टेशन पर था, अर्थात विक्टोरिया टर्मिनस से एक स्टेशन पहले। वह यात्रियों के टिकट की जांच करने का अपना दैनिक कार्य कर रहा था। एक स्थानीय गाड़ी आई। वह महिलाओं के एक डिब्बे में घुसा और उसने देखा कि एक बीस वर्षीय नवयुवक उस डिब्बे में बैठा हुआ है। टिकट परीक्षक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि चूंकि वह महिलाओं के डिब्बे में बैठा हुआ है, इसलिए उस पर 50 रु० जुर्माना किया जाता है। नवयुवक ने इस बात का विरोध किया और कहा कि वह अगले स्टेशन पर उतर जायेगा, और यह अनुरोध किया कि उस पर जुर्माना न किया जाये। टिकट परीक्षक ने उसका अनुरोध नहीं माना और कहा कि कानून यह कहता है कि चाहे वह पांच मिनट यात्रा करे या पांच महीने जुर्माना 50 रु० ही होगा, वह अनुरोध करता ही रहा लेकिन टिकट परीक्षक ने उसका अनुरोध नहीं माना और उस पर 50 रु० जुर्माना कर दिया। तब उस नवयुवक ने कहा कि संसार में कहीं भी इन्साफ नहीं है। वह 5 मिनट के लिए महिलाओं की सीट पर बैठा तो टिकट परीक्षक ने उस पर 50 रु० जुर्माना कर दिया। लेकिन चरणसिंह को किसी ने कुछ नहीं कहा जो महिला की सीट पर पांच महीने तक बैठा रहा। उन दिनों नवयुवकों और लोगों का ऐसा मूड था। वे कांग्रेस (आई) को वापस लाने के लिए आतुर थे। इसलिए मैं राष्ट्रपति के गत वर्ष के अभिभाषण को संक्षेप में दोहराना चाहूंगा और उस अभिभाषण के अनुसार इस वर्ष की

घटनाओं का मूल्यांकन करना चाहूंगा। उस अभिभाषण में मुद्रास्फीति, 20% की मूल्य वृद्धि, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट, इस्पात, सीमेंट कोयला आदि के क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के बिगड़ने आदि का उल्लेख किया गया था और उसके बाद उसमें बिगड़ते हुए औद्योगिक संबंधों का उल्लेख था और उसमें योजना बनाने, आर्थिक स्थिति को फिर से सुधारने, तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करने का बचन दिया गया था।

मैं इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर संदन में चर्चा करना चाहूंगा।

मुद्रास्फीति के क्षेत्र में, जैसा कि राष्ट्रपतीय अभिभाषण में ठीक ही उल्लेख किया गया है, सामान्य मूल्य सूचकांक गत वर्ष की तुलना में कम हो गया है। पहले 11 महीनों में मुद्रा-स्फीति दर में 6.2 प्रतिशत की कमी हुई है। आप गत वर्ष अर्थात, 1979 के जनवरी से नवम्बर तक के आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं। सामान्य मूल्य सूचकांक में पहले तो 19% की वृद्धि हुई, उसके बाद नवम्बर में यह घटकर 2.6 प्रतिशत ऋणात्मक हो गया। महोदय, अर्थशास्त्र में यह एक प्रारंभिक बात मानी जाती है कि मुद्रास्फीति मुद्रा-परिचालन में वृद्धि का परिणाम है। अत: इस क्षेत्र में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्च 1979 तक 21,820 करोड़ रुपये की कुल मुद्रा परिचालन में थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी। मार्च, 1980 तक यह 24,172 करोड़ रुपये हो गई थी। इसमें केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके पश्चात् 15 अगस्त तक यह घटकर 23,801 करोड़ रुपये हो गई 1.5 प्रतिशत ऋणात्मक कमी हुई। 30 नवम्बर तक यह घटकर 23,325 करोड़ रुपये हो गई, अर्थात, 3.5 प्रतिशत ऋणात्मक। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है। महोदय, गत 30 वर्षों में कोई भी सत्ताधारी सरकार मुद्राप्रसारण में इतनी अधिक कमी नहीं ला पाई है।

अब मैं खाद्यान्न उत्पादन पर आता हूं। अभिभाषण में स्वयं ही यह उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्न उत्पादन 1080 लाख टन से बढ़कर 1320 लाख टन तक पहुंच गया है। चीनी का उत्पादन 39 लाख टन से बढ़कर 52 लाख टन हो गया है। खाद्य और कृषि संगठन की अद्यतन रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि इस वर्ष गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होगा।

सार्वजनिक वितरण के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक वितरण केन्द्र खोले गए हैं। केवल एक ही वर्ष में अर्थात, 1980 में ही उनकी संख्या बढ़कर 3',000 तक पहुंच गई है। इस समय उनकी संख्या 2.67 लाख है। क्या यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है ? जनता दुकानें खोलने के लिए 261 लाख रुपये दिये गये हैं, कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी-छोटी शाखाएं खोली गई हैं और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर खोले गए हैं।

बजट में ही कुल योजना परिव्यय में 16.6 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई गई है। गत वर्ष सूखे से पीड़ित 220 लाख लोगों के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह इस सदी का सब से भयंकर सूखा था। लेकिन भूख से किसी के भी मरने का समाचार नहीं मिला

है। अनाज का एक दाना भी विदेशों से आयात नहीं किया गया है। क्या यह एक उल्लेखनीय बात नहीं है।

सरकारी सेक्टर के उत्पादन को लीजिए। जनवरी-अक्तूबर 1979 में यह 1199 करोड़ रुपये का था। जनवरी-अक्तूबर, 1980 के तुलनात्मक आंकड़े 1270 करोड़ है अर्थात 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अब रोजगार का विषय लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 340 करोड़ रुपये निवेश किये गये है। इससे अतिरिक्त रोजगार के 80 करोड़ श्रम-दिवस उपलब्ध होंगे।

अब मैं औद्योगिक विकास के पहलू पर आता हूं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गत वर्ष 732 आशय-पत्र जारी किये गए थे। औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 320 से बढ़कर 439 हो गई। सीमेंट के संबंध में 280 लाख टन अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी गई। वृद्धि दर गत वर्ष ऋणात्मक थी। इस वर्ष यह लगभग 4 प्रतिशत होने की आशा है।

बिजली और कोयले के बारे में यह अनुमान है कि लगभग 10 प्रतिशत की कुल वृद्धि होगी। कच्चे लोहे के क्षेत्र में यह वृद्धि 60% होगी। फास्फेट वाले उर्वरकों के मामले में यह वृद्धि 9% होगी. हमारे निर्यातों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप कई क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास देखेंगे। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

अब मैं औद्योगिक सम्बन्धों के विषय पर आता हूं। 1979 में कुल 436 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई थी। अब 1980 के पहले 7 महीनों में यह घटकर केवल 80 लाख रह गयी है। यह तथ्य इस बात को दर्शाता है कि औद्योगिक संबंधों में कितना सुधार हुआ है।

इसके पश्चात् मैं जवानों के विषय पर आता हूं। मैं यह कहूंगा कि जवानों के लिए किसी ने भी इतना नहीं किया है जितना श्रीमती गांधी ने किया है। गत वर्ष जवानों के वेतनमानों को संशोधित किया गया, पेन्शन की राशि बढ़ाई गई और नई पुनर्वास योजनायें आरंभ की गई। किसानों की सहायता के लिए कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं और धान के लिए अधिक ऊंचे मूल्यों की सिफारिश की है और भारत सरकार ने उन्हे बढ़ा दिया है ताकि किसानों को उनके उत्पादनों के लिए लाभकारी मूल्य मिल सकें। इसके पश्चात कृषि मूल्य आयोग ने गन्ने के लिए 13 रु० प्रति क्विंटल मूल्य की सिफारिश की थी और राज्य सरकारें 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य अदा कर रही है।

अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण देने के प्रश्न को लीजिए। इसमें 30% की वृद्धि हुई है। लेकिन इस 30% में से 40% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षित किया गया है। गत वर्ष राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं की कुल संख्याएं 1009 की वृद्धि हुई जिसमें से 324 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। किसानों की सहायता करने के लिए 6 लाख टन उर्वरकों का आयात किया गया।

एस० एफ० डी० ए० और आई० आर० डी० कार्यक्रमों के अंतर्गत 2600 प्रखण्डों को लाने का विचार किया गया था और यह आशा की गई थी कि 6ठी योजना के अन्त तक और 7वीं योजना के आरंभ में इनके अन्तर्गत और अधिक प्रखण्ड शामिल किये जा सकेंगे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 2 अक्तूबर, 1981 तक 5011 प्रखण्डों में यह कार्यक्रम लागू हो जायेगा। सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की कुल संख्या में प्रति प्रखण्ड प्रतिवर्ष 300 से 600 तक की वृद्धि हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमें उपलब्धि हुई है हमें उस पर गर्व होना चाहिए। पिछली सरकार के शासन काल के दौरान वैज्ञानिक समुदाय निराश था। इस सरकार के सत्ता में आते ही उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। राजस्थान में नया परमाणु विदयुत संयंत्र चालू करना ही एक मात्र उपलब्धि नहीं रही है बल्कि 40 किलोग्राम वजन वाले रोहिणी आंतरिक्षयान और उपग्रह को कक्ष में भेजने का भी लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जहां तक मध्यम प्रक्षेपास्त्र क्षमता का सम्बन्ध है बड़ी शक्तियों को छोड़कर भारत ही केवल एक मात्र ऐसा देश है जिसको यह क्षमता प्राप्त हुई है। क्या यह एक महान उपलब्धि नही है? क्या यह उपलब्धि श्रीमति गांधी और इस देश के प्रतिभाशाली और युवा वैज्ञानिकों के गतिशील नेतृत्व में ही प्राप्त नहीं हुई है? वे विश्व की ईर्ष्या के पात्र हैं परन्तु इस देश की शान हैं। यह गर्व की बात है उपहास की नहीं।

महोदय, मुझे फिर यह याद आता है कि पिछली सरकार के शासन काल में श्री मोहन धारिया सहित कई मंत्री हर रोज यह घोषणा करते थे कि कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन उनके कार्यकाल में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। जून, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में 2698 मामलों में तलाशियां ली गई और 15.38 करोड़ रुपए की सम्पति पकड़ी गई। 1055 मामलों में 9.89 करोड़ रूपए मूल्य की सम्पति पकड़ी गई। मैं महत्वाकांक्षी योजना की गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं केवल इतना उल्लेख करूंगा कि अनवरत योजना की इस हानिकार संकल्पना को छोड़कर दिया गया है और योजना बनाने से अवकाश के निर्णय को भी समाप्त कर दिया गया है। जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में राष्ट्रपति के गत वर्ष के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया था :

"गतिशील सृजनात्मक एकीकरण नीति"।

जैसे ही श्रीमती गांधी के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई, प्रायः जिस दिन से उसने पद संभाला उसी दिन से एक देश का राष्ट्रपति अथवा दूसरे देश का प्रधानमन्त्री देश की यात्रा कर रहे हैं। प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी देश का कोई न कोई विदेश मंत्री हमारे देश में आता रहता है। इसलिए श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की महत्ता को महसूस करने के लिए अनेक विदेशी भारत आते रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में हाल ही में एक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह सोचा कि यह सम्मेलन सफल नहीं होगा। इसके विपरीत यह बहुत सफल हुआ। इससे हमारे रुख की पुनरावृत्ति हुई और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्मेलन के

समझौते के प्रारूप को बदला जाना था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समझौता प्रारूप में परिवर्तन किया गया। मैं समझता हूं कि प्रारूप का अर्थ ही बदला जाना है। प्रारूप तथा दस्तावेज में यही अन्तर है। प्रारूप तो प्रारूप ही है। यह नागपुर का आदेश नहीं है जिसमें कभी तबदीली नहीं हो सकती है। इसलिए प्रारूप में परिवर्तन किया गया। यह राजनैतिक वास्तविकता है कि आप को दूसरी ताकतों के साथ समायोजन करना है। इस सम्मेलन तथा हमारी नीति की सफलता को परखने की क्या कसौटी है। मेरे विचार से, गुट निरपेक्षता का अर्थ सन्तुलित कार्य-वाही नहीं है बल्कि सन्तुलन करने में एक प्रयास है और इसका अर्थ सम-दूरी का सिद्धान्त नहीं है, इसका तो केवल अर्थ यह है कि हमें यह देखना है कि इससे हमारे राष्ट्रीय हित की सुरक्षा तथा संवर्द्धन होता है। और उस कसौटी को लागू किया जाए तो मैं कहूंगा कि सम्मेलन सफल रहा। प्राय: सभी देशों ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भारत द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। विदेशी मामलों के क्षेत्र में भी इस एक वर्ष का कार्य सराहनीय रहा है।

अब मैं उस बात पर आऊंगा जो विपक्ष कर रहा है। मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से लांछन नहीं लगाना चाहूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा परन्तु मुझे मालूम है कि वे कुछ रचनात्मक कार्य करने के स्थान पर सामान्य कार्य, यहां आंदोलन और वहां आंदोलन कर रहे हैं। यदि कोई आंदोलन नहीं है तो उसके बाद अन्य में वे सुनी सुनाई बातों के आधार पर अफवाहें, बेकार की बातें तथा कानाफूसी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तथा तीसरे से चौथे और आदि आदि, जिसका बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है, फैलाते हैं। वे उसे करते रहे है और इसे पुनः करना शुरू कर दिया है। मुझे लंदन का एक गाना याद आता है जो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व गाया जाया करता था। इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए—यह तीसरे, चौथे और पांचवे की सुनी-सुनाई बात से सम्बन्धित है। यह इस प्रकार से है :—

"असली सबूत मेरे पास कोई नहीं परन्तु मेरी चाची की नौकरानी की बहन के पुत्र ने, सिपाही के अपने गश्त के समय यह सुना, संसद मार्ग पर एक नौकरानी से कहो कि उसका एक भाई था जिसका एक मित्र था, जिसे मालूम था कि आपातकाल की कब घोषणा होगी।"

नवीनतम अफवाह यह है कि आपातकाल की घोषणा हो रही है। सभी अफवाहें तथा गपशप किस तरह ये फैलते हैं। यह उनका अनिवार्य भोजन है। ये अफवाहें, गपशप और सुनी-सुनाई बातें और मैं उनको उससे इंकार नहीं करता हूं।

अब मैं विपक्षी दलों का विश्लेषण करना चाहूंगा। अब सात दलीय गठजोड़ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, छः हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : कोई बात नहीं, पहले तो जनता पार्टी है। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग है जो पिछले तीस वर्षों से अपनी पहचान तथा संगठन की खोज में लगे हुए हैं। पहले तो वे कांग्रेस समाजवादी दल में थे, उसके बाद समाजवादी दल, उसके बाद प्रजा समाजवादी

दल, उसके बाद संयुक्त समाजवादी दल, उसके बाद जयप्रकाश जनता दल में थे। यह सी०एम० पी०, एस०पी०, पी०एस०पी०, एस०एस०पी० तथा जे०जे०पी० रहा है। केवल एक दल आर० एस०वी०पी० है जो उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। उसके बाद हम लोकदल को देखें। पहले यह भारतीय क्रान्ति दल था। उसके बाद, उन्होंने महसूस किया कि लोक बिना कोई क्रान्ति नहीं हो सकती है। भारतीय क्रान्ति दल से यह भारतीय लोकदल हुआ। उसके बाद उन्होंने 'भारतीय' को हटाने का निर्णय किया और उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर त्यागपत्र देकर यह लोकदल बना। एक समय आयेगा जब बी०के०डी०, बी०एल०डी०, एल०डी० तथा उसके बाद केवल डी० रह जायेगा और उसके बाद कुछ नहीं रह जायेगा।

कम्युनिस्ट दल के बारे में मैं कोई बात नहीं कहूंगा। उन्हें अपने बारे में बहुत परेशानी है, वे 'हमलेट' की तरह से है, उनके समक्ष प्रश्न है कि वे दूसरे दल में मिलें या न मिलें, क्या वे इस दल में मिले या न मिले, क्या वे इस देश या उस देश के समर्थक हों, किसी रास्ते को अपनाना है आदि। उन दोनों के बारे में यह सच है। उन्हें अपनी समस्याओं में लगे रहने दो। मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल एक शिकायत करनी है। वे प्रत्येक काम को अपनाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अच्छे काम दूसरों के लिए छोड़ दें। परेशानी यह है कि कम्युनिस्ट दल ने अच्छे काम को अपना स्वयं का मानकर बिगाड़ दिया है। उन्हें आंदोलन करने दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, परन्तु उन्हें अच्छे काम एक तरह छोड़ देने चाहिए।

इन सात दलीय मोर्चे की यह स्थिति है। मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से करूंगा। यह श्री पराजय द्वारा संचालित एक सात दलीय राजनैतिक वाद्य मंडल है और श्री पराजय ऐसा बुरा संचालक है कि जो गाना यह गाता है वह न तो स्वर माधुर्य है और न वह सुरीलापन है। इसलिये भारतीय लोगों ने उन्हें नामंजूर कर दिया है। उन्हें किसी दल में कोई विकल्प नहीं मिला है। मैं बंटवारा नहीं चाहता हूं। इस अवसर को कुछ अलग रूप में ही मानता हूं। मैं इस अवसर को भिन्न प्रकार का मानता हूं। संसदीय लोकतंत्र के अन्तर्गत संसद से अनेक कार्य करने की अपेक्षा है। इससे विधान बनाने की अपेक्षा की जाती है, इससे न्यायपालिका पर नियन्त्रण करने की अपेक्षा की जाती है, इससे सरकारी धन पर नियन्त्रण करने की अपेक्षा की जाती है और शिकायतों को जनता के सामने रखने की अपेक्षा की जाती है। परन्तु एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो विंसटान चर्चिल ने कहा है—जो इसे करना है और जिसे राष्ट्र के बड़े मंच की व्यवस्था करनी है जहां पर राष्ट्रीय मसलों का विशलेषण, व्याख्या, विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद किया जायेगा ताकि कोई सहमति हो सके और देश आगे बढ़ सके। यह उस सन्दर्भ में है। उन बातों के अतिरिक्त, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है और जिनको मैं अपने थोड़े समय में स्पष्ट नहीं कर सकता हूं—मैं एक मूल विषय को उठाना चाहूंगा। मैं इस सभा में प्रणाली के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जो हमारे पास भारत में है। मैं राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे दल के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य संसदीय सरकार पर आधारित समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना है ताकि संसदीय या अन्य सरकारों का प्रश्न अपने दल में न कि यहां पर

उठा सकूं। परन्तु मैं यहां पर संसद के कार्यकरण की प्रणाली के बारे में एक प्रश्न अवश्य उठाना चाहता हूं।

1950 में, हमने संविधान अपनाया था। हमने वेस्टमिंसटर नमूना अपनाया था। पिछले 30 वर्षों में जो हुआ है वह यह है कि हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है परन्तु वेस्टमिंसटर नमूना एक ऐसी महत्वपूर्ण हद तक स्वयं ही बदल रहा है कि यह प्रायः मान्यता से आगे निकल चुका है। चूंकि मैंने हाल में ही इसका कुछ अध्ययन किया है, मैं इसके बारे में चार या पांच प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूंगा। वह वेस्टमिंसटर नमूना क्या था? डा० अम्बेडकर तथा अन्य लोगों ने इस बात की दलील दी कि इस देश को वह नमूना अपनाना चाहिए। वह नमूना पूर्ण रूप से बदला जा चुका है। क्या हम उसी नमूने को अपनाते रहेंगे? इसकी क्या विशेषतायें थी? उस नमूने की प्रथम विशेषता यह थी कि इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं था। अब पिछले 30 वर्ष में रोम की संधि तथा कई अन्य दस्तावेजों के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि इंगलैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है और वहां एक अलिखित संविधान संसदीय सरकार या वेस्टमिंसटर नमूना का आधार है। आपको शायद मालूम है कि लार्ड हेलशम और लार्ड सकारमैन ने यह दलील दी थी कि एक अधिकारों का विधेयक तथा न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। हाऊस आफ लार्डस की एक समिति ने इस बात की सिफारिश की थी और प्रायः वह रिपोर्ट पारित कर दी गई थी। यह कहा गया था कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। पिछले 30 वर्षों में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि यह अब सच नहीं है। उदाहरणार्थ, साझा बाजार जनमत-संग्रह तथा स्काटलैंड तथा वेल्स को अधिक शक्तियों के हस्तान्तरण से यह पता चलता है कि ब्रिटिश संसद अब सर्वोच्च नहीं है। उसके बाद पुनः वेस्टमिंसटर नमूना अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व के तीसरे सिद्धान्त के क्षेत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है। वेस्टमिंसटर नमूने के अनुसार यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल कार्यपालिका तथा विधानपालिका के बीच सम्पर्क बनाती है, और जैसा कि वेगहाट ने कहा, यह एक संयोजक रेखा है जो बकसुआ को बंधन से जोड़ती है। यही मंत्रिमंडल का सम्बन्ध है, परन्तु अब उस मत्रिमंडल ने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को एक बड़ी हद तक समाप्त कर दिया है। साझा बाजार वाद-विवाद के दौरान 7 मंत्रियों ने अपनी सरकार की नीति के विरुद्ध पूर्ण रूप से अभियान चलाया। हो सकता है वह अल्प समय के लिए हो। मुझे मालूम नहीं है कि क्या वहां पर जनता पार्टी सत्ता में थी। परन्तु 7 मंत्रियों ने अपनी सरकार की नीति के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से अभियान चलाया और सामूहिक उत्तरदायित्व को छोड़ दिया गया।

रिचर्ड क्रासमैन की डायरी से मालूम होता है कि उन्होंने बहुत से मंत्रिमंडल की गुप्त बातों का सुराग दिया था और उन्होंने इसे इस आधार पर न्यायोचित ठहराया था कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी वेस्टमिंसटर नमूने का सिद्धान्त अब आगे नहीं रहा है। उसके बाद पुनः यह कहा गया था कि वेस्टमिंसटर नमूने ने उस समय तक कार्य किया जब तक वहां केवल दो दल थे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या यह ब्रिटेन की महारानी के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह प्रो० मधु दण्डवते के शिक्षण का प्रस्ताव है। दो दलीय प्रणाली वहां अब काम नहीं कर रही है। पिछले 30 वर्षों में एक परिवर्तन हुआ है। पहले लोग दोनों में से किसी एक दल को मत प्रदान करते थे। सदस्यों में से 98 प्रतिशत सदस्य एक अथवा दूसरे दल से सम्बन्धित थे। वहां पर आज वह स्थिति नहीं है। वहां स्काटिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी और यूलस्टर पार्टी तथा अनेक छोटी-छोटी पार्टी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामूहिक उत्तर-दायित्व का सिद्धान्त खत्म हो रहा है। इस विषय में भी सरकार छोटे दलों से परामर्श कर रही है और सहमत होती जा रही है। ताकि वे सत्ता में बने रहें। उसके बाद फिर न्यायालयों की भूमिका में परिवर्तन हुआ है। वे खुले रूप से राजनैतिक हो गये हैं और प्रशासन की आलोचना करना शुरू कर दिया है और मंत्री महोदय पर छींटाकशी करनी शुरू कर दी है और लेबर पार्टी के आन्तरिक कार्य भी न्यायालयों द्वारा नियंत्रित किए जाने लगे हैं। यह हुआ है। परन्तु महत्वपूर्ण गतिविधि प्रधानमन्त्री की भूमिका की है। मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया है। प्रायः तानाशाही तथा चौकड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं समझता था कि यहां असलियत थी। परन्तु मुझे मालूम है सभी ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों पर तानाशाही का तथा चौकड़ी रखने का आरोप लगाया गया है। आपकी अनुमति से मैं एक या दो दृष्टांत उद्धृत करूंगा। उदाहरणार्थ, एक कमजोर प्रधानमन्त्री, चम्बरलाइन ने एक महत्वपूर्ण मन्त्री होअरे वेलिशा को 10, डाउनिंग स्ट्रीट पर बुलाया और कहा, "मैं कारण नहीं बताऊंगा। मैं आपका इस्तीफा पांच मिनट में चाहता हूं।" और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब मैक मिलन प्रधानमन्त्री थे, उन्होंने एक रात को सात मन्त्रियों को बुलाया और उनमें से सभी को इस्तीफा देने के लिए कहा। इसे 'दि नाइट आफ लांग नाइट्स' के नाम से पुकारा जाता था। और उसके बाद हमें प्रधानमन्त्री की शक्ति के बारे में मालूम हुआ है। हाल में विलसन के मन्त्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण मन्त्री जार्ज ब्राउन ने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है कि अमेरिका सरकार इस शर्त पर आर्थिक सहायता देने को तैयार थी कि इंग्लैंड द्वारा कुछ आर्थिक नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। एक शर्त यह थी कि ब्रिटिश बैंकों को तीन दिन के लिए बन्द रखा जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री सीधे बकिंघम प्लेस गये और आदेश पर हस्ताक्षर कर लिये। मन्त्रिमंडल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई और जब आर्थिक कार्य मन्त्री जार्ज ब्राउन ने हाऊस आफ कामन से उन्हें टेलीफोन किया और कहा, "मैं आर्थिक कार्य का मन्त्री हूं।"

मुझे मालूम नहीं है कि बैंक तीन दिनों के लिए बंद हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं ? आप मंत्रीमंडल की सलाह नहीं ले रहे, विलसन का उत्तर यह था : "मंत्रीमंडल की बैठक बुलाना मेरे लिए जरूरी नहीं है।" फिर कुछ मंत्री जार्ज ब्राउन के गिर्द इकट्ठे हो गए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी आप भाषण दें, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : जार्ज ब्राउन ने कहा कि उनके विचार में विलसन को सलाह लेनी चाहिए। फिर विलसन ने उन्हें कहा—"आप मेरे विरुद्ध षड़यंत्र कर रहे है।" **(व्यवधान)**।

श्री वी. एन. गाडगिल : मैं यह कह रहा हूं कि बिना मंत्रीमंडल की बैठक के, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह है—कि अब इसे सभी जानते हैं—कि श्री ऐटली ने जब वह प्रधान मंत्री थे, अणु बम बनाने का निर्णय लिया। मंत्रीमंडल ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। प्रधान मंत्री की स्थिति यह है। इस पद की शक्ति, संरक्षण और प्रतीष्ठा ऐसी है कि इससे भय लगता है। इसमें अधिनायकवाद वाली कोई बात नहीं है। मैं यहां उपस्थित बहुत से लोगों—जनता पार्टी के मंत्रियों को जानता हूं, जो आपस में कुछ कहते थे और केबिनेट की बैठकों में कुछ और कहते थे। उन्होंने ऐसा स्वयं ही कहा है। अत: अब प्रश्न यह है कि क्या हम वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को जारी रखें, जो अब बिल्कुल बदल चुकी है। यही बुनियादी समस्या है। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर विचार करे ताकि हम यदि आवश्यक हो तो इसे बदलें। इस बारे में हमारा अनुभव क्या है ? अनुभव यह है कि जब संसद बैठती है—और जब हमारी संसद काफी लम्बी अवधि के लिए, वर्ष में 25 सप्ताह तक बैठती है केवल तीन महीने जनवरी, जून तथा अक्तूबर में नहीं बैठती तो सरकार की सारी मशीनरी आदि जमती नहीं तो खड़ी जरूर हो जाती है और सारा राजकाज अस्त व्यस्त हो जाता है। हर व्यक्ति की नजर संसद पर होती है। हर व्यक्ति का अनुभव यही है। अत: क्या हमें ...**(व्यवधान)** मैं यह नहीं कह रहा कि इसे समाप्त किया जाए, क्या इसमें सुधार नहीं ला सकते ? क्या यह सचमुच जरुरी है ? क्या हम एक उचित संशोधन नहीं ला सकते ताकि प्रक्रिया में सभा के योगदान के अनुसार परिवर्तन लाया जा सके ? उदाहरण के लिए इस सभा और दूसरी सभा में तीन तीन पठनों और फिर राष्ट्रपति की सहमति की क्या आवश्यकता है ? ये सात कदम क्यों उठाए जायें ? क्या हम एक पठन के बाद इसे किसी समिति को नहीं सौंप सकते, जहां इस पर पूरी तरह विचार हो सके ? क्या हम कोई ऐसा सुधार नहीं कर सकते ताकि प्रणाली असफल होने के बजाय सुधरे। ये सात चरण क्यों होने चाहिए ? मैं समझता हूं कि हिन्दू कानून में शादी के समय सात फेरों का किया जाना जरूरी है। लेकिन विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए सप्तपदी क्यों हो ? इसका संशोधन हो सकता है। हम समितियों से काम ले सकते है। आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में ऐसा हुआ है। हम इसे उचित ढ़ंग से लागू कर सकते हैं। लेकिन मुझे भय है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत सारी मशीनरी यदि टूटती नहीं तो कम से कम मंदी जरूर पड़ जाती है। यह सुधार करने का समय है। मैं किसी दल के आधार पर नहीं कर रहा। अत: सभा के सभी वर्गों से मेरी आखरी अपील यही है कि इसे राष्ट्र के एक मंच में परिवर्तित किया जाए ताकि यहां राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके ? कुछ मतैक्य हो सकता है और कुछ समाधानों का पता लगाया जा सकता है। हमेशा संघर्ष क्यों होना चाहिए ? हमें गरीबी और बिमारी के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए ? हम एक दूसरे से क्यों संघर्ष करें। यह मेरी अपील है।

मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं। मुझे यह पता नहीं कि किस प्रकार समस्यायें साझने रखी

जाती हैं। लेकिन मैं विनोबा जी द्वारा बतायी गयी एक सुन्दर कहानी कहना चाहूंगा। इसे कहकर मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

बम्बई के एक प्रोफेसर कालिज के कुछ लड़कों को दूरदराज के गांव की यात्रा पर ले गया। लड़के वहां खेले, खाना खाया, नदी में तैरे, हंसी मजाक किया। दोपहर के बाद प्रोफेसर ने कहा : आप सब बी० ए० पास, एम० ए० पास स्नातकोत्तर हैं। मैं आपकी बुद्धि परीक्षा करना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए उसने भारत का नक्शा खोला। विद्यार्थियों को दिखाकर उसने नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने लड़कों से कहा : मैं आप सब में से हर एक को एक एक मिनट देता हूं। आप टुकड़ों को उठाईए और नक्शे को जोड़िए। वे हंसे और कहा कि यह बहुत आसान है। पहला लड़का आया। उसने कोशिश की लेकिन ऐसा न कर सका। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा लड़का आया। उन्होंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। फिर एक स्नातक लड़का आया। उसने कहा वे सब अन्डर ग्रेजुएट हैं। मैं ग्रेजुऐट हूं। मैं ऐसा कर दूंगा। उसने प्रयत्न किया लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। फिर आखरी लड़का आया। उसने कहा मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं भूगोल का विशेषज्ञ हूं। उसने भी कोशिश की लेकिन वह भी वैसा न कर सका। जब यह सब हो रहा था तो 10,12 साल का एक किसान का एक अनपढ़ और धूल घुमारते लड़का संकोच के साथ आगे आया और कहा—क्या मैं कोशिश करूं। बम्बई के लड़के उस पर हंसे। उन्होंने कहा कि जब वे वैसा न कर सकते हों एक अनपढ़ लड़का कैसे कर सकता है। फिर प्रोफेसर ने कहा : इस कोशिश करने दो। क्या नुकसान है ? वह लड़का संकोच के साथ आगे आया, टुकड़ों को उठाया और आधे-मिनट से भी कम समय में, नक्शे को जोड़ा। प्रो० तथा लड़के चकित हुए। प्रो० ने कहा :—"कि बम्बई से आए ये कालिज के लड़के ऐसा नहीं कर सके। बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लड़के ने कहा : जब आपने नक्शे को लड़कों के सामने रखा था तो मैंने नक्शे को पीछे से देखा। नक्शे के पीछे एक व्यक्ति की तस्वीर थी। मैंने आदमी की तस्वीर जोड़ी और नक्शा खुद व खुद जुड़ गया।

अतः मेरी अपील है : हम सब को इकट्ठा होना चाहिए ; भारत के सभी दलों को इकठ्ठा होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जोड़ सकें और इस देश के और प्राचीन भूमि को फिर एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बनायें।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मेरे मित्र श्री गाडगिल द्वारा पेश धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं, जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने के बाद उसके प्रथम प्रधानमन्त्री, पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश का निर्माण का काम अपने हाथ में लिया। भले ही कुछ हमारे विरोधी मित्र, जिनको एन्टी-नेहरू-फोबिया है, वे नेहरू के बारे में कुछ भी कहें, पर यह बात पूर्णतया सत्य है कि एक गरीब, पिछड़े और नंगे हिन्दुस्तान को, आधुनिक भारत का, मजबूत भारत का स्वरूप देने का

सबसे बड़ा हाथ है। वे एक स्वपनदृष्टा थे और उनकी नीतियों और कार्यकलापों के कारण हमारा यह देश दुनियां में विकासशील देशों की प्रथम पंक्ति में उन्हीं के जमाने में आकर खड़ा हुआ था। हमारे देश ने जो तरक्की की है, वह किसी से छिपी नहीं है। यह दूसरी बात है कि हमारे देश में एक मनोवृत्ति पैदा हो गई है और यह दुर्भाग्य की बात है कि हर अच्छाई को कम करने की एक आदत सी पड़ गई है। हम आंखे बन्द करके सारी चीजों को देखते हैं। कलर्ड गलासेस से सब चीजों को देखने की हमारी मनोवृत्ति बन गई है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब नेतृत्व संभाला, हमारा यह देश विकासशील देशों की गिनती से निकल कर विकसित देश बन गया। अब यह डेवलपिंग कन्ट्री नहीं है, बल्कि एक डवेलप्ड कन्ट्री है। बंगला देश की लड़ाई और 'सपेस' तथा अणुबम का विस्फोट हमेशा याद रहेंगे—इस देश को आने वाली जनता को।

दुर्भाग्य की बात थी, सन, 1977 में जनता पार्टी की सत्ता आई। यह सही है कि क्योंकि आपके हथकण्डे ऐसे थे कि एक राष्ट्रीय काम का आपने अनुचित लाभ उठाकर लोगों में गलत-फहमी पैदा करके कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, नीतियों के आधार पर नहीं, परिवार नियोजन जैसे शुभ राष्ट्रीय कार्यक्रम का आपने दुरुपयोग किया, विसपरिंग-कैम्पेन— उसके कारण आप सत्ता में आ गये। सत्ता में आने के बाद आपने जो कुछ किया, वह सब लोग जानते हैं। आपने इस देश की अर्थ- व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया, कानून-व्यवस्था नाम को भी नहीं रही, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ने लग गये (व्यवधान)··· दुर्भाग्य है कि हमारे मित्र, श्री गाडगिल, कह रहे थे कि यह अपोजीशन पार्टी जो है, वह फ्रेस्ट्रेटेड लोगों की पार्टी है और फ्रेस्ट्रेशन आपका यही नजर आ रहा है। आप असलियत को सुनाना नहीं चाहते हैं ···(व्यवधान)··· मैं यह अर्ज कर रहा था कि मेरे पास आंकड़े हैं, आपको बताने के लिए कि आपने इस देश में क्या किया। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप के जमाने में शुगर प्रोडक्शन 30 प्रतिशत कम हो गया, आपके जमाने में सीमेंट का प्रोडक्शन 7 प्रतिशत कम हो गया। आपके जमाने में···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आप ये आंकड़े कहां से लाए हैं ?

श्री नवल कुमार शर्मा : तथ्यों के आंकड़े हैं स्वामी जी। आपकी समझ में नहीं आता है, यह दूसरी बात है। आपके जमाने में इस देश में विदेशी मुद्रा का 2250 करोड़ रुपये का घाटा हो गया, आपके जमाने में देश के अन्दर देश की हालत बिगड़ी, इन्फलेशन की दर बढ़ी—होलसेल प्राइस इन्डेक्स जनवरी, 1980 के अन्दर लगभग 22 प्वाइन्ट था क्या यह तथ्य नहीं है ? मैं इन फिगर्स में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ा।

मैं कह रहा था कि जनता पार्टी सत्ता में आई। चूंकि सिद्धान्तविहीन राजनीति कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकती और फिर सिद्धान्तविहीनों के साथ सत्ता-लोलुप लोग हों, ऐसे लोग तो देश के शासन को चला ही नहीं सकते—परिणाम स्पष्ट हुआ—जो पार्टी 5 वर्षों के लिए सत्ता में आई थी, वह बहुत जल्दी ही' तीन साल के पहले ही, सत्ता से हट गई और इस देश की

जनता ने फिर बुद्धिमता का परिचय दिया । उन्होंने महसूस किया कि श्रीमति गांधी के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए बहुत बड़े बहुमत के साथ, आप सब लोगों को हरा कर, सभी दलों को हराकर —हमारी सत्ता में आइ और सता में आने के बाद श्रीमती गांधी और उनकी सरकार ने इस देश के निर्माण का काम अपने हाथ में लिया । शुरू में जो हालात हमको मिले, जो मुश्किलात हमारे सामने थी, उनमें एक मुश्किल यह थी कि देश में भयंकर सूखा था । दूसरी मुश्किल यह थी कि दुनिया के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन्फलेशन जोरों से बढ़ रहा था, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तेल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही थीं, पिछले साल में दो बार तेल की कीमतें बढ़ी और इनके साथ-साथ हमें एक टूटता हुआ भारत मिला था । ऐसी हालत में देश के निर्माण की गाड़ी को रेल्ज पर लाने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था । परन्तु हमारे देश के विरोधी दलों के लोगों ने कहना शुरू कर दिया—Is it the Government that works ? एक तरफ का विस्परिंग-कैम्पेन शुरू किया गया, कहा जाने लगा कि मैडम गांधी कि वह रफतार नहीं है, वह गतिशीलता नहीं है जो पहले थी, सरकार में कुछ हो नहीं रहा है···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात आप के मन में है···(व्यवधान)···।

श्री नवल किशोर शर्मा : आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिये । दुर्भाग्य यह है कि यह प्रेजिडेन्ट एड्रेस भी आपकी आंखों को नहीं खोल सका । पिछले 13 महीनों के शासन में मैडम गांधी के शासन ने इस देश की हालत को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है और आज हमारे देश की प्रगति की गाड़ी फिर से रेल्ज पर आ गई है । इस देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन बढ़ा है । अभी मेरे मित्र गाडगिल साहब आंकड़ों से यह बात बतला रहे थे, मैं उन आंकड़ों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन यह बात सही है कि आज हमारे देश की जो मूलभूत आवश्यकता है, देश के औद्योगीकरण के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनकी हालत में बहुत सुधार हुआ है । आज देश में कोयले की कमी नही है, कोयले का उत्पादन पिछली सरकार के लक्ष्यों से बहुत बढ़ गया है ···(व्यवधान)···।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : गाड़ियां बन्द हो गई हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन कोयले के अभाव में कोई पावर-हाउस बन्द नहीं हुआ है, बिजली का उत्पादन बराबर चालू है । कोयले के अभाव में स्टील के कारखाने बन्द नहीं हुए हैं । आप के जमाने के मुकाबले आज हालात बहुत बेहतर हैं । कोयले के अभाव में सीमेंन्ट के कारखाने बन्द नहीं हो रहे हैं और हमारे जो मूलभूत उद्योग हैं—कोयला, सीमेंन्ट और बिजली—इनका उत्पादन बढ़ रहे है । किसी भी देश की प्रगति के लिए ये मूलभूत आवश्यकतायें हैं । रेल-गाड़ियां यहाँ और वहां बन्द हो सकती हैं, उनके लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है । उनका नाम लेकर आप हमारी उपलब्धियों को कम नहीं कर सकते हैं—शास्त्री जी, यह बात मैं आप से कह रहा हूं···।

श्री रामावतार शास्त्री : सुनाइये, क्या कह रहे हैं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के अन्दर पिछले साल जो आर्थिक क्षेत्र में तरक्की हुई हैं, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। इतने बुरे हालत जो हमको विरासत में मिले थे, उनके होते हुए हम इस तरक्की पर सतोष कर सकते हैं लेकिन यह सही है कि जैसा कि प्रेजीडेंट ऐड्रेस में भी कहा गया है, यह एक सुधार-मात्र है और हम में काम्पलीसेन्सी नहीं आनी चाहिए। प्रेजीडेंट ऐड्रेस में इस बात को बहुत मोडेस्ट तरीके से कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो दूषित प्रचार किया जा रहा था कि यह सरकार काम नहीं करती है, Is it the Government that works? इस बात का भंडाफोड़ हो गया है और कानून व व्यवस्था की स्थिति में निश्चिय तौर पर सुधार हुआ हैं···(व्यवधान)···।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई सुधार नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप इनकी बात सुनें। जब बोलें तभी इसे स्पष्ट करें। जब आप बोलें, उस समय आप विरोध कर सकते हैं। You can oppose when you speak.

श्री नवल किशोर शर्मा : आंकड़े इस बात को कहते है। अर्थ-व्यवस्था के सुधार के साथ साथ जो हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गये हैं। हरिजनों, और आदिवासियों के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के जरिये लाभ पहुंचाने की बहुत जोरों से चेष्टा की जा रही है। आज इस देश में माइनोरिटी के लोग सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं और देश के अन्दर ऐसा लगने लगा है कि कोई राज तो आया है वरना पिछले तीन सालों में यहां पर राज नाम को कोई चीज नहीं रह गई थी, यहां पर जंगल का राज था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, इसका हम सबको अनुमोदन करना है। इसके साथ ही मैं यहां एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह बात यह है कि हमारे देश के अन्दर विरोधी दलों के लोगों को थोड़ी बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए। अभी अभी मेरे एक मित्र किसानों के बारे में कह रहे थे। जब से किसान रैली हुई, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विरोधी दल के सदस्य कुछ बोखला सा गये हैं। ··(व्यवधान)···हर रोज ये इसके बारे में कहते हैं किसी न किसी बहाने से। आज सवेरे प्रमिला जी कह रही थी और उस दिन 17 तारीख को लोकदल के पासवान साहब कह रहे थे। हर रोज इनको कोई न कोई बहाना लेकर किसान रैली के बारे में कहने की जरूरत पड़ जाती है। असल में सही बात तो यह है कि इस किसान रैली ने, जो इन दलों की एक मिथ थी, लोगों में इस शासन के खिलाफ प्रचार करने की जो इनकी चेष्टा थी, उसको तेजी से भंडाफोड़ कर दिया है। श्री शरद जोशी ने आन्दोलन किया कुछ कारणों से, तो कुछ लोग उसके साथ लग गए और इन्होंने सोचा कि अन्धे के हाथ बटेर खूब लगी। सब विरोधी दल के उस आन्दोलन में कूद पड़े और बड़ी तेजी से किसानों को आन्दोलन के लिए भड़काने लगे और इन्होंने समझा कि कांग्रेस (आई) की किसान बैस ही खत्म हो रही है। बड़े प्रफुल्लित हो कर इन्होंने यहां, वहां आन्दोलन करवाना शुरू किया जैसी इनकी आदत रही है क्योंकि इनके पास कोई कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो है नहीं, कोई कांस्ट्रक्टिव कार्यक्रम है नहीं। इसलिए

इन्होंने यह सोचा कि यह मौका था सरकार के खिलाफ विरोध का वातावरण बनाने का और इन्होंने तरह-तरह के प्रचार और आन्दोलनों में हिस्सा लेना शुरू किया लेकिन यह जो किसान रैली हुई है, यह असम में इस बात का सबूत है कि किसान इन्दिरा जी के साथ हैं, 'किसान के हाथ इन्दिरा गांधी के साथ'। यह इस बात का सुबूत है कि यह सरकार काम करती है। विरोधी दल के लोग भले ही कितनी ही इस देश की जनता को बर्गलाएं, लेकिन किसान जानता है, इस देश का मजदूर जानता है कि अगर देश का कोई भला कर सकता है, तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही कर सकती हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी संशोधन परिचालित हो चुके हैं, यदि चाहें तो अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और संशोधन की क्रम संख्या अंकित करते हुए 15 मिनट के अन्दर टेबल की ओर स्लिप भेज सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बागपत कांड के सम्बन्ध में सरकार के उदासीन रुख का उल्लेख नहीं किया गया है." (1)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोडा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर में विचाराधीन कैदियों को अन्धा बनाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया हैं।" (2)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्तीपुर जेल के गोलीकांड की, जिसमें कई दर्जन युवक मारे गए, निन्दा नहीं की गई है।" (3)

कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (4)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस की बढ़ती हुई ज्यादतियों, बेरोजगारी और देश में व्याप्त गरीबी का उल्लेख नहीं किया गया है।" (5)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की नीति के कारण देश में आर्थिक असमानता के बढ़ने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (6)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में आगमन के समय उसके परिसर में हुई घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।" (7)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को होस्टल से निकाले जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के विपरीत कुछ हाथों में सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण में सहायता देने वाली सरकार की नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विपक्षी दलों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए रेडियो का दुरुपयोग किए जाने तथा विपक्षी दलों को अपने विचारों का प्रचार करने की अनुमति न दिए जाने का उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों और उद्योगों द्वारा निर्मित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन बनाये रखने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एशियाई खेलों पर होने वाले 100 करोड़ रुपए के खर्च को रोकने के लिए सरकार को दिए निदेशों का उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 अगस्त, 1980 को मुरादाबाद में हुए बर्बर कांड का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें पुलिस और प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस द्वारा हजारों लोग मारे गए।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेकसूर उच्चाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और राज्य के कर्मचारियों को बर्खास्त किये जाने का उल्लेख नहीं है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में चल रहे आरक्षण-विरोधी आन्दोलन में हरिजन समुदाय के दर्जनों व्यक्तियों के मारे जाने तथा बिहार के सिंह-भूमि जिले में पीपरा, करगन, पारसबीधा' कफाल्ता में हरिजनों और गुआ में आदिवासियों की हत्याओं की निन्दा नहीं की गई है।" (63)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मै प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवकों और महिलाओं को रोजगार देने के ढंग का कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजीकृत बेरोजागारों को भत्ता देने का उल्लेख नहीं है जैसा कि पश्चिमी बंगाल और केरल में किया गया है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न सरकारी उपक्रमों में लगातार चलने वाले कामों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बदलती राजनैतिक परिस्थितियों में देश के संघीय ढांचे के अनुरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी एकाधिकारियों को अधिकाधिक रियायत देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्रांतिकारी, भूमिसुधार उपायों का उल्लेख नही है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि संविधान में कार्य के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किए जाने का उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।' (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के उन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जहां पेय जल उपलब्ध नहीं है, पेय जल की उपलब्धि के किसी उपाय का उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन करोड़ों बच्चों के पालन पोषण के उपाय का कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें मूल पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के किसी उपाय का उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों को प्रबन्धक व्यवस्था में भागीदार बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाण में भारतीय श्रम सम्मेलन के कार्यकरण का कोई उल्लेख नहीं है ।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का संकेत तक नहीं है कि कोई मौलिक संरचनात्मक सुधार अथवा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन किए जायेंगे। जिनके बिना मेहनत कश लोगों के जीवन में तबाही मचाने वाली समस्याओं का कभी भी हल नहीं होगा ।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण न केवल अप्रेरणादायक और बेरंग है बल्कि इस निराशामय सम्भावना को बनाए रखता है कि एकाधिकारियों तथा अन्य शीर्षकों के हित में बदनाम नीतियां जारी रहेंगी ।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों को कम करने या बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक नीति में किसी परिवर्तन का कोई कष्ट सकेत नहीं है ।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि एकाधिकारियों तथा ऐसे अन्य शीर्षकों पर नियंत्रण करने या आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण को रोकने की बात तो दूर रही अभिभाषण में उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है ।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न तो कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट पर गम्भीरता से ध्यान दिया गया है और न ही उसमें किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसी ठोस उपायों का उल्लेख है ।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए प्रभावशाली उपायों का कोई प्रस्ताव नहीं है ।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि इस बात के बावजूद भी कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दर्शक अभी चल रहा है अभिभाषण में असामान्य सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति, दहेज के विरन्तर बढ़ते हुए भार, रोजगार के अवसरों के लगभग पूर्ण अभाव, शिक्षा के पूर्ण अभाव, तथा अत्यधिक निरक्षरता के कारण लाखों भारतीय महिलाओं की दशा का तथा उनकी दशा सुधारने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि संविधान की अष्टम अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित करने के बारे में वचन नहीं दिया गया है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्र को आज जिस स्थिरता की आवश्यकता है वह लोगों के रहन-सहन की दशा में सुधार किए बिना तथा उन्हें बेहतर जीवन व्यतीत करने और सामाजिक न्याय का आश्वासन दिए बिना पूरा नहीं किया जा सकता।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आमूल निर्वाचन सुधार, विशेष रूप से वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति लाने के बारे में पूर्ण रूप से मौन हैं।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचनों में तथा देश के राजनैतिक जीवन में भी धन शक्ति के अभूतपूर्व प्रभाव पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (38)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि केन्द्र/राज्य सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुए अभिभाषण में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने या उनकी आर्थिक शक्तियां बढ़ाने या उन्हें अधिक संसाधन जुटाने अथवा उनकी विकासशील और अन्य राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए पुलिस और सिविल सशस्त्र बलों का पुनर्गठन किया जाएगा।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिए जाने पर भी अभिभाषण में समाचारपत्रों पर न तो धन-कुबेरों का नियंत्रण समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख है और न ही ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है कि समाचारपत्रों को प्रभावित करने का और उन्हें सरकार के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करने का कोई गुप्त प्रयास नहीं किया जाएगा।" (41)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए व्यापक विधान लाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक दलों के क्रियाकलापों को बन्द करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की चिन्ताजनक स्थिति को सुधारने और लोगों की सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए किसी ठोस कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े एकाधिकार घरानों को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन निर्वाह लागत के श्रमिकों के आंकड़ों सम्बन्धी रथ समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुख्य बन्दरगाहों और रेलों में नैमैतिक श्रमिकों को नियामत करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में माचिसों, नारियल जटा और पत्ता तम्बाकू जैसे श्रम प्रदान उद्योगों में मशीनीकरण समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान गम्भीर विद्युत संकट को देखते हुए विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं को तुरन्त स्वीकृति देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न विधियों के क्रियान्वयन के लिए सुचारू तंत्र बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में श्रमिकों के लिए समेकित सामाजिक बीमा योजना लाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काजू, हथकरघा और बीड़ी जैसे उद्योगों में प्रादेशिक न्यूनतम, वेतन निश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को श्रमिक वर्ग के विरुद्ध उनके संघर्ष को दबाने के लिए प्रयोग न करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सुव्यवस्थित करने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि और औद्योगिक वस्तुओं में मूल्य संबंधी साम्य स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तालाबन्दियों, कारखाने बन्द होने और जबरी छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाने का और सभी प्रकार के अतिक्रमण से श्रमिकों की रक्षा किए जाने के अधिकारों को सुनिश्चित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के लिए गुजराल समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का आश्वाशन देने और उर्दू को अनेक राज्यों में अतिरिक्त राजभाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :--

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा बुनकरों को विकट बेरोजगारी से बचाने के लिये कतिपय किसी उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसाधरण के हित में चीनी, कपड़ा, और औषधि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग का कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था की अनेक शाखाओं में गतिरोध और कहीं-कहीं गिरावट की उपेक्षा की गई है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्यों के अनुसार बढ़ रही है, तथापि, वास्तविक अर्थों में अथवा स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति आय दोनों घट रही हैं।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सिंचाई के लिये नियत धन से मुख्यरूप में धनी व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है जबकि गरीब वर्गों को वास्तव में इन लाभों से वंचित रहना पड़ता है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन्हें सर्वाधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए जाने का उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किये गये व किये जा रहे क्रान्तिकारी भूमि सुधारों के लिए पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकार के वामपक्षी तथा लोकतांत्रिक ताकतों की प्रशंसा नहीं की गई है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारवादियों तथा अन्य निहित स्वार्थवादियों को खुश करके आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्राप्त करने खतरनाक सिद्धान्त के विरुद्ध सरकार को चेतावनी नहीं दी गई है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारवादियों के हितों की रक्षा किये जाने वाली लाइसेन्स नीति का परिपालन करने पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस नीति का परित्याग करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया जो उद्योग (विकास तथा विनयमन) अधिनियम के अतिलंघन में उद्योगपतियों द्वारा आप्राधिकृत विस्तार को विधि सम्मत करती है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों को ईमानदारीपूर्वक लागू नहीं किया जा रहा है तथा बहुराष्ट्रकों द्वारा उनका उल्लंघन किए जाने दिया जा रहा है।" (89)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी सहयोग करार, पर अन्धाधुन्ध हस्ताक्षर पिछले एक वर्ष के दौरान तकरीबन 50 ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए गए है अथवा मंजूर किए गए हैं, के विरुद्ध चेतावनी नहीं दी गई है।" (90)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का आभास नहीं दिया गया है कि तकनीकी जानकारी के नाम पर बहुराष्ट्रीक आत्म-निर्भरता समाप्त करके भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हावी करने की कोशिश कर रहे हैं।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी देशों विशेषकर युरोपीय आर्थिक समुदाय की संरक्षात्मक नीति पर गम्भीर चिन्ता का और न ही इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा लाभ ब्याज, रायल्टी, लाभांश आदि को देश से बाहर भेजकर हमारे राष्ट्रीय समाधनों की निकाशी को रोकने के लिए उन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे बढ़ रहे व्यापारिक घाटे और किसी ऐसे उपाय को जिससे हमारी विदेशी मुद्रा का क्षय न हो, उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में एकाधिकारियों एवं विदेशी एकाधिकारियों द्वारा कमाये जाने वाले लाभ को कम करने के लिये कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत का कोई उल्लेख नहीं है और इसके विपरीत उन्हें अन्धाधुन्ध लाभ कमाने की छूट मिली हुई है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जैसी कि देश के करोड़ों युवकों द्वारा मांग की जा रही है।" (96)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है :—

(क) राष्ट्रीय स्वीकृति लक्ष्य अर्थात् आर्थिक स्वतंत्रता तथा आत्म-निर्भरता से हट कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए कोई सर्वांगीण, एकीकृत सम्पूर्ण कार्यक्रम।

(ख) साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद, जिनका हमारे देश पर अपने राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने तथा अपने विश्वजनीन रणकौशल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस क्षेत्र में नए तनाव उत्पन्न करने का लक्ष्य है, के विरुद्ध लगातार संघर्ष के बारे में पर्याप्त दृढ़ वचनबद्धता।" (47)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में 60 प्रतिशत पदों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा और उद्योगों के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता और विशेष अवसर प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय सेवाओं में पदों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों में से अत्यधिक पिछड़े लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पदों के आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुम्हारों' गडरियों, नाविकों, नाइयों, धोबियों, बढ़इयों, लोहारों से अल्प कार्य आजीविकाओं में लगे हुए लोगों के वर्गों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक उद्धार करने के लिए आवश्यक प्रबन्धकों और आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मछुओं, नाविकों, गंगपुत्रों, भिश्तियों, कबाड़ों कोलियों, कौड मांझियों, रामकवारों, गौधियों, वरमनों, केवार्टों, निशादो कश्यपों आदि को ऐसी सुविधा जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध हैं, प्रदान करने तथा सरकारी सेवाओं राज्य विधान मंडलों, संसद् और स्थानीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धीवरों, मल्लाओं, केवटों, कहारों, मछुओं के लिए मत्स्य क्षेत्र सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें तथा कृषि और उद्योगों की तरह युक्तियुक्त कीमतों पर अपने उत्पादन बेच सके।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सहेलखण्ड कमिश्नरी बरेली में केन्द्रीय सरकार द्वारा उर्वरक कारखाना, मेडिकल कालिज इंजीनियरी कालिज स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धोबरों, मल्लाहों, केबटों, कहारों, नशादों, आदि को 'सिंघाड़ा', कमलककड़ी आदि तथा तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन करने वाले कचार क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थायी अधिकार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समुद्रतटीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे वे बड़े-बड़े उद्योगपतियों और यंत्रीकृत नावों का मुकाबला कर सकें।" (57)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समूचे देश में एक समान सूची तैयार करने और राज्यवार विषमता को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलेरा जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं देने और उन्हें आपराधिक जनजातियों के रूप में न मानने का कोई उल्लेख नही है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जन जातियों/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नीति के विरुद्ध चलाए गए आन्दोलन को राष्ट्रविरोधी न मानने का कोई उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को तीन वर्ष में भरे जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे आरक्षण और दी जा रही अन्य सुविधाओं के विरुद्ध लेख याचिकाओं पर रोक लगाने के लिए सांविधानिक संशोधन लाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्धक मजदूरी, साहूकारी के उत्सादन और ऋणों के रद्द किए जाने, भूमि की अधिकतम सीमा और काश्तकारी आदि संबंधी कानूनों को एक निश्चित अवधि में पूरी तरह लागू करने के लिए विशिष्ट पगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों, विशेषकर कर्मकारों, किसानों, छात्रों युवा-वर्ग, कर्मचारियों के महंगाई के विरुद्ध तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने, पूरे रोजगार क्रांतिकारी कृषि सुधारों और अन्य मांगों के लिए उनके वैध संघर्षों में पूर्ण लोकतंत्री अधिकारों के लिए कोई आश्वासन नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य, कृषि उपज और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समानता सुनिश्चित करने, मूल उत्पादकों के दिए जाने वाले मूल्यों और वास्तविक उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले मूल्यों के बीच 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जाल बिछा कर सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं ठोस कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के संबंध में और उर्दू को उसका उचित स्थान दिलाने एवं अनेक राज्यों में उसे अतिरिक्त सरकारी भाषा का दर्जा दिलाये जाने संबंधी गुजराल समिति की सिफारिशों का कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्प संख्यकों को आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा सरकारी तथा अन्य सेवाओं में उचित स्थान प्रदान करने के लिए उचित प्रस्ताव का सम्बन्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुसलमानों, अल्प संख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए डा० गोपाल सिंह के सभापतित्व में स्थापित उच्च शक्तिप्राप्त समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन और सिफारिशों का कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग को शीघ्रता पूर्वक पर्याप्त सांविधिक शक्तियों से लैस करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विचारणाधीन कैदियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों पर पुलिस के अत्याचारों की बढ़ रही घटनाओं की निन्दा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी समाप्त करने और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छात्रों और विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ रहे असंतोष और उचित शिक्षा प्राप्ति के लिए सहायक वातावरण बनाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक अशांति, सरकारी तथा निजि क्षेत्रों में कर्मचारियों में असंतोष का पता लगाने और बेहतर औद्योगिक और कार्य सम्बन्धी वातावरण बनाने के लिए ठोस उपायों की जरूरत का उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्दी बस्तियों में विशेषरूप से महानगरों में रहने वाले व्यक्तियों की दुर्दशा तथा बेहतर जिन्दगी बिताने के लिए उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त आवश्यकता महसूस करने में असफल रहा है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण वर्तमान निर्वाचन पद्धति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा बदलने की आवश्यकता के बारे में चुप है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्ष 1921 के मोपलाह विद्रोह को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कालीकट (कारीप्पुर) हवाई पत्तन के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किए जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भीषण साम्प्रदायिक हिंसा का कोई उल्लेख नहीं है और न ही अभिभाषण में शांति और व्यवस्था बनाये रखने, हिंसा के भाग्यहीन शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने तथा उनका पुनर्वास करने, उन पुलिस अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को दण्ड देने का भी कोई उल्लेख नहीं है जो पक्षपात पूर्ण रवैये और अपने कर्तव्य से उन्मुख होने के दोषी थे और न ही साम्प्रदायिक सदभाव और भाईचारे को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख है।" (559)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 31 जनवरी, 1981 से अन्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से बन्द कर देने, उन छात्रों के विरुद्ध

दमनकारी नीति अपनाने जो शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे और छात्रों को बड़े पैमाने पर की गई गिरफ्तारियों का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उसमें छात्रों का शिक्षा वर्ष बचाने के लिए विश्वविद्यालय को तुरन्त पुनः खोलने का कोई आश्वासन दिया गया है ।" (560)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगे की वर्तमान जांच के स्थान पर जोकि जिला न्यायाधीश द्वारा की जा रही है उसे न्यायिक जांच एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश द्वारा कराने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है जैसाकि सरकार ने वचन दिया था ।" (561)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता की मांग और मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिसमें केरल और तमिलनाडू के कुख्यात "स्पिरीट घोटाले" की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जानी थी ।" (562)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई आश्वाशन नहीं दिया गया है कि सरकार बम्बई स्थित इजराइली वाणिज्यिक दूतावास को बन्द करने का आदेश देगी क्योंकि यहूदी इजराइली राज्य विश्वमत की उपेक्षा करता रहा है ।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन, दिल्ली तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुए समझौते का तेजी से क्रियान्वित करने के बारे में आश्वाशन नहीं दिया गया है ।" (589)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि एक ओर तो मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया है कि पुलिस तथा अन्य सरकारी सेवाओं में उनको प्रयाप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा दूसरी ओर उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिन्होंने विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में 15 प्रति-

शत व्यक्तियों को मरने के लिए हैदराबाद से ही कम से कम 46 मुसलमानों को भरती किया जाएगा जोकि सरकार की परस्पर विरोधी नीति का परिचालक है।" (590)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेन है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सभी पर कोई एक ही नागरिक संहिता लागू करने तथा उनकी स्वीय विधि (पर्सनल ला) में हस्तक्षेप में, विशेषकर मुसलमानों द्वारा कड़े विरोध को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 44 को हटाने के लिए सरकार आवश्यक विधान लायेगी।" (591)

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की तेजी से बिगड़ती स्थिति पर, जिसके परिणामस्वरूप हरिजनों, औद्योगिक मजदूरों निर्दोष पुरुषों तथा महिलाओं की बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं और अपराध दर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों तथा अदि वासियों जिनका देश की जन-संख्या में खासा हिस्सा है, के रहन-सहन की स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस नीति अथवा कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है तथा अत्याचारों से, क्योंकि बेहुत ज्यादा बढ़ गये है, उनकी जान तथा माल की रक्षा करने के किसी उपाय का भी उल्लेख नहीं है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण से देश में गत वर्ष हुए सांप्रदायिक दंगों जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया तथा इन सांप्रदायिक दगों को रोकने में तथा अपराधियों को दण्ड देने के वारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं और इस अपराध को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर में पुलिसवालों द्वारा लोगों को अंधा किए जाने तथा वाराणसी में पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों के हाथ पैर काट देने की घटनाओं और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नौकरशाही, जोकि दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और जो देश के हित के लिए हानिकारक है, कि बढ़ती हुई अकुशलता, उसमें भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजाबाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में सीमा विवादों, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बहुत समय से चले आ रहे सीमा विवाद का हल निकालने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस विवाद का कोई उल्लेख नहीं है कि देश के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त है अथवा संसदीय प्रणाली।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत भर में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने तथा इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 44 में अन्तर्विष्ठ निदेशक सिद्धान्त को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवाओं में तथा पदों पर नियुक्तियां करने तथा संविधान में उपयुक्त परिवर्तन करने में दृढ़तर कार्यवाही करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्वाचन सम्बन्धी सुधार करने तथा देश की निर्वाचन विधियों में परिवर्तन करने के लिए किसी ठोस नीति या कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यावश्यक वस्तुओं के अत्याधिक बढ़ते हुए मूल्यों, और उन को कम करने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के नकली अभाव को दूर करने के लिए, जिन का आम आदमी विशेषकर निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक कुप्रभाव पड़ता है, किन्हीं ठोस, निश्चित और कारगर उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण भारतीय शासनतंत्र के स्वास्थ्य और प्रगति के लिए नागरिकों को वास्तव में सुशिक्षित और प्रबुद्ध बनाने के लिए शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तनों की आवश्यकता और उनके स्वरूप के बारे में बिल्कुल मौन है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में रत्नगीरि में एक दशक से अधिक समय से विचाराधीन अल्यूमीनियम परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दल-बदलू विरोधी विधान लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नही हैं।" (282)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां देने और उनकी जीवन की परिस्थितियों को सुधारने के लिए ठोस कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि यद्यपि अभिभाषण में पिछले वर्ष रेलों के अधिक कार्यकुशलता से संचालन का तो उल्लेख है तथापि गत वर्ष हुई रेल दुर्घटनाओं और अत्यधिक जन हानि तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही का कोई हवाला नहीं है।" (284)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की पर्याप्त संख्या मे नियुक्ति करने और उनके रिक्त स्थानों को भरने तथा उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में बकाया पड़े मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है।" (565)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नही हैं कि सरकार मुख्य न्यायधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों का स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करने में असफल रही है।" (566)

कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक ऐसे वर्ष की तस्वीर पेश की गई है जिसमें लोगों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया है।" (567)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की जनता की लूट कर बढ़ती हुई इजारेदारियों को रोकने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और ठोस तथा मजबूत बनाकर जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं को सरकारी राशन की दुकानों द्वारा सप्लाई करने सम्बन्धी किसी बात की चर्चा नहीं की गई है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल की सरकार की तरह राशन की दुकानों से जीवनोपयोगी अठारह सामग्रियों की आपूर्ति करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने तथा नियमित रूप से आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई करने के लिए गल्ले के थोक व्यापार को सरकारी हाथ में लेने सम्बन्धी किसी बात की चर्चा नहीं की गई है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में अनावृष्टि एवं सिंचाई के अभाव में प्रत्येक वर्ष पड़ने वाले भयंकर सूखे से बचाने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम एवं योजना की क्रियान्विति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के बदले अनाज" योजना की क्रियान्विति के क्रम में की गई लूट-खसोट की चर्चा नहीं की गई है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना नगर और बिहार के प्रत्येक ग्राम में पेयजल की व्यवस्था के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने तथा इसके लिए राज्य सरकार को यथेष्ट वित्तीय अनुदान देने सम्बन्धी किसी बात की चर्चा नहीं की गई है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यानों की उपज में वृद्धि करने के लिए किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को औद्योगिक (कारखानिया) सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक सप्लाई करने के लिए उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने के किसी प्रस्ताव की चर्चा नहीं की गई है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को ईख की कीमत प्रति क्विंटल तीस रुपये निर्धारित करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए गेहूं का मूल्य 150 रुपये क्विंटल, धान का 130 रुपये क्विंटल और जूट (पाट) का 300 रुपये क्विंटल निर्धारित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सम्पूर्ण देश के लिए कोई सम्यक सिंचाई योजना तैयार करने तथा उसकी क्रियान्विति के किसी प्रस्ताव की चर्चा नहीं की गई है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार की कोसी, गंडक, पुनपुन, फतुहाबदिया टाल, सकरी, सोन, बागमती. कोईल, सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति को तेज करने की कोई चर्चा नहीं की गई है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि का दावा करने के बावजूद उनके मूल्यों में कमी करने तथा मजदूरों एवं कर्मचारियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने सम्बन्धी किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत मजदूरों के लिए निर्धारित निम्नतम मजदूरी कानून को लागू करने, देश भर के लिए एक समान कानून बनाने, उनकी मजदूरी में वृद्धि करने तथा उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में पारित भूमि-सुधार कानूनों को सख्ती के साथ लागू कर हदबन्दी से फाजिल जमीन को खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में निःशुल्क वितरित करने के किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि के क्षेत्र में होने वाले पूंजीवादी विकास को रोककर किसानों को सब प्रकार से आगे बढ़ाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न राज्यों में भीषण बिजली संकट के फलस्वरूप उद्योग धन्धों तथा कृषि कार्यों के संचालन में हो रही कठिनाइयों को दूर करने सम्बन्धी किसी कारगर कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, भोजन बनाने की गैस, कोयला, इस्पात आदि आदि के मूल्यों में वृद्धि करने की नीति की निन्दा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे प्रशासन द्वारा लोको रनिंग स्टाफ की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करने, उनके विरुद्ध की जा रही दमनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने तथा रेल प्रशासन की मजदूर विरोधी नीति को समाप्त करने सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल गाड़ियों के आठ-आठ, दस-दस घंटे विलम्ब से चलने के कारण यात्रियों की कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना के सदाकत आश्रम, दीघा के निकट गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण में किये जाने वाले अनावश्यक विलम्ब को समाप्त कर उसके निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापार घाटे में वृद्धि को रोकने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (380)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूंजी निवेश के नाम पर इजारेदारों को विभिन्न करों में दी गई रियायतों और टैक्स होलिडे को समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए किसी ठोस कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (382)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों के कार्यकरण में आई गिरावट को दुरस्त करने के लिए किसी उपाय का उल्लेख नहीं है।" (383)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों से सीमान्त और गरीब किसानों, शिक्षित बेरोजगारों, छोटे कारीगरों, कुटीर उद्योग संचालकों आदि को बैंकों से ऋण न मिलने और कदम-कदम पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (384)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कांग्रेस आई द्वारा किसान रैली के नाम पर 16 फरवरी, 1981 को सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (385)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इजारेदारों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में कमी करने के किसी प्रस्ताव की चर्चा नहीं की गई है।" (386)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में फसल बीमा योजना का कोई उल्लेख नही है।" (387)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिनों-दिन आकाश छूती हुई मंहगाई को रोकने के लिए किसी कारगर उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (388)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इजारेदार पक्षीय मूल्य निर्धारित नीति का परित्याग करके किसानों एवं आम जनता के हितों वाली मूल्य निर्धारण नीति प्रतिपादित करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (389)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी की तरह तेल के मूल्यों में भी भारी वृद्धि होने के संभावित खतरे को रोकने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (390)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल की वाम पक्षीय एवं जनवादी सरकारों के मतभेदों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (391)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारों को काम या बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (392)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर गैर-पूंजीवादी व्यवस्था कायम कर उन समस्याओं को सुलझाने के ठोस इरादे का कोई उल्लेख नहीं है।" (393)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिश्रित अर्थ व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (394)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के करोड़ों बुनकरों एवं उनके परिवार के लोगों की आर्थिक दुर्व्यवस्था से निकालने के लिए किसी ठोस एवं प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आए दिन महिलाओं के साथ शीलहरण की घटनाओं को रोकनेके लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जाने का उल्लेख नहीं है।" (396)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य दुर्बल लोगों पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों और उनके साथ भेदभाव को रोकने के किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (397)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के स्थान पर रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (398)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालयों में व्याप्त असंतोष को दूर करने और विश्वविद्यालय परिसरों में पठन-पाठन की स्थिति लाने संबंधी उपायों का उल्लेख नहीं है।" (399)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का उल्लेख नहीं है।" (400)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वनों पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने का उल्लेख नहीं है।" (401)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक प्रचारों पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।" (402)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते इस्लामी, आनन्द मार्ग तथा दूसरे साम्प्रदायिक एवं फूट-परस्त तत्वों के काले कारनामों का पर्दाफाश नहीं किया गया है।" (403)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नक्सलवादी तथा दूसरे उग्रवादी आन्दोलनों को राजनीतिक तौर से हल करने का उल्लेख नहीं है।" (404)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नक्सलवादी आन्दोलन के नाम पर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने वाले हरिजनों एवं नौजवानों को गोलियों से उड़ा देने जैसी घृणित कार्यवाहियों की निन्दा का उल्लेख नहीं है।" (405)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्प संख्यक समुदायों की विशिष्ट मांगों का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण के उपायों का उल्लेख नहीं है।' (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में उर्दू भाषा को उचित स्थान देने का उल्लेख नहीं है।" (407)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य भाषा अधिनियम को ईमानदारी और चुस्ती के साथ लागू करने का उल्लेख नही है।" (408)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद हैं कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं सूचि में दर्ज सभी भाषाओं को राष्ट्र भाषा मानने के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (409)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।" (410)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के दो सौ पूंजीवादी घरानों के आर्थिक नागपाश को समाप्त करने का कोई उल्लेख नही है।" (411)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त अराजकता के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया है।" (464)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति की सच्ची तस्वीर पेश नहीं की गयी है।" (465)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की जनतांत्रिक परम्पराओं पर शासकों द्वारा हमला करने एवं नागरिक अधिकारों को संकुचित बनाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (466)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का राजनीतिक एवं ट्रेड यूनियन नेताओं के विरुद्ध इस्तेमाल किये जाने का विरोध करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (467)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर जेल तथा पुलिस हिरासत में विचाराधीन बन्दियों की आंखें फोड़ने जैसी जघन्य घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है।" (468)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हजारीबाग (बिहार) जिलान्तर्गत बलरामपुर कोयला परियोजना में शान्त प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसा कर 3 व्यक्तियों

को मौत के घाट उतारने तथा अनेकों के घायल होने और वहां के विधायक समेत अनेक निर्दोष व्यक्तियों को झूठमुकदमों में फसाने जैसे षडयंत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (469)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमशेदपुर स्थित टिस्को में ठेका मजदूरों को स्थायी बनाने सम्बन्धी समझौते को कम्पनी द्वारा लागू नहीं करने के विरोध में दस हजार ठेका मजदूरों द्वारा, जिनमें सात हजार आदिवासीय मजदूर भी शामिल हैं, 11 फरवरी से हड़ताल करने तथा उनके नेताओं एवं उन पर बर्बर लाठी चार्ज करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (470)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद कि अभिभाषण में विदेशियों की समस्या को लेकर असम में उत्पन्न स्थिति का समाधान निकालने के लिए डंडे के इस्तेमाल का रास्ता छोड़कर समझौते का रास्ता ही अपनाने की बात का उल्लेख नहीं किया गया है। (471)

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के निरोध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक आन्दोलनों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का निर्दयतापूर्ण प्रयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद यह है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हरिजनों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य गरीब वर्गों पर बढ़ते अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुरादाबाद जैसे स्थानों में जहां अल्पसंख्यकों को अपनी जान और माल का खतरा है, पूर्ण सामान्य स्थिति लाने में उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर जेल में विचाराधीन कैदियों को, जिन पर मुकदमा चल रहा था, अन्धा बना देने के मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निदेशों की बिहार सरकार द्वारा अवहेलना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर में विचाराधीन कैदियों को जिन पर मुकदमा चल रहा था, पुलिस द्वारा अन्धा बना दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि मोजाम्बिक गणतंत्र पर जातिवादी दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सशस्त्र हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजाति क्षेत्रों में गैर-जनजातियों द्वारा जन-जातियों पर अत्याचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्दोष नागरिकों के टेलीफोनों को बीच में सुनकर और उनके पत्रों आदि को सेंसर करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो/गुप्तचर विभाग द्वारा उनकी निगरानी की कोई निन्दा नहीं की गई।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जहां तक केन्द्रीय सरकार सेवाओं का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा के लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये की, जैसा गृह मंत्रालय के परिपत्र संख्या 18011/6 (5)/78 इस्टैब्व (बी) से स्पष्ट है, निन्दा नही की गई है।" (246)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दहेज तथा दहेज को लेकर होने वाली मृत्युओं के बढ़ते आतंक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सती आदि की प्रथा को फिर से चालू कराने वाले हिन्दुओं की निन्दा नहीं की गई है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी महिलाओं के लिए समान वेतन व सुविधाएं सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल यात्रा में सुरक्षा की बढ़ती समस्या का उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस कर्मचारियों और कानून का प्रवर्तन करने वाले अन्य बलों द्वारा बढ़ते बलात्कार की निन्दा नहीं की गई है।" (251)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यधिक तेजी से बढ़ती कीमतों और लोगों द्वारा मूल्यवृद्धि विरोधी भारी विरोध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लाभप्रद मूल्य के लिए व्यापक किसान आन्दोलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बिगड़ती अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और साम्राज्यवादियों की हथियारों के जमाव, यूरोप में नये तथा शक्तिशाली न्यूक्लियर प्रक्षेपणास्त्रों स्थित करने, खाड़ी-क्षेत्र में नीति निर्धारित करने तथा हिन्दमहासागर में न्यूक्लियर सज्जित दिएगोगार्शिया जैसे वर्तमान अड्डों का विस्तार करने तथा नये अड्डे स्थापित करने की अपनी नीति का अनुसरण के कारण युद्ध के खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अल्पविकिसित देशों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का दवाव बढ़ता जा रहा है जिससे नव-उपनिवेशवाद को वह सब मिल सके जो पुराना उपनिवेशवाद गवां चुका था।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाजवादी देशों द्वारा दी गयी वास्तविक सहायता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों के जीवन-स्तर पर पड़े आर्थिक दवाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (257)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में एकाधिकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर नियंत्रण रखने में सरकार असफल रही है।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार, एकाधिकारी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और रियायतें देने जा रही है।" (259)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि श्रमिक वर्ग, किसानों और आम लोगों पर आर्थिक संकट का दवाव बढ़ता जा रहा है और उसका बोझ इनके कंधों पर पड़ रहा है।" (260)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार लोगों को दबाने के लिए निरन्तर अधिकाधिक दमनात्मक शक्तियां अपनाती जा रही है।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अध्यादेश के जरिए बौंड स्कीम आरम्भ करके सरकार ने कालाधन रखने वालों को बेमानी से कमाये गये धन को मुक्त रूप से विधिमान्य बनाने का अवसर प्रदान किया है।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"कि खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में मुद्रास्फीति की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती जा रही है।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि बढ़ते हुए करों से लोगों के रहन-सहन के स्तर पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है और श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वेतनों का मूल्य घटता जा रहा है।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि तेल उत्पादक देशों से गैर-आवश्यक कारबार में निवेश के लिए पेट्रोडालर भेजे जा रहे हैं।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि हिन्द महासागर में दिएगोगार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे से तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा को निरन्तर खतरा है।" (266)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों की कटौती करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र द्वारा गैर-कांग्रेस (आई) शासित राज्यों को धन के आवंटन के संबंध में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ठेका-मजदूर प्रणाली के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नही किया गया है कि सरकार देश में बार-बार बाढ़ के कारण होने वाली विनाशलीला को रोकने में सरकार बुरी तरह से असफल रही है।" (270)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (271)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (272)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगार लोगों को अनुदान देने और बेरोजगार लोगों को अनुदान देने वाले राज्यों को धन के विशेष नियतन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (273)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस अध्यादेश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके द्वारा जीवन-बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस मंहगाई भत्ता तथा अन्य सेवा शर्तों के रूप में उनके विद्यमान अधिकारों और असुविधाओं से वंचित करके उच्चतम न्यायालय के 10 नवम्बर, 1980 के निर्णय की मुख्य बात को उलट दिया गया है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को बदलकर शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति पद्धति लागू करने के, जो कुशासन को कानूनी मान्यता देकर भारत की जनता पर थोपे जाने वाले अधिकारवादी और तानाशाह,

शासन का परोक्ष रूप ही है, सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों द्वारा रखे गये प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधिकारवाद के प्रति मतबद्ध कराने के लिए कार्यपालिका के न्यायपालिका पर बढ़ते हुए प्रहार का और उसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को नष्ट करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्याय के सिद्धान्तों से भिन्न अन्य कारणों से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का और उसके द्वारा जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करने का, जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारवादी हितों को पूरा करने के लिए बाध्य हो, कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़े पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता और हमारे देश में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने की नीति बनाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में समूची विदेशी आस्तियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (442)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में एकाधिकार प्राप्त गृहों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता को उत्तरोत्तर निर्धन किए जाने तथा ग्रामीण जनता के बढ़ते हुए संघर्षों से प्रतिबिम्बित होने वाले उनके असंतोष का कोइ उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में आवश्यकता पर आधारित वेतन नीति का कोई उल्लेख नहीं है ।" (445)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखि जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के हित में व्यापक भूमि सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है, जिनके बिना अपनी अर्थ-व्यवस्था को उसकी वर्तमान निश्चल स्थिति से नहीं उभारा जा सकता है ।" (446)

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की शिक्षा संस्थाओं के अलोकतंत्रीय प्रबन्धक तथा उनके अलोकतंत्रीय गैर-सरकारी प्रबन्धकों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।" (447)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय अधिनियमों के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (448)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के क्षेत्र में सभी दकियानूसी साम्प्रदायिक और अलोकतंत्रीय विचारधाराओं का प्रतिरोध करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (449)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका की भारी सैनीकरण की नीति के कारण विश्व शांति और सुरक्षा को तथा तीसरी दुनियां के देशों को अमरीका से खतरे का कोई उल्लेख नहीं है ।" (450)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता के लिए परिक्रमा रेलवे की आवश्यकता तथा कलकत्ता में परिवहन समस्या को हल करने के लिए इसके अविलम्ब निर्माण की आवश्कता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (451)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीन राज्य - पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की सरकारों की जनवादी गतिविधियों का अंत केन्द्रीय हस्तक्षेप का मार्ग

प्रशस्त करने के लिए अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के निहित स्वार्थों के षड्यन्त्र का कोई उल्लेख नहीं है।" (452)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा राज्यों की जनता में असंतोष पैदा करने तथा इन राज्यों की सरकारों को अलोकतंत्रीय बनाने के उद्देश्य से, ताकि सभी औचित्य और लोकतंत्रीय सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए इन सरकारों की आलोचना करने का अवसर मिल सके, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने में इन राज्यों के साथ केन्द्रीय सरकार के जान-बूझकर किए गए भेदभाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (453)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरों की अधिकारियों को कम करने वाले सरकार द्वारा जारी किये गए अनेकों अध्यादेशों जिससे संसदीय लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो गया है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की आय और वेतन नीति के संबन्ध में किसी प्रस्तावित योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यमान भ्रष्टाचार और अकुशल प्रबन्ध नौकरशाही रवैये तथा भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (556)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल की वामपंथी लोकतांत्रिक सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी से केरल के मुख्यमंत्री को भाषण न करने देने पर उनका अपमान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं।—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, श्रमिक और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के उत्थादन के लिए किसी कारगर उपाय के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं किया गया।" (286)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए किसी प्रभावी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचने हेतु किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्म में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में खाद्यान्न, खाद्य तेल के बढ़ते भावों को रोकने हेतु किसी प्रभावी उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि रेल यात्री सेवा सुविधा विस्तार तथा यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु किसी कारगर उपाय का तथा कोयले के अभाव में कई यात्री रेल सेवा बन्द किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (290)

किन्तु प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि छः और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बावजूद बैंकों द्वारा ससाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराये जाने के किसी निश्चित लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि सरकार द्वारा कृषि उपजों के समर्थन मूल्य घोषित करने के बावजूद भी फसल आने के तत्काल बाद सरकार के समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों की खरीद में असफल रहने का उल्लेख नही किया गया है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी पर से नियन्त्र हटाने की दिशा में किसी उपाय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यावरण, जल तथा वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कारगर रूप से रोक पाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात : —

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागरिक सुरक्षा, नारी सम्मान तथा बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति को रोक पाने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "असम में विदेशी नागरिकों" की समस्या का हल निकालने में सरकार के असफल रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (296)

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उनको बिक्री कर में और हिस्सा मिलेगा और राज्यों द्वारा बिक्री कर की वसूली के लिए और मद आरक्षित किए जायेंगे।" (297)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस आशय का ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है कि कालीकट हवाई अड्डे का कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल जैसी राज्य सरकारों की प्रशंसा नहीं की गई है। जिन्होंने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी अनुदान तथा बढे कृषि मजदूरों को पेंशन देने की स्कीमों को कार्यान्वित किया है तथा उसमें ऐसे राज्यों को सहायता का आश्वासन भी नहीं दिया गया है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नगर पालिकाओं तथा निगमों में आई सी डी एस आदि की परिधि में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने संबन्धी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (300)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन के लाभकारी मूल्यों के बारे में किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सारे देश में सिविल वितरण तंत्र कायम करके अत्यावश्यक चीजों के मूल्यों की वृद्धि को रोकने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेवल अकादमी के लिए स्थल के रूप में केरल में ऐजीमाला के चुनाव के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति, जिसमें सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दल के प्रतिनिधि शामिल हो, गठित करने के बार में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण सहायता देने के बारे में अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वामपंथी जनतान्त्रिक मोर्चे के शासन का एक वर्ष समाप्त होने पर केरल के मुख्य मंत्री को आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम का इस्तेमाल करने की सुविधा देने से मना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें ऐसा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि ऐसी चीजें दुबारा नहीं होंगी।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाये रखी जाएगी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राजनैतिक स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध लगेगा।" (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में चल रही हड़ताल को मजदूरों की उचित मांगों को स्वीकार कर समाप्त किया जाएगा।" (308)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में भयंकर सूखा पड़ने और उससे अकाल की स्थिति पैदा होने तथा इस समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (309)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बिहार की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण शिल्पकारों और कारीगरों की समस्याओं और उनकी हालत में सुधार करने संबंधी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (311)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के बारे में किसी समझौते का ब्यौरा नहीं दिया गया है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोको रनिंग स्टाफ और रेलवे बोर्ड के बीच के विवाद का कोई हल नहीं सुझाया गया है जिससे कि रेलों के सुचारु रूप से चलने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण लोगों की गरीबी को रोकने के लिए कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एशियाई खेलों को दिल्ली में आयोजित करने पर बहुत अधिक सार्वजनिक धन के अपव्यय के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वेतन बोनस आदि में एकरूपता लाने के संबंध में रेल कर्मचारियों की काफी समय से की जा रही मांग को निपटाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन मछुवारों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो बेड़ों (कैटामेरेन) और देशी नौकाओं का उपयोग करते हैं और ट्रालरों तथा यंत्रीकृत नावों के बढ़ते उपयोग के कारण जिनकी आजीविका को खतरा पैदा हो गया है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन की बढती हुई दुष्प्रवृत्ति तथा देश के सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिए इसके उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में विदेशी नागरिकों की समस्या के निराकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी को नौकरी अथवा बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया गया है।" (320)

कि प्रस्तास के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को कम कर के 18 वर्ष करने के बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चम्बल क्षेत्र में बढ़ती हुई डाकुओं की समस्या के हल के लिए राज्य सरकार को मदद देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (463)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर भारतीय उप-महाद्वीप में तनाव पैदा करने के अमरीकी षड्यंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।" (488)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान में पाक-अमरीकी षड्यंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।" (489)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेना की सहायता से कम्बुचिया की हेंग समरिन की सरकार का तख्ता पलटने की चीनी साजिश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (490)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डियागो-गार्शिया के नौसैनिक अड्डे में आधुनिकतम हथियारों के जमाव तथा उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के देशों की स्वतंत्रता को खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (491)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम की समस्या का हल निकालने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी बैंकों, एकाधिकारी घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार के असफल रहने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (493)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (494)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के विस्तार के बारे में किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसे दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (496)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीबी दूर करने के लिए प्रभावी उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (497)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (498)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की भीषण समस्या को हल करने तथा बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (499)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा प्रणाली में आम सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (500)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा श्रमिकों, किसानों और अन्य लोगों के आन्दोलनों को लाठियों और गोलियों से तथा आंदोलनकारियों को जेलों में बंद करके दबाने के लिए किए गए प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (501)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित करने की कोई गारन्टी नहीं है।" (502)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चोर बाजारियों, मुनाफा खोरों और जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (503)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (504)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को बरकरार रखने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "समान काम के लिए समान वेतन" की नीति कठोरता से लागू करने के ठोस कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में बीड़ी कर्मचारियों को समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीड़ी कर्मचारियों को बोनस देने तथा भविष्य निधि और पेंशन देने और उनका वेतन बढ़ाने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिखाना सुनिश्चत करने और उन्हें आदानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार कानूनों को कठोरता से लागू करने तथा फालतू भूमि को भूमिहीनों और गरीब किसानों में वितरित करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक दंगों को कारगर ढंग से रोकने तथा अल्प संख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुइ स्थिति तथा साथ ही किन्ही उपचारात्मक उपायों के सुझाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों और आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचारों तथा उनकी सुरक्षा के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली के अभाव और उसे हल करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके हल का कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को सूखा और बाढ़ से पूरी तरह से निरापद बनाने के किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने का उल्लेख नही है।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाये जाने का उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में सिंचाई के लिए ठोस और पर्याप्त व्यवस्था की गारंटी का उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मैट्रिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।" (520)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर हो रही वृद्धि तथा गरीब लोगों को उचित दरों पर इन वस्तुओं का वितरण करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (538)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की विगड़ती हुई स्थिति और इससे संम्बधित समस्याओं तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (539)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर में पुलिस द्वारा विचाराधीन कैदियों को अंधा किए जाने और समस्तीपुर जेल में पुलिस फायरिंग से विचाराधीन कैदियों को मारे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (540)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों के लिए अन्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के अनुरूप लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (541)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादों और फैक्टरी उत्पादों के मूल्यों में सम्बन्ध स्थापित करने के वारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (542)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए किसी विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (543)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में सरकार की असफलता और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की जान तथा माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (544)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और स्थिति का मुकाबला करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (545)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्विता जिससे इस क्षेत्र की शान्ति को खतरा पैदा हो रहा है, का उल्लेख करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (546)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुराने पड़ गये रेल पथों को बदलने में सरकार की असफलता, जिसके कारण रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उल्लेख नहीं है।" (592)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस की गोलियों द्वारा बलरामपुर, बिहार में आदिवासियों के मारे जाने का उल्लेख नहीं है।" (593)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात में आरक्षण विरोधियों से हरिजनों को बचाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (594)

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मै प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त यह में जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों से चीनी, खाद्यन्न व खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की आसमान को छूती हुई कीमतों और परिणामस्वरूप लोगों की अकथनीय कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (601)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं और बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल हो गयी है।" (602)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछली जनता सरकार के अच्छे कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसने कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर लिया था और चीनी, खाद्य तेल और खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम कर दी थी और उन्हें आम लोगों को पर्याप्त मात्रा में तथा अच्छी किस्म में उपलब्ध करा दिया था और लोगों को लाइनों में खड़े रहकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं रह गयी थी।" (603)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित बेरोजगारों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या तथा उनके लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (604)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में तथा कानून और व्यवस्था कायम करने वाले तंत्र को सुव्यवस्थित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (605)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०), अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध (रा) तथा अन्य संगठनों और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों, जिनके बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण करने से पूरे प्रशासन में विषम स्थिति पैदा हो गयी है, के गिरते हुए मनोबल को उठाने के लिए किन्हीं उपायों अथवा किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है।" (606)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, में हुई अत्यधिक हानि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (607)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार हमारी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता बनाये रखने में असफल रही है और यह कि न्यायाधीशों के स्थानान्तरण और न्यायपालिका से संबंधित अन्य मामलों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा।', (608)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शोषण रोकने और समाज के इन कमजोर वर्गों को अन्य वर्गों और पुलिस के अत्याचार से बचाने के लिए कड़े उपाय अपनाने के सरकार के निश्चय का उल्लेख नहीं किया गया है।" (609)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो कि कदाचार, कुप्रबन्ध और पक्षपात के अड्डे बन गए हैं, के असफल कार्यचालन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (610)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों और उनकी संस्थाओं, जिनका उद्देश्य शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति सुधारना तथा उन्हें समन्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाना है, के हितों की रक्षा करने के संबंध में सरकार की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (611)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई तथा समूचे देश में मछुआओं के हितों की रक्षा तथा उनके आर्थिक व्यवस्था के लिए किसी स्कीम की घोषणा नहीं की गई है।" (612)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रति-पादित गुट-निर्पेक्षता की विदेश नीति जिसमें शक्तिशाली राष्ट्रों से बराबर की दूरी बनाये रखने की बात कही गई थी, को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और सोवियत संघ से अफगानिस्तान से अपनी सेनायें हटाने के लिए कहे जाने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (613)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण, प्रशासनिक सुधार एवं समतापूर्ण सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए छोटा नागपुर एवं संथाल

परगना (बिहार) छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) तथा उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) को पृथक राज्य बनाने के लिए "राज्य पुनर्गठन आयोग" को सौंपे जाने का कोई उल्लेख नहीं है ।" (614)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असमानता एवं सामाजिक भेदभाव दूर करने और उपेक्षित क्षेत्र के लोगों का नियोजन प्राथमिकता के साथ करने के लिए स्थानीय लोगों की परिभाषा प्रखंड स्तर से बढ़ाकर जिला तक एवं जिला से प्रदेश तक तकनीकी नियोजनों के लिए विनिर्धारित किया जाये ।" (615)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी छोटा नागपुर के संथाल परगना गिरिडीह, हजारीबाग एवं रांची जिलों को रेल सम्पर्क के द्वारा ठोस यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गिरिडीह से कोडरमा एवं हजारीबाग टाउन होते हुए राँची रोड़ तक के 194 कि० मी० रेल पथ का निर्माण छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता देकर किया जाये ।" (616)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले भारतवासियों को हर परिवार में कम से कम एक नौकरी छठी पंचवर्षीय योजना में अनिवार्यतः दिया जाये ताकि आर्थिक-विकास समानता के स्तर पर हर परिवार का हो सके ।" (617)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छठी पंचवर्षीय योजना के कालखंड में हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम दो कारखानों की स्थापना करके औद्योगीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाया जाये ।" (618)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषकों के उत्पादनों खासकर शाक सब्जियों तथा अन्य जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादनों के लिए कृषि बाजारों तक पहुंचाने तथा उचित मूल्य गारन्टी के दिलाने लिए के सरकारी एजेंसियों की स्थापना व्यापक-ढंग से बिखेरकर बिचौलिए एवं आढ़तियों को समाप्त किया जाये ताकि कृषकों को समर्थक मूल्य प्राप्त हो सके और वे व्यापारियों के शोषणों से भाग सके ।" (619)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषकों को उनके कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारण औद्योगिक वस्तुओं की मूल्यों के परिपेक्ष्य में तुलनात्मक ढंग से किया जाये ताकि किसानों में भी दैनिक जीवन के लिए उपयोगी चीजें, कृषि उपकरणों, विद्युत, कागज, डीजल तथा अन्य चीजों की क्रय शक्ति पैदा हो सके।" (620)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवनोपयोगी चीजों के कृत्रिम अभाव के कारण सुरसा की तरह बदन बढ़ाती मंहगाई की रोकथाम के लिए जनहित में कोई कदम उठाने की चर्चा नहीं है।" 653)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेकारीग्रस्त युवकों को नियोजन तथा अनियोजन की स्थिति में बेकारी भत्ता देने तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में योगदान अस्थायी तौर पर लेने के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बताई गई है।" (654)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश भर के पिछड़े क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समान्ता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर कोई चर्चा नहीं की गई है।" (655)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 33 वर्षों की स्वतन्त्रता होने के बावजूद अभी तक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सुनियोजित ढंग से नहीं हो पायी है जिसके लिए लिफ्ट सिंचाई, नहर सिंचाई, जलाशय परियोजनाएं, भूमिगत जल शोषण योजनाएं आदि के संतोषजनक कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं है।" (656)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी और असहायों को योजनाबद्ध पुनर्वास कराने तथा एक स्वतंत्र देश के उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए कोई चिन्ता प्रकट नहीं की गई है।" (657)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में देश में विद्युत उत्पादन क्षमता से बहुत कम होने पर विद्युत विभागीय प्रशासन को लोकतंत्रीकरण करके औद्योगिक विकास में विद्युत परमाणु ऊर्जा में भी वृद्धि करने की चर्चा नहीं की गई है।" (658)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि हरिजनों, आदिवासियों पर अबोध गति से हो रहे अत्याचार, हिंसा, खूनखराबी, बलात्कार आदि पर कठोर कार्यवाही करने का जिक्र नहीं है।" (659)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय उच्च पथ-जी० टी० रोड़ के जीर्णोद्धार खासकर निरसा से बड़ाकरनदी (चिरकुंडा) के जीर्णशीर्ण विशाल पुल तक के रोड़ एवं पुल का पुनर्निर्माण अविलम्ब कराकर हजारों माल वाहक ट्रकों तथा अन्य वाहनों को प्रतिदिन क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सरकार उदासीन दीखती है।" (660)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के जैन तीर्थ पारसनाथ पर्वत पर तथा तराई में सैंकड़ों मन्दिरों तथा जैन मूर्तियों को दर्शनार्थ पर्यटकों को मार्गदर्शन एवं टूरिस्ट होस्टल रोपवे (रज्जुमार्ग) आदि की व्यवस्था करने में सरकार की असमर्थता पर प्रकाश नहीं डाला गया है।" (661)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि राष्ट्रीय महत्व के उष्णतम सूर्यकुण्ड (बारकंड़ा—बिहार) का सौंदर्यकरण तथा विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।" (662)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर नौकरशाही पैदा करने वाली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा उद्यमहीन, लक्ष्यहीन शिक्षा को समाप्त कर स्वनियोजन मूलक व्यावसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय आधार पर राष्ट्रीय भाषाओं में देने की कोई चर्चा नहीं की गयी है।" (663)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि करीब 4 करोड़ से अधिक खेतिहर मजदूर एवं बंधुआ मजदूरों

को अबोधगति से शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्याख्या नहीं की गई है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देशव्यापी राष्ट्रीय उपक्रमों के श्रमिकों को अनिवार्य रूप से आवास, पेयजल सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर हड़ताल, अनशन धरना, से रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।" (665)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस सरकार की पिछली जनता सरकार की तरह ही जन जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक असंतोष एवं दिशाहीनता है।" (666)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रास्फीति निवारक सरकारी कदम के बिल्कुल असफल हो जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (667)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार में और वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (668)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कीमतों के बढ़ने से रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नही है।" (669)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाज विरोधी तत्वों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (670)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता की जानमाल की रक्षा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (671)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकारी वितरण प्रणाली मात्र एक दिखावा रह गई है और दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं का नितान्त अभाव है।" (672)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चोरबाजारी को रोकने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं है।" (673)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि काम के बदले अनाज योजना ठेकेदारों एवं अधिकारियों द्वारा लूट का सहज मार्ग बन गया है।" (674)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है। कि उर्वरकों एवं कीट नाशक दवाओं के दाम में वृद्धि के चलते किसानों को भारी बोझ उठाना पड़ा है तथा अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं।" (675)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गन्ना, कपास एवं जूट उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण इजारेदारों द्वारा उनका शोषण हो रहा है।" (676)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि उत्तर भारत में बिजली के सकट में कोई कमी नही हुई है और इसके कारण उद्योग तथा कृषि दोनों की अपार क्षात हुई है।" (677)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि रेलों की कार्यक्षमता में वृद्धि के बदले ह्रास हुआ है तथा रेलगाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं।" (678)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उद्योग नीति बिल्कुल ही इजारेदारों के हित में बदल दी गई है तथा 1956 की औद्योगिक नीति को बदला जा रहा है।" (679)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने की दिशा में सारे प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है तथा पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही बने हुए हैं।" (680)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार की चीनी नीति से न तो उपभोक्ताओं को और न ही किसानों तथा मजदूरों को फायदा हुआ है।" (681)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि छठी पंचसाला योजना से न ही समाजवादी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएगा और न आत्म-निर्भरता प्राप्त होगी।" (682)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार अपनी ऊर्जा नीति को अभी तक दूरदर्शी बनाने में विफल रही है।" (683)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाल से लगते चम्पारण जिले जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार की पर्याप्त विमान सेवा उपलब्ध कराने में असफलता का उल्लेख नहीं है।" (684)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों और जातिगत तथा भाषाई मतभेद रोकने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (685)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि हरिजनों एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण में भारी वृद्धि हुई है यह सरकार की भारी विफलता का द्योतक है।" (686)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के बजाय बिगड़ी है।" (687)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम समस्या हल करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (688)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह कह कर कि बड़ी ताकतों के बीच तनाव कम होने के बजाए बढ़ रहे हैं बड़ी ताकतों में अन्तर नहीं बरता गया है और पूंजीवादी ताकत के आक्रामक रुख पर पर्दा डाला गया है।" (689)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफगानिस्तान के दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया। (690)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की खतरनाक गतिविधियों की, जिनसे हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, निन्दा नहीं की गई है।" (691)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका, चीन और पाकिस्तान की मिली भगत से भारत को उत्पन्न खतरे का उल्लेख नही किया गया है।" (692)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केम्प डेविड समझौते की, जिससे पश्चिम एशिया में शांति को स्थायी खतरा पैदा हो गया है निन्दा नहीं की गयी है।" (693)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकसित साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनायी गई नीतियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में आयी गिरावट का कोई उल्लेख नहीं है। (694)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीस बोलेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बहुत अधिक निरशाजनक रहा। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाने वाले प्रस्तावक का भाषण उससे भी अधिक निराशापूर्ण था।

मैंने यह आशा की थी कि सत्ता सम्भालने के तेरह महीने बाद, सत्तारूढ़ दल देश के समक्ष आई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के सम्बन्ध में आत्म-निरीक्षण करेगा। जिसने मुझे निराश किया वह यह है कि आत्म-निरीक्षण करने के बजाय, लोगों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं तथा राष्ट्रीय स्थिति के प्रति यथार्थवादी होने के बजाए, हमारे मित्रों ने काल्पनिक संसार में रहना पसंद किया, तथा लोगों को राष्ट्रपति के अभिभषाण की लोरी सुनाकर बलि का बकरा बनाने के लिए बहाने ढूंढने के लिए अपना आमोद-प्रमोद जारी रखा।

राष्ट्रपति का भाषण सामान्य बातों, निरर्थक उक्तियों से भरपूर था तथा जिसने मुझे आश्चर्यचकित तथा धक्का पहुंचाया वह था उनका स्पष्ट रूप से गलत व्यक्तव्य तथा मिथ्या वर्णन। आप इसके दूसरे पैरे को देखें। इसके अनुसार:

"तेरह महीने पूर्व सरकार ने सत्ता सम्भाली। तब से वह तीन वर्षों की निष्क्रियता और दिशाहीनता के कारण बिगड़ी हुई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी और मजबूती से आगे बढ़ रही है।"

मेरा विश्वास है कि इस भ्रांति को, बलि का बकरा बनाने को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम इस भ्रांति को समाप्त नहीं करते तो भविष्य में देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा चूंकि सभा में सरकार का बहुमत है तथा उसके पास पांच वर्ष तक शासन करने का शासनादेश भी है। यदि यही शैली है, यदि यही समझदारी है, यदि यही दुद्धिमत्ता है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे सामने आई है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि भगवान भारत की मदद करे।

मैं एक दस्तावेज का उल्लेख करूंगा। यह विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बल संकेत किया था, भारत विश्व बैंक का शेयर होल्डर है। इस रिपोर्ट के उपान्तिम पृष्ठों में, वास्तव में पृ० 197 पर, उल्लिखित है कि इस बैंक पर एक कार्यकारी निदेशक भी है और उसका नाम श्री नरसिंहन है। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने

भी इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए होंगे । वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन इस बैंक के गवर्नर हैं तथा मैं मानता हूं कि उन्होंने भी इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए होंगे। यह वर्ष 1981 के लिए विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में क्या कहती है ? मुझे आशा है कि सत्ताधारी दल के सदस्य इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे । मैं उद्धृत करता हूं:

"1970 के प्रथम अर्धदशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 2.3. प्रतिशत औसत वार्षिक विकास दर से बढ़ी । 1976-79 के चार वर्ष (वित्तीय) में, विकास की दर 5.7 प्रतिशत की औसत से, स्पष्ट रूप से, बढ़ी जो 1970 के प्रथम अर्धदशक के विकास से, 2½ गुणा है ।"

श्री वेंकटरामन ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैं और मैं मानता हूं कि सरकार के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होने के नाते उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन किया है। वे भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में अंशदाता है जिसमें लोक दल और जनता सरकारों पर इन 30 महीनों के लिए आरोप लगाए गए हैं कि वे अर्थव्यवस्था को निष्क्रियता तथा दिशाहीनता की ओर ले गई । श्री वेंकटरामन, जिन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, ने इस पर कैसे विश्वास कर लिया ? उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन कैसे किया ?

वर्ष 1976 से 1979 के दौरान, स्पष्ट रूप से 5.7 प्रतिशत की औसत से विकास बढ़ा फिर भी, वर्ष 1980 में कुल उत्पादन 8.3 प्रतिशत के लगभग गिर गया जिसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन का मौसम द्वारा प्रभावित होना है । मैं सत्ताधारी दल से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ।

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दशक के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान अर्थात् 1975 के अन्त तक, सिंचाई वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन की नई तकनीक के फैलाव के संदर्भ में कुछ कमी आई है । निवेशों की कमी एक मुख्य कारण थी ।

निरंतर अनुकूल मानसून तथा सिंचाई की वृद्धि, निवेश के बेहतर प्रावधान करने तथा विस्तृत सेवाओं के सुधार के कारण 1976-79 वर्षों में कृषि ने पुनः शक्ति प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में उत्पादन में 4.4% की वृद्धि हुई । 1970 के दशक के वर्षों में खाद्यान्न का 'बफर स्टाक' समाप्त कर दिया गया था और मैं पिछले वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने दल के नेता श्री चरण सिंह के भाषण की याद दिलाना चाहूंगा जिनका प्रत्युत्तर प्रधान मंत्री से मांगा गया था । परन्तु तब उनके तर्क तथ्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे थे ।

1970 के दशक में, वस्तुतः 1976 तक, हमने खाद्यान्नों का आयात किया । जब जनता पार्टी सत्ता में आयी अर्थात 1977 से खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया गया तथा बफर-स्टाक बनाया गया जो 1980 के सूखे का सामना करने में समर्थ हो सका । वास्तव में हम खाद्यान्न निर्यात करने योग्य भी थे । 1977-79 के दौरान हमने वियतनाम तथा अन्य देशों को खाद्यान्न दिया यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है । (व्यवधान) ।

अतिरिक्त स्टाक आयातित खाद्यान्न पर आधारित है। हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें हमारे पास देश में उत्पादित खाद्यान्न से ज्यादा खाद्यान्न था। आयातित अनाज को भी अन्य फसलों के उत्पादन आंकड़ों में सम्मिलित किया गया था जिसमें तिलहन, गन्ना तथा कपास भी शामिल थे। प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, किसान रैली के मंच से लेकर इस सभा तक हमें लगातार उन 30 काले महीनों की निष्क्रियता आदि के विषय में बताया गया। मैं सत्तारूढ़ दल से अनुरोध करूंगा कि वे यथार्थवादी बनें, क्योंकि यदि आप यथार्थवादी नहीं हैं तो आप उन आधारभूत समस्याओं का उत्तर नहीं दे पाएंगे जो देश को ऐसी दिशा में ले जा रही हैं, जो हम सबके तथा इस सभा के सभी वर्गों के लिए चिन्ता का कारण बन रही हैं। कम से कम वे हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। यदि आप यह समझते हैं कि इससे आत्म संतोष होता है तो मैं आपको शुभ कामनाएं देता हूं।

उद्योग के संबंध में इस रिपोर्ट में औद्योगिक निवेश के वातावरण के निर्माण के विषय में कहा गया है और कहा गया है कि विकास में सुधार हुआ है तथा अब निष्क्रियता पर काबू पा लिया गया है। वित्त मंत्री सहज ही इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी आम सभाओं में कुछ और कहना होता है। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीनों से वे जो कुछ कर रहे थे उसकी उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं हुई तथा उद्योग में निवेश उपलब्ध नहीं है आदि। परन्तु इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा।

विश्व बैंक क्या कहता है ? वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन किया तथा जो विश्व बैंक के समिति कक्ष में बैठते हैं, यहां क्या कहते हैं ? मैं पुनः उद्धरण दूंगा :

"1960 के दशक के मध्य से भारत के औद्योगिक क्षेत्र का कार्य चालन मन्द रहा।" और मेरा विचार है कि यह तब की स्थिति है जब देश में गतिशील दशक का आरम्भ हुआ था,

"70 के दशक के आरम्भ में, घरेलू और निर्यात की मांग कम और अनिश्चित थीं और विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण औद्योगिक क्षमता का उपयोग नियंत्रित था। इस क्षेत्र में भी 1970 के दशक के उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार आया।"

इस प्रकार श्री वेंकटरामन ने रिपोर्ट का समर्थन किया।

"अधिक तीव्र कृषि विकास तथा सार्वजनिक निवेश से प्रेरित होकर मांग अधिक बढ़ गई और विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ने से भारत सरकार चुनिंदा आधार पर आयातित साजसामान के नियंत्रण के विषय में उदार हो गई। बिजली, रेल डिब्बों और इस्पात तथा कोयला जैसे बुनियादी वस्तुओं की कमी के बावजूद 1976-79 के दौरान औसत वार्षिक औद्योगिक विकास लगभग सात प्रतिशत तक पहुंच गया।"

क्या मैं दूसरी ओर के माननीय सदस्यों को याद दिला सकता हूं कि कारों या इस्पात या कोयले या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रातों रात पैदा नहीं की जाती ? इनकी लम्बी गर्भावधि होती है वास्तव में मैं जानता हूं कि श्री गाडगिल इसे नहीं समझ सकेंगे क्योंकि उनका मस्तिष्क ऐसा ही गतिशील है। मैंने हमेशा से इस बात पर विश्वास किया था कि वे सक्रिय हो सकते हैं। परन्तु अब मुझे ज्ञात हुआ कि वे भी एक जादूगर ही हैं उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके दल की सरकार गठित हुई रातों-रात रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया गया। कितनी बड़ी उपलब्धता है जिसका श्रेय उन्हें ही जाता है। दूसरे शब्दों में, उन 20 महीनों के दौरान जब जनता और लोकदल सरकार थी तो रोहिणी का कहीं पता नहीं था। मैं इस विषय को पुनः लूंगा।

यदि स्थिति ऐसी है जैसी कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में प्रस्तुत है तो हमारी सरकार को क्या कहना है ? क्या आप इस रिपोर्ट को मान्यता प्रदान करेंगे ? क्या सत्ताधारी दल इस रिपोर्ट को मान्यता प्रदान करेगा ? यह रिपोर्ट पिछले वर्ष आपने प्रस्तुत की थी, आपने इसका समर्थन किया, आपकी सरकार ने इसका अनुमोदन किया। मैं इस रिपोर्ट में से उद्धरण दूंगा क्योंकि जब मैं आंकड़े देता हूं तो आप में से कुछ, विशेषकर मेरे कुछ नौजवान मित्र उत्तेजित हो उठते हैं। मैं आपको ये आंकड़े समझाऊंगा।

यह वर्ष 1979-80 का आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे लगभग एक वर्ष पूर्व या आठ अथवा नौ मास पूर्व वित्त मंत्री महोदय ने संसद में प्रस्तुत किया था। (व्यवधान) यह आपके गत बजट की पूर्व सन्ध्या पर प्रस्तुत किया गया था और आपका पिछला बजट मई मास में लाया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विधान-सभा चुनावों के बाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विधान सभाओं के चुनावों के काफी बाद। मुझे पूरी तरह याद नहीं है। इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया है ? इसको उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि श्री गाडगिल ने मुद्रास्फीति का उल्लेख किया और मेरे विचार से आप सभी निरन्तर इसका उल्लेख करते रहते हैं। वास्तव में, आपने राष्ट्रपति महोदय के मुख से यह कहलवाया है कि किस प्रकार मुद्रास्फीति की दर 23% थी और किस प्रकार आप इसमें कमी करके 15 प्रतिशत तक ले आए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही है कि यह अभी भी 15 प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि आप इस तथ्य पर गर्व अनुभव कर रहे हैं कि आप मुद्रास्फीति की दर 15 प्रतिशत बनाये हुए हैं। उस बात पर मैं अलग से विचार करूंगा। यह 23 प्रतिशत नहीं है। यही तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। यहाँ पर सवेरे वित्त मन्त्री महोदय कह रहे थे कि गत वर्ष मुद्रास्फीनि की दर 19 प्रतिशत थी और आपने राष्ट्रपति से कहलवाया कि यह 23 प्रतिशत थी। मैं जानता हूं कि आप आंकड़ों के साथ खिलवाड कर रहे हैं और उसमें आप बड़े चतुर हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि कुछ महीनों में मुद्रास्फीति की दर 23 प्रतिशत तक पहुंच गई है और इसलिए आप उसका इस्तेमाल करके कहना चाह रहें हैं कि "23 प्रतिशत से....." आपका यह कहना सही भी है और गलत भी। यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति उस बात को लेकर

आपसे अड़ता भी है तो आप सदैव यही कह सकते हैं कि कुछ मास तो यह 23 प्रतिशत ही थी चाहे जबकि सारा साल यह 19 प्रतिशत रही। परन्तु चलो हम यह मान लेते हैं कि हमारी मुद्रा स्फीति की दर, जैसा कि आज सुबह वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है, 19 प्रतिशत थी तो मैं मानता हूं कि गतवर्ष 1979-80 में मुद्रास्फीति की दर 19 प्रतिशत थी। परन्तु स्वंय आपका प्रतिवेदन, जिसे आपने गत वर्ष प्रस्तुत किया था, कहता है कि यह दर तो केवल 16.7 प्रतिशत थी, परन्तु ठीक इसके बाद आंकड़ों की जांच आदि से पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर 19 प्रतिशत थी। मैं चाहता हूं कि श्री गाडगिल और सरकारी बैंच यह स्पष्ट करें कि यदि वर्ष 1979-80 में 16.7 प्रतिशत या 19 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर पूर्णतया किसी भी सरकार के नियन्त्रण से बाहर की बात थी तो इसी को लेकर आपने जनता पार्टी और लोकदल का दमन क्यों किया, परन्तु तब उस स्थिति को आप क्या कहना पसन्द करेंगे जिसमें आपकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1973-74 में थोक मूल्य 20.2 प्रतिशत और वर्ष 1974-75 में 25.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

गाडगिल महोदय वे कौन से वर्ष थे ? क्या वे कोई गौरवपूर्ण दिन थे ? क्या वे उत्कर्ष के, वैभव के दिन थे ? जब आप इस प्रकार की मुद्रास्फीति कायम किए हुए थे और उसे थोक मूल्यों में लिए बैठे हुए थे तो क्या वे गतिशील उपलब्धि के दिन थे ? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस प्रकार के···मत फंसो (व्यवधान)··· हां, हां आपके समय में कभी मुद्रास्फीति की दर शून्य भी थी निस्संदेह आपने ऋणात्मक मुद्रास्फीति कायम रखी थी शून्य नहीं। 1975-76 में आपकी यह दर 1.1% ऋणात्मक थी और 1978-79 में मेरी सरकार ने भी अपरिवर्तनीय और शून्य मुद्रा-स्फीति की स्थिति कायम रखी थी। श्रीमन गाडगिल जी आप उसका उल्लेख करना कैसे भूल गए ?

अतः स्थिति को समझिए। मैं कोई आप में गलती निकालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं ···(व्यवधान)। मुझे खेद है, महोदय। मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मुझे श्री गाडगिल को सम्बोधित न करके आपको सम्बोधित करना चाहिए, मैं प्रधान मंत्री महोदय का आभारी हूं। परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने ही तो इस विषय पर जोर दिया था·····।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से तो आप घनिष्ट मित्र हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब उन्होंने मेरे दल की जीवनी का वर्णन किया था तो मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि वे भी तो उस जीवनी का ही अंग थे। लगता है वे अपने उत्साह की लहर में वह सब भूल गए।

यदि मुद्रास्फीति और थोक-मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में यही स्थिति है तो आपके प्रति-वेदन में इस बारे में क्या कहा गया है ? आपकी अपनी रिपोर्ट क्या कहती है। अब एक और पंचवर्षीय योजना आ गई है, छठी पंचवर्षीय योजना, जिस पर इस देश का भविष्य बनाने की सम्भावना प्रकट की गई है। यह रहा दस्तावेज, इसका पृष्ठ I खोलिए। प्रथम पैराग्राफ में, इस दस्तावेज के प्रथम वाक्य में आप क्या फरमाते हैं ?

"1950-51 और 1978-79 के बीच·····।

मैं चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर प्रस्ताव पेश किया था वे यह नोट कर लें—1978-79 ।

"····राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर की निहित प्रवृत्ति 3.5% थी, कृषि उत्पादन की 2.7% और औद्योगिक उत्पादन की 6.1% । प्रति व्यक्ति की दृष्टि से आय में वृद्धि की दर की प्रवृत्ति 1.3% रही है ।"

इसमें तो गिरावट आई है ।

तो यह अन्तिम दस्तावेज है जो सदन में प्रस्तुत किया जाना है । सदन में केवल इसका जिक्र किया गया है उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण और इस दस्तावेज में किया गया है । ये आपकी अपनी गणनाएं है और आपके अपने आंकड़े हैं । गत वर्ष आपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किया था उसमें आपने कहा था कि वर्ष 1977-78 में 3.1% की राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुकाबले कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 8.1% तक की वृद्धि हुई है । वर्ष 1978-79 में 3.5% राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुकाबले यह 4.2% तक पहुंच गया और 1977-78 में कृषि उत्पादन में 14.5% की वृद्धि हुई और वर्ष 1977-78 में 3.3% की तथा 1978-79 में 7.6% थी । दूसरे शब्दों में कहें तो, उससे पहले के वर्ष में, उस अन्तिम वर्ष को छोड़कर जोकि बिल्कुल स्पष्ट है वे जनता पर आक्षेप लगाते हैं, लोक दल पर दोष मढ़ते हैं वे उनको बुरा बनाते हैं जो सदन में आज इस ओर बैठे हैं । परन्तु स्वयं अपने दस्तावेज में वे भविष्य के लिए आश्वासन दे रहे हैं । दस्तावेज के पृष्ठ 61 को लीजिए । नई पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में कहा गया है कि :—

"मौसम से उत्पन्न कृषि उत्पादन तथा पन बिजली उत्पादन के उतार-चढ़ाव से योजना के अनुमान अस्त व्यस्त हो सकते हैं ।"

अतः वे इस बारे में सुनिश्चित होना चाहते हैं ताकि भविष्य में यदि राष्ट्रपति अभिभाषण देने का अवसर मिले तो वे कह सकें :—

"हमने आपको ऐसा कहा था । हमने इस बारे में आपको चेतावनी दे दी थी । मौसम के उतार-चढ़ाव से सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है ।"

लेकिन जनता और लोकदल के मामले में मौसम का प्रबन्ध सरकार करती है । इनके मामले में यदि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल है तो यह इनके महान तथा प्रभावी नेता के कारण है और यदि पिछले वर्ष वर्षा न होने के कारण खराब फसल रही तो यह चौधरी चरण सिंह के कारण है, श्री मोरारजी देसाई के कारण है और हम सब के कारण है । आपको अपने आप को इसी पैमाने से देखना है । हर बात की सीमा होती है । इस दुनिया में विश्वास और आस्था की भी कोई सीमा है । देश के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं यही कह सकता हूं ।

राष्ट्रपति अभिभाषण में तोड़-मरोड़ कर रखे गए तथ्यों का मैं जिक्र कर चुका हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति विवाद से बाहर रहना चाहिये। उन्हें तोड़-मरोड़ से बाहर रहना चाहिए। उन्हें कठपुतली नहीं बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप कहते है कि सरकार किसानों के हितों के लिए वचन बद्ध है। खाद्यान्न गन्ने, दालों, कपास, तिलहनों तथा अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ाये गए हैं। सरकार ने किसानों को दिये जाने वाले गन्ने के मूल्य बढ़ा दिए हैं और नए कारखानों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। अब सच्चाई क्या है? क्या आप सचमुच सत्यवादी हैं? आपने चीनी के लिए कितने मूल्य की घोषणा की थी? क्या आप को याद है (व्यवधान) कि इसकी घोषणा आपको मंत्री मंडल ने की थी— यही आपकी पार्टी की बुद्धि ही थी, मैं जानता हूं कि इसमें से कुछ बातें स्वीकार की जाती है और कुछ छोड़ दी जाती है। उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा कि हमें गन्ने के लिए 13 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य देना चाहिए। यह बात सितम्बर की है। मुझे आशा है कि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों को इसकी याद है। हमने शोरगुल भी किया था। हम चिल्लाये। हम और क्या कर सकते थे। हम चिल्लाए किसान चिल्लाए। जब किसानों ने संघर्ष किया तो उन्हें कर्नाटक में गोली से मार दिया गया। यहां बैठे कर्नाटक के माननीय सदस्य यदि उन्हें पूरी जानकारी हो तो यह बतायेंगे कि पिछले वर्ष जुलाई से इस वर्ष जनवरी तक केवल कर्नाटक में ही नवलगुंड तथा नरगुन में पुलिस की गोली से 50 किसान मारे। वे जानते हैं कि कितने किसान मारे गए। उन्होंने हर जगह किसान मारे (व्यवधान) आप अपने आंकड़े बता सकते हैं। केवल जुलाई, 1979 में ही उन्होंने 23 किसान मारे। मैं यहां कर्नाटक के बारे में बोल रहा हूं। तामिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात में भी किसान मारे गए। आज ही सुबह मैंने तथा मेरी पार्टी के सहयोगियों ने सदन से बहिर्गमन किया क्योंकि दो किसान मृत्यु सैया पर लेटे थे। वे पुलिस की गोली और बर्बरता के शिकार थे। यह घटना कल ही लोहारू, हरियाणा में हुई।

हम चिल्लाए, हम इसके लिए लड़े। गन्ने के लिए 13 रुपए का दर केबिनेट का निर्णय था। जब हम चिल्लाए और लड़े तो प्रधान मंत्री ने अपनी समझ से, जो मंत्री मंडल की समझ से भिन्न है, अब कहा है कि मुझे यकीन है कि उन्होंने इसे यह कहते हुए उचित माना था कि यह प्रधान मंत्री की शक्तियों में आता है जिस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो कुछ इन्होने कहा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि इस पर चर्चा हो तो इस पर हम बाद में विचार करेंगे। माननीय सदस्य प्रधान मंत्री की शक्तियों के बारे में बोल रहे थे। प्रधान मंत्री उन शक्तियों का उपयोग करती हैं। जब मंत्री मंडल ने 13 रुपए का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा कि वह मुख्य मंत्रियों को लिखेंगी कि 16 रुपए की दर से देने की व्यवस्था की जाए यह सब तीन दिनों के अंदर हुआ। इन तीन दिनों के अंदर क्या हुआ? मंत्री मंडल के निर्णय के अनुसार यह 13 रुपए था। यह 16 रुपए हो गया। किसानों ने संघर्ष किया। जब उनका संघर्ष चलता रहा तो चीनी के कारखाने बंद कर दिए गए। कुछ माननीय सदस्य श्रेय लेना चाहेंगे। मैं आपको श्रेय देता हूं

कि आपने प्रधान मंत्री को इस बात के लिए राजी किया कि मंत्री मंडल की समझ गलत थी और आपकी समझ ठीक थी, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन साथ-साथ किसानों को संघर्ष करना था। आप सबने मिल कर अपनी समझ मंत्री मंडल पर थोंपी।

इससे संघर्ष जारी रहा। हमने चीनी के कारखाने बंद कर दिए। हमें इस बात का गर्व है कि चीनी कारखानों को बंद कर दिया गया। जब हम चीनी कारखानों को बंद करना चाहते थे और जब किसानों ने गन्ना देने से इनकार कर दिया तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम 20 रुपए भी दे देंगे। अंत में उत्तर प्रदेश में हम 23 रुपए का मूल्य लेने में सफल हुए। आपने 13 रुपए से शुरू किया और 23 रुपए तक पहुंचे। हम इसके लिए लड़े ; किसान इसके लिए लडे। किसानों को 23 रुपए के मूल्य मिले। आप तथ्यों को कैसे भूल सकते हैं (व्यवधान)।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : आप इन आंकड़ों का हवाला कहां से दे रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे समय में से जो हर मिनट सदस्य ले लेते हैं, उसका हिसाब रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा होता ही है। जब वे बोल रहे थे, तो आप भी बाधा डाल रहे थे। जब आप बोलते है तो ये भी बाधा डाल रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक ऐसा सुझाव भी आया है कि हमें कुछ सम्भव कर या सावधानी से चलना चाहिए। राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 13 में कहा गया है :—

"अर्थव्यवस्था पुनरोद्धार के पथ पर अग्रसर है लेकिन हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। विभिन्न वर्गों द्वारा ऊंचे मूल्यों और आय की मांगों की वजह से मुद्रास्फिति के दबाव बढ़ने लगते हैं। ऐसी मांगों से निवेश और वृद्धि के लिए उपलब्ध साधनों में भी कमी आने लगती है। इन परिस्थितियों में, यह राष्ट्र के तथा समाज के सभी वर्गों के हित में होगा कि वे अधिक ऊंची आय और कीमतों की मांग करते समय संयम से काम लें।"

ऐसा किस को कहा गया है। यह श्रमिकों, किसानों और भूमिहीन मजदूरों को कहा गया है। अमीर के लिए कोई संयम नहीं। एक 5 स्टार होटल के एक सोने के कमरे का किराया 595 रुपए है। कुछ ही हाथों में अर्थ शक्ति केन्द्रित हो गयी हैं। देश के दो घरानों में से प्रत्येक के पास 1200 करोड़ रुपए हैं जबकि 13 करोड़ लोगों के पास 1200 रुपए की कीमत की सम्पति भी नहीं है। संयम बर्तने के लिए किसे कहा जा रहा है ? (व्यवधान) आज वे हमें कह रहे हैं कि हम संयम बरते जबकि दिल्ली में होने वाले एशियन खेलों पर 700 करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे। बिहार में बिजली उत्पादन के लिए कोई पैसा नही है। सारे उत्तर बिहार को आज 25 मेगावाट बिजली पर निर्भर करना पडता है। उत्तर बिहार को इतनी बिजली मिलती है।

2 करोड 50 लाख लोगों के लिए आप 25 मेगावाट बिजली देते हैं। बिजली उत्पादन में पूंजी निवेश के लिए कोइ भी पैसा नहीं है। बिहार में पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है — मुझे खुशी है कि श्री भीष्म नारायण सिंह अपनी सहमति प्रकट करने के लिए अपना सिर हिला रहे हैं— लेकिन एशियन खेलों के लिए 700 करोड रुपए है, श्रमिकों को देने के लिए कोई पैसा नहीं हैं। कर्नाटक में बंगलौर के निकट एक औद्योगिक इस्टेट में हर मजदूर को 1 रुपए प्रति दिन की मजदूरी दी जाती है और आज ही उद्योग मंत्री सभा को बता रहे थे कि वे हमें एक और छोटी कार देंगे जिस पर अगले दो तीन वर्षों के दौरान 500 करोड रुपए व्यय किये जायेंगे आप संयम बर्तने के लिए किसे कह रहे हैं ?

इन्होंने हमारे लिए क्या क्या आशायें पैदा कीं ? यदि कोई आशा है तो वह केवल पंच वर्षीय योजना की ही है। हमें प्रतिदिन बताया जाता है कि इसी योजना के द्वारा भारत मे एक नया परिवर्तन आयेगा। प्रधानमंत्री ने उस दिन किसान रैली में भाषण दिया था। में किसान रैली की चर्चा करूंगा। हम किसान रैली के बारे में दुविधा में नहीं हैं। मुझे खुशी है और मैं जानता हूं किसानों को इसकी कटु अनुभूति हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री शीघ्र ही किसान रैली के बारे में खेद प्रकट करेंगी। किसानों को धोखा दिया गया। उन्हें क्या कहा गया ? उन्हें कहा गया कि राष्ट्रीय परिव्यय का 25 प्रतिशत उन्हें दिया जा रहा है। उन्हे बताया गया कि सरकार छोटे किसान के हित में विशेष पूंजी निवेश करने जा रही है।

पिछले साल के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि पंच वर्षीय योजना में इसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वास्तव में आपने किया क्या है ? क्या आपने अपने दस्तावेज — इस पंच वर्षीय योजना को देखा है, जिसे आपके मुख्य मंत्रीयों को भी दिखाया गया था। सिंचाई के बारे में राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा गया है कि इस वर्ष हम एक करोड़ चालिस लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जनता सरकार ने 1 करोड 70 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की योजना बनायी थी और आपने इसे घटा दिया है क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जनता सरकार ने कुल 69,000 करोड़ रुपए के परिणाम में से 5800 करोड रुपए की व्यवस्था कृषि के लिए की थी किन्तु आपकी पंच वर्षीय योजना में जिसमें सरकारी क्षेत्र में 97,500 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी, कृषि के लिए केवल 5695 करोड़ रुपए रखे गये हैं।

क्या आप इस बात से अवगत है कि जबकि जनता सरकार ने योजना में एकमात्र कृषि के लिए सम्पूर्ण सरकारी परिव्यय का 8.4 प्रतिशत रखा गया था, आपने केवल 5.8 प्रतिशत रखा है।

क्या आप को मालूम है कि जबकि हमने वृहत मध्यम तथा लघु सिंचाई के लिए 8975 करोड़ रुपये दिये जो कुल परिव्यय का 13 प्रतिशत था। परन्तु आप लोगो ने केवल 10,258 करोड़ रुपये ही दिये हैं जो परिव्यय का केवल 10.5 प्रतिशत है।

क्या आप को मालूम है कि ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए 1410 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जो कुल परिव्यय का 2 प्रतिशत था जबकि आप लोगों ने अब कुल परिव्यय का केवल 1.8 प्रतिशत दिया है ? और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में अत्यधिक कटौती की गई है हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 4179 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी जो परिव्यय का 6.3 प्रतिशत थी किन्तु आप ने घटाकर इसे कुल योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत कर दिया है। आपने इसके लिए 4924 करोड़ रुपये की राशि रखी है। मुख्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में कटौती की गई है। प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में 900 करोड़ रुपये की रकम को घटाकर 852 करोड़ रुपये कर दिया गया है ग्रामीण स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 490 करोड़ रुपये की रकम को घटाकर 408 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए मकान आवास सहायता को दीजिए। 500 करोड़ रुपये की रकम को घटाकर 354 करोड़ रुपपे कम दिया गया है मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को इसे सुनना चाहिए। विज्ञान तथा प्राद्योगिकी के बारे में तथा रोहिणी के बारे में काफी शोर मचा था आपको मालूम है कि उन्होंने विज्ञान और प्राद्योगिकी के बारे में कितना शोर मचाया था, जब हमारी सरकार थी ? हम विज्ञान तथा प्राद्योगिकी के साथ कैसे कर रहे थे। मैं आपको कुछ आंकड़े देने का प्रयास करूंगा। हमने विज्ञान तथा प्राद्योगिकी के लिए 654 करोड़ रुपये रखे थे। यह राशि सरकारी निवेश का 0.94 प्रतिशत थी। यह कुल निवेश का 0.88 प्रतिशत है। तो भी वे सब शोर मचाते है। श्रीमान धन कहां जा रहा है ? यह धन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, सिंचाई तथा कृषि से बचाया जाता है। आप को मालूम है कि यह धन कहां जा रहा है ? यह निर्माताओं तथा बड़े व मध्यम उद्योगपतियों की जेबों में जा रहा है ? 7252 करोड़ रुपये के हमारे परिव्यय जो परिव्यय का 10.4 प्रतिशत है, की तुलना में आपने अब 13,237 करोड़ रुपये रखा है जो परिव्यय का 13.5 प्रतिशत है। यह आपने किया है। तो भी आप हम पर प्रहार कर रहे है। आप किसानों को बुलाते हैं और उनसे कहते है कि उनके लिए आप यह करने जा रहे है। क्या इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए ? क्या वहां ऐसे माननीय सदस्य नहीं होने चाहिए जो कम से कम अपनी सरकार को यह बताये कि इस किस्म की धुप्पल नहीं मारते रहना चाहिए ? मैं इस देश के किसानों तथा गरीब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां एक ऐसी सरकार है जो धुप्पल मारती है जो तथ्यों को छिपाती है। वे आपको यथा स्थिति की वास्तविकता को नहीं बता रहे हैं। वे आप को भूल-भलैया में ले जा रहे है जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बात से मैं इस देश के लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा।

कल सभा में रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, आपके स्वयं के दल के नेता ; आपके स्वयं के मंत्री, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से हमारे नगरों के आम लोगों ने अपनी सामान्य भावना से कहा कि आपके रेल बजट के परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ेगी। आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि होगी। हमें आंकड़े मत दीजिए; गृहणियों से पूछिये उसी प्रकार से जब आप का बजट 28 फरवरी को आयेगा तो मूल्यों में और वृद्धि हो जाएगी। आप हमें और आघात पहुंचायेंगे। आप

आम आदमी गरीब आदमी को और आघात पहुंचायेंगे। इसलिए आप ठीक कहां जा रहे हैं। वास्तव में आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो ? आप उनको कितनी धुप्पल दे सकते हो ? आप लोगों को विचलित करने तथा उन्हे बन्द गली में ले जाने के लिए इस तथाकथित "करिश मे" का किस हद तक प्रयोग करेगे ? कितना ? किसी हद तक ? आप जानते है यह प्रति उत्पादक हो गया ; आप इसे याद रखेगे। इस समय यह अति शीघ्र प्रति उत्पादक हो जाएगा। यह 'गत्यात्मक दशक' की धुप्पल 10 वर्ष तक नहीं चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'गत्यात्मक दशक' शब्दों के बड़े शौकीन हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वे इसे 'गत्यात्मक दशक' कहते है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नांडीस आप भी थक गये है। मैं आपको कुछ आराम देना चाहता हूं। इसलिए आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते है।

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : आज बोट क्लब पर हमारे दल की बैठक हुई थी। पुलिस ने कुछ लोगों को निर्दयता के साथ पीटा जो वापस आ रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौदहवां प्रतिवेदन

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 14 प्रतिवेदन से, जो 19वें फरवरी, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री बोला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

"शुद्धि के अध्याधीन कि संविधान (संशोधन) विधेयक 1981 (अनुच्छेद 79 आदि का संशोधन) उक्त विधेयक पर की गई अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए समिति को पुनः सौपा जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में ; अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये—

"शुद्धि के अध्याधीन श्री बालासाहेब विखे पाटिल का संविधान (संशोधन) विधेयक 1981 (अनुच्छेद 79 आदि का संशोधन) उक्त विधेयक पर की गई अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए समिति को पुनः सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन से, जो 19 फरवरी, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, संशोधित रूप में सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पुर:स्थापित

सामाजिक सुरक्षा के लिए उपान्तस्थ वनभूमि का उपयोग विधेयक

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वनों के विकास के साथ साथ भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपनी सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए उपान्तस्थ वन-भूमि के उपयोग का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वनों के विकास के साथ-साथ भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपनी सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए उपान्तस्थ वन-भूमि के उपयोग का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(तीन) नि:शक्त व्यक्ति कल्याण विधेयक

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नि:शक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में तथा नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण, आश्रय, रोजगार, प्रशिक्षण और दिन में देखभाल के लिए सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नि:शक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में तथा नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण, आश्रय, रोजगार, प्रशिक्षण और दिन में देखभाल के लिये सुविधायें प्रदान करने से सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय तथा सहायता देने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 19 का संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(पांच) इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की बरेली में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(छः) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 17क का अन्तः स्थापन)

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 368 का संशोधन

श्री बापू साहिब पल्लेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(आठ) साधारण खंड (संशोधन) विधेयक

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण खंड अधिनियम 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

(नौ) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 17 और 23 का संशोधन)

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(दस) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

(परिनियमों का संशोधन)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री रशीद मसूद : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 31 (ख) का संशोधन

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 51 का संशोधन

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

(तेरह) रोजगार का उपबन्ध, बेरोजगारी भत्ते का संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम विधेयक

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि 25 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 25 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० बी० देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री आर०के० महालगी द्वारा 19 दिसम्बर, 1980 को रखे गए निम्न प्रस्तावों पर विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि देशी मछुआ नावों का मोटर बोटों तथा ट्रालरों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री महालगी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

***श्री आर० के० महालगी** (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैंने यह देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक, 1980 लगभग दो मास पूर्व सभा में पेश किया था । अब मैं विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या करता हूं । भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से इस विधेयक का विशेष महत्व है । इसका मुख्य उद्देश्य गरीब मछुओं के हितों का संरक्षण करना है । मत्स्यपालन हमारे देश का प्रसिद्ध व्यवसाय है । इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभा के सभी वर्ग इसका समर्थन करेंगे ।

---

* मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

भौगोलिक दृष्टि से इस विधेयक का संबंध हमारे देश के दस तटीय राज्यों से है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तटीय राज्य हैं। यदि हम भारत के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि देश का 6500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। लगभग 65 लाख मछुआ इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। यदि हम उनके परिवारों को भी सम्मिलित करें तो इस व्यवसाय से जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। क्योंकि विधेयक का संबंध बहुत भारी जनसंख्या से है इसलिए इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र ठाणे तट पर स्थित है। मेरा वहां के मछुओं से पिछले चार पांच वर्ष से सम्बन्ध रहा है तथा मुझे उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी है। इस विधेयक से संबद्ध उनकी कुछ समस्याओं की चर्चा करना चाहता हूं।

खण्ड 2 में कतिपय परिभाषाएं दी गई हैं। देशी नावों, मत्स्य नावों तथा जालपोतों द्वारा मछली पकड़ने का क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। रोक लगाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देशी नौका तट से केवल 5 किलोमीटर तक उपयोग में लायी जा सकेगी, एक मीटर नौका 5 से 10 किलोमीटर तक उपयोग में लायी जा सकेगी। जालपोत को तट से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद का क्षेत्र जालपोतों के लिए रहेगा। मछली पकड़ने के लिए निर्धारित क्षेत्र का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए तथा लांचों और जालपोतों के ऐसे मालिकों को जो इन क्षेत्रों का अधिलंघन करते हैं दण्डित किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री वर्मा ने सुझाव दिया है कि जालपोतों के लिए 20 किलोमीटर के स्थान पर 10 किलोमीटर से आगे कर दिया जाए और मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

इस विधेयक के खण्ड 4 में व्यवस्था की गई है कि ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जायें जो इन निर्धारित क्षेत्रों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधेयक के अनुच्छेद 3 के अनुसार मामले दर्ज करें। अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक हो गई है क्योंकि लांचों के स्वामियों और मछुओं के मध्य बहुत से झगड़े होने लगे हैं। गरीब मछुओं के साथ अन्याय होता है लांचों के स्वामी तो न्यायालयों में धन व्यय कर सकते हैं। इससे गरीब मछुओं के लिए समस्या पैदा हो जाती है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। उन्हें कष्ट सहन करने पड़ते हैं तथा उनके दुःख दर्दों को कोई नहीं सुनता। इन मछुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रायः सरकार छोटे तथा सीमांत किसानों का पक्ष लेती है। मेरा आग्रह है कि सरकार छोटे मछुओं को संरक्षण दे, अन्यथा उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता।

यदि छोटे मछेरों के हितों के रक्षार्थ कोई उपाय नहीं किए जाते हैं तो सामाजिक न्याय का नारा निरर्थक होगा। आवश्यक उपायों को कानूनी रूप देने तथा छोटे मछेरों के हितों के रक्षार्थ सामाजिक आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से मैंने सभा में विधेयक प्रस्तुत किया था।

मछलियों का बड़े पैमाने पर व्यापार करने वाले देशों में भारत सातवें स्थान पर है। इसी लिए हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि इस पेशे को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए। 1977 में भारत सरकार ने समुद्र तट से 200 मील क्षेत्र को पहले ही 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' घोषित कर दिया था। 6500 किलोमीटर लम्बी तट रेखा तथा समुद्र तट से 200 मील का क्षेत्र हमें सबसे अधिक मछलियां देता है। यदि मछली मारने को प्रोत्साहित किया जाता है तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अवश्य सहायक होगा। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी अधिक मात्रा में मछलियां मिलने के बावजूद, जिस प्रकार हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, हम वैसा लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि भारत में हमारे पास केवल 70 जालपोत (ट्रालर) हैं जो यह कार्य कर सकते हैं। जापान जैसे छोटे देश के पास 1500 जलपोत हैं। ताइवान के पास 7000 जलपोत हैं। हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र पूरी तरह से इन दोनों देशों के जालपोतों के अधिकार में रहा है।

1979 में ताइवान का एक जहाज तूतीकोरन से 8 लाख रुपये मूल्य की मछली ले गया। चूंकि हमारे पास सीमित संख्या में जालपोत हैं इसलिए हम दूसरे देशों से स्पर्धा नहीं कर सकते। हमें यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा देखना चाहिए कि हमारे देश में यंत्रीकृत नावों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो। हमारे देश में करोड़ों मांसाहारियों का मुख्य खाद्य पदार्थ मछली है। मछली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। आत्म-निर्भर होने के लिए हमने खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं इस मामले में भी हमें काफी बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र उपलब्ध कराना चाहिए तथा मछली पर निर्भर रहने वाले लोगों को खाद्य भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए।

जालपोतों की संख्या में कई गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है। अन्यथा यह क्षेत्र विदेशियों के अधिकार में हो जाएगा। कुछ दिन पूर्व, जनवरी 1981 में, श्रीलंका के एक जलपोत ने हमारे जलपोत को डुबो दिया था। इस दुर्घटना की पुनरावृत्ति पहली बार ही नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे मछेरों की रक्षा के लिए क्या आश्वासन दिए गए हैं। तत्संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखने की कृपा करें।

यह सच है कि तट-रक्षकों की व्यवस्था करके सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। परन्तु यदि हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से हमारी समुद्री सम्पदा लूट ली जाती है तो इसका क्या लाभ हुआ। इस संबंध में भारतीय नौसेना ने क्या किया ?

मैं महसूस करता हूं कि सभी श्रेणियों के मछेरों को सरकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में 1978 में लोक सभा में एक प्रश्न पूछा गया था। तब कृषि मन्त्री ने विश्वास दिलाया था कि सरकार इस विषय में चिंतित है तथा निकट भविष्य में वे कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। चूंकि जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं रही इसलिए कृषि मन्त्री इस मामले को और आगे नहीं बढ़ा सके।

29 जुलाई, 1980 को इसी विषय से सम्बन्धि एक दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य श्री जदेजा द्वारा पूछा गया था। उत्तर में सरकार ने कुछ तथ्यों को स्वीकार किया। मुझे खुशी है कि मछेरों के हितों की रक्षा के लिए मैंने जिन प्रावधानों का प्रस्ताव किया है उन्हें सरकार सिद्धान्त रूप से पहले ही स्वीकार कर चुकी है। मछली पकड़ने के क्षेत्र के सीमांकन के लिए उन्होंने कुछ मार्गदर्शीक सिद्धान्त निश्चित कर दिये हैं। लगभग दो वर्ष पूर्व समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण के नाम से एक समिति का गठन भी किया गया है। समिति ने 8 सिफारिशें दी हैं। उनमें से एक सिफारिश बिलकुल मेरी सिफारिश की तरह है। परन्तु मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रही है। यह कठिनाई वैधानिक है। यदि प्रावधानों को कानून बनाना हो तो तटीय रेखा वाले राज्यों की विधानसभाओं में इससे सम्बन्धित संकल्प पारित करना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। केन्द्रीय सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को किस तारीख को अधिसूचित किए गए। मेरा विचार है कि कम से कम डेढ़ वर्ष बीत चुका है, परन्तु राज्य सरकारों ने उसका कोई उत्तर नही दिया। माननीय मन्त्री को सभा को यह बताना चाहिए कि क्या वे इस मामले में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर रहे हैं और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्मरण पत्र भेजकर या राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक में विषय पर चर्चा करके इस मामले को और आगे बढ़ाया है ? मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि राज्य सरकारों की इच्छा जानने के मामले में क्या प्रगति हुई है। मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करने में कोई कठिनाई पेश आ रही है क्योंकि पहले बताए गए 10 राज्यों में से 7 में कान्ग्रेस (ई) का शासन है। फिर राज्यों ने इस विषय में क्या किया ? कतिपय ठोस कदम उठाने के लिए तमिलनाडु, केरल तथा पश्चिम बंगाल की सरकारें बधाई की पात्र हैं केरल की सरकार ने नवम्बर, 1980 में एक अध्यादेश जारी किया और मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु सरकार ने भी तट से 3 किलो मीटर के अन्दर यन्त्रीकृत नावों से मछली पकड़ने की मनाही करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि कुछ राज्यों ने कदम उठाए हैं परन्तु कानून बनाने का अधिकार तो केन्द्रीय सरकार के पास है। अधिसूचना तथा कानून में भिन्नता है। जब तक कोई विस्तृत कानून पारित नहीं किया जाता तब तक छोटे मछेरों की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें अपनी-अपनी विधान सभाओं में संकल्प पारित करें और केन्द्रीय सरकार को, मेरे सुझावों के अनुसार, कानून बनाने के लिए अपनी स्वीकृति भेजें।

यदि राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित करने के मामले में कोई तकनीकी कठिनाई है तो केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करे, उनकी समस्याओं को सुलझाए तथा इस मामले में शीघ्र ही कोई निर्णय ले।

अब मैं मछेरों की समस्याओं के महत्व को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। हमारे देश में हमारे पास 1,92,000 छोटी नावें, 16,500 लांचें तथा 70

जालपोत हैं। तट रेखा पर 2,000 गाँव हैं जिनमें मछेरे ही रहते हैं। ये आंकड़े मैंने (समुद्री सूचना सेवा, कोचीन) से प्राप्त किए हैं।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकारों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करें तथा इस सभा में विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करें। कृपया सिद्धान्त रूप में मेरी मांगों को स्वीकार करें तथा इसी सत्र के दौरान विधेयक लाएं।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि देशी मछुआ नावों को मोटर बोटों तथा ट्रालरों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बाबू साहिब पारूलेकर (रत्नगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को 30 मई 1981 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

सभापति महोदय : अब श्री एडुआर्डो फैलीरो बोलेंगे।

श्री बाबू साहिब पारूलेकर : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय को पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं आज मराठी में बोलूंगा और इसलिए कृपया इस समय इन्टरप्रेटर उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय : इस समय अध्यक्ष पीठ पर मैं बैठा हूं। मैं आपको अनुमति दे सकता हूं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सभापति महोदय, 1977 में 200 मील के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) तथा पिछले दो दशकों के दौरान, निर्यात में 4 करोड़ रुपए से 260 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि की घोषणा के फलस्वरूप भारत में समुद्री खाद्य उद्योग में बहुत अधिक दिलचस्पी पैदा हो गयी है। जहां तक मछली के रूप में समुद्र का खाद्य का संबंध है, पिछले दो दशकों में हमने आश्चर्यजनक प्रगति की है। परन्तु इतनी अधिक प्रगति करने पर भी भारत सरकार किसी भी स्तर पर, इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट नीति अथवा निर्देश देने में समर्थ नहीं हो सकी। इस उद्योग के अत्यावश्यक प्रश्नों में से एक प्रश्न का इस सभा में चल रही चर्चा में उल्लेख किया गया है।

हमारे समुद्र तट पर परम्परागत छोटी नावों के साधनों से मछलियां पकड़ने वाले परम्परागत मछेरों की समस्या केवल इस देश तक ही सीमित नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस

जिस क्षेत्र में मछलियां पकड़ने का काम होता है, उन सभी जगहों पर वे समस्याएं विद्यमान हैं। परम्परागत मछेरों तथा यान्त्रिक नावों के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। मैंने अभी एक मलेशिया निवासी द्वारा लिखा एक लेख देखा है, जिसमें उसने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया है जैसा हम अपने देश में वस्तुतः देखते हैं। इस लेख का शीर्षक है "एशिया के छोटे मछेरों के लिए भारी संकट।" उसने यह लिखा है। मैं उद्धरण देता हूं :

"एशिया के सारे मछेरों में से 90 प्रतिशत लघु पैमाने पर तटीय समुद्र से मछली पकड़ते हैं। उनमें से अधिकांश अपने देश की आधिकारिक तौर पर स्वीकृत गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं। मलेशिया, में रबर, छोटे किसान तथा धान पैदा करने वाले किसानों की वार्षिक आय से भी कम आय वाले 65 प्रतिशत छोटे मछेरे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। थाइलैंड में 70 प्रतिशत मछेरे परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं।"

पिछले दो दशकों में एशिया देशों से लगे समुद्रों से मछली के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। परन्तु छोटे मछेरे को इस समृद्धि में कोई भी हिस्सा नहीं मिला। उनके लिए जो हुआ वह है उनके द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियो की मात्रा में कमी हुई और उनके जीविकोपार्जन के मुख्य साधन को खतरा पैदा हो गया है।

"ऐसी स्थिति साठ के दशक में बड़े पैमाने पर जलपोतों द्वारा मछली पकड़ने के प्रचलन के कारण पैदा हुई। जालपोत से मछली पकड़ने से चमत्कारिक परिणाम सामने आए तथा इसका प्रचलन तेजी से फैला। मलेशिया में, 1966 में, जालपोतों के प्रचलन के एक वर्ष पश्चात, लाइसेंसशुदा और गैर-लाइसेंसशुदा 590 जलपोत थे। एक वर्ष पश्चात इनकी संख्या 1,090 हो गई, और दस वर्ष पश्चात केवल लाइसेंस शुदा जालपोतों की संख्या 47,20 थी।"

मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में भारत में हमारे दुःखद अनुभव तथा दूसरे देशों की स्थिति में कितनी समानता है। उसी लेख में आगे कहा गया है : "कानून के अनुसार जालपोतों को खुले समुद्र में, बारह मील की सीमा के बाहर, अपनी गतिविधियां सीमित रखनी होती हैं। परन्तु व्यवहार में, वे इस नियम की खुलेआम अवहेलना करते हैं।" जालपोत तटीय समुद्र में जाल डाल कर छोटे मछेरों के जाल को नष्ट कर देते हैं और सारे समुद्री जीवों को अपने अधिकार में कर लेते हैं।

परन्तु जालपोतों से मछली पकड़ना केवल छोटे मछेरों के जीवन को संकट में नहीं डालता। जालपोतों से मछली पकड़ने का तेज विकास दक्षिण-पूर्व एशिया के मछली स्रोतों के लिए भी दीर्घकालिक संकट का सूचक है। मौजूदा नियम जालपोतों को 25 मि० मी० की जाली वाले जाल के प्रयोग की अनुमति देते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या में छोटी मछलियों को भी पकड़ लेता है, जिन्हें प्रजनन के लिए समुद्र में छोड़ दिया जाना चाहिए था। मछलियों की संख्या को कम किए बिना, 37.5 मि० मी० की कम-से-कम आकार की जाली का प्रयोग किया जा सकता है। समुद्र

तल में डाले गए जालपोतों के जाल द्वारा मछलियों के प्रजनन क्षेत्रों आदि के नष्ट होने की भी संभावना रहती है ।

वह सबसे पहले यहां पर हमारे अनुभव का उल्लेख करता है । इस उद्योग तथा निर्यात में प्रगति क्यों हुई ? वास्तव में, कुल पकड़ी गई मछलियों की मात्रा नहीं बढ़ी है । यह बात भारतीय लेखकों श्री क्रिस्टोफर फोसेका, मतानी सलदाना तथा अरबन लोवो द्वारा 19 अगस्त, 1980 के बिजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित एक लेख में भी सिद्ध की गई है यह लेख मछली मारने वाली यांत्रिक नौकाओं के फलस्वरूप देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है इस पर एक गहरा अध्ययन है ।

भारत संबंधी तथ्य बताये गये हैं । अब मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है जिससे पता चलता है कि यहां की समस्या कितनी समान है तथा लोग इस समस्या पर कितनी गंभीरता से सोचते हैं, और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर भी उतनी ही गम्भीरता से विचार करें । यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है । आपको हस्तक्षेप करना चाहिए ।

आप मछुओं की समस्या को मुख्यतः कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखते रहे हैं । यदा कदा मत्सय नौकाओं के मालिकों तथा छोटे मछुओं के बीच झगड़े होते रहते हैं तब पुलिस हस्ताक्षेप करके उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है और इसी तरह इस समस्या पर ध्यान दिया जाता है । इससे कुछ भी समाधान नहीं होता । हमें ध्यान देना चाहिए कि कहां तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है । प्राकृतिक संसाधनों में कमी से देश को हानि होती है और इससे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ती है ।

जहाँ तक देश का संबंध है उसके बारे में तथ्य 'बिजनेस स्टेंटर्ड' में प्रकाशित लेख में दिए गए हैं तथा आंकड़े बताए गए हैं । जिसका कि मैंने उल्लेख किया है । परम्परा से मछुओं का समुदाय 65 लाख व्यक्तियों का है जो 1,92,000 देशी नौकाओं (कट्टामारा) माध्यम से मछली पकड़ते हैं। जहां तक देश में खपत का प्रश्न है 27 लाख लोग 70 प्रतिशत मछली पकड़ने का कार्य करते हैं । आज हमें उपलब्ध होने वाली मछलियों का 70% छोटे मछुओं से तथा केवल 30% यंत्रीकृत नौकाओं तथा जालपोतों से उपलब्ध होता है । उन्हें 16500 यंत्रीकृत जालपोतों के 8000 स्वामियों के क्रियाकलाप से भारी आर्थिक व्यथा सहनी पड़ती है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 1,55,000 व्यक्तियों से मदद लेकर लापरवाही से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं तथा लगभग 30% मछली प्राप्त कर पाते हैं ।

अब समस्या यह है कि श्री महालगी ने बताया, यह यंत्रीकृत नौकाएं अथवा जालपोत किनारे के बहुत निकट आ जाते हैं क्योंकि वहां पर 'श्रिम्प' एक निर्यात की जाने वाली मछली अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है । एक और कारण है, दूर जाने में डीजल अधिक लगता है तथा हमारे पास जालपोतों के लिए अनुभवी और कुशल व्यक्तियों की कमी है, जिन्हें पता हो कि तट से कितनी दूरी पर मछली उपलब्ध है । अब इनके तट के निकट आकर मछली पकड़ने के

कारण छोटे मछुओं का धंधा ठप्प हो जाता है, जैसा कि लेख में बताया गया है । मलेशिया तथा थाईलैंड की स्थिति भी हमारे देश के समान है । आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्यतः उनमें से अधिकांश व्यक्ति भारत के समान निर्धनता से निचले स्तर में जीवनयापन करते हैं और अशिक्षित होने के कारण उन्हें कहीं अन्यत्र भी रोजगार नहीं मिल पाता । इसका उन पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब जालपोत कार्य करते हैं तो मछलियों के प्रजनन स्थलों को विनष्ट कर देते हैं जिससे उनके स्रोत पर प्रभाव पड़ता है । संक्षेप में समस्या यही है ।

अब इसका समाधान क्या है ? श्री महालगी ने क्षेत्र पुनः निर्धारण की बात ठीक ही कही है, परन्तु किसी भी तरह उनका केन्द्र में सत्तारुढ़ दल द्वारा शासित राज्यों के रूप में उल्लेख करना सही नहीं हैं । इस प्रकार छोटी नौकाओं के लिए क्षेत्र निर्धारित करने वाला कानून नहीं बनाया गया है ।

उदाहरण के लिए मेरे राज्य गोआ में इस प्रकार का कानून है और वहां भी कठिनाई बनी हुई है वहां के मछुआ असंतुष्ट हैं । उनका असंतोष इसलिए है कि समुद्र में इस प्रकार की सीमा निर्धारण कर पाना कठिन है । आप 5 किलोमीटर अथवा किसी भी अन्य क्षेत्र को अलग नहीं कर सकते । इसका विकल्प केवल यही है कि क्योंकि जालपोत तथा यंत्रीकृत नौकाएं प्रजनन योग्य क्षेत्रों को नष्ट करती हैं...।

प्रो० मधु दण्डवते : अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के मामले में वर्गीकरण के क्षेत्र में आप सीमा निर्धारण किस प्रकार करते हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इन झगड़ों का हमें पता है । सभी देशों में हर समय झगड़ा रहता है कि एक देश दूसरे देश के क्षेत्राधिकार में मछली पकड़ रहा है । इंगलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड तथा अन्य देशों में भी झगड़ा रहता है । और हमें अब झगड़ा शुरू कर देना चाहिए । इस विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि अन्य देशों के जालपोत भी क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन करके मछलियां पकड़ रहे है तथा हमें संसाधनों में कमी आ रही है ।

निश्चय ही 5 किलो मीटर में सीमांकन का पाना कठिन है । मैं समझता हूं कि इसे इसलिए नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कठिन है सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए । सभिलंघन के सभी मामलों को पकड़ वाना संभव नहीं है । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग द्वारा नई निर्मित तटीय रक्षा सैना का उपयोग इस प्रकार के अधिलंघनों के विरुद्ध किया जाये । वे लोग तस्करी के बारे में कार्य करते हैं । वे इसे पूरी सफलता से न कर पाते हों परन्तु वे इस कार्य को करते रहे हैं । तट रक्षकों का उपयोग इस क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है ।

एक और पहलू है जिस पर विचार करना आवश्यक है इस बात को देखते हुए कि ये जालपोत तथा यंत्रीकृत नौकाएं तट के निकट आ जाती हैं तथा मछलियों के प्रजनन क्षेत्र का विनाश

कर देती है समाचार पत्रों में छपे विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर मेरा सुझाव है कि प्रजनन अवधि तक जो कि मई में शुरू होती है तथा छः महीने तक चलती है इन यंत्रीकृत नावों को कार्य न करने दिया जाये।

अपनी अधिक आशावादी तथा कम वैज्ञानिक नीतियों के कारण, किसी समय हम यंत्रीकृत नौकाएं खरीदने के लिए ऋण तथा सहायता आदि देकर प्रोत्साहन देते रहे हैं परिणाम स्वरूप बहुत से ऐसे लोगों ने, जो धनी नहीं है, ऋण लेकर यंत्रीकृत नौकाएं ले ली हैं। इसलिए उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाना चाहिए कि उन्हें किसानों के समान डीजल की खरीद पर राज सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि निश्चय ही उनका यह तर्क युक्तियुक्त है कि यदि किसानों को उत्पादन के लिए राज सहायता दीजाती है तो हम लोग भी समुद्र से उत्पादन करते हैं इसलिए कोई कारण नहीं है कि किसानों के समान डीजल की खरीद पर राज सहायता न दी जाये।

सभापति महोदय : आप मछुओं के प्रति अधिक उदारता क्यों नहीं दिखाते। किसानों की संख्या तो करोड़ों में है परन्तु मछुए तो उनसे कम हैं तथा उनसे अधिक गरीब हैं। (व्यवधान)।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं। स्पष्ट रूप से भेद भाव बढ़ता जाता है। यंत्रीकृत नौकाओं को प्रोत्साहन देने की हमारी नीति के कारण लोगों ने इन्हें खरीद लिया है और हमें उन्हें अवश्य क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। निःसंदेह परम्परागत मछुओं को संरक्षण दिया जाना अनिवार्य है।

मुझे कुछ बातें और कहनी है। मछुओं की इस समस्या, जिस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, के अलावा मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बारे में विधेयक बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले पर बहुत समय पूर्व एक समिति की स्थापना हुई थी। मुझे पता चला है कि अब उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

मुझे यह भी पता चला है कि उन्होंने मत्स्य क्षेत्रों के निर्धारण के विचार को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। इसलिए मत्स्य क्षेत्र योजना को स्पष्ट रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्रश्न पहले तो परम्परागत मछुओं को, तथा बाद में जालपोतों के अलावा अन्य यंत्रीकृत नौकाओं के स्वामियों को संरक्षण देने का है उन्हें जालपोत कहना भूल है क्योंकि ये छोटी यंत्रीकृत नौकाएं हैं।

तीसरे, मंत्रालय तथा सरकार को गहरे समुद्र में अपार मत्स्य सम्पदा जो कि हमारी जल-सीमा में फैली हुई है की खोज के लिए जालपोतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। गहरे समुद्र के लिए जालपोतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, न कि छोटी यंत्रीकृत नौकाओं को, और जब आप इन जालपोतों के निर्माण तथा उनका गहरे समुद्र में उपयोग किये जाने को प्रोत्साहन देते हैं तब मछुओं तथा उनके समुदाय को उनके स्वामीत्व तथा उत्पादन प्रयत्नों और लाभों में संबद्ध किया जाना चाहिए। बड़े उद्योग गृहों का इन जालपोतों पर स्वामीत्व होना कोई

अच्छा ढंग नहीं है । ऐसे संसाधनों के विलेहन से जोकि कभी अद्वते पड़े हैं, बड़े उद्योग गृहों को यदि रोका नहीं जा सकता है तो कम से कम हतोत्साहित तो किया ही जा सकता है ।

परन्तु इसके साथ ही जहां तक सम्भव हो सके हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह व्यापार भी छोटे आदमियों तथा विशेष रूप से इसी व्यवसाय में लगे हुए लोगों के हा हाथ में रहे क्योंकि उनके पास जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं है । हम लोग जो तटीय क्षेत्रों से यहां आए हुए हैं, उनके लिए यह पहलू काफी महत्वपूर्ण हैं । उनमें से अधिकांश लोग बेबस होते हैं । हममें से अनेक लोग मछली खाने वाले हैं और हमें मालूम है कि मछली की कीमतों में बहुत वृद्धि होती जा रही है । हम जबकि यहां इस विधान के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, वहां आम लोगों-जिनकी प्रतिशतता मछुओं से कहीं अधिक है—को खाने वाली मछली के लिए काफी अधिक कीमत देनी पड़ रही है । इसका कारण यही है कि मछुये पहले बिचौलियों के पास जाते हैं और बिचौलिया उसी बीच काफी लाभ पर बेचता है । अतः इस कार्य के लिए मछुओं की सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । उन्हें प्रशीतन सुविधायें अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा साथ ही मछली पकड़ने के पत्तनों का विकास भी किया जाना चाहिए ।

मैं ऐसे ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कि मछली बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध होती हैं । परन्तु हमारे यहां मछली पकड़ने की एक भी पत्तन नहीं है । हमारे यहां किसी प्रकार की प्रशीतन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और इस कारण मछुओं तथा इस प्रकार की मछली खाने वाले साधारण लोगों, दोनों को ही इससे हानि हो रही है । मछुओं को लाभप्रद मूल्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जबकि उपभोक्ता को इसके लिए काफी कीमत देनी पड़ रही है, अतः इस गहन आर्थिक खाई को केवल सरकार द्वारा ही वहां आधारभूत तथा प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर ही पाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ठीक है, श्रीमानजी, आपने घंटी बजा दी है और मैं भी अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सौभाग्य की बात है कि इस सदन में अनेक ऐसे सदस्य हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं आशा करता हूं कि जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें हम लोगों द्वारा दलगत नीति से ऊपर उठ कर विचार किया जाएगा ।

जहां तक तटवर्ती क्षेत्रों का सम्बन्ध है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाये तो आपको पता चलेगा कि देश के यह खूबसूरत क्षेत्र, गरीबी का जामा पहने हुए हैं और यदि आप इनकी खूबसूरती को इनसे अलग कर दें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी गरीबी किस प्रकार की है । यह स्थिति वहां कार्य करने की हालत के कारण है । मैं भी उन्हीं व्यक्तियों में

से हूं। जिनका यह विश्वास है कि इस कार्यक्षेत्र को सक्रिय बनाया जाना चाहिए और हमें प्रधान व्यवसायों तथा उद्योगों के विकास पर अधिक बल देना चाहिए और मेरे साथी द्वारा जो वर्तमान, विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें और कुछ नहीं अपितु गांधी जी के ही इस सपने को साकार करने की चेष्ठा की गई है कि जब कभी भी हम नए व्यवसायों तथा उद्योगों को प्रोत्साहन दें तो हमें यह अवश्य दृष्टिगत रखना चाहिए कि इसमें श्रमिक-प्रधान व्यवसायों तथा उद्योगों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, इसके बारे में सौभाग्यवश अगस्त 1979 में 8 नौका द्वारा मछली पकड़ने वाले मछुओं के मंच का एक सम्मेलन बंगलौर में हुआ था। मैं समझता हूं कि विभिन्न राज्यों से आने वाले मछुओं के प्रतिनिधियों—जहां कहीं भी तटवर्ती क्षेत्र हैं—ने इसमें भाग लिया था। उन्होंने दस्तावेज तैयार किए थे। उन्होंने काफी व्यापक चर्चा की थी और उसके परिणामस्वरूप उन्होंने कुछ मतैक्य भी तैयार किया था। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। परन्तु वास्तविकता तथा लक्ष्य में सदा ही अन्तर रहा करता है। हमारा सदैव यही प्रयत्न रहता है कि वास्तविकता जहां तक हो सके लक्ष्य के निकट आ सके। विधेयक का निश्चय ही यह उद्देश्य नहीं है। मछुओं के मंच द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया था, उसके अनुसार सम्पूर्ण भारत का तटवर्ती क्षेत्र 5,600 किलोमीटर है। यह निश्चय ही काफी लम्बा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मशीनों से तथा बिना मशीनों की सहायता के मछली पकड़ने में एक अस्वस्थ्य प्रकार की होड़ लगी हुई है। अनेक बार तकनीकी समस्यायें उठ खड़ी होती हैं।

गोआ का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे मित्र ने कहा कि जहां तक हो सके हमें बिना मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों को आरक्षित कर देना चाहिए। यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस सम्बन्ध में कुछ विनियम बने हुए हैं और हम सदा ही सीमांत जल क्षेत्र की बात करते रहते हैं वहां हम सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक मुद्दों को नहीं उठाते हैं। सीमांत जल क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर पाना भला कहां तक सम्भव है ? कुछ झगड़े होते है। झगड़ों पर काबू पा लिया जाता है और अन्ततः समस्याओं को सुलझा लिया जाता है। उन समस्याओं का समाधान करने में कई बार नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमांत जल क्षेत्र का रेखांकन कर पाने में सफल होगें। मछली पकड़ने के लिए हम मछुओं के लिए आरक्षित 20 किलोमीटर की सीमा को निर्धारित क्यों नहीं कर सकते ? यह दो प्रकार की हो सकती है। एक में यह 10 किलोमीटर होगी तथा दूसरी में 20 किलोमीटर। मेरे पास एक दस्तावेज है जिससे आप इसे देख सकते हैं। उसमें गोआ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पश्चिम बंगाल से मेरे मित्रों ने भाग लिया था। यह दस्तावेज वास्तव में उन्होंने ने ही तैयार किया था। वह किसी मतैक्य पर पहुंच पाये। परन्तु जब हम आपसी विचार विमर्श के लिए मिल कर बैठे तो कुछ समझौता तथा सहमति हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि इस समस्या का समाधान सहमति द्वारा किया जा सकता है। यदि आवश्यक

हो तो किसी प्रकार का समझौता कर लिया जाये । परन्तु विधेयक में इसके लिए 20 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है। बंगलौर में हुए सम्मेलन में यही मतैक्य हुआ था ।

सभापति महोदय : मैंने उस दस्तावेज को नहीं पढ़ा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसमें केवल भारतीय किसानों के प्रतिनिधि ही शामिल थे या उसमें अन्य लोग या अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस मंच पर केवल भारतीय किसान ही उपस्थित थे । आपके प्रश्न से प्रेरणा लेकर ही मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच का गठन किया जाना चाहिए । आपके सृजनात्मक सुझाव के लिए हम आभारी हैं ।

सभापति महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मछुए ही थे या हो सकता है वह लोग बड़े-बड़े जलपोतों के मालिक कुछ रहीस लोग हों । वह उन्हें मछली पकड़ने के लिए तट-वर्ती क्षेत्र पर लाते हों ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा नारा है " विश्व के मजदूरों एक हो जाओ" आपका नारा यह है कि विश्व के मछुओ एक हो जाओ, भी स्वागतयोग्य है । हम अन्य देशों के अपने मित्रों तक इसे पहुंचा देंगे । जहां तक छोटे किसानों की मांगों का सम्बन्ध है उन्होंने तीन या चार मांगें प्रस्तुत की है । जो कुछ यहाँ कहा जा चुका है, मैं उसकी पुनरावृति नहीं करना चाहता ।

उसमें पहली बात तो यह थी कि वह सभी इस बात पर सहमत हैं कि 20 किलोमीटर का क्षेत्र बिना मशीनों की सहायता के मछली पकड़ने के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए । उनकी दूसरी मांग यह थी कि चूंकि जलपोत झींगा मछली पकड़ने के लिए पत्तन में आ जाते हैं अतः उससे क्षेत्र में आशान्ति हो जाती है । श्रीमानजी, कई बार ऐसा होता है कि जब मौसम अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, तो उस समय यदि कुछ जलपोत मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं तो उससे वहां के वातावरण पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है और बिना मशीनों के मछली पकड़ने वालों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु यदि समुद्र में जाने वाले जलपोतों की संख्या बहुत अधिक हो तो उससे निश्चय ही उस क्षेत्र का वातावरण दूषित हो जाता है और बिना मशीनों की सहायता के मछली पकड़ने वालों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः मैं इस आदर्श का समर्थन नहीं करता कि जब मछली पकड़ने का मौसम चरमोत्कर्ष पर हो उस समय भी जलपोतों को वहां न जाने दिया जाये परन्तु समुद्र में जाने वाले जलपोतों की संख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तब तक बिना मशीनों की सहायता के मछली पकड़ने वालों को इससे काफी नुकसान होता रहेगा । इस सम्मेलन में की गई मांगों में से यह भी एक थी ।

अब इनकी तीसरी मांग को लीजिए । कई बार ऐसा होता है कि मछली पकड़ने के लिए आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने वालों द्वारा जिन मछली जालों का उपयोग किया जाता है वह बिना मशीनों की सहायता के मछली पकड़ने वाले के जाल से भिन्न होते हैं । वे फारसी जाल होते हैं ।

जिनके पास फारसी जाल होते हैं वे उनका उपयोग कम गहरे पानी में भी कर लेते हैं और यदि वे कम गहरे पानी में फारसी जालों का प्रयोग कर लेते हैं तो इससे हाथ से मछली पकड़ने वाले मछुओं को काफी हानि होती है। अतः हमें केवल मशीनों द्वारा ही मछली पकड़ने पर नहीं अपितु फारसी जालों से मछली पकड़ने पर भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना ही पड़ेगा।

स्वदेशी किश्तियों के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों से सम्पर्क करना जरूरी है और हर 21 दिनों के बाद उन्हें अपने पारपत्रों का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप कई कदाचार होते हैं। हम से जो भी मछुओं की समस्याओं से परचित हैं, इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कई क्षेत्रों के मछुओं की यह आम शिकायत है कि यदि हर 21 दिनों बाद उन्हें अपने पारपत्र का नवीनीकरण करना पड़े तो इसके फलस्वरूप नोकरशाही पेचिदगियां तथा कदाचार पैदा होते हैं। अतः मछुओं ने मांग की है कि सीमा शुल्क विभाग उन्हें अपने पारपत्रों का नवीनीकरण एक वर्ष के बाद करने को कहे।

कुछ राज्यों में कृषि और मत्स्यपालन को इकट्ठा रखा गया है। केन्द्र में भी कृषि और मत्स्यपालन को एक ही विभाग के अन्तर्गत रखा गया है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। कुछ आम समस्यायें तथा कठिनाईयां हैं। यदि छोटे किसान कोई सहकारी समिति स्थापित करते हैं तो उन्हें कम ब्याज पर ऋण की आमतौर पर आवश्यकता पड़ती ही है। कभी-कभी ही उन्हें 4 प्रतिशत की रियायती दर पर ब्याज मिलता है। छोटे मछुये विशेषकर गैर यंत्रीकृत तरीकों से मछलियां पकड़ने वाले मछुये लगातार यह मांग करते आये हैं कि जहां कहीं भी छोटे मछुओं की सहकारी समिति बनती है, उन्हे भी वही सुविधायें दी जायें, जो कृषकों को मिलती हैं। चूंकि ऋण आदि के लिये मछुओं तथा कृषकों को आमतौर पर इकठ्ठा रखा जाता है, इसलिये उन्हें भी वही सुविधायें दी जायें। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, यह इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता लेकिन यह इसी से सम्बन्धित एक समस्या है। जैसे कि कुछ बुनियादी उद्योग तथा सहायक उद्योग होते हैं, उसी प्रकार इस विधेयक के भी कुछ सहायक पहलू हैं। इस विधेयक से समस्या के कुछ सहायक पहलू जुड़े है, ये समस्यायें मछली पकड़ने के गैर यंत्रीकृत तरीकों से सम्बन्धित है। मुझे आशा है कि इस पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : आपने 21 दिनों का जिक्र किया है। क्या आप इसे और स्पष्ट करेंगे, ऐसा कहां कहा गया है? 21 दिनों के लिये कौन लाइसेंस देता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, इसके तटवर्ती कोंकन क्षेत्र में लोग सीमाशुल्क अधिकारियों के पास जाते हैं और इस काम को करने के लिये पास लेते हैं और वे अपना काम शुरू करते हैं। 21 दिनों के बाद इसका क्या होता है। यदि वे पास का नवीनीकरण न कर सकें तो सीमा शुल्क अधिकारी उनके नाम पर नोटिस जारी कर देते हैं। उन्हें मछली मारने के काम की अनुमति नहीं दी जाती। मैं कहता हूं

कि इससे कई कदाचार पैदा होते हैं और रिश्वतखोरी भी होती है (व्यवधान)। आप इसे 'लाईसेंस' कहें या 'पास' यह आपकी इच्छा है। अतः मेरा प्रश्न यह है...।

सभापति महोदय : श्री दंडवते क्या मैं जान सकता हूं कि यह रस्म कैसे शुरू हुई ? यह 21 दिन की रस्म कैसे शुरू हुई ? इसका उद्देश्य क्या है ? इसका औचित्य क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ यह है कि आप मुझसे सहमत हो रहे हैं।

सभापति महोदय : लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे विस्तार से बतायें। आपने इस समस्या का अध्ययन किया है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा कहना यह है कि इसकी सीमा अनन्त है। उनका कहना है कि यह एक जरूरी सीमा है। अतः मैं सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से इसे स्पष्ट नहीं कर सकता मैं केवल मछुओं के प्रतिनिधियों की ओर से आपकी व्यवस्था कर सकता हूं वे अनुभव करते हैं कि 21 दिन का कोई औचित्य नहीं। इसके विपरीत, मैं महसूस करता हूं कि नौकरशाही प्रक्रिया के पालन से ही इसका जन्म हुआ है। इससे कोई न कोई त्रुटि पैदा होती है, इससे कोई न कोई कदाचार पैदा होता है। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन सारी नौकरशाही की मशीनरी इस ढंग से चलती है जिससे रिश्वतखोरी पनपे भ्रष्टाचार पनपे तथा कदाचार पनपे। अतः मैं अनुभव करता हूं कि यह अवधि सीमा एक वर्ष तक बढ़ायी जाये।

अब मैं व्यवहारिक पहलू पर आता हूं। यदि इस विधेयक (जिसे मेरे सहयोगी ने प्रस्तुत किया है) को पारित किया जाता है, तो क्या होगा ? इसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ? गोआ के बारे में स्थिति यह है। वे इसे प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं। उनके पास ऐसे लांच हैं जिन्हें पुलिस पेट्रोलिंग लांच कहा जाता है। वे लगातार चलते रहते हैं। यदि इन्हें पता चले कि कुछ ट्रालर अपनी सीमाओं तक नहीं रहते तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप यह भय दिखाकर अपराध निवारक का काम करता है। इस संगठन ने कई मामलों में हस्ताक्षेप किया है। लेकिन सीमाशुल्क विभाग को कभी-कभी इस प्रकार के पुलिस पेट्रोलिंग लांच नहीं मिलते। अतः समूचे तटवर्ती क्षेत्र में यही स्थिति व्याप्त है। वे कहते हैं कि इसके लिए कानूनी व्यवस्था तो है लेकिन हमारे पास पर्याप्त औजार नहीं हैं, हम गहरे समुद्र में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। मैं अनुभव करता हूं कि कोई भी विधेयक पुरःस्थापित किया जाए, वह उस समय तक निरर्थक ही होगा जब तक कि पुलिस पुट्रोलिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था न हो ताकि सीमा की पहरेदारी सुनिश्चित हो सके। अतः मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देता हूं कि वह उचित मार्गदर्शी बातें बतायें। इसके बारे में एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए। यदि आप समस्या को राज्य पर ही छोड़ते हैं तो इस समस्या का हल कभी नहीं होगा। कुछ मामलों में केन्द्रीय कानून को ही प्राथमिकता दी जानी जरूरी है। यदि कोई केन्द्रीय मार्गदर्शी कानून नहीं अपनाया जा सकता तो केन्द्र कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करे केन्द्रीय सिद्धान्त जारी किये जाते हैं तो कोई ऐसा प्राधिकरण भी होना चाहिए जो यह पता लगाए कि क्या केन्द्रीय मार्गदर्शी

सिद्धान्तों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है या नही। जब तक ऐसी मशीनरी का गठन न हो उस समय तक केन्द्रीय कानून को पूरी तरह से कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है। अतः इस विधेयक के इस व्यवहारिक पहलू को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो क्या विधेयक का कोई अर्थ निकलेगा ? नहीं तो विधेयक केवल संविधि संग्रह में ही रहेगा। यह कार्यान्वित नहीं होगा। मुझे आशा है कि इस विधेयक को पारित किया जाएगा और इसे प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : सभापति महोदय, लगभग सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है और मुझे खुशी है कि प्रो० मधु दण्डवते ने इस बात को समझा है कि यह विधेयक दलीय भावनाओं से ऊपर है। हम साधारणतः इस विधेयक के सिद्धान्तों के पक्ष में हैं। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में किस ढंग से चलती है। इस बारे में मैं एक समस्या की चर्चा करता हूं। कोई 1½ वर्ष पहले, संभवतः कोई एक वर्ष और नौ महीने पहले बंगलौर में मछुओं की बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी सिफारिशें की थी। जब से यह केन्द्रीय सरकार बनी है, उसी समय से मत्स्यपालन विभाग विधेयक बनाने, इसे राज्यों को भेजने और उनकी टिप्पणियां लेने में व्यस्त रहा है। उन्हें अपनी आंखें खोलने से पहले तथा यह सोचने से पहले कि क्या करें इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए श्री महालगी की प्रतिक्षा करनी पड़ी। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। मेरा भय यह है कि सभी विभागों केन्द्रीय सरकार के प्रायः सभी विभागों में ऐसा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित विभाग इन समस्याओं के कल्याणकारी पहलुओं की ओर अधिक ध्यान दें और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करें और इस सम्बन्ध में स्वयं आवश्यक विधान लाने का प्रयास करें।

इतने अधिकारियों वाले एक विभाग की यहाँ क्या आवश्यकता है। वे राज्य सरकार से हुए पत्र व्यवहार पर ही निर्भर करते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है और क्या वे अपने बड़े बड़े अधिकारियों को उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं भेज सकते जो इन लाइनों पर सोच रहे हैं ताकि सरकार इस संसद में प्रस्तुत तथा पास करने के लिए एक विधेयक तैयार कर सके। मैं केन्द्रीय सरकार से चाहता हूं कि वह इस विधेयक के इस पहलू की ओर ध्यान दें।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, मैं प्रो० मधु दण्डवते की इस बात से सहमत हूं कि इसके लिए एक केन्द्रीय कानून होना चाहिए। यदि अधिकांश राज्य केन्द्रीय कानून का विरोध करते हैं तो उनके लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें सामान्य मार्गदर्शी बातें हों और जिसे पास करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाए जिसमें संशोधन के बाद कुछ खंड जोड़े जाएं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ही इसे करे। इस बारे में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार के लिए यह देखना सम्भव नहीं है कि विश्व की अन्य सरकारें इस बारे में क्या कर रहे हैं। क्योंकि यह एक विशेष समस्या है जो स्वदेशी नावों तथा इनके मालकों के रोजगार से सम्बन्धित है। भारत के लिए यह विशेष समस्या है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, बेरोजगारी बहुत है और इसमें असंख्य लोग रोजगार में लगे हैं और इस पर भारत भर में लगभग

एक करोड़ लोग आश्रित हैं। उन्हें उचित आरक्षण दिया जाना है। इस बात का महत्व कुछ भी नहीं है कि दूरी 5 किलोमीटर है अथवा 10 किलोमीटर है अथवा 20 किलोमीटर है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कोई भी यंत्रीकृत ट्रालर 10 किलोमीटर के भीतर न आने पाये। लेकिन उन्हें साथ-साथ यह भी समझना चाहिए कि उन्हें जहां तक सम्भव हो 20 किलोमीटर या 10 और 20 किलोमीटर से बाहर ही रहना चाहिए। गलती से कभी कभी वे इस सीमा के अन्दर भी घुस सकते है, ऐसी दशा में उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं लेकिन निश्चय ही उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए। बीच में ऐसा भी क्षेत्र होना चाहिए जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार न हो जिसका अतिक्रमण हो सकता है लेकिन इस पर उचित निगरानी होनी चाहिए और इस पर कुछ प्रतिवन्ध भी होने चाहिएं। देशी नौकाओं से मछली पकड़ने का कार्य करने वाले इन सभी लोगों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को वह सुरक्षा प्रदान करनी है और जहां कहीं भी यह सुरक्षा अपर्याप्त है केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा की कमी को पूरा करे। अब तक सुरक्षा संतोषजनक रूप से नहीं की गई है। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए तथा इन लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।

मेरा माननीय मित्र बड़े जालपोतों के तथा छोटे यंत्रीकृत जलयानों के स्वामियों के बीच कुछ अन्तर करना चाहता है। मुझे मालूम है कि किस हद तक यह करना उचित है; परन्तु उसके बाद यह अन्तर ऐसे ढंग से न हो कि देशी नौकाओं के रोजगार तथा लाभ के अवसर उनके हाथों से निकल जाए। अधिकांश ये लोग बहुत गरीब है और छोटे लोग हैं। उन्हें इन देशी नौकाओं, नाईलोन के जालों की खरीद करने तथा नाईलोन धागे की पूर्ति तथा ऋण देने व वर्दियों के भी सम्बन्ध में सहायता देने की आवश्यकता है। इन सब बातों से पहले उन्हें मुआवजे की भी आवश्यकता है। प्राय: समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण तथा शार्क मछली के काटने आदि के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ऐसे लोग मर जाते हैं या गम्भीर रूप से विकलांग हो जाते हैं तो सरकार की ओर से उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए चाहे यह स्थानीय सरकार हो या संघ सरकार हो, उस सम्बन्ध में ये सरकारें दृढ़ निश्चय करें।

जब इन सब लोगों को ये सब सुरक्षा दी जाती है तो सरकार के लिए यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि उनकी आवास दशाओं भी में सुधार हो। आज उनके आवास की दशायें बहुत बुरी हालत में है। उनमें से बहुत कुछ लोगों के पास एक भी पक्का घर नहीं है। लगभग उन सभी के पास फूंस की झोपड़ियां है वे सभी तटीय रेखा के साथ-साथ हैं। इन लोगों को आग से भी आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी है। प्रायः इन क्षेत्रों के अधिकाँश भागों में हर वर्ष अग्नि-दुर्घटना होती हैं और अब तक उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। जहां कहीं भी अधिक संख्या में ये लोग सामूहिक रूप से रहते हैं वहां अग्निशमन स्टेशन खोले जाने चाहिएं।

विश्व बैंक ने राज्य सरकारों को तथा संघ सरकार को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करने के लिए ऋण तथा अनुदान देने के लिए पहल की है। गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने के नाम पर हमारे बहुत से शिक्षित लोग, उद्यमी लोग तथा कुछ काफी धनी 'नवयुवक' अब इन

जालपोतों का निर्माण कर रहे हैं और वे उद्योग के रूप में मछली पकड़ने का विकास निरन्तर कर रहे हैं परन्तु जब देशी नौका वाले लोगों की बात होती है तो यह लगभग कृषि की तरह से है। वास्तव में अपनी पकड़ी गई मछलियों को फसलों के नाम से पुकारते हैं। हमारे पास एक बड़ी फसल है, वे ऐसा करते हैं। कृषक की तरह से वे इसे फसल के रूप में मानते हैं। इसलिए उन्हें वे सभी सुविधायें उपलब्ध करनी होगी जो कृषकों को दी जा रही हैं। और ये सुविधाएं इन लोगों को भी दी जानी चाहिए।

मैं इस विधेयक के परिचालन के लिए श्री पारूलेकर के सुझाव के पक्ष के पक्ष में नहीं है क्योंकि मैं कार्यों को तत्काल करवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार तत्काल कार्य करे और इस बात को देखे कि उन्हें राज्य सरकारों से उत्तर मिलता है सरकार को चाहिए कि वे इस विशेष समस्या से निपटने वाले मंत्रियों तथा निदेशकों का एक सम्मेलन बुलायें और उस सम्मेलन में कुछ समझौते करायें, उसके बाद उन्हें उन निष्कर्षों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए .जिस पर वे विधेयक को पुर:स्थापित करके तथा इसे पारित करा के पहुंचे हैं और देशी नौका वाले मछुओं की सहायता करने के लिए आवश्यक धनराशि भी दें। भारत सरकार को यह मानना चाहिए कि यह भारत सरकार का एक विशेष उत्तरदायित्व है।

*श्री बापू साहेब पारूलेकर (रतनगिरि) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री महालगी सभा के समक्ष एक विधेयक लाये हैं जो समुद्र तट पर रहने वाले मछियारों की ज्ञात समस्याओं से संबंधित हैं श्री महालगी इन तटीय क्षेत्र के लोगों के संपर्क में पिछले चार या पांच वर्षों से है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी मछियारों की समस्या संबंधी जानकारी एकत्र की है। श्रीमान, मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूं वहां 250 मील का तटीय क्षेत्र है। समुद्र मेरा बचपन से साथी रहा है। मैं ज्वार-भाटे के साथ खेल चुका हूं और उनसे संघर्ष कर चुका हूं मेरे बहुत से मित्रों ने मछियारे का व्यवसाय अपना लिया है। मैं निश्चित रूप से इस विधेयक के अन्तर्हित भावनाओं को समझ सकता हूं मैं उनका समर्थन करता हूं मैं इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का भी समर्थन करता हूं। छोटे मछियारों तथा उनके व्यवसाय को अवश्य बचाया जाना चाहिए तथा अवश्य सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से प्रो० मधु दंडवते के इन विचारों से सहमत हूं। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के पारित हो जाने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। माननीय सदस्य जो इस विधेयक पर बोले उन्होंने इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। यदि इस विधेयक को इसी रूप में पास कर दिया जाता है तो मुझे भय है कि इससे न तो यंत्रीकृत नौकाओं तथा जालपोतों के स्वामियों की समस्याओं का और न ही देशी नौकाओं का प्रयोग करने वाले छोटे मछियारों की समस्याओं का समाधान होने वाला है। इस वर्तमान विधेयक से और गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो जाएंगी।

*मराठी में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरे माननीय साथी प्रो० रंगा जी की राय है कि वे मेरे संशोधन से सहमत नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने मछली पकड़ने के क्षेत्र को निर्धारित करने के प्रस्ताव से उनकी सहमति के बारे में राज्य सरकारों को लिखने से पूर्व इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों का परामर्श लिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे इस विषय से अवगत करने की कृपा करें। यदि हम समुद्र शास्त्र का अध्यय करें तो हमें ज्ञात होगा कि मछली पकड़ने के क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। मुझे न तो श्री महालगी के भाषण में न अन्य सदस्यों के भाषण में ऐसा कोई आधार नहीं मिला है जिसमें 5 कि० मी० की सीमा निर्धारित की गई है। यह 2, 3 या 6 कि० मी० क्यों नहीं है। मैं इस बात का भी स्पष्टीकरण चाहता हूं। ऐसा महसूस होता है कि हम 5 कि० मी० की सीमा भी निर्धारित कर देते हैं तो भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। यदि हम भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि तट से एक निश्चित दूरी तक पानी की गहराई एक-सी नहीं है। जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो पानी की गहराई में फर्क पड़ जाता है। तट से 5 कि० मी० की दूरी पर गहराई 2 फैदम हो सकती है, कुछ स्थान पर 5 फैदम, 20 फैदम तथा आदि आदि हो सकती है। झींगा मछली, जो बड़ी स्वादिष्ट है, जिसे हम विदेशों को निर्यात करते हैं और विदेशी मुद्रा कमाते हैं, वह तट की दूरी पर नहीं बल्कि जल की गहराई पर निर्भर है इस समस्या का इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना है। 5 कि० मी० की सीमा निर्धारित करके हम देशी नौकाओं के स्वामियों की समस्या को नहीं सुलझाने वाले हैं।

इस संदर्भ में, मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख उनके विचारार्थ कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमें उन व्यक्तियों से जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं, मछली पकड़ने सम्बन्धी प्रचालनात्मक ब्यौरे प्राप्त करने होंगे। हम मानते है कि गैर-यंत्रीकृत नौकायें घटिया हैं और यंत्रिकृत नौकायें अच्छी है। हम इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखें। परन्तु मैं समझता हूं कि इस समस्या को देखने की यह बड़ी गलत विचार धारा है। यंत्रीकृत नौकाओं के स्वामी धनी नहीं है। उन्हें ऋणों का भुगतान करना है और उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अपनी नौकाओं को सरकार से या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर यंत्रीकृत किया है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि मछली चार प्रकार से पकड़ी जाती है। गोवा में मछली दो किलो मीटर की सीमा तक पकड़ी जाती है जहां नौका के दोनों ओर जालें फैलायी जाती हैं और जाल को 2 कि० मी० के पकड़ने वाले क्षेत्र के भीतर हाथ से खींचा जाता है। इस प्रकार से मछली पकड़ना इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

मछली पकड़ने का कार्य गिलजाल (गिलनैट) द्वारा भी किया जाता है। इन गिलजालों द्वारा मछली पकड़ना भी इस विधेयक के अधिनियमन में संकट पैदा कर देगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से विधान बनाने से पूर्व इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा। गिल-जाल दो प्रकार के हैं—तल-जाल तथा सतही गिल-जालें। इन जालों से केवल 5 कि० मी० से आगे

मछली पकड़ी जाती है। मैं श्री महालगी को बताना चाहूंगा जो ठाणे से निर्वाचित हुए हैं कि ठाणे जिला सीमा के तट पर मछली पकड़ने का कार्य समुद्री तट से 5 से 10 कि० मी० तक तल-जालों द्वारा किया जाता है। यह तट से 5 किलो मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जाता है। गोवा जाते समय जब हम बम्बई को छोड़ते हैं तो हम खम्बे देखते हैं; जाल नीचे जाते हैं। गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के मालिक अपनी देशी नौकाओं को लेकर मछली पकड़ने के क्षेत्र में पहुंचते हैं और मछली पकड़ते हैं तथा अपनी जीविका कमाते हैं। यदि 5 कि०मी० का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है तो ठाणे जिले के इन हजारों मछियारों का धंधा चौपट हो जाएगा और वे भुखमरी का समाना करेंगे। इसलिए मैंने यह स्पष्ट किया था कि यदि इन उपबंधों को क्रियान्वित कर दिया जाता है। यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के मलिकों को कष्ट होगा। गिल-जालों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य गैर-यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है और वह भी तट से 5 कि० मी० से आगे। श्रीमान् मैं अनुरोध करता हूं कि हमें इस प्रश्न पर नौका-विशेषज्ञों तथा उन मछियारों से जो बहुत से वर्षों से इस व्यवसाय में है, परामर्श करके विचार करना होगा और उसके बाद ही इस विषय पर कानून बनाना होगा। अन्यथा इस विधेयक से उन्हें हानि होगी जिसका अभिप्राय: मछियारों के हितों का रक्षा करना है।

एवं अन्य प्रकार से भी मछली पश्चिमी तट पर डोलनटस से पकड़ी जाती है। इस प्रकार से भी मछली पकड़ने का कार्य तट से 5 कि० मी० को दूरी से आगे ही किया जाता है क्योंकि इन जालों को 5 कि० मी० के भीतर नहीं फैलाया जा सकता है। इसीलिए मैं जानना चाहूंगा कि हम छोटे मछियारों के बारे में क्या करने जा रहे हैं। जो गोवा को छोड़कर बम्बई से बंगलौर तक इन तीन प्रकार से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। यदि हम इस प्रश्न के उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो विशेषज्ञों से परामर्श करना अच्छा है और उनके अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। हम यंत्रीकृत नौकाओं के मालिकों की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार करेंगे। श्रीमान् आम-तौर पर लोग इस बात को मान लेते हैं कि जैसा कि कृषि के मामले में कुछ फसलों को कुछ क्षेत्रों में उगाया जा सकता है उसी प्रकार से मछली की यह विशेष किस्म 5 कि० मी० के भीतर उपलब्ध होती है और दूसरी किस्म उस सीमा से आगे उपलब्ध होती है। यह महसूस होता है कि विधेयक तैयार करते समय यह परिकल्पना कर ली गई है परन्तु यह पूर्ण रूप से गलत धारणा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि हम यह भूल गये हैं कि मछली एक स्थान पर नहीं ठहरती है।

इस संबंध में, एक या दो बातों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीकृत बैंकों ने मछियारों को उनकी नौकाओं को यंत्रीकृत करने के लिए लाखों रुपये के ऋण स्वीकृत किए है। ये सभी मछियारे गरीब हैं जिनके पास यंत्रीकृत नौकाएं नहीं हैं। सरकार ने यह सोच कर मछेरों को ऋण देने की योजना को स्वीकृति दी है कि हम बढ़िया किस्म की मछलियां पकड़ कर विदेशों को निर्यात कर सकें तथा विदेशी मुद्रा कमा सकें। हम यह भी भूल जाते हैं कि मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में मछली नहीं पकड़ी जा सकतीं। झींगा (श्रिम्प या प्रॉन) मछली

सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीने में ही तथा तट से 5 किलोमीटर के अन्दर मिलती हैं क्योंकि इस प्रकार की मछली को भोजन केवल इसी क्षेत्र में मिलता है। यदि मछली पकड़ने पर 5 किलो मीटर की रोक लगा दी जाती है तो जिन मछेरों को लाखों रुपयों का ऋण दिया गया है, वे इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की स्थिति में नहीं होंगे।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस प्रश्न की ओर दिलाऊंगा और अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इसका उत्तर दें। मैंने कृषि मंत्रालय की कतिपय रिपोर्टों को पढ़ा है जिनमें कहा गया है कि जलपोतों या मोटर बोट द्वारा पकड़े जाने वाली 90 प्रतिशत झींगा मछली निर्यात की जाती है और हमें इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सितम्बर से दिसम्बर तक की अवधि के दौरान झींगा मछली तट से 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर मिलती हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो कृपया इस पर विचार करें कि क्या मोटर बोटों को सितम्बर से दिसम्बर के अन्त तक कोई झींगा मछली मिल सकेगी। उन्हें केवल जनवरी से अप्रैल तक ही झींगा मछली मिल सकेगी क्योंकि मई से मौसम समाप्त हो जाता है। यदि आप 5 किलोमीटर की सीमा बांध देते हैं तो जिन मछेरों ने ऋण के तौर पर लाखों रुपये लिए हैं, वे उसके ब्याज तक का भुगतान करने में असमर्थ होंगे। इस प्रश्न पर विचार करना अपेक्षित है। इसी उद्देश्य के लिए मैंने संशोधन दिए हैं, छोटे या बड़े मछेरों के हितों की पूर्ति करना इनका उद्देश्य नहीं है।

मेरे मित्र श्री फैलीरो ने डीजल के उपभोग का उल्लेख किया है। आपने 5 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की है। यदि जलपोतों या मोटर बोटों को उस स्थान तक पहुंचना है तो उन्हें तट से 10 किलोमीटर दूर जाना होगा और 10 किलोमीटर वापस आना होगा अर्थात 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी जिसमें 650 रुपये मूल्य का डेढ़ बैरल डीजल लग जाएगा। इन दिनों में 650 रुपयों के इस प्रकार की यात्रा पर खर्च को कम किया जा सकता है, हमें इस पर विचार करना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते ने सीमांतर्गत जलक्षेत्र का उल्लेख किया हैं तथा कहा है कि यदि हम सीमांतक जलक्षेत्र का निर्णय कर सकते हैं तो हम 5 किलोमीटर की सीमा का निर्णय क्यों नहीं कर सकते। उनके प्रति यथोचित आदर रखते हुए मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है क्यों कि हम इस उपबन्ध को दण्डनीय बना रहे हैं। यदि जलपोत 5 किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं तो यह एक अपराध है तथा उसे इसके लिए उस पर अभियोग चलाया जाएगा। परन्तु क्या न्यायालय में यह सिद्ध करना सम्भव होगा कि अमुक जलपोत 5 किलोमीटर की सीमा के अन्दर आया था। यह सर्वथा असम्भव है। अतः ऐसे सभी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए छोड़ना पड़ेगा। अतः ऐसे कानूनों का क्या लाभ जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता और जो केवल विधि पुस्तक में मृत नियमों की तरह पड़े रहेंगे ? यदि आप छोटे मछेरों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रकार के कानून लाने से काम नहीं चलेगा।

हमारे तट-रक्षक भी इसे लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास केवल एक ही जहाज है। इस विशाल तट को ध्यान में रखते हुए, मैं समझता हूं कि यह असम्भव है छोटी लांचें भी,

जिनका प्रो० दण्डवते ने उल्लेख किया है, ऐसा नहीं कर सकेंगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक पहलू पर विचार करें। तट-रक्षकों या पुलिस तथा अन्य बातों पर खर्च करने के बावजूद हम बिना इंजन वाली छोटी नाव वालों की सहायता करने में असमर्थ हैं। अतः जिनकी नावें यंत्रीकृत नहीं हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए योजना क्यों न बनाई जाए। हम उन्हें यंत्रीकरण के लिए धनराशि दे सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम समस्या को सुलझा सकते हैं। यदि आप 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से आगे की सीमा निर्धारित करते हैं तो आप उन्हें आपस में ही लड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं और इससे समस्या नहीं सुलझेगी।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित न कराये बल्कि विशेषज्ञों की राय प्राप्त करे। अतः मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं। हमें इस विशिष्ट विषय पर विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए।

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों के बारे में

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबंधित सदस्यों की पर्चियों के आधार पर संशोधनों की सूची सदस्यों के सूचनार्थ सूचना पटल पर लगा दी गई है।

यदि कोई सदस्य सूचि में कोई असंगति पाता है तो वह तत्काल सभा पटल के अधिकारी को उसके बारे में बता दें।

———

देशी मछुआ नाव संरक्षण विधेयक-जारी

सभापति महोदय : अब श्री बी० के० नायर बोल सकते हैं ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने दो दिन पूर्व अपना नाम दिया था परन्तु मेरी बारी अभी तक नहीं आई ।

सभापति महोदय : मेरे ध्यान में आपका नाम है और अगला नाम आपका ही होगा । (व्यवधान) ।

श्री जेवियर अराकल : क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा नाम कब पुकारा जाएगा, जिससे कि बोलने के बाद मैं जा सकूं ?

सभापति महोदय : मैं आपको बता चुका हूं । शायद आपने सुना नहीं । मैंने आपको निश्चित तौर पर बता दिया है कि इनके बोलने के बाद आपकी बारी आयेगी । क्या इससे अधिक स्पष्ट कुछ और होगा ? (व्यवधान) और मेरा ख्याल है कि आप दोनों एक ही राज्य के हैं ।

श्री जेवियर अराकल : यह अलग बात है । जिसने पहले नाम दिया हो उसे पहले बुलाया जाना चाहिए और यदि आप इसके विपरीत करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय : खैर यह स्वविवेक अध्यक्षपीठ का होता है और मैं समझता हूं कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि इसे हटा दिया जाये ।

श्री बी० के० नायर (विक्लोन) : मुझे प्रसन्नता है कि मछुओं के कल्याण सम्बन्धी कतिपय मामलों पर बोलने का मुझे अवसर मिला है । मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में मोटर नौकाओं पर पावन्दी लगाने के अलावा मछुओं के जीवन सम्बन्धी मामलों को चर्चा में स्थान दिया गया है । मछुओं का समुदाय राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत कार्य करता है तथा बदले में कुछ नहीं मांगता । वास्तव में जहां तक उनका सम्बन्ध है उनकी यह सेवा एकतरफी है उन्हें अत्यन्त गरीबी तथा उपेक्षा की स्थिति में रहना पड़ता है । आप उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं करते । वे अपनी बनायी झोंपड़ियों में रहते हैं । वहां पर कोई सड़कें नहीं हैं । उन्हें शिक्षा सम्बन्धी कोई सुविधाएं नहीं दी जातीं । वे बिना कुछ पाये राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं । 65 लाख व्यक्तियों का यह समुदाय उपेक्षापूर्ण हालात में रहता है । हम उन्हें कोई सुविधाएं नहीं देते । मैं कहना चाहता हूं कि आवास एक मुख्य मामला है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । उसके बाद शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । मानसून के दौरान वे समुद्र में जाते हैं तथा उनमें से कई वापस नहीं आ पाते । उनके लिए बीमे की कोई योजना नहीं है जोकि दुर्घटना की दशा में उनके परिवारों को सहायता उपलब्ध कर सके । इसलिए मैंने सभा में एकाधिक बार सुझाव दिया है कि मछुआ कल्याणकारी विधि स्थापित की जाये । इसका उसी प्रकार आकलन किया जाना चाहिए जैसे निर्यात किये जाने वाले कोयले पर लेवी द्वारा एकत्र

किया जाता है । लगभग 200 करोड़ की समुद्री मदें हैं । उन पर थोड़ी सी लेवी से बहुत सी निधि एकत्र हो जायेंगी ।

दुर्घटनाओं के बारे में बीमा किया जाना चाहिए । बेरोजगारी तथा वृद्ध आयु का भत्ता दिया जाना चाहिए ।

समुद्री कटाव की भी समस्या है। मेरे राज्य केरल में भी बहुत अधिक समुद्री कटाव होता है । बहुत सी झोंपड़ियां वह जाती हैं । जालों की क्षति होती है । समुद्री कटाव को रोकने के यत्न किये जाने चाहिए तथा मछुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए ।

उन्हें पत्तन की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं । हम देशी नौकाओं की बात कर रहे थे परन्तु रात में उन्हें कहां पर रखा जाएगा । इसलिए इस उद्देश्य के लिए मत्स्य पत्तन बनाये जाने चाहिए । नीन्दाकारा में पतन सम्बन्धी बहुत सी समस्याएं हैं । अभी तक पत्तन की सुविधाएं केवल मोटर नौकाओं के लिए हैं। केरल के तट के साथ बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनको देशी नौकाओं के लिए पत्तन के रूप में विकसित किया जा सकता है । क्विलोन में समुद्र में बांध ब्रेक-राटर के निर्माण कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए । लगभग 5000 मछुआ परिवारों को अपनी नावें रखने के लिए सुरक्षित स्थल रखे जाने चाहिए । मुझे उम्मीद है कि आप मेरा निवेदन मन्त्री महोदय को पहुंचा देंगे ।

सभापति महोदय : वह आपकी बात सुन रहे हैं ।

श्री वी० के० नायर : वह उत्तर भी देंगे ।

ये लोग अशिक्षित हैं । वे मुख्यतः मत्स्य पालन पर निर्भर करते हैं । उनमें से बहुत से लोग बेरोजगार हैं क्योंकि वे अशिक्षित हैं । उन्हें किसी प्रकार की व्यवसायी तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बेरोजगारी पर भार कम हो जाए । एक परिवार के एक अथवा दो पुरुष सदस्य ही समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं । इन लोगों को किसी प्रकार के धंधे का प्राशिक्षण दिया जाना चाहिए । मैं दोहरा रहा हूं, कि यह वह समुदाय है जिससे हम पोषाहार तथा निर्यात की वस्तुओं के रूप में अधिकतम योगदान लेते हैं परन्तु ये लोग स्वयं अत्यन्त हीन दिशा में रहते हैं । उनका जीवन स्तर औसत से बहुत नीचे है ।

योजना दस्तावेजों में भी इन गरीब व्यक्तियों का उल्लेख नहीं हुआ । मछुओं का शोषण जारी है । मछुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

उनका कोई प्रवक्ता नहीं है । किसानों तथा अन्य वर्गों के समान उनके मामले को किसी ने हाथ में नहीं लिया ।

यह एक ऐसे कार्मिकों का वर्ग है जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी हड़ताल नहीं की है । हम राज्य बीमा निगम तथा सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की बात सुनते है पर मछुओं

द्वारा हड़ताल की बात कभी नहीं सुनी। श्री चर्चल ने कहा था "यह एक छोटा समुदाय है जिस के प्रति राष्ट्र का बहुत बड़ा दायित्व है। वे कुछ भी लिए बिना सब कुछ दे देते हैं।"

5 अथवा 10 किलोमीटर के संरक्षण के बारे में विचार है किया व्यवहार्य नहीं है। कल हम नशा बन्दी पर चर्चा कर रहे थे। इसकी स्थिति उसी के समान है। इसे लागू करना व्यवहार्य नहीं है। तट-संरक्षक तो हैं। तो भी तस्करी हो रही है। 6,500 किलोमीटर का तट क्षेत्र है। पूरे तट का संरक्षण करना संभव नहीं है। यह उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है। ये लोग परम्परा से मछली पालन के अपने धंधे में रत हैं। मेरा सुझाव है कि इन्हें यंत्रीकृत नौकाएं दी जानी चाहिए। अन्यथा यह समुदाय दीर्घकाल तक बच नहीं सकता। आज यंत्रीकरण का युग है। यंत्रीकरण किये बिना जीवन यापन करना संभव नहीं है, अन्यथा उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। उन्हें यंत्रीकृत नौकाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें।

अन्त में, जब हम नावों के यंत्रीकरण की बात करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व मैं विवलन में मोटर नौकाओं के मालिकों के मामले में सुनवाई कर रहा था। नींदकारा में 2000 से अधिक मोटर नौकाएं घाटे में चल रही हैं। प्रत्येक नौका को प्रतिदिन 200 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नाव पर 5-6 कार्मिक कार्य करते हैं और अन्य खर्चे भी होते हैं। प्रत्येक मोटर नौका पर 600-700 रुपए व्यय होते हैं। उन्हें प्रति दिन उपलब्धि 300 से 400 रुपए होती है। इस प्रकार वे प्रति दिन नौका पर 200-300 रुपए हानि उठा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन लोगों को डीजल रियायती दरों पर दिया जाये, जैसा कि किसानों को दिया जाता है।

श्री जेवियर अराकल : बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना।

इसके अतिरिक्त, यह मामला राज्य सूची, अनुसूची आठ से सम्बन्धित है। इसलिए इस विधेयक को क्रियात्मक भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सभा को इस महत्वपूर्ण मामले पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। जैसा कि पहले वक्ताओं ने कहा है। इस मामले का संबंध हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग से है जो करीब विदेशी मुद्रा का योगदान करता है।

सरकारी उद्घोषणाओं में मैंने पाया कि पिछले वर्ष के राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया था :

> "सरकार को पता है कि हमारे भावी आर्थिक विकास के लिए हमारे समुद्री संसाधनों का अधिकतम उपयोग महत्वपूर्ण है। चूंकि समुद्र के व्यापक संसाधनों से लाभ उठाने के लिए बहुमुखी कार्यवाही की आवश्यकता है, समुचित संस्थागत व्यवस्था की जा रही है।"

पुनः वित्त मंत्री के 11 मार्च, 1980 के भाषण का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है :

"हमारी योजना में कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों को उच्च अग्रता मिलनी चाहिए और देश के भीतर तथा समुद्र में मछलियों की खोज के लिए 32 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है।"

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास तथा इन लोगों के लाभ के लिए कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए सरकार ने कितना धन व्यय किया है। कहा गया है कि यदि समुचित साधन जुटाये जाते हैं तथा खोज की जाती है तो लाखों लोगों को भोजन मिल सकता है। भारत में 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं तथा 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। यदि इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टि कोण अपनाया जाये तो निर्धनता तथा निरक्षरता मिटाई जा सकती है।

कुछ अनुच्छेदों को देखने से मुझे पता चला है कि समुद्री क्षेत्र को तीन वर्गों में बांटा गया है। (एक) बारह मील तक का समुद्री क्षेत्र, (दो) 24 मील का संलग्न क्षेत्र, (तीन) 200 मील तक का विशिष्ट क्षेत्र है। फिर उसका 8 फैदम, 8-10 फैदम तथा 10-12 फैदम में विभाजन किया गया है। यद्यपि इसका इस प्रकार विभाजन किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि समुद्र का संतुलन बिगाड़े बिना इन क्षेत्रों का उचित समुचित उपयोग किया जाये। इस मामले में अध्ययन रिपोर्ट क्या है? मुझे बताया गया है कि थाईलैण्ड में 6,000 गहरी समुद्र वाली नौकाएं हैं तथा जापान में 12000 और भारत में 60 ही हैं। ये जालपोत भारतीय समुद्री सीमा में आते हैं तथा अपार समुद्री सम्पदा कमाते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है इस बारे में पर्यवेक्षण की कोई प्रणाली नहीं है। कहा गया है कि केवल पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ की मछली इन जालपोतों द्वारा पकड़ी जाती है। इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है? हमने कितनी नौकाएं जब्त की हैं। नौसेना का कहना है कि इन मछली पकड़ने वालों को पकड़ने के लिए हमारे पास नौकाएं आदि नहीं हैं। इन मछली पकड़ने वालों की संख्या बहुत कम है। इन पर नियंत्रण कौन कर रहा है? जब यंत्रीकृत नौकाओं के चालकों और परम्परागत मछुओं के बीच झगड़ा हो जाता है तब उनकी रक्षा कोई नहीं करता है। श्री फैलीरो ने बताया था कि इसे कानून और व्यवस्था की समस्या समझा जाता है। वास्तव में यह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह उन व्यक्तियों के मध्य जिनके पास शिल्पविधि कार्य तथा संसाधन उपलब्ध हैं तथा जिनके पास ये उपलब्ध नहीं हैं, वर्ग संघर्ष है।

केरल सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था जिससे पता चला कि इन मछुओं में से 50% ऋण ग्रस्त हैं। यह मौसमी कार्य है। और वे लोग बहुत सा समय भूखों मरते हैं तथा ऋण लेकर निर्वाह करते हैं। उनके हाथ इन शाहूकारों के हाथों में बंधे हुए हैं। इस कार्य के लिए बजट में रखे गए 32 करोड़ रुपए में से कितने हमने उनको दिए हैं?

लेखों को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर कार्य करने वाले 13 संगठन हैं। कृषि विभाग, वाणिज्य, विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद कोचीन में एक सेमिनार हुआ था। उसमें सरकार के विभिन्न संगठनों में तालमेल न होने के दोषों पर प्रकाश डाला गया था।

यदि आप इन कमजोर वर्गों के लिए कुछ करना तथा समुद्र की सम्पदा के शोषण को रोकना चाहते हैं, तो अभी भी समय है कि हम इन सभी संस्थाओं को समन्वित करेंगे।

यह बताया गया है कि भारतीय तटीय क्षेत्र के 30 मील के भीतर ही 500 लाख टन मछली मौजूद है और केवल 25 लाख टन मछली को ही पकड़ा जाता है और हम 25 लाख टन में से भी 15 लाख टन भारतीयों द्वारा पकड़ी जाती है और 10 लाख टन विदेशी मछली-मारों द्वारा पकड़ी जाती है। इस समस्या की गम्भीरता को तो देखिए। हमारे पास संसाधन तो हैं, किन्तु हम इसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। हमारे यहां 60 लाख लोग परम्परागत मछुए हैं परन्तु हम उन्हे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं मैं कुछ भी नहीं कहता, ऐसा कहने से मेरा अभिप्राय यह है कि पर्याप रूप से कुछ नहीं किया गया है। इस के कारण क्या है ? जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है इसका कारण यह है कि उनका कोई संगठन नहीं है और उनके हितों के बारे में संसद तथा विधान सभाओं में उचित रूप से बताया नहीं जाता। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि छः आयात की हुई नावें, अर्थात गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने वाली नावें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को दी गयी है। पश्चिम बंगाल में तीन लाख से ऊपर मछुए अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार सहकारी आंदोलन को संगठित नहीं कर सकती थी और इसका लाभ उन्हे प्रदान नहीं कर सकती थी ? इस क्षेत्र में विलक्षण कार्य केरल राज्य द्वारा किया गया है। उसने साही पहलकी है, सहकारी समितियां सगंठित की है, जिन के द्वारा ये यांत्रिक नावें और अन्य उपकरण दिये जाते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि सभी राज्य सरकारें रुचि नहीं ले रही हैं। इस समस्या की गम्भीरता को समझा नहीं गया है। क्योंकि यह विषय राज्य विषय है, इसलिए यदि केन्द्र इस बारे में कोई विधान लाता है तो निश्चय ही राज्यों की ओर से इसका विरोध होगा। मैं इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि उचित मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने चाहिए तथा उनको लोगों की सूचनार्थ जारी किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह यह है कि सहकारी आंदोलन को इस क्षेत्र में मजबूत तथा प्रोत्साहित किया जाना जाहिए। इस सम्बन्ध में केरल में एक कटु अनुभव हुआ है कि यदि एक सहकारी समिति को संगठित किया जाता है तो निहित स्वार्थ प्रकट हो जाते हैं और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि यह काम न करें। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि क्योंकि समितियां ऋणग्रस्त होती हैं, इसलिए वे इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक केन्द्र का मजबूत इरादा नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी उपाय फलदायक नहीं होगा। अतः मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सहकारी आंदोलन के बारे में बताया जाना चाहिए तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अराकल, कृपया बैठ जाइए। मैं सभा की भावना को जानना चाहता हूं। यह वाद-विवाद आज 3.40 बजे आरम्भ हुआ था। अब तक दो घटे लग चुके हैं। सभा क्या चाहती है? क्या बाद विवाद जारी रहना चाहिए? और कब तक?

कुछ माननीय सदस्य : इसे जारी रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कितने समय के लिये सामान्यतया सभा 6.00 म.प. पर स्थगित होती है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामी नाथन) : हंम सभा को 6.00 म.प. पर स्थगित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : सभा 6.00 म.प. स्थगित हो सकती है। वाद-विवाद आगामी पखवाड़े में जारी रहेगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुवनी) : अगले विधेयक ; अर्थात संविधान संशोधन विधेयक के बारे में क्या होगा जोकि मेरे नाम में है? क्या यह समाप्त हो जाएगा?

सभापति महोदय : मेरी सूचना यह है कि विधेयक समाप्त नहीं होता। यदि यह विधयक समाप्त नहीं होता। यदि यह विधेयक अगले दिन के लिए रह जाता है, तो इसे अगली प्राथमिकता दी जाएगी और यह समाप्त नहीं होगा। श्री अराकल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जेवियर अराकल : तीसरी बात जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि चूंकि यह मामला कृषि क्षेत्र का है, इसलिए यह प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इसे राज सहायता दी जानी चाहिए। चाहे यह डीजल के लिए हो अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो, राज्य सहायता दी जानी चाहिए और जब तक राज्य सहायता नहीं दी जाती, तब तक ये नाव मालिक कठिनाई में रहेंगे। वे अपना काम करते रहने में समर्थ नहीं हो पायेगे।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि इस क्षेत्र में क्रमशः यन्त्रीकरण किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने कृषि क्षेत्र में क्रमशः यन्त्रीकरण किया है, उसी तरह समुद्र के उपयोग को भी सहकारी आन्दोलन के माध्यम में यन्त्रीकृत किया जाना चाहिए। जब तक हम परम्परागत मछुओं के बारे में नहीं सोचेंगे तथा इससे उन्हें मछलियों को पकड़ने तथा समुद्र का उपयोग करने की आधुनिक कला में प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया वाली गम्भीर घटना होती रहेंगी। जिसमें हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है। इससे बचने के लिए क्रमिक यन्त्रीकरण किया जाना चाहिए और ऐसा करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इससे समुद्र विज्ञान की परिस्थिकी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

मेरा पांचवा सुझाव यह है कि भारत में इस समय हमारे पास समुद्र तटों पर 16000 से अधिक यंत्रीकृत नावें काम कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनके कर्मचारियों

की मंजूरी तथा सेवा शर्तें क्या हैं ? क्या उन्हें मछली पकड़ने में भी कोई हिस्सा मिलता है ? जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि बड़े यन्त्रीकृत नावों के मालिक इन लोगों को बहुत कम मजूरी देते हैं। इनकी सेवा में स्थिरता नहीं है। इन पर कानूनों को लागू नहीं किया जाता। इसलिए मेरा पांचवा सुझाव यह है कि इन लोगों को भविष्य निधि तथा अन्य श्रम कल्याण कानूनों के अन्तर्गत लाया जाए।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि यन्त्रीकृत नावों के मालिकों तथा परम्परागत मछुओं से बातचीत के लिए जिला स्तर पर एक समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए। बातचीत तथा सद्भाव के अभाव के कारण बहुत समस्यायें खड़ी हो गई हैं। न केवल समस्यायें ही खड़ी हुई, बल्कि अनेक मछुए मारे गए जिसे रोका जा सकता था बशर्ते कि यन्त्रीकृत नावों के मालिकों तथा परम्परागत मछुओं के बीच सद्भाव तथा बातचीत करने हेतु एक समन्वय समिति होती। अतः इन सुझावों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुसार इस मामले में कोई कानून नहीं बना सकती। जहां तक इसके कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय से पूरी तरह सहमत हूं कि इस पर निरीक्षण रखना बहुत ही कठिन काम है। यद्यपि मैं यह खेद के साथ कह रहा हूं कि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। व्यावहारिक प्रस्ताव के रूप में इस समन्वय समिति का उपयोग किया जा सकता है।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, श्री अराकल जी ने और कई अन्य साथियों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बतलाया है। जहां तक जानकारी है – प्रापर गाइड लाइन्ज का कैसे पालन किया जाए, यह समस्या उत्पन्न है। आप देखिए—10-2-1978 को केरल विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था, यह प्रस्ताव यूनैनिमसली पास हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था—

> "यह सभा भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि उसे गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा यन्त्रीकृत नावों के माध्यम से मछली पकड़ने के काम को शुरू करने के अपने निर्णय को इस तथ्य को दृष्टिगत रख कर रद्द कर देना चाहिए कि इससे केरल के लाखों परम्परागत मछेरे बेकार हो जायेंगे और इससे उन्हें गम्भीर वित्तीय हानि होगी।"

यह प्रस्ताव पास करके उन्होंने केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था। जहां तक मुझे याद है, 10 अप्रैल, 1978 को एक अल्प सूचना प्रश्न के जवाब में तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री बरनाला जी ने इस सदन को आश्वासन दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था—

> "हम इन परम्परागत मछुओं के लिए, जिनकी नावें यन्त्रीकृत नहीं हैं, समुद्र तट से लगभग 5 किलोमीटर सीमा निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यन्त्रीकृत

नावों तथा जालपोतों के मछुग्रों के लिए हम इसे 10 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं।"

यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी।

सभापति महोदय, जितने भी इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं, वे स्पष्ट हैं, और उनके सम्बन्ध में विभागीय निर्देश भी जारी हुए हैं—पहली प्रायोरिटी कोआपरेटिव सोसायटीज को दी गई है, दूसरी प्रायोरिटी स्टेट कार्पोरेशन्ज के लिए है, तीसरी इन्जीनियर्स के लिए है और चौथी लार्ज-हाउसेज के लिए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों और निर्देशों के होते हुए भी उनका पालन नहीं हो रहा है। हमारे कई साथियों ने ठीक ही कहा है कि जब कभी बड़े बिजनेसमैन और छोटे मछुग्रों के बीच में झगड़ा होता है तो वह एक प्रकार से "क्लास वार" है, आर्थिक पहलू पर ही झगड़े की शुरूआत होती है, क्योंकि सबसे अधिक मछली समुद्र के किनारे पर ही मिलती है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि जो बड़े-बड़े मछली पकड़ने वाले हैं उनको बे-आफ-बंगाल में या अण्डेमान-निकोबार में जाकर यह काम करना चाहिए, 10 किलोमीटर तक उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने किन लोगों को इसके लाइसेंस दिए हैं। जो बिसकुट बनाने वाली कम्पनियां हैं, साबुन और तेल बनाने वाली कम्पनियां हैं, जैसे टाटा आयल मिल कम्पनी है...।

सभापति महोदय : आप मछली से बिस्कुट पर कैसे चले गए ?

श्री रामविलास पासवान : इन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं।

सभापति महोदय : आप मछली के बारे में बोलिए।

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : वह पूरी तरह संगत बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपने प्वाइन्ट पर आइए, क्योंकि आपके बोलने का समय निर्धारित है।

श्री रामविलास पासवान : मैं यही बतला रहा हूं कि बिस्कुट बनाने वाली कम्पनियों को मछली मारने के लाइसेंस दिए गए हैं।

सभापति महोदय : आप फिर बिस्कुट को नहीं छोड़ रहे हैं, मछली पर आइए।

श्री रामविलास पासवान : मैं आपके सामने सरकार का जवाब पढ़ कर सुनाता हूं—जिसमें सरकार ने इसी हाउस में कुबूल किया है कि जितनी मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, जिनको बिग-हाउसेज कहते हैं, जो बिस्कुट बनाने का काम करती हैं लेकिन मछली भी मारती हैं, जो ब्लेड भी बनाती हैं और मछली भी मारती हैं—जो तेल बनाती हैं और मछली भी मारती हैं—इन सबको सरकार ने लाइसेंस दिए थे। इनको लाइसेंस देने का पीरियड भी वही है जब आपकी

सरकार थी, जनता पार्टी के पीरियड में लाइसेंस नहीं दिए गए, बल्कि उसने रोक लगाई थी। मंत्री जी अपने जवाब में इसके बारे में बतलायें। जनता पार्टी की सरकार के पहले आपने लाइसेंस दिए थे और अब बाद में भी आप उनको लाइसेंस देते जा रहे हैं। जनता पार्टी के समय के कृषि मंत्री श्री बरनाला ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनको मछली मारने की अनुमति 10 किलोमीटर के अन्दर नहीं दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि हम स्टेट गवर्नमेंटस को भी लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा भी होगा उन्होने यहां यह भी कहा था कि हम एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लायेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से क्या जवाब आया ? यदि कोई जवाब आया है तो मंत्री महोदय बतलायें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे जो नाविक हैं, उनके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं। 30 लाख से अधिक परिवार इस कारोबार में लगे हुए हैं। आप उनकी हालत को देखिए। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं हैं और आज भी उनके पास रहने के लिए झुग्गी-झौंपड़ी नही है। किस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यह आप देखिए। उनको कोई मदद नहीं मिलती है लेकिन जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, वे ही सारे लाभ उठा ले जाते हैं। जैसे हर मर्ज की वे दवा हैं। सब चीजें उनको देते जा रहे हैं। कहीं न कहीं उन पर आपको रोक लगानी होगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अभी तक उसने इस दशा में क्या कार्यवाही की है। इस विषय पर एक बार ही नहीं बल्कि दर्जनों बार बहस हुई है। कभी क्वेश्चन के रूप में, कभी ध्यानाकर्षण के रूप में, कभी शोर्टनोटिस क्वेश्चन द्वारा इस विषय पर विवाद चला है लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार आश्वासन तो देती है लेकिन जहां बड़े बड़े बिजनैसमैन का थैला खुल जाता है, तो उसका सिर झुक जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार जवाब दे और उसको निश्चित रूप से इस सदन को बताना चाहिए कि वह कब तक जो बड़े-बड़े उद्योगा-पति हैं, उनसे इस उद्योग में आने से पीछा छुड़ाएगी। चार तरह के नाविक होते हैं। एक तो वे हैं, जो परम्परागत नाविक हैं लेकिन उन नाविकों की आज स्थिति बहुत खराब है। उनके पास जो नावें हैं, वे टूटी हुई हैं और आर्थिक रूप से वे बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको कब तक आप बढ़िया मिकेनाइज्ड छोटी नावें लेने के लिए अनुदान देंगे या नहीं देंगे? फिर बड़ी-बड़ी मिकेनाइज्ड बोटस हैं, ट्रालर्स हैं और बड़े-बड़े वैसिल्स हैं। इस तरह से चार श्रेणियों में आपने इनको बांटा हुआ है। ये सभी जानते हैं कि जो परम्परागत रूप से नाविक काम करते हैं, वे मछली मारने का काम करते हैं लेकिन आज वे भूखे मर रहे हैं और ऐसे परम्परागत नाविक एक ही जगह नहीं है बल्कि गोवा में, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वे फैले हुए हैं और लाखों की संख्या में फैले हुए हैं। तो ये जो गरीब मछुये हैं, इनके लिए आप क्या करने जा रहें हैं। आप मुख्य मंत्रियों का या संबंधित मंत्रियों का कोई सम्मेलन बुलाएं, जिसमें इस बात को रखें और उसके बाद कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएं या कोई कानून बनायें, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, वह इम्पलीमेंट कैसे हो लागू कैसे हो, इस बात को देखा जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट तो बन जाता है लेकिन एक्ट और फैक्ट में जमीन-आसमान का अन्तर रहता है। जो भी एस्ट आप बनाएं जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि इसका पालन कैसे हो, तब तक कुछ नहीं होगा और मैं समझता हूं कि यह बिल जो हमारे महालगी साहब ने रखा है, प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में, यह बिल अगर पास भी हो जाएगा तो भी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा जब तक कि उस एक्ट को जो आप बनाएं, कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा। चाहे इस पक्ष के लोग हों और चाहे उस पक्ष के लोग हों, जब कभी भी इस मसले पर बहस हुई है और पिछली बार सब तरफ के लोग जब इस पर बोले थे, ट्रेजरी बेंचेज के लोग और अपोजीशन के लोग बोले थे, तो सब लोगों की एक ही मान्यता थी, लेकिन जब वह चीज हाऊस से चली जाती है, तो फिर सारी चीज पर पर्दा पड़ जाता है। इसलिए मैं यह आग्रह करूंगा कि इस बार कोई ऐसी बात मत कीजिए और अभी तक जो सरकार की नीति रही है जिसके कारण जो बड़े बड़े विजनैसमैन हैं, वे फलते-फूलते रहते हैं, उसको आप बदलायें और उनको थोड़ा काटने का काम कीजिए और गरीब लोगों को, जिनके वोट पर आप यहां जीत कर आए हैं, उनको आर्थिक सहायता दीजिए। अगर उस गरीब जनता की आप सहायता नहीं करेंगे, तो वह ज्यादा दिन तक सोई नहीं रहेगी और एक दिन वह आपको उठाकर फैंक देगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि वह इसको पास करे।

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरा विचार यह है कि हमारे देश के, विशेषकर कि तटीय क्षेत्रों के परम्परागत मछुए जिन समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं, वह न केवल आज प्रस्तुत कुछ समय पहले से ही विद्यमान हैं। हम इस समस्या की गम्भीरता का पता लगाने में समर्थ हो पाये हैं। जहां तक मेरे आदरणीय सहयोगी श्री महालगी द्वारा पेश किए गए इस विशेष विधेयक का सम्बन्ध है, इस विधेयक का उद्देश्य उन सीमित बाधाओं एवं कुछ कठिनाईयों को दूर करने का है जिसका सामना इस देश के परम्परागत मछुओं द्वारा किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त भी जारी किये गये हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का वही स्वरूप है जैसा कि उन्हें विधेयक में निरुपित किया गया है कि परम्परागत मछुओं के लिए 5 किलोमीटर की समय सीमा होनी चाहिए, यंत्रीकृत नावों के लिए 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच सीमा होनी चाहिए। और इससे बढ़कर सीमा को जालपोतों एवं बड़ी यंत्रीकृत नावों के लिए सीमित किया जाना चाहिए। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों का प्रयोजन हमारे देश के छोटे निर्धन और परम्रागत मछुओं के हितों की रक्षा करना था। इनकी संख्या जैसा कि मेरे, आदरणीय मित्रों ने बताया है, 45 लाख से अधिक है। इसके अन्तर्गत 3 करोड़ लोग आते हैं। अब इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू परस्पर संबंधित है। मैं इसके बारे में विस्तार से कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि जब मैं यह कहता हूं कि इससे संगठित क्षेत्र में सभी को रोजगार नहीं मिलेगा तो आप सरकार तथा योजना आयोग मेरी बात से सहमत होंगे। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। अतः रोजगार देने की समूची नीति स्व-रोजगार के प्रश्न पर निर्भर

करती है । अब स्व-रोजगार देने का यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय जीवन में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । यदि इन 85 लाख मछुओं का अपना जीविकोपार्जन करना है, तो यह आवश्यक है कि सरकार को उनके हितों की रक्षा करने हेतु कुछ कानूनी तथा विधायी उपाय करने पड़ेंगे। जो मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं उनसे सरकार के इरादों के बारे में पता लगता है। किन्तु हमारा अनुभव यह है कि इन छोटे तथा परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा के लिए इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को समुचित ढंग से लागू नहीं किया गया है । अतः प्रश्न यह उठता है कि इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भावना उचित रूप से लागू करने हेतु और कौन से विधायी उपाय किये जाने चाहिए । अब जबकि सरकार का इरादा उनके हितों की रक्षा करने का है । तो इस समय इस विशेष विषय के संबंध में केन्द्रीय विधान बनाने के मार्ग में क्या बाधा है ? इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि इस विषय को कृषि के अन्तर्गत लाया जाये । आप सातवीं अनुसूचि में यह प्रविष्टि देखेंगे । संसद को इस प्रकार का विधान बनाने का अधिकार है।

मैंने अपने आदरणीय मित्र श्री परूलेकर के भाषण को सुना है । तटीय क्षेत्र के इन परम्परागत मछुओं की कुछ समस्याओं की कुछ विशेषतायें हैं तथा कुछ जटिलतायें हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण को अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

6.01 म० प्र० तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 23 फरवरी, 1981/4 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।